लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 5th LOK SABHA DEBATES

दूसरा सत्र
Second Session

सत्यमेव जयते

खंड 7 में अंक 51 से 59 तक हैं
Vol. VII contains Nos. 51 to 59

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 59, गुरुवार, 12 अगस्त, 1971/21 श्रावण, 1893 (शक)
No. 59, Thursday, August 12, 1971/Sravana 21, 1893 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
1712 दिल्ली दुग्ध योजना के कार्यकरण के परिणाम	Working results of Delhi Milk Scheme	1—4
1713 खाद्यान्न फसलें उगाने हेतु किसानों को प्रोत्साहन	Incentive to Farmers for Cultivating Food Crops	5—7
1714 पश्चिम बंगाल भूमि सुधार (दूसरा संशोधन) अधिनियम 1970 का लागू किया जाना	Implementation of West Bengal Land Reforms (Second Amendment) Act, 1970	8—10
1715 देश में दुग्ध-परिष्करण संयत्रों की क्षमता	Capacity of Milk Processing Plants in the Country	10—11
1716 उत्तर प्रदेश में बिजली मंजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of Recommendations of Electricity Wage Board in Uttar Pradesh	11—14
1717 हिन्दुस्तान स्टील कर्मचारी संघ के सेक्रेटरी की गिरफ्तारी	Arrest of Secretary of Hindustan Steel Employees union	14—16
1718 पश्चिम बंगाल में सहकारिता आन्दोलन की असफलता	Failure of Co-operative Movement in West Bengal	16—17
1719 तमिल नाडू की चीनी मिलों के विस्तार का कार्यक्रम	Expansion Programme of Sugar Mills in Tamil Nadu	17—20

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sin + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	**WRITTEN ANSWERS TOQUESTIONS**
1711	छोटे तथा मध्यम आकार के ट्रैक्टरों में आत्म निर्भरता	Self sufficiency in Medium and small size Tractors 20—21
1720	मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की खानों के लिए गैर-सरकारी उपक्रमियों को क्षति पूर्ति का भुगतान	Payment of Compensation to Private Entrepreneurs for Diamond Mines in Panna District of Madhya Pradesh 21
1721	केरल के कोजीकोड क्षेत्र में इस्पात कारखाने की स्थापना	Setting up of a steel Plant in Kozhikode Region of Kerala 21
1722	लघु सिंचाई योजनाओं को कार्यरूप देने के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Implmentation of small Irrigation Schemes 22—23
1723	कृषि मशीनरी के आयात को सुचारु बनाने के लिए एजेन्सी	Agency to Rationalise Import of Farm Machinery 23
1724	पश्चिम बंगाल में कोयला खानों के प्रबन्धकों के विरूद्ध 'सर्टिफिकेट' सम्बन्धी मामले	Certificate Cases against Colliery Managements in West Bengal 24
1725	गुजरात में केन्द्रीय सरकारी फार्म की स्थापना	Setting up a Central State Farm in Gujarat 24
1726	देश में कृषि इंजीनियरिंग स्नातकों की आवश्यकता और उनके लिए रोजगार की व्यवस्था	Requirement for Agricultural Engineering Graduates and their Employment 24—25
1727	बंगला देश के शरणार्थियों का आगमन	Influx of Bangla Desh Refugees 25—26
1728	पश्चिम बंगाल में कारखानों, कपड़ा मिलों तथा कोयला खानों का बन्द हो जाना	Factories, Textile Mills and Collieries closed in West Bengal 26—27
1729	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था द्वारा अधिक प्रोटीन वाली गेहूं और मक्का की किस्म का विकास करने के लिए अनुसंधान	Research by I. C. A. R. in Evolving Wheat and Maize of High Protein Content 27—28
1730	एडवर्ड टेक्सटाइल मिल्स, बम्बई पर कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि	E. P. E. Dues with Edward Textile Mills, Bombay 28
1731	बंगला देश से आये शरणार्थियों को मध्य प्रदेश के मोरेना जिले में बेहानी में बसाया जाना	Rehabilitation of Bangla Desh Refugees in Behani, District Morena, (Madhya Pradesh) 28—29

अता० प्र० संख्या विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
U. S. Q. Nos.		
1732 कृषि वैज्ञानिकों के लिए नए वेतनमान	New Pay Scales for Agricultural Scientists	29
1733 स्वचालित यंत्रों के कारण होने वाली बेरोजगारी का अनुमान	Assesment of Unemployment due to Automation	29—30
1734 कैन्नानोर, केरल में आरालेम फार्म का कार्यकरण	Working of Aralem Farm at Cannanore, Kerala	30
1735 हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को हानि	Loss incurred by Hindustan Steel Ltd.	30—31
1736 भारतीय खाद्य निगम द्वारा हरियाणा में अनाज की वसूली	Procurement of Foodgrains by F. C. I. in Haryana	31—32
1737 आन्ध्र प्रदेश स्टेट कोओपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड द्वारा आन्ध्र प्रदेश में चावल मिल का दोषपूर्ण निर्माण किये जाने के बारे में शिकायत	Complaint Regarding Defective Construction of Rice Mill in Andhra Pradesh by Andhra Pradesh State Cooperative Marketing Federation Ltd.	32
1738 उड़ीसा में निकल के कारखानें की स्थापना	Setting up of a Nickel plant in Orissa	32—33
1739 राज्यों में इस्पात संयंत्रों के जनरल मैनेजरों की नियुक्ति	Appointment of General Managers of Steel Plants in States	33
1740 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में पदों पर नियुक्ति हेतु चयन	Selection of Posts under Indian Council of Agricultural Research	33—34
अता० प्र० संख्या		
U.S.Q. Nos.		
7775 मध्य प्रदेश में उठाऊ सिंचाई योजनाएं	Lift Irrigation Schemes in Madhya Pradesh	34
7776 मत्स्यपालन के लिये अनुसंधान योजना	Research Scheme of Fisheries	34—35
7777 आरक्षित वन भूमि और वनों के विकास पर व्यय	Reserve Forest Land and Expenditure on Development of Forests	35—37
7778 चौथी पंचवर्षीय योजना में मत्स्यपालन	Fishing Harbourse during Fourth Plan	37—38
7779 पशमीना ऊन के लिए पर्वतीय चरागाहों तथा भेड़ों का विकास	Development of Alpine Pastures and Sheep for Pashmeena Wool	38—39
7780 पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की कालोनी, कालकाजी, नई दिल्ली में भूमि	Acquisition Process and Price of Land in E. P. D. P. Colony Kalkaji. New Delhi	39—40

का अधिग्रहण करने की प्रक्रिया और भूमि का मूल्य

7781 रांची स्थित हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन और बोकारो इस्पात लिमिटेड में भर्ती के लिए स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देना — Preference to Local People for Recruitment in H. E. C. Ranchi and Bokaro Steel Ltd. 40

7782 बिहार में बोकारो इस्पात लिमिटेड द्वारा खनन पट्टा — Mining Lease for Lime Stone by Bokaro Steel Ltd., Bihar 40—41

7783 हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन रांची और बोकारो इस्पात लिमिटेड में काम कर रहे कर्मचारी — Employees working in H. E. C. Ranchi and Bokaro Steel Limited 41

7784 समस्तीपुर शूगर मिल्स लिमिटेड का प्रबन्ध — Management of Samstipur Sugar Mills Ltd. 41

7785 आंध्र प्रदेश में 'ब्राहट्ज' के निक्षेप — Deposits of Barytes in Andhra Pradesh 41—42

7786 केरल में सीसा अयस्क के निक्षेप — Deposits of Lead ore in Kerala 42

7787 केरल में सहकारी आधार पर मत्स्यपालन का गहन विकास — Intensive Development of Fisheries Coopratives in Kerala 42

7788 गिरिडीह कोयला खानों के श्रमिकों को दिया गया मुआवजा — Compensation paid to Workers of Giridih Collieries 42—43

7789 कुमार आयरन रोलिंग मिल्स लिमिटेड, आसाम का बन्द हो जाना — Closure of Kumar Iron Rolling Mills Ltd. Assam 43

7790 पंजाब में जर्सी कैटिल ब्रीडिंग फार्म परियोजना का बन्द किया जाना — Closure of Jersey Cattle Breeding Farm Project in Punjab 43

7791 राष्ट्रीय कृषि आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति — Appointment of Chairman, National Commission on Agriculture 44

7792 पंजाब में किसानों को ट्रैक्टरों के लिये सप्लाई किये गये ईंधन की किस्म का सर्वेक्षण — Survey of Quality of Fuel supplied to Farmers for Tractors in Punjab 44

7793 केन्द्रीय मत्स्यद्योग निगम कलकत्ता के कार्यकरण के परिणाम — Working Results of Central Fisheries Corporation, Calcutta 44

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
7794	नये संकर बीजों से चावल का उत्पादन	Rice Production through New High Yielding Varieties 44—45
7795	इस्पात और खान मन्त्रालय में काम कर रहे पार्लियामेंटेड असिस्टेंट	Parliament Assistants working in Ministry of Steel and Mines 45
7796	कोरबा संयंत्र के निर्माण में हिन्दुस्तान स्टील लिमिडेट का सेन्ट्रल इन्जीनियरिंग एण्ड डिजाइन ब्यूरो द्वारा परामर्शदात्री सेवा	Cnnsultancy service by Central Engineering and Design Bureau of Hindustan Steel Limited in the construction of Korba Plant 45—46
7797	कलकत्ता स्थित इन्जीनियरिंग टाइम्स पब्लिकेशन (प्राइवेट) लिमिटेड का बन्द होना	Closure of Engineering Time Publications (Private) Limited, Calcutta 46
7798	दिल्ली में पोलीटैकनिक	Polytenchnics in Delhi 46—47
7799	दिल्ली में प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों तथा स्नातकोत्तर अध्यापकों के पदों के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के रजिस्टर्ड स्नातक	Scheduled Castes and Scheduled Tribes Graduates registered in Delhi for the Posts of Trained Graduate Teachers and Post Graduate Teachers 47
7800	महाराष्ट्र में वर्षा की कमी के कारण केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Maharashtra due to Lack of Rains there 48
7801	कृषि और औद्योगिक उत्पादों के मूल्य निर्धारित करना	Fixation of Price of Agricultural and Industrial Products 48—49
7802	कृषि तथा प्राणी-विज्ञान में स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां देने के लिये संस्थान	Institution for Grant of Scholarships for Post Graduate Studies in Agriculture and Zoology 49
7803	ट्रैक्टरों का वितरण	Distribution of Tractors 49—50
7804	तराई विकास निगम का कार्यक्षेत्र	Areas of Operation of Trai Development Corporation 50
7805	ट्रैक्टरों पर कर वृद्धि का प्रभाव	Impact of increase in Tax on Tractors 50—51
7806	मैसर्स इण्डिया माइका एण्ड माई कानाईट लिमिटेड. डाकघर झुमरीतिलैया, हजारीबाग में कर्मचारी भविष्य निधि	Employaes Provident Fund in M/s India Mica and Micanite Limited, P. O. Jhumritlalya, Hazaribagh 51—52
7807	मैसर्स शंकर वस्त्रालय. मुजफ्फरपुर, बिहार को कर्मचारी भविष्यनिधि अधिनियम, 1962 के उपबन्ध से छूट देना	Exemption of M/s Shankar Vastralaya, Muzaffarpur, Bihar from provision of E. P. F. Act, 1952 52—53

अता० प्र० संख्या विषय / U. S. Q. Nos.	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
7808 पटसन का उत्पादन बढ़ाने की योजना	Scheme to Increase Production of Jute	53
7809 दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में सहायक पशु-चिकित्सक सर्जनों के वेतनमान और सुविधायें	Amenities and Pay Scales of Veterinary Assistant Surgeon in Union Territory of Delhi	54
7810 ए० सी० सी० विक्कर्स बबकाक कर्मचारी संघ दुर्गापुर के कार्यकारी सदस्यों का सेवा से निकाल दिया जाना	Discharge from Service of Executive Members of ACC Vikers Babcock Employees Union, Durgapur	54—55
7811 कोयला श्रमिक संघ को मान्यता देना	Recognition of coal Workers Union	55
7812 चीनी का उत्पादन और खपत	Production and Consumption of Sugar	55
813 राज्यों के पशु-पालन मन्त्रियों के सम्मेलन में पशुओं के गैर सरकारी आयात करने के बारे में दिया गया सुझाव	Private Import of Cattle as suggested by Conference of State Ministers of Animal Husbandry	55—56
7815 उर्वरकों का आयात	Import of Fertilizers	
7716 इंगलैंड और अमरीका में इंडिया सप्लाई मिशनों के अतिरिक्त सहायक कार्यालयों को बनाए रखना	Maintenance of ancillary office other than the India supply Missions in U. K. and U.S.A	56
7816 मैसूर के उत्तर कनारा जिले में टाइटेनियम संयंत्र	Titanium Plant in District of North Kanara, Mysore	57
7817 वर्ष 1969-70 में विदेशों से आयातित रासानिक उर्वरक	Chemical Fertiliser Imported from Foreign Countries during 1969-70	57
7818 पश्चिम बंगाल में गहरे खोदे गये कुएं तथा विद्युत चालित नलकूप	Deep Tube-wells sunk and energized in West Bengal	57—58
7819 पश्चिम बंगाल में बर्गदारों को संरक्षण देना	Protection to Bargadars in West Bengal	58—59
7820 चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Sugar Industry	59
7821 केरल में सहकारी फार्म आरम्भ करने के लिये रूसी सहायता	Soviet aid for starting of Co-operative Farms in Kerala	59—60

अता० प्र० संख्या विषय U. S. Q. Nos	SUBJECT	पृष्ठ /PAGE
7822 जबरन मजूरी की प्रथा समाप्त करना	Abolition of Forced Labour	60
7823 मनीपुर में उठाऊ सिंचाई और सिंचाई प्रयोजनों हेतु इम्फाल पश्चिम क्षेत्र में भूमिगत जल का सर्वेक्षण	Lift Irrigation in Manipur and Survey of underground water in Imphal West Zone for irrigation purposes	60
7824 ग्रामीण रोजगार सम्बन्धी द्रुत कार्यक्रम को क्रियान्वित करने हेतु राजस्थान को केन्द्रीय अनुदान	Central grant to Rajasthan for implementation of Crash Programme for Rural Employment	60-61
7825 बिहार में टाटा बन्धुओं की जमीनदारी उन्मूलन सम्बन्धी विधेयक का राष्ट्रपति को अनुमति के लिए लम्बित रहना	Bill to Abolish Zamindari of Tatas in Bihar Pending for Presidential Assent	61
7826 सब्जी तथा फल उत्पादकों को बाजारों में अपने उत्पादों को मांग पैदा करने के लिये सुविधायें ।	Facilities to Vegetable and Fruit Producers to Create Demand of Their Produces in Markers	61—62
7827 पश्चिम बंगाल में चल रही चीनी मिलें	Sugar Mills Operating in West Bengal	62
7828 बीज वितरण उपकरण का निर्माण	Production of Seed Distributing Equipment	62
7829 श्रम मजदूरी	Labour Wages	62—63
7830 बंगला देश के शरणार्थियों के लिये अमरीकी सहायता	U. S. Aid for Bangla Desh Refugees	63
7831 बन कटाई रोकने के लिए कार्यवाही	Steps to Prevent Deforestation	63
7832 रुरकेला इस्पात कारखाने में हुई दुर्घटना के बारे में उच्च स्तरीय तकनीकी समिति का प्रतिवेदन	Report of High level Technical Committee on Accident in Rourkela Steel Plant	64
7833 रामकुमार टेक्सटाइल मिल्स मैसूर के कर्मचारियों की सेवा समाप्ति	Termination of Services of workmen in Ramkumar Textile Mills, Mysore	64
7834 बंगला देश से आए शरणार्थियों के लिए तम्बूओं का निर्माण करने हेतु क्यादेश देना ।	Placing of Order for Manufacture of Tents for Refugees from Bangla Desh	64—65
7835 मौलिक भूमि सुधार के लिये आल इण्डिया किसान सभा द्वारा प्रदर्शन	Rally by All India Kisan Sabha for Radical Land Reforms	

अता० प्र० संख्या विषय U. S. Q. Nos	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
7836 कलकत्ता में तौलीगंज और जादवपुर लेक कैम्प में बसाए गए शरणार्थी	Refugees rehabilitated in Tollyganj and Jadavpur Lake Camp. Calcutta	65
7837 पश्चिम बंगाल में काकद्वीप में कृषि विश्वविद्यालय	Agricultural University at Kakdwip, West Bengal	65—66
7838 पश्चिम बंगाल कृषि पर आधारित उद्योग स्थापित करने का कार्यक्रम	Programme for Agro-based Industries in West Bengal	66
7839 राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा बिना तराशे हीरों का आयात	Import of Rough Diamond by National Mineral Development Corporation	66
7840 राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अधीन हीरा परियोजनाओं में हीरों का उत्पादन	Production of Diamond in Diamond Projects under National Mineral Development Corporation	66—67
7841 अभ्रक खानों और कारखानों में छटनी	Retrenchment in Mica Mines and Factories	67
7842 कृषि उद्योग विकास निगम द्वारा दिये गये ट्रैक्टर और सुविधायें	Tractors and other Facilities Provided by Agro industries Development Corporation	67—68
7843 द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत लोगों के लिये रोजगार की व्यवस्था	Persons provided Employment under Crash Programme	68
7844 पश्चिम बंगाल में फालतू भूमि का अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों में वितरण	Distribution of Surplus Land to Scheduled Castes in West Bengal	68
7845 मशीनों द्वारा खेती	Farm Mechanization	69—70
7846 नाइट्रोजन उर्वरकों में कमी	Shortfall of Nitrogenous Fertilizers	70—72
7847 पंचायती राज संस्थान की असफलता	Failure of Panchayt Raj Institution	72—73
7848 काजोरा जामबाद कोलियरी, पश्चिम बंगाल के प्रबन्धकों द्वारा मशीनों और उपकरणों को हटाने के बारे में शिकायतें	Complaints Regarding Removal of Machinery and Equipment by Management of Kojora Jambad Coliery, West Bengal	73

अता० प्र० संख्या विषय U. S. Q. Nos.	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
7849 पश्चिम बंगाल की काजोरा जामबाद कोयला खान का बन्द किया जाना	Closer of Kajora Jambad Colliery of West Bengal	73—74
7850 रूस से आयातित सूरजमुखी के परिणाम	Results of Sunflowers imported from U.S.S.R.	74
7851 गुजरात में लिंक स्मेल्टर की स्थापना	Setting up of a Zinc Smelter in Gujarat	74—75
7852 पूर्व जर्मनी को खराब ट्रैक्टरों का वापिस किया जाना	Return of Defective Tractors to East Germany	75
7853 दोषपूर्ण ट्रैक्टरों के कारण हुई हानि के लिए आन्ध्र प्रदेश तथा पंजाब के किसानों द्वारा क्षतिपूर्ति की मांग	Demand for Compensation by Farmers of Andhra Pradesh and Punjab due to loss on Account of Defective Tractors	75—76
7854 सुन्दरबन पश्चिम बंगाल में बनों का विकास	Development of Forest in Sundarbans West Bengal	76
855 पश्चिम बंगाल में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	Industrial Training Institute in West Bengal	76
7856 बंगला देश के शरणार्थियों के लिये विदेशी सहायता	Foreign aid for Bangla Desh Refugees.	76—77
7857 अकाल स्थिति के कारण बंगला देश से आ रहे शरणार्थियों की संख्या में वृद्धि	Increase in influx of Bangla Desh Refugees due to Famine Conditions	77
7858 हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के दिल्ली स्थित कार्यालय से लोहे तथा इस्पात के आयात का आवंटन	Allotment of Iron and Steel from Hindustan Steel Ltd. Office Delhi	77—78
7859 कीड़ों से फसल की हानि को रोकने के लिये उपाय	Measures to check loss from pests and insects	78—79
7860 उत्तर प्रदेश में सुरजमुखी और सोयाबीन के उत्पादन की किस्मों का विकास	Development of variety production of Sunflower and Soyabean in U. P.	79—80
7861 अधिक उपज देने वाले बीजों की किस्म सम्बन्धी कार्यक्रम में त्रुटियां	Draw back in High Yielding Varieties programme	80—81

अता० प्र० संख्या विषय U. S. Q. Nos.	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
7862 धनबान किसानों द्वारा ऋणों का भुगतान न किये जाने के बारे में सर्वेक्षण	Survey regarding non-payment of loans by farmers	81
7863 हल्दिया औद्योगिक क्षेत्र में पुनर्नियुक्ति	Employment in Haldia Iudustrial Belt Unit	81—82
7864 पश्चिम बंगाल में चुसिक कोयला खान में जबरन छुट्टी किये गये श्रमिक	Workers laid off in Chusik Colliery West Bengal	82
7865 पश्चिम बंगाल में सूती कपड़ा मिलों और कोयला खान का बन्द होना	Closure of Factories. Textile Mills and Collieries in West Bengal	82
7866 परमाणु शक्ति के माध्यम से राजस्थान के रेगिस्तान को उपजाऊ बनाकर जल खाद्य समस्या को हल करना	Solving Water and Food Problem by making Rajasthan Desert Fertile through Atomic Energy	83
7867 नाइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर द्वारा प्राप्त आर्डरों का अन्य फर्मों को दिया जाना	Off loading of ordes by Mining and Allied Machinery Corporation Limited Durgapur	83
7868 दंडकारण्य परियोजना के कार्य प्रभारित कर्मचारियों को वेतन की गैर-अदायगी	Non-payment of Salaries to workcharged staff in Dandakaranya Project	83—84
7869 रुरकेला इस्पात संयंत्र के पीड़ितों को की दी गई सहायता	Relief Provided to victims of Rourkela Steel Plant	84
7870 मैंगनीज अयस्क का उत्पादन	Production of Managnese Ore	84
7871 भिलाई इस्पात संयंत्र में श्रमिक और कर्मचारी	Labour and Staff in Bhilai Steel Plant	84
7872 भिलाई इस्पात कारखाने के श्रमिक से सफाई शुल्क वसूल किया जाना	Conservancy Charges from Workers of Bhilai Steel Plant	85
7873 टेयको कपड़ा उद्योग, बड़ौदा, की और कर्मचारी भविष्य निधि को देय राशि	E. P. E. Dues with Tayko Textile Industry, Baroda	85—86
7874 मनीपुर में सिंचाई का उत्पादन	Production of Singhara in Manipur	86
7875 मनीपुर में मजदूर सघ	Trade Unions in Manipur	86-87

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ /PAGE
7876 बंगला देश के शरणार्थियों को विमानों द्वारा लाना	Airlifting of Bangla Desh Refugees	87
7877 बंगला देश के शरणार्थियों को ले जा रहे अमरीकी विमान को क्षति	Damage to U. S. A. Plane Carrying Bangla Desh Refugees	87
7878 उत्तर प्रदेश और पंजाब में जस्ते की कमी के सम्बन्ध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किये गये अध्ययन	Studies Conducted by Indian Council of Agricultural Research Regarding Deficiency of Zinc in U. P. and Punjab	88–89
7879 पश्चिम बंगाल में भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की शिकायतें	Grievances of Employees of F. C. I. West Bengal	89
7880 संतुलित मजूरी ढांचे के माध्यम से औद्योगिक शान्ति बनाये रखने तथा यूनियन को मान्यता देने के लिये योजना	Scheme for Industrial Peace Through Balanced Wage Structure and Recognition of Unions	89—90
7881 कृतृणनाशी का प्रभाव और किसानों को आधुनिक प्रकार के सुधरे हुए बुवाई के उपकरणों की सप्लाई	Effectiveness of Weed Killers and Supply of Improved Sowing Equipment of Advanced type to Farmers	90–91
7882 केन्द्रीय भूमि सुधार समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of Recommendation of Central Land Reforms Committee.	91—92
7883 देहात में श्रमिकों के लिए निर्वाह मजूरी दर का निर्धारण और काम के घंटों में कमी	Fixation of a living Wage Rate for Labourers in Country side and Reduction of Working Hours	92—93
7884 मध्य प्रदेश में अन्वेषी नलकूप लगाने के लिये सर्वेक्षण	Survey for Installation of Exploratory Tube Wells in Madhya Pradesh	93
7885 सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण मध्य प्रदेश के पूर्वी निमाड़ जिले के किसानों की दयनीय दशा	Deplorable condition of farmers of East Nimar District MP due to lack of Irrigation Facilities.	93—94
7886 मध्य प्रदेश में चावल की नई किस्मों का विकास तथा अनुसंधान केन्द्रों के स्थान	Development of new varieties of Rice in Madhya Pradesh and location of Research Centres	94

अता० प्र० संख्या विषय U. S. Q. Nos.	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
7887 गुण का निर्यात	Export of Gur	94
7888 बिहार के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें	Complaints of corruption against Regional Provi ent Fund Commissioner, Bihar	94—95
7889 दिल्ली में घरेलू नौकरों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by domestic servants in Delhi	95
7890 आसनसोल के निकट कोयला खान में आग	Fire in Coal Mine near Asansol	95—96
7891 दिल्ली दुग्ध योजना में दूध तथा आयातित दुग्ध पाउडर की प्राप्ति	Intake of Milk and Imported Milk Powder in D. M. S.	96
7892 दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध की किस्म तथा इसकी आरे दुग्ध के साथ तुलना	Quality of D. M. S. Milk and its comparison with Arey Milk	96—97
7893 अभ्रक खान श्रमिक कल्याण निधि के केन्द्रीय अस्पतालों के बिस्तरों की संख्या में कमी	Reduction in bed strength of Central Hospitals of the Mica Mines labour Welfare Fund	98
7894 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी विभागों के कर्मचारियों के कार्मिक संघों को मान्यता	Recognition of Trade Unions of employees in Public Undertakings and Government Departments	98—100
7895 पश्चिम बंगाल अग्नि सेवा के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल का आह्वान	Strike call by employees of West Bengal Fire Services	100
7896 पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य समीक्षा समिति का पुनर्गठन	Reconstituti n of committee on review of Rehabilitation work in West Bengal.	100
7897 वर्जीनिया फ्लूक्योर्ड किस्म के तम्बाकू का उत्पादन	Production of Virginia Flu-curd Tobacco	100—101
7898 कृषि श्रमिकों के बारे में आयोग	Commisson of Agricultural Labour	101
7899 केंटोनमेंट बोर्ड कर्मचारियों के बीच हुए फैसले की क्रियान्विति	Implementation of Settlement with Cantomment Board Employees	101—102
7900 पश्चिम बंगाल में भूमिहीनों तथा निर्धन ग्रामीणों में बांटी गई खास और बेनामी भूमि	Acreage of Khas and Benami Land distributed to Landless and Small Peasants in West Bengal	102

अता० प्र० संख्या विषय U. S. Q. Nos.	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
7901 केला उत्पादन	Banana Produetion	102
7902 निर्यात प्रधान उद्योगों को इस्पात का आवंटन	Allotment of Steel to Export Oriented Industries	103
7903 केरल में बेरोजगार तथा अपूर्ण रोजगार वाले शिक्षित व्यक्ति	Educated unemployed and under-employed in Kerala	103
7904 बाढ़ से होने वाली क्षति का अनुमान लगाने के लिये केन्द्रीय दल का राज्यों का दौरा	Visit of Central Team to States to assess loss of crops due to floods	103—104
7905 श्रम अधिकारियों के समक्ष विवाद	Disputes before Labour Officers	104—105
7906 काली मिर्च की खेती के विस्तार के लिए पैकेज कार्यक्रम	Package Plan for expansion of Pepper cultivation	105
7907 आन्ध्र प्रदेश में चावल की मिलों के निर्माण के लिये राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा दी गई वित्तीय सहायता	Financial Assistance given by national Co-operative Development Corporation for construction of Rice Mills in Andhra Pradesh	105—106
7908 क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों के विरुद्ध भ्रष्टाचार आदि की शिकायतें	Complaints of Corruption against Regional Provident Fund Commissioners	106
7909 मछली उद्योग के अपर्याप्त विस्तार के बारे में आलोचना	Criticism regarding Inadequate Expansion of Fishing Industry	106—108
7910 भारतीय उर्वरकों के ऊंचे मूल्य	High Price of Indian Fertiliser	109
7911 मैसूर राज्य के सूती कपड़ा उद्योग सम्बन्धी दूसरे केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों का लागू किया जाना	Implementation of Recommendations of Second Central wage Board on cotton textile industry in Mysore State	109—110
7912 भूदान आन्दोलन के अन्तर्गत प्राप्त और भूमिहीन व्यक्तियों को वितरित भूमि	Land received under Bhoodan Movement and Distributed amongst Landless Persons	110—111
7913 आन्ध्र प्रदेश से अन्य राज्यों को चावल का भेजा जाना	Export of Rice from Andhra Pradesh to other States	111
7914 राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा	Mines Mechanisation Traning	

ता० प्र० संख्या विषय U. S. Q. Nos.	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
चलाये जाने वाले खान यंत्रीकरण प्रशिक्षण संस्थान	Institutes run by National Coal Development Corporation	111—112
7915 भारत हैवी प्लेट एण्ड वैसल्ज लि० विशाखापटनम	Bharat Heavy Plate and Vessels Ltd. Visakhapatnam	112
7916 मैसूर में बीज तैयार करने वाले संयंत्र	Seed Processing Plants in Mysore	112
7917 बिहार में बीज तैयार करने वाले संयंत्रों की स्थापना	Seed Processing Plants set up in Bihar	112—113
7918 बोकारो इस्पात संयंत्र को रिफ्रेक्ट्रियों का ठेका अथवा सप्लाई	Contracts For supply of Refractories to Bokaro Steel Plant	113—114
7919 हिन्दुस्तान लिमिटेड के अतिथि गृहों में सरकारी कर्मचारियों का निःशुल्क आतिथ्य सत्कार	Free Entertainment of Government Officers at Hindustan Steel Limited Guest Houses	114—115
7920 बंगला देश के विस्थापितों के प्रशासनिक नियंत्रण के लिये प्राधिकार	Authority for Administrative Control on Bangla Desh Refugees	115
7921 तामिलनाडु द्वारा अभिजनक सांडों का आयात करने का अनुरोध	Request from Tamil Nadu for Import of Stud Bulls	115
7922 मद्रास में अलामाड़ी स्थित ढोराफारम को अधिकार में लेना	Taking over of Cattle Farms at Alamadi, Madras	115—116
7923 पश्चिम बंगाल को सिलैक्टिड कजोरा जामबाद कोयला कम्पनी की ओर स्वामित्व की बकाया राशि	Royaliiy due to Selected Kajora Jambad Colliery in West Bengal	116—117
7924 तृतीय योजना के लिए निर्धारित वनस्पति तेल का लक्ष्य	Target of Vegetable Oils Fixed for Third Plan	117
7925 आसाम के कामस्य जिले में निर्धनता के कारण लड़कियों की कथित बिक्री	Alleged distress sale of girls in Kamrup District of Assam	117
7926 दिल्ली दुग्ध योजना के मक्खन तथा घी के अनबिके भण्डार का मानव उपभोग के योग्य न रहना	Unsold Stock of Butter and Ghee with D. M. S. becoming unfit for Human Consumption	117—118

अता० प्र० सँख्या विषय U. S. Q. Nos.	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
7927 केरल सर्कल में भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग की गतिविधियां	Activities of Geological survey of India in Kerala Circle	118
7928 सेंट्रल गर्वनमेंट फिशिंग सोंमैन्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों की नियुक्ति	Posting of Office Bearers of Central Government Fishing Seamen's Association	118—119
7929 केन्द्र सरकारी मत्स्य नाविक एशोसियेशन की गतिविधियां	Activities of Central Government Fishing Seamen's Association	119—120
7930 मत्स्य संगठनों में प्रशासनिक अधिकारियों के वेतन-मान	Pay Scales of Administrative Officers in Fisheries Organistions	120—121
7931 हरिजनों में खेती योग्य सामूहिक भूमि तथा परती भूमि के वितरण के बारे में राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार का निदेश	Central Directive to States for Distribution of Uncultivable Common and Fallow Land among Harijans	121
7932 मन्दासम स्थित केन्द्रीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान के लिये पूर्णकालिक निदेशक	Full-time Director for Central Fisheries Research Institute, Mandapam	121—122
7933 केन्द्रीय समुद्री मत्स्य की अनुसंधान संस्थान का मँडपम (तमिलनाडु) से स्थानान्तरण	Shifting of Central Marine Fisheries Research Institute from Mandapam in Tamil Nadu	122—123
7934 आल इंडिया कमर्शियल कलर्क्स एसोशियेशन, अजमेर द्वारा दिया गया ज्ञापन	Memorandum by All India Commercial Clerks Association, Ajmer	123
7935 बिहार के कारखानों तथा प्रतिष्ठानों की ओर कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि	Arrears of E. P. F. in Bihar Factories and establishments	124
7936 बिहार में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियमों के अन्तर्गत मामले	Cases under E. P. F. in Bihar	124—125
7937 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कोयला खान भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा योजनाओं का विलय	Merger of E.P. F. C. M. P. F and E. S. I. Schemes	125
7938 प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्तों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Regional Provident Fund Commissioners	126
7939 आन्ध्र प्रदेश में "कन्टीन्यूअस कास्टिंग	Setting up of continuous Casting	

अता० प्र० संख्या विषय U. S. Q. Nos.	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
संयंत्र'' स्थापित करना	Plant in Andhra Pradesh	126—127
7040 केन्द्रीय भण्डागार निगम (दक्षिण जोन) के कर्मचारियों द्वारा उनके उत्पीड़न के विरुद्ध अभ्यावेदन	Representation from Employees of Central Ware Housing Corporation (South Region) Against Victimisation	127
7941 केरल में इस्पात की कमी	Shortage of Steel in Kerala	127
7942 बिहार में पुनर्बेलन मिलें	Re-rolling Mills in Bihar	128
7943 साउथ एवेन्यू तथा नार्थ एवन्यू, नई दिल्ली में एम० पी० केन्टीनों में सेवा की शर्तें	Service condition in Mp's Canteens at South and North Avenues, New Delhi	128
7944 अभ्रक खान कम्पनियों की ओर कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि	Arrears of Employees Provident Fund with Mica Mine Companies	128—129
7945 गाद के जमा हो जाने के कारण अधिकोड़े (एरनाकुलम) समुद्री मुहाने का बन्द हो जाना	Azhikode (Ernakulam) Sea Mouth closed due to Depoit of Silt	129
7946 मोहन प्रिन्टिग प्रेस, उज्जैन की ओर कर्मचारियों की बकाया भविष्य निधि राशि	Arrears of Employees Provident Fund with Mohan Printing Press, Ujjan	130
7947 गुजरात में कृषि श्रमिकों के लिए मजूरी दर	Wage Rate of Agricultural Labour in Gujarat	130
7948 रूरकेला इस्पात संयंत्र की इस्पात गलाई भट्टी की छत गिर जाने के परिणाम स्वरूप इस्पात की सप्लाई हुई गड़बड़ का प्रभाव	Impact of Dislocation of Steel Supplies due to Collapse of Roof in Steel Meling Shop of Rourkela Steel Plant	130—131
7949 मल्कागंज, दिल्ली के निकट कब्रिस्तान से ट्रक अड्डे को हटाना	Removal of Truck Adda from Grave Yard near Malkaganj, Delhi	131
7950 इन्द्रा मार्किट दिल्ली में कार्य के सामान्य घन्टों के पश्चात दुकानों का खुला रहना	Opening of Shops in Indra Market Delhi after normal Working Hours	132—132
7951 पंजाब में राजकीय नलकूपों को हुई हानि	Losses incurred by Stata-owned Tubewells in Punjab	132—133
7952 आंध्र प्रदेश में हीरों के निक्षेपों की खोज	Exploration of Diamond Deposits in Andhra Pradesh	133

अता० प्र० संख्या विषय U. S. Q. Nos.	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
7953 आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा स्वर्ण निक्षेप निकालने के लिए अनुमति	Permission for Exploitation of Gold Deposits by Government of Andhra Pradesh	133—134
7954 कालीकट में एक मसाला अनुसंधान केन्द्र और वाइनाड, केरल में सिट्रस अनुसंधान केन्द्र का खोला जाना	Starting of a Spices Research Station at Calicut and citrus Research station in Wynad, Kerala	134—135
7955 बर्मा से स्वदेश वापस आने वालों को दिल्ली में दुकानों के आवंटन में भेद-भाव	Discrimination in Allotment of Shops to Burma Repatriates in Delhi	135—136
7956 बर्मा से स्वदेश वापिस जाने वाले व्यक्तियों को दिल्ली में दुकानों का आवंटन	Allotment of Shops to Burma Repatriates in Delhi	136
7957 बर्मा से स्वदेश वापस आने वालों के लिये मध्य प्रदेश में भूमि का आवंटन	Allotment of Land to Burma Repatriates in Madhya Pradesh	136—137
7958 भारतीय खाद्य निगम, मणीपुर स्थित गोदामों में खाद्यानों का क्षतिग्रस्त होना	Damage of Food grains in F.C.I. Godowns in Manipur	137
7959 माना शरणार्थी शिविर रायपुर, में, निर्माण कर्मचारियों को शिविर भत्ता देना	Camp Allowance to Construction Workers in Mana Refugee Camp. Raipur	137—138
7960 भूजल संरक्षण तथा भूमिगत जल के समुपयोजन हेतु रायल सीमा आन्ध्र प्रदेश में परियोजना के लिये विश्व बैंक की सहायता	World Bank Aid for Project for Ground Water Conservation and Underground Water in Royal Seema, A. P.	138
7961 वनस्पति औद्योगिक उपक्रमों के लिये लाइसेंस देना	Issue of Licence for Vanaspati Industrial Undertakings	138—139
7962 ब्रह्मपुत्र बेसिन का भूगर्भीय अध्ययन	Geological Studies of Brahmaputra Basin	139
7963 बंगलौर स्थित रामकुमार मिल्स के कर्मचारियों की मांगें	Demands by workers of Pam Kumar Mills, Bangalore	139—140
7964 राजधानी में रविवार रात्रि को कैमिस्टों की दुकानों का खोलना	Opening of Chemist Shops on Sunday Night in the Capital	139—140
7965 राष्ट्रीय कृषि आयोग का अन्तरिम प्रतिवेदन	Interim Report of National Commission on Agriculture	140
7966 बिजूर और हाल्दी लघु सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति	Progress of Bijoor and Haldi Minor Irrigation Projects	140

अता० प्र० संख्या विषय U. S. Q. Nos.	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
7967 आंध्र प्रदेश में छोटे किसानों और खेतिहर मजदूरों से सम्बन्धित योजना	Scheme for Marginal Farmers and Agricultural Labour in Andhra Pradesh	140—141
7968 तिलहनों के उत्पादन का मूंगफली के मूल्य पर प्रभाव	Effect of Oilseeds Production and Price of Groundnut	141
7969 जिला सहकारी सेन्ट्रल बैंक लिमिटेड, चित्तूर, आंध्र प्रदेश के कार्यकरण की जांच	Probe into Working of District Co-operative Central Bank Ltd. Chittoor, Andhra Pradesh	141—142
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re-Question of privilege	142
नियम 377 के अधीन विषय	Matters Under Rule 377	142—144
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	145—149
सदस्यों की दोष सिद्धि	Conviction of Members	149—150
याचिका समिति	Committee on Patitions	150
कार्यवाही सारांश	Minutes	150
विधेयकों पर अनुमति	Assent to Bills	150
राज्य-सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha	150
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	150
पांचवा प्रतिवेदन और कार्यवाही साराँश	Fifth Report and Minutes	150—151
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	151
दूसरा और अठ्ठाइसवां प्रतिवेदन	Second and Twenty eighth Reports	151
सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति	Committee on Government Assurances	151
पहला प्रतिवेदन	Firsts Report	151
राष्ट्रीय स्वस्थता दल संगठन सम्बन्धी जांच आयोग के प्रतिवेदन के बारे में 2 जुलाई, 1971 के तारांकित प्रश्न संख्या 881 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to S. Q. No. 881 dated 2-7-71 Re. Report of Enquiry Commission on N. F. C. Organisation.	151—152
कराधान विधि (संशोधन) विधेयक 1971 पुर:स्थापित केन्द्रीय विक्रय कर (संशोधन) विधेयक	Taxation Laws (Amendment) Bill Introduced	152

प्रवर समिति को सौंपे जाने का प्रस्ताव	Central Sales Tax (Amendment) Bill Motion to refer to Select Committee	152—155
जल प्रदूषण निवारण विधेयक सहमति का प्रस्ताव	Prevention of water pollution Bill Motion to Concur	155—158
राष्ट्रीय गौरव अपमान का निवारण विधेयक	Prevent ion of Insulte to National Honour Bill	158
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री राम सहाय पाण्डे	Shr R. S. Pandey	158
श्री एम० सत्यनारायण राव	Shri M. Satyanarayan Rao	159
डा० कर्णसिंह	Dr. Karni Singh	159
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	160
श्री राज देव सिंह	Shri Raj deo Singh	160
श्री मोहासिन	Shri Mohasin	160—161
खंड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1	
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	161—162
श्री मोहसिन	Shri Mohsin	162
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	162
खाद्य उपमिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक विचार करने का प्रस्ताव	Prevention of Food Adulteration (Amendment) Bill Motion to Consider	162
श्री डी० पी चट्टोपाध्याय	Shri D, P. Chattopadhyaya	162—163
श्री गदाधर शाहा	Shri Gadadhar Saha	163
श्री अमर नाथ विद्यालंकार	Shri A- N. Vidyalankar	163—164
श्री इसहाक सम्भली	Shri Ishaq Sambhali	164
डा० कैलास	Dr. Kailas	164

श्री जी० विश्वनाथन	Shri G. Viswanarathan	
श्री एम० सत्यनारायण राव	Shri M. Satyanarayan Rao	
खंड 2 से 4 और 1	Clauses 2 to 4 and 1	
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	
श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय	Shri D. P. Chattopadhyay	165—166
कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) संशोधन तथा विधि मान्यकरण विधेयक	Coal Bearing Areas (Acquisitinn and Development) Amendment and Validation Bill	166
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	166
श्री शाहनवाज खां	Shri Shahnawaz Khan	166—167
श्री कमला मिश्र मधुकर	Shri K. M. Madhukar	167—168
श्री जी० विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan	168
खंड 2 से 8 और 1	Clauses 2 to 8 and 1	
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	168—169
श्री शाहनवाज खां	Shri Shahnawaz Khan	169
देश में बाढ़ तथा सूखे की स्थिति के बारे में चर्चा	Discussion Re Flood and Drought Situation in the Country	170
श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली	Shri Paripoornanand Painuli	170
श्री कृष्ण हाल्दर	Shri Krishna Halder	170—172
डा० हेनरी आस्टिन	Dr. Henry Austin	172—173
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shatri	173
श्री शंकर राव सावन्त	Shri Shankarrao Savant	173—175
श्री रणबहादुर सिंह	Shri Ranabahadur Singh	175
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D. N. Tiwary	175—176

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
श्री एम० राजंगम	Shri M. Rajangam	176—177
श्री अन्तराव पाटिल	Shri Anantrao Pat l	177—178
श्री एन० एन० पांडे	Shri N. N. Pandey	178
श्री के० रामकृष्ण रेड्डी	Shri K. Ramakrishna Reddy	178
श्री चिन्तामणी पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi	178—179
श्री पी० के० देव	Shri P. K. Deo	179—180
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra	180
श्री पी० वेंकटासुब्बा	Shri P. Venkatasubbaiah	180—181
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra	181
श्री लीलाधर कटकी	Shri Liladhar Kotoki	181—182
श्री रामदेव सिंह	Shri Ram Deo Singh	182—183
श्री विक्रम चन्द महाजन	Shri Vikram Chand Mahajan	183
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai	183—184
श्री एन० शिवप्पा	Shri N. Shivappa	184
श्री एस० एन० सिंह	Shri Shivnath Singh	185
श्री श्यामसुन्दर महापत्रा	Shri S. S. Mohapatra	185—186
श्री गंगा रेड्डी	Shri Ganga Reddy	186
श्री टी० डी० कांबले	Shri T. E. Kamble	186—187
श्री जमीलुर्रहमान	Shri Jamilurrahman	187—188
श्री के० वासप्पा	Shri K. Bassappa	188—189
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	189
श्री के० सूर्यनारायणन	Shri K. Suryanarayana	189
श्रीमती सहोदरा बाई राय	Shrimati Sahodrabai Rai	189
श्री दिनेश जोरदार	Shri Dinesh Joarder	189—190
श्री रुद्र प्रतापसिंह	Shri Rudra Pratap Singh	190

श्री रामभगत पासवान	Shri Ram Bhagat Paswan	190
श्री मूलचन्द डागा	Shri M. C. Dagga	190
श्री नवलकिशोर शर्मा	Shri N. K. Sharma	190
डा० गोविन्द दास रिछारिया	Dr. Govind Das Richharia	190
श्री सुबोध हंसदा	Shri Subodh Hansda	190—191
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad	191
श्री कमल मिश्र मधुकर	Shri K. M. Madhukar	191
श्री बी० एन० रेड्डी,	Shri B. N. Reddy	191—192
श्री बी० एम० भार्गव	Shri B. N. Bhargava	192
श्री जगन्नाथ मिश्र	Shri Jagannath Mishra	192
श्री राम जी राम	Shri Ramji Ram	192
श्री डी० एस० अफजलपुर कार	Shri Dharamrao Afzalpurkar	192
श्री यमुना प्रसाद मण्डल	Shri Yamuna Prasad Mandal	192 193
श्री एम० सत्यनारायण राव	Shri M. Satyanarayan Rao	193
श्री ईश्वर रेड्डी	Shri Eswara Raddy	193
प्रो० एस० एल० सक्सेना	Prof. S. L. Saksena	193
श्री चिरंजीव झा	Shri Chiranjib Jha	193
श्री शंकर दयाल सिंह	Shri Shankar Dayal Singh	193
श्री नागेश्वर दिवेदी	Shri Nageshwar Dwivedi	194
डा के० एल० राव	Dr. K. L. Rao	194—195
श्री फखरूद्दीन अली अहमद	Shri F. A. Ahmed	195—196

कावेरी जल विवाद में मैसूर की ओर से एटार्नी जनरल की उपस्थिति के समाचार के बारे में वक्तव्य — Statement Re. Reported Appearance of Attorney General on Behalf of Mysore in the Cauvery Waters Dispute 187

श्री एच० आर० गोखले Shri H. R. Gokhale 187

पाकिस्तान के सैनिक शासन द्वारा शेख मुजीबुर्रहमान पर मुकदमा चलाने के समाचार के बारे में वक्तव्य Statement Re. Reported Trial of Sheikh Mujibur Rahman by the Military Regime of Pakistan 196

श्रीमती इन्दिरा गांधी Shrimati Indira Gandhi 196—197

लोक सभा
LOK SABHA

गुरूवार, 12 अगस्त, 1971/21 श्रावण, 1893 (शक)
Thursday, August 12, 1971 Sravana 21, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली दुग्ध योजना के कार्यकरण के परिणाम

*1712. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना के उत्पादों की घटिया किस्म के बारे में और उस को हुई हानि के बारे में पिछले दिनों कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) जी हां । 1970-71 और 1971-72 के वर्षों में (जुलाई, 1971 तक) दूध का जमना, दूध में बाह्य तत्वों का होना और निम्न गुणों वाला दूध, और खटवासा और घी का रंग खराब होने के आरोप लगाने वाली दिल्ली दुग्ध योजना में क्रमशः 132 और 52 शिकायतें मिलीं । दिल्ली दुग्ध योजना के शुरू होने के वर्ष 1959 से 1968-69 तक उसे 417·68 लाख रुपये की हानि हुई जिसके विरुद्ध लेखा परीक्षकों, सार्वजनिक लेखा समिति और संसद में टिप्पणी हुई । हां, 1969-70 में दिल्ली दुग्ध योजना ने 73·34 लाख रुपये का लाभ कमाया । 1970-71 के लेखे तैयार करने हैं और उनकी लेखा परीक्षा होनी है ।

(ख) विभिन्न प्रकार की शिकायतों को हटाने के लिये दिल्ली दुग्ध योजना में निम्न कदम उठाये जा रहे हैं—

(1) **दूध स्कन्धन** : दूध स्कन्धन इस कारण हुआ क्योंकि दूध बहुत समय के लिये अधिक तापमान में रखा गया। अब दूध दिल्ली दुग्ध योजना में भंडारण में होता है उस समय दूध की तापमान स्थिति को नियमित रखने के लिये कार्यवाही की गई है ताकि गुणों को बनाये रखा जाये।

(2) **बाह्य तत्वों का होना** : बाह्य तत्व अधिकांश कीट होते हैं। स्वेच्छता स्थितियों को सुधारने के लिये दिल्ली दुग्ध योजना में एक स्वच्छता दल बनाया गया है।

(3) **दुध के गुण** : दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा बेचे जाने वाले दुग्ध और विभिन्न दुग्ध उत्पादों के विभिन्न श्रेणियों के लिये निर्धारित मानकों का पालन गुण नियन्त्रण प्रयोगशाला द्वारा दृढ़ता से किया जाता है। जहां तक मिलावट के बारे में शिकायतों का सम्बन्ध है, जब कभी डिपो कर्मचारियों को दोषी पाया जाता है, उनके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाती है। मिलावट की सम्भावयताओं को समाप्त करने के लिये मिल्क दूध बूथों पर अनायास जांच कार्य को गहन किया गया है।

(4) **घी में खटवासा और रंग खराब होना** : देर तक घी रखने से उसमें बास आ जाती है। ऐसे मामलों में शिकायत प्राप्त होने पर घी सहित टीन बदल दिये जाते हैं। दिल्ली दुग्ध योजना घी को शेल्फ में रखने की अवधि बढ़ाने के लिये भी प्रयत्न कर रही है।

(5) **दिल्ली दुग्ध योजना को हुई हानि** : पहले वर्षों में हानि का मुख्य कारण यह था कि उत्पादन लागत में वृद्धि के परिणामस्वरूप बिक्री मूल्य बढ़ाने में काफी देर लगी। हानि को टालने न्यूनतम करने के लिये उठाये गये प्रस्तावित कदम नीचे दिये गये हैं:—

(1) दूध के विक्रय मूल्य की समय समय पर संवेक्षण की जाती है ताकि उत्पादन लागत और विक्रय मूल्य के बीच उचित पारिस्परिक सम्पर्क आ सके।

(2) रख रखाव, प्रयोगीकरण और वितरण व्यय को कम रखने के लिये तथा प्रशासकीय स्थापना को न्यूनतम रखने के लिये प्रयत्न किये गये हैं / किये जा रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए दूध प्राप्ति की प्रथम अवस्था और चिलिंग सेंटर से केन्द्रीय डेरी में प्राप्ति तक रख रखाव में वसा की कमी के बारे में प्रतिमान निर्धारित कर दिये गये हैं। प्रयोगीकरण प्रक्रिया में वसा हानि के प्रतिमान निर्धारित कर दिये गये हैं। सड़क दुग्ध टैंकरों के व्यास को अनुसंशोधित किया गया है ताकि वह सुनिश्चित किया जा सके केन्द्रीय डेरी में दिये जाने वाली दुग्ध की मात्रा का सही माप किया जा सके। बोतलों की टूट-फूट को रोकने के लिये प्रतिमान भी निर्धारित किये गये हैं।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : यह विवरण बहुत लम्बा है और शब्दों के जाल से युक्त है। दिल्ली दुग्ध योजना एक ऐसा प्रतिष्ठान है जिसका कार्य संचालन बहुत ही खराब है और लोगों के लिए हानिकर है .....

अध्यक्ष महोदय : आपने प्रस्तावना देना आरम्भ कर दिया है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं । यह विवरण बहुत लम्बा है । उन्होंने यह स्वीकार किया है कि दिल्ली दुग्ध योजना को भारी हानि हुई है और इस हानि को दूर करने के लिए सरकार का विचार दूध का मूल्य बढ़ाने का है । मैं जानना चाहूंगा कि क्या 1969-70 में 73·34 लाख रुपये का दिखाया गया लाभ मूल्य में हुई वृद्धि के कारण हुआ है ।

दूसरा, दिल्ली दुग्ध योजना ने 1.4 लिटर बोतलों की सप्लाई क्यों बन्द कर दी है जिसका उपयोग साधारण जनता बहुत करती थी क्योंकि उनको $\frac{1}{4}$ लिटर बोतल में दूध मिलता था और अकेले व्यक्ति, जो कि निर्धन हो सकता है, के लिए बहुत उपयुक्त था । इसकी सप्लाई क्यों रोक दी गई थी ?

श्री शेर सिंह : जहाँ तक हानि का सम्बन्ध है मैंने इसके बारे में विवरण में कारण बताये है ।

1969-70 में हमने जो लाभ अर्जित किया है, उसके कई कारण हैं निश्चय ही एक कारण दूध के मूल्य में वृद्धि है और इसके लाने ले जाने, तैयार करने तथा वितरण आदि और प्रोसेसिंग तथा प्रशासनिक कार्यों में होने वाले व्यय में कमी करना है, ये सभी कारण इसके लिए उत्तरदायी हैं ।

जहां तक 1/4 लिटर बोतल का सम्बन्ध है, हम अब उसे डबल टोन्ड दूध के लिए जारी कर रहे हैं क्योंकि डबल टोन्ड दूध समाज के निर्धन व्यक्तियों को सप्लाई किया जाता है और हम इसे डबल टोन्ड दूध के लिए पुनः जारी करना चाहते हैं ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : दिल्ली दुग्ध योजना के विरुद्ध यह भी शिकायत है कि दूध की बोतलों में कीट और बाह्य तत्व पाये गये हैं, जब हम दूध लेते हैं तो हमें बहुत सावधान होना चाहिए क्योंकि जब दूध की बोतलों में ऐसे कीट पाये जाते हैं तो इससे मृत्यु भी हो सकती है, उनका कहना है कि वे इस मामले की जांच करायेंगे । इसके बावजूद भी ऐसी बातें क्यों हो रही हैं ? दो दिन पूर्व पेट्रियट में एक समाचार था । संवादताओं को दूध की बोतलें दिखायीं गई थीं । ऐसी बातें क्यों हो रही हैं ? और 1/4 लिटर बोतल केवल डबल टोन्ड दूध के लिए ही क्यों रखी जा रही हैं ? पहले आप 1/4 लिटर बोतलों में सभी किस्म के दूध की सप्लाई किया करते थे, अब 1/4 लिटर बोतलों में सभी किस्म के दूध की सप्लाई क्यों नहीं की जाए सकती है । मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हुं । मैं जानना चाहता हूं कि 1/4 लिटर बोतल के बारे में क्या नीति है । यह साधारण व्यक्ति, जो कि निर्धन है, के लिए लाभप्रद होगी ।

श्री शेर सिंह : जहां तक बाह्य तत्वों और कीटों की उपस्थिति का संबंध है, मैंने मुख्य उत्तर में पहले ही बता दिया है कि एक सफाई दल का गठन किया गया है और हम न केवल जांच कर रहे हैं अपितु हमने वस्तुतः एक दल का गठन किया है और वे अपना कार्य कर रहे हैं । जहां तक 1/4 लिटर बोतल का सम्बन्ध है, जैसा कि मैंने पहले कहा है, हमने डबल टोन्ड दूध के लिए इसे जारी किया है क्योंकि यह निर्धन व्यक्तियों को सप्लाई की जाती हैं । जहाँ तक संपन्न व्यक्तियों का संबंध है, वे आधा लिटर और इससे अधिक एक लिटर या दो लिटर दूध खरीद सकते हैं । वे 1/4 लिटर दूध कभी नहीं खरीदते हैं । निर्धन व्यक्तियों के लिए, जिनको 1/4 लिटर बोतल दूध की आवश्यकता है, हम इसे जारी कर रहे हैं ।

Shri Hukum chand Kachwai: I want to know whether it is a fact that large quantity of milk powder of Delhi Milk scheme is sold out in black market which causes great loss to Delhi Milk scheme ?

Secondly, I want to know whether it is a fact that when the milk at the Milk Booth is about to finish, the milk of double toned is sold out as single toned milk by transfering the seal of later to former ? The public has made many complaints about it. what action the Government is taking to remedy it ?

Shri Sher Singh : We have not received such complaints. By sorting out the complaints we have seen that about five and half laks bottles of milk are sold out daily and if we draw average then it comes to two complaints in a day. Whenever any complaint is received we go there and examine it and take action on it.

Shri Hukum chand Kachwai : The hom. Minister has not replied to the question regarding black marketing of milk powder in large quantity.

Shri Sher singh : There is no such complaints.

Shri M. C. Daga : May I know whether the bad quality of milk has affected the health of Shri kachwai,

श्री जी० विश्वनाथन् : अन्य दुग्ध योजनाएं, उदाहरण के लिए खेरा दुग्ध योजना लाभ पर चल रही हैं, दिल्ली दुग्ध योजना के हानि पर चलने के क्या कारण हैं ? एक ओर तो वे मूल्य बढा रहे हैं तो दूसरी ओर वे इसके गुण को कायम नहीं रख पा रहे हैं। फिर उनका कहना है कि 1974 तक उन्हें 7 लाख लिटर दूध मिलने लगेगा । इस समय उन्हें 2 लाख लिटर दूध मिल रहा है। 2 वर्ष में उन्हें 5 लाख लिटर दूध कैसे मिलने लगेगा ?

श्री शेर सिंह : जहां तक दूध के गुण का संबंध है, हम इसके गुण की हमेशा जाँच करते हैं। जहां तक खेरा डेरी योजना के लाभ का प्रश्न है, निसंदेह वे लाभ अर्जित कर रही हैं। अब हमें भी लाभ होने लगा है।

श्री सेझियान : क्या मूल्य को बढ़ाकर लाभ अर्जित किया जायेगा ?

श्री शेर सिंह : यदि हम मूल्यों की तुलना करें तो उनके मूल्यों की तुलना में हमारे मूल्य अनुकूल हैं। बम्बई दुग्ध योजना में दूध का मूल्य 1 रुपये–31 पैसे प्रति लिटर है। परन्तु यहां हम अच्छा दूध या प्रथम श्रेणी का दूध 1 रुपये 16 पैसे प्रति लिटर की दर से सप्लाई कर रहे हैं, अब हम मूल्य को थोड़ा बढ़ा रहे हैं परन्तु अन्य नगरों के मूल्यों की तुलना में दिल्ली में इनका मूल्य बहुत कम है बम्बई में वे प्रति लिटर दूध के लिए 1 रुपये 50 पैसे लेते हैं और कलकत्ता में यह संभवत: 1 रुपये 70 पैसे प्रति लिटर है अतएव दिल्ली में प्रति लिटर दूध के लिए लिया जाने वाला मूल्य अन्य नगरों की तुलना में कम है।

जहां तक माननीय सदस्य के दूसरे प्रश्न का संबंध है, मैं यह कहना चाहूंगा कि हम इसकी क्षमता बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं और हम प्रति दिन 3 लाख लिटर की क्षमता वाला एक और रसंयंत्र स्थापित कर रहे हैं,

Incentive to Farmers for Cultivating Food Crops

*1713. **Shri Bibhuti Mishra** :Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) whether the prices of foodgrains produced during 1971 have gone down considerably,

(b) if so, whether the farmers are no more interested in cultivating food crops beyond july 1971, and

(c) if so, whether Government are formulating any scheme to give incentives to farmers for cultivating food crops ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहब पी० शिन्दे) : (क) 1971 में अब तक उत्पादित खाद्यान्न रबी की फसलें हैं । इन खाद्यान्नों का मूल्य खुले बाजार में गत वर्ष की अपेक्षा कम है । फिर भी अच्छे तथा औसत किस्म के खाद्यान्नों का मूल्य वसूली मूल्य के स्तर के बराबर या इससे अधिक रहा है जिसका कि आश्वासन किसानों को दिया गया था और जो उनके लिए पर्याप्त लाभप्रद हैं,

(ख) सरकार की अब तक की जानकारी में ऐसा नहीं है

(ग) प्रश्न नहीं उठता.

Shri Bibhuti Mishra : Besides the wheat Production in 1971, the prodution of paddy also took place in 1971 and its price fell down. The Hon Minister says that this year the price was less than last year although the Government have purchased wheat from the farmer and gave them incentive. May I know whether the Goverrment look into consideration the cost of prodution of farmers at the time of purchasing and took advice from any represtative of farmers regarding their cost of production, I want to know from the government whether they are consulting the respresentative of farmers about the purchases and whether the cost of production will be taken in future at the time of purchasing.

श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे : मैं माननीय सदस्यों की इस चिन्ता को समझता हूं कि भारत में किसानों को उचित मूल्य मिलना चाहिए । परन्तु जैसा कि माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि हमने कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की है जो मूल्यों को नियत करने के बारे में भारत सरकार को सलाह देगी । एक सलाहकार समिति पहले ही है जिनमें कतिपय किसानों के अतिरिक्त कतिपय संसद सदस्य भी हैं । इसके अतिरिक्त खाद्यान्नों सम्बन्धी मूल्य नीति मनमाने सिद्धान्तों अथवा परामर्श पर नहीं बनाई जाती है अपितु हम राज्य के मुख्य मन्त्रियों से परामर्श लेते हैं और तब उसे बनाते हैं ।

Shri Bibhuti Mishra : Mention has been made regarding giving some incentive to farmers. So I want to know that the cost of water, manure, wages and other necessities of famers has increased and taking into consideration all these facts the farmers get much less price. The congress had decided that farmers would be given integrated price. So I want to know what steps the government is taking to give integrated price to farmers ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : माननीय सदस्य को यह जानना चाहिए और समझना, चाहिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि वे यह भी समझें, कि भारतीय खाद्य नियम जैसे सार्वजनिक

क्षेत्र के संगठन ने भारत में प्रथम बार इतने बड़े पैमाने पर कार्य हाथ में लिया है और उन्होंने मंडी में बेचे जाने योग्य लगभग 30 प्रतिशत खाद्यान्न खरीदा है, दूसरे शब्दों में उन्होंने वसूली मूल्य पर लगभग 85 लाख टन खाद्यान्न खरीदा है और हमने भारतीय किसानों को यह पूर्ण आश्वासन दिया था कि वे जो भी अच्छा या औसत दर्जे का अनाज मंडी में लायेंगे, उसको इस तथ्य के बावजूद भी कि मंडी मूल्य कम हो सकता है, वसूली मूल्य पर खरीदा जायेगा । यदि खादय निगम इतने बड़े पैमाने पर कार्य न करता, तो मूल्य बहुत नीचे गिर जाते, अतएव इस बात को समझा जाना चाहिए ।

श्री एम० सत्यनारायण राव : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मंत्री महोदय इस तथ्य से अवगत हैं कि खाद्यान्न के मूल्य घटते-बढ़ते रहते हैं और यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस तथ्य को देखते हुए कि किसानों को खाद्यान्नों के उत्पादन में बड़ी मात्रा मे धन लगाना पड़ता है, क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही करेगी कि खाद्यान्नों के मूल्यों में स्थिरता रहे ?

श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे : यदि हम गत 40 से 50 वर्षों में भारत में खाद्यान्न के विपणन के इतिहास को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हर बार मूल्यों में विस्तृत और बहुत तेजी से घटने-बढ़ने की प्रवृत्ति रही है और सटोरियों ने इसका लाभ उठाया । अब जबकि भारतीय खाद्य निगम ने भारतीय बाजारों में अपना प्रभाव जमा लिया है तो इससे मूल्यों में घटने बढने की प्रवृत्ति कम हो रही है और फसल कटने से पूर्व के मूल्यों और मदी के समय के मूल्यों में अन्तर अधिक नहीं है यद्यपि कुछ अन्तर अभी विद्यमान है । इस निगम के द्वारा बड़े पैमाने पर कार्य करने के परिणामस्वरुप किसानों के हितों की भली भाँति देख भाल की जा रही है । यदि माननीय सदस्य के पास इसमें और सुधार लाने का कोई सुझाव है तो मैं उसकी जांच करने के लिए तैयार हूं ।

श्री के० सूर्यनारायण : जब किसानों को उचित मूल्य देने तथा अन्य बातों के संबंध में उचित नीति अपनाने का प्रश्न आता है, तो भारत सरकार अपने उत्तरदायित्व से हमेशा बचती है । सरकार ने अन्य वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करते समय उन विभिन्न खर्चों को ध्यान में रखा है जो उत्पादकों को करने पड़ते हैं, क्या सरकार का विचार किसानों के साथ भी ऐसा करने का है खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुओं का मूल्य नियत करते समय किसानों द्वारा किया जाने वाला व्यय, उचित लाभ आदि को ध्यान में रखा जाये ?

श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे : कृषि मूल्य आयोग द्वारा प्रतिवेदन तैयार करते समय उत्पादन पर होने वाली मेहनत को भी दृष्टिगत रखा जाता है । सरकार अन्य पहलुओं को भी ध्यान में रखती है । यह ठीक है कि यह बहुत पेचीदा समस्या है परन्तु अब इसके लिए बहुत सशक्त नीति बनाई जा चुकी है और हम तर्क संगत लाभकारी खरीद मूल्य देने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

Shri B. P. Maurya : Mr. Speaker, Sir the prices of all such commodities which are used by the farmers have gone up as compared to the prices of last year. So in view of this particular problem, whether hon. Minister will formulate any special scheme so that farmers may get the same remuneration on their investment which the people of other trades get for their investment ?

श्री अण्णा साहेब पी. शिन्दे : मैं भारतीय कृषकों को दिया गया अपना आश्वासन फिर दोहरा देता हूं कि हमें बाजार में जहाँ कहीं भी खाद्यान्न उपलब्ध होगा, उसे हम खरीद मूल्य पर खरीद लेंगे ।

Shri R. V. Bade : Mr. Speaker, Sir, there is a competition between cash and foodgrain crops and if the price of Cash Crop is more, farmer is not inclined to grow foodgrain. In this connection certain legislation has also been passd by some states to determine the percentage of foodgrain and Cash Crops in the land whether central Government also propose to enact similear egislation ?

श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे : श्री बड़े, मेरे बहुत पुराने मित्रों में से हैं परन्तु वह वर्तमान से कुछ पिछड़े रहते हैं । आजकल स्थिति यह है कि अधिक उपज प्रदान करने वाले बीजों के प्रयोग से खाद्यान्नों की उपज करने वाली भूमि के क्षेत्रफल में वृद्धि हो ही रही है और उसमें कमी किसी प्रकार नहीं हो रही है ।

श्री एच० एम० पटेल : क्या मन्त्री महोदय को यह मालूम है कि खाद्यान्न निगम अपना कार्यकरण देर से आरम्भ करता है और फलस्वरूप किसानों को अपनी फसल खरीद मूल्यों से कम कीमत पर बेचनी पड़ती है ? क्या निगम उस समय अपना खरीद कार्य आरम्भ नहीं कर सकता जबकि फसल की कीमत खरीद मूल्यों के आस पास होती है ?

श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे : हम इस पहलू पर भी विचार करते हैं ।

श्री पी० आर० शिनाय : क्या खरीद मूल्य निर्धारित करते समय सरकार किसानों या किसानों के किसी संघ से भी विचार विमर्श करती है ?

श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे : इस कार्य के लिए एक सलाहकार समिति होती है जिसमें कुछ संसद सदस्य और कुछ किसान भी होते हैं । इसी समिति से विचार विमर्श किया जाता है ।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या सरकार प्रश्न के (ग) भाग से उत्पन्न होने वाले इस प्रश्न का उत्तर भी देगी कि देश की समग्र परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये, क्या सरकार खरीद मूल्यों में कुछ वृद्धि करके या उत्पादन मूल्यों में कुछ वृद्धि कर, किसानों को किसी प्रकार का प्रोत्साहन देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे : किसानों को सबसे बड़ा प्रोत्साहन दो प्रकार से दिया जा सकता है । इनमें से प्रथम तो गेहूं तथा अन्य खाद्यान्नों के मूल्यों से सम्बन्धित है जिससे कि हम किसानों के हितों की रक्षा कर रहे हैं । दूसरा प्रोत्साहन यह है कि किसानों को समय समय पर सरकार द्वारा नियंत्रित मूल्यों पर खाद दी जाती है ।

अध्यक्ष महोदय : बीस मिनट हो गये हैं और अभी तक केवल दो ही प्रश्न हुये हैं । अब अगला प्रश्न लीजिये ।

पश्चिम बंगाल भूमि सुधार (दूसरा संशोधन) अधिनियम का लागू किया जाना

* 1714. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल भूमि सुधार (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1970 को लागू करने के लिए कोई ठोस कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) पश्चिम बंगाल भूमि सुधार (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1970 नामक कोई अधिनियम नहीं है । सम्भवत: यह हवाला पश्चिम बंगाल भूमि सुधार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1970 से है, जोकि पश्चिम बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1971 (1970 का राष्ट्रपति अधिनियम 3) के नाम से बनाया गया था अधिनियम के समस्त उपबन्धों को (सीमा सम्बन्धी उपबन्धों को छोड़कर) 12 फरवरी 1971 से और सीमा सम्बन्धी उपबन्धों को 15 फरवरी, 1971 से सम्पूर्ण राज्य में लागू कर दिया गया था । अधिनियम के अन्तर्गत विधायी नियम भी बनाकर प्रकाशित कर दिये गये हैं ।

(ख) कानून के विभिन्न उपबन्धों की क्रियान्विति के लिये उप-प्रभागीय भूमि सुधार अधिकारियों को राजस्व अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया है । सिंचित तथा असिंचित भूमि के लिये सीमा क्षेत्रों के निर्धारण के लिये सिंचाईगत क्षेत्र का उल्लेख करते हुए अधिसूचना जारी की गई है । सीमा से अधिक भूमि से स्वामियों को 15 अक्तूबर, 1971 तक अपनी विवरणियां प्रस्तुत करनी होंगी । संशोधन अधिनियम के उपबन्धों की शीघ्र तथा प्रभावकारी क्रियान्वित के लिये स्थानीय अधिकारियों को अनुदेश जारी किये गये हैं ।

श्री सरोज मुखर्जी : संशोधन संख्या भले ही गलत हो परन्तु संशोधन हुआ अवश्य था । मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि संयुक्त मोर्चा सरकार के गिरने के बाद के डेढ़ वर्ष के समय में जबकि यह नई सीमा वाला संशोधन लागू कर दिया गया था, तो सरकार को इसे लागू करने के बाद कुल कितनी फालतू भूमि प्राप्त हुई है ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : यह कानून अभी हाल ही में लागू किया गया है और जैसा कि मैंने अपने उत्तर के मुख्य भाग में बताया है फालतू भूमि की उद्घोषणा करने और सम्बन्धित विवरणियां भरने के लिए अक्तूबर तक का समय दिया गया है । अत: अभी से इस बात का जायजा लगाना सम्भव नहीं है कि विवरण के लिए कुल कितनी फालतू भूमि उपलब्ध हो जायेगी ।

श्री सरोज मुखर्जी : उस दिन माननीय कृषि मन्त्री ने सदन में यह घोषणा की थी कि सरकार ने कृषि सुधार आयोग की भूमि पर अधिकतम सीमा लगाने की सिफारिश को सम्पूर्ण देश के लिए स्वीकार कर लिया है और यह सीमा परिवार के आधार पर 10 से 18 एकड़ तक होगी । क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि यह नई सिफारिश या निर्णय किस दिन से लागू किया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न का सम्बन्ध पश्चिम बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम से है । आप अधिनियम से सम्बद्ध संशोधनों के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं ।

डा० रानेन सेन : कुछ समय पूर्व पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा यह घोषणा की गई थी कि सरकार ने इस भूमि सुधार अधिनियम द्वारा कुछ भूमि अधिग्रहण कर ली है और यह भूमि खड विकास अधिकारियों और जे० एल० आर० ओज द्वारा जरूरतमंद लोगों में वितरित कर दी जायेगी ? क्या इस दिशा में कोई कार्यवाही की गई है; क्या यह भूमि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किसानों में बाट दी गई है ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : वितरण का कार्य तो जारी है परन्तु वर्तमान वास्तविक स्थिति की जानकारी तो हमें राज्य सरकार से ही प्राप्त करनी है ।

अध्यक्ष महोदय : आपके यह सभी प्रश्न बहुत उचित हैं और आप इन्हें बड़ी आसानी से मूल प्रश्न के साथ ही जोड़ सकते थे ।

डा० रानेन सेन : पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने निश्चय ही यह कहा था कि कुछ भूमि.....

अध्यक्ष महोदय : मेरा सम्बन्ध केवल मुख्य प्रश्न से ही रहता है ।

डा० रानेन सेन : इन्हें पूरी तरह से इस प्रश्न के उत्तर की तैयारी करके आना चाहिये था कि सरकार के पास कितनी भूमि है और कितनी भूमि बांटी जा चुकी है । यह प्रश्न भी तो मुख्य प्रश्न से ही जुड़ा हुआ है ।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : माननीय सदस्य से मैं विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि मैं किसी भी प्रश्न के उत्तर के लिए पूर्णतया तैयार हूं । पश्चिम बंगाल के भूमि सुधारों को तो हम विशेष रूप से बहुत गम्भीरता पूर्वक लेते हैं; परन्तु यह प्रश्न तो बिल्कुल उस विषय से अलग है । अत: उनका यह आक्षेप उचित नहीं है कि उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा रहा ।

श्री सुबोध हंसदा : मंत्री महोदय ने जो यह उत्तर दिया है कि अक्तूबर महीने तक सरकार को फालतू भूमि के विवरण प्राप्त हो जायेंगे, इसी आधार पर मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह विवरण सभी टेनेन्ट्स को देना होगा या इसके लिए किसी प्रकार का कोई वर्गीकरण भी किया गया है ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : अक्तूबर महीने का उल्लेख तो उन भूमि मालिकों के संदर्भ में किया गया है जिनके पास फालतू भूमि है । इसके लिए एक विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित की गई है जब तक कि वह फालतू भूमि का विवरण राजस्व अधिकारी को दे देंगे । अन्यथा सरकार स्वयं कार्यवाही आरम्भ कर उनकी सीमा से अधिक भूमि को फालतू घोषित कर अपने कब्जे में ले लेगी ।

श्री समर गुह : यद्यपि मंत्री महोदय ने यह बताया है कि भूमि पतियों को निश्चित तिथि तक फालतू भूमि का विवरण देने को कहा गया है परन्तु इससे सम्बन्धित अधिसूचना का परिपालन ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी तरह से नहीं हुआ है । इस समय जबकि नया अधिनियम लागू किया जाना है और पुराना अधिनियम लागू है, तो मैं यह पूंछना चाहता हूं कि क्या यह सच

है कि अब फसल के मौसम में बहुत अधिक झगड़े हो रहे हैं जैसे कि कई फसल के भागीदारों ने अपनी भूमि बेच दी है और कई छोटे काश्तकारों को अवैध रूप से हटाकर उनकी भूमि को बल पूर्वक हथिया लिया गया है और यदि हां, तो इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : हमें इस प्रकार के कुछ समाचार मिले हैं कि इस नये संशोधन के लागू किये जाने के परिणामस्वरूप, कई काश्तकारों से भूमि खाली करवाई जा रही है और इसीलिए हमने पश्चिम बंगाल सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कर उन्हें यह स्पष्ट कर दिया है कि काश्तकारों के हितों की सुरक्षा के लिए उचित कार्यवाही अवश्य की जानी चाहिए ।

श्री दीनेन भटटाचार्य : क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि जब पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चा सरकार के शासनकाल में यह संशोधन लागू किया गया था तो उस समय सरकार के पास 2 लाख एकड़ भूमि थी परन्तु उन भूमिपतियों ने उच्च न्यायालय में जाकर निषेध आज्ञा प्राप्त कर ली जिसके फलस्वरूप बहुत से काश्तकारों को अभी तक भूमि खाली करनी पड़ रही है यदि हां तो क्या सरकार इस कानून को उसी पिछली तिथि से ही लागू करेगी जबकि संयुक्त मोर्चा सरकार को सत्ता प्राप्त हुई थी ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : जो मामले न्यायालयों के निर्णय के अन्तर्गत होते हैं उनको बहुत सी कानूनी पेचीदगियां होना स्वाभाविक ही है और क्योंकि यह मामला उच्चन्यायालय में अनिर्णीत पड़ा है अतः मैं इसके सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं कह सकता । अपने नये कानून के अनुभव के आधार पर तो हम कह सकते हैं कि अब दीवानी अदालतें तो इस प्रकार के मामले नहीं ले सकती । भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने और काश्तकारों के हितों की सुरक्षा के लिए इतनी ठोस कार्यवाही सर्वप्रथम हमने ही की है । इससे पूर्व ऐसी कार्यवाही किसी भी संयुक्त मोर्चा सरकार या किसी अन्य सरकार द्वारा नहीं की गई थी ।

देश में दुग्ध-परिष्करण संयंत्रों की क्षमता

* 1715. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अधिकांश दुग्धपरिष्करण संयंत्रों में उनकी निर्धारित क्षमता की अपेक्षा आधा उत्पादन हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) . सामग्री एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

श्री रोबिन ककोटी : क्या यह सच है कि अधिकांश दुग्ध-परिष्करण संयन्त्रों को आयतित दुग्ध चूर्ण और बटल आयल से चलाया जा रहा है ? वर्तमान दुग्ध परिष्करण संयन्त्रों को चालू रखने के लिए दुग्ध-चूर्ण की वार्षिक मांग कितनी होती है ?

श्री शेर सिंह : दुग्ध चूर्ण का प्रयोग हम तभी करते हैं जबकि तरल दूध उपयुक्त मात्रा

में उपलब्ध नहीं होता । इसके साथ ही दुग्ध-चूर्ण के प्रयोग की भी एक निश्चित प्रतिशतता होती है जिससे आगे हम नहीं बढ़ सकते ।

श्री रोबिन ककोटी : भारत में दुग्ध-परिष्करण संयंत्रों की संख्या क्या है ? क्या यह सच है कि विदेशों से इन संयन्त्रों से सम्बद्ध सहायक समान मंगवाने के लिए लगभग एक करोड़ रुपया प्रति वर्ष खर्च किया जाता है ? यदि हां, तो इस सामान को देश ही मे बनाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री शेर सिंह : देश में 108 दुग्ध संयन्त्र हैं । हमने इनके लिए अपेक्षित सामान को देश में ही बनाना आरम्भ कर दिया है । अब हम केवल कुछ विशिष्ट सामान ही विदेशों से मंगवा रहे हैं । हमने अन्य सामान देश ही में बनाना आरम्भ कर दिया है ।

श्री बूटा सिंह : मैं मंत्री महोदय की इस बात से सहमत नहीं हूं । इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है । उन्हें निजी क्षेत्रों के संयंत्रों की जानकारी भले ही न हो परन्तु सरकारी उपक्रमों की जानकारी तो उन्हें होगी ही ।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ?

श्री बूटा सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सरकारी उपक्रम के वर्तमान संयन्त्रों की क्षमता बढ़ाने और सार्वजनिक क्षेत्र में अन्य नये संयंत्र लगाने पर विचार कर रही है ?

श्री शेर सिंह : अधिकांश दुग्ध संयंत्र अपनी पूर्व निर्धारित क्षमता के अनुरूप उत्पादन कर रहे हैं या नहीं, इस बात की जानकारी हमें विभिन्न राज्य सरकारी से प्राप्त करनी है । हां जहां तक अन्य नये संयन्त्र लगाने का प्रश्न है, हम चौथी योजना में सरकारी उपक्रम में और अधिक संयन्त्र लगा रहे हैं ।

उत्तर प्रदेश में बिजली मंजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति

* 1716. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली मजूरी बोर्ड की सिफारिशों में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने केन्द्रीय सरकार की सम्मति ली थी;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश के राज्य उपक्रम में अधिकांश श्रमिक कतिपय लाभों से वंचित हो गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस अन्याय को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी हां। उपदान, बकाया राशियों की अदायगी आदि के सम्बन्ध में इन सिफारिशों में जहां तक उत्तर प्रदेश राज्य में उनकी क्रियान्वित का प्रश्न है, संशोधन किया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) : राज्य सरकार के अनुसार, मजदूरी बोर्ड द्वारा सिफारिश की गई उपदान योजना को छोड़कर अन्य सभी लाभ उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के श्रमिकों को प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराए गए हैं। राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि यदि अभिकथित अन्याय का कोई मामला उनके ध्यान में लाया जाता है तो उसकी जांच की जायेगी।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह बड़े आश्चर्य की बात है कि मंत्री महोदय को आज भी इस बात का पता नहीं कि कानपुर के लगभग 2000 बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी है। साथ ही उत्तर प्रदेश के बाकी बिजली कर्मचारियों ने भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मंजूरी बोर्ड की कुछ सिफारिशों को क्रियान्वित न करने तथा कुछ के क्रियान्वयन में असाधारण विलम्ब लगाने हेतु हड़ताल की धमकी दी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से बातचीत की है और क्या कर्मचारियों के पूर्ण संतोष के लिए पंचाट को क्रियान्वित न करने के कारण पूछे हैं ?

श्रम और पुर्नवास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : हमें हड़ताल के बारे में कोई जानकारी नही हैं। जहां तक मंजूरी बोर्ड के पंचाट के क्रियान्वयन का सम्बन्ध है, उपदान तथा कुछ छोटे मामलों के अतिरिक्त जिनमें कुछ संशोधन आवश्यक है, अन्य सभी सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया गया है।

अत: यह कहना उचित नहीं है कि पंचाट का क्रियान्वयन नहीं हुआ। यदि विशिष्ट रूप से यह पूछा जाए कि पंचाट के किस भाग का क्रियान्वयन नहीं हुआ, तो मैं इसका उत्तर देने को तैयार हूं। साथ ही मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस निर्णय को लेने से पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार ने त्रिपक्षीय परामर्श किया था।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि एक समिति की नियुक्ति की गई थी जिसमें कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व दिया गया था और जिसने हाल ही में मई के महीने में अपनी रिर्पोट पेश की है। वेतनमानों के समायोजन के प्रश्न पर कुछ विचारों में मतभेद है जिसके परिणामस्वरूप''' **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया इतनी लम्बी भूमिका न बांधें। प्रश्न सीधे ही पूछें।

श्री एस० एम० बनर्जी : अध्यक्ष महोदय, मैं सीधे प्रश्न कैसे पूंछ सकता हूं। प्रश्न तो केवल आपके माध्यम से ही पूछा जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे बताइये मैं आपकी ओर से संक्षिप्त रूप में बता दूंगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हड़ताल मुख्यत: इस कारण

की गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड ने अपने वायदे के अनुसार विभिन्न वेतनमानों का समायोजन नहीं किया और यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय मामले में हस्तक्षेप करेंगे तथा उत्तर प्रदेश में होने वाली सामान्य हड़ताल को रोकने के लिए कुछ सुझाव देंगे।

श्री आर० के० खाडिलकर : जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वीकार किया है कि यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ कुछ बातचीत हुई है। मुझे इस बात की सूचना नहीं है कि वह किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। जहां तक वेतनमानों के समायोजन का सम्बन्ध है, पंचाट का क्रियान्वयन किसी निश्चित सूत्र के आधार पर किया जाता है और यदि माननीय सदस्य को इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी है, तो कृपया वह इसकी सूचना हमें दें ताकि उसे हम सम्बद्ध सरकार तक पहुंचा सकें।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं यह जानकारी तो दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य ने इस बात को स्वीकार किया है कि वह कुछ जानकारी दे रहे हैं न कि जानकारी के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : प्रश्न पूंछते समय मुझे जानकारी देनी पड़ेगी। वहां की स्थिति गंभीर होती जा रही है। श्री खाडिलकर बड़े धैर्यवान व्यक्ति हैं इसीलिए मैं उनसे हस्तक्षेप के लिए अनुरोध कर रहा हूं।

श्री आर० के खाडिलकर : यदि कोई विवाद चल रहा है तो मैं इस सम्बन्ध में और अधिक जानकारी एकत्र करने का प्रयत्न करूंगा। इसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं कह सकता और इस स्थिति में मैं किसी प्रकार के हस्तक्षेप का आश्वासन नहीं दे सकता।

श्री राम नारायण शर्मा : मंत्री महोदय ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि उपदान और मजदूरी को छोड़कर बाकी पंचाट का क्रियान्वयन कर दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उपदान और पंचाट से सम्बन्धित कौन सी सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया गया तो कौन से अन्य भागों को क्रियान्वित कर दिया गया है और राज्य सरकार द्वारा पंचाट में कैसे संशोधन किए गये हैं ?

श्री आर० के० खाडिलकर : यह कहना ठीक नहीं है। मैने यह कहा कि उपदान को छोड़कर अन्य सभी भागों का क्रियान्वयन कर दिया गया है। प्रश्न केवल बकाया राशि के बारे में है, जिसका भुगतान विभिन्न चरणों में बिना मजूरी बोर्ड के पंचाट में संशोधन किए किया जाना है।

Shri N. N. Pandey : Is the hon. Minister aware of the fact that few days back the Chief Minister of U. P. held a meeting with leaders of all the unions to decide the matter. I wish to know if any conference is going on in this regard to settle the matter and to avest the strike.

श्री आर० के० खाडिलकर : मैं माननीय सदस्य द्वारा दी गई जानकारी का स्वागत करता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह मजूरी बोर्ड केन्द्रीय मजूरी बोर्ड का और उपदान के सम्बन्ध में

दी गई सिफारिशें विभिन्न राज्यों की सभी बिजली यूनियनों पर लागू होती है। यदि कोई राज्य सरकार अपनी ओर से इन केन्द्रीय सिफारिशों में संशोधन करती है तो क्या केन्द्र सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि बोर्ड की सभी सिफारिशों को समान रूप से सभी राज्यों में लागू किया जाए, केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व क्या है।

श्री आर० के० खडिलकर : यह पंचाट गैर-सांविधिक पंचाट थे और माननीय सदस्य जानते हैं कि केन्द्र केवल राज्यों को इस सम्बन्ध में सलाह दे सकता है या अनुरोध कर सकता है।

श्री एस० एम० बनर्जी : उन्होंने केन्द्र से कभी सलाह नहीं की।

श्री आर० के० खाडिलकर : इस क्रियान्वयन की प्रक्रिया का अध्ययन करने के बाद उन्होंने यह बताया है कि इस प्रकार की सुविधाएं पहले से ही विद्यमान हैं और यदि पंचाट के उपदान वाले भाग को स्वीकार न भी किया जाए तो मजदूरों को कुछ नुकसान नहीं होगा। यदि आप हमें यह समझा सकें कि इस सम्बन्ध में काफी अन्तर है तो हम इसके बारे में जांच करने को तैयार हैं.....**(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या इसके लिए उन्होंने आपसे अनुमति मांगी थी ?

श्री आर० के० खाडिलकर : अनुमति लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या उन्होंने आपसे परामर्श तक नहीं किया ?

Shri Hukam Chand Kachwai : Electricity labourers are there in all the states. Are you going to bring about uniform law for all such labourers working in various States ?

श्री आर० के० खाडिलकर : पत्रकारों को छोड़कर सारे मजूरी बोर्ड गैर-सांविधिक थे। मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू करना राज्य सरकारों का काम है केन्द्र उन्हें कार्यान्वित करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

हिन्दुस्तान स्टील कर्मचारी संघ के सेक्रेटरी की गिरफ्तारी

*1717. **श्री बी०के० मोदक** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस ने झूटे आरोपों पर हिन्दुस्तान स्टील कर्मचारी संघ के सेक्रेटरी तथा आल इण्डिया स्टील वेज नेगोशियेशन कमेटी के सदस्य को 26 जून, को गिरफ्तार कर लिया था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस गिरफ्तारी के फलस्वरूप उत्पन्न हुई स्थिति के निवारण के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री मोहन कुमार मंगलम्) : (क) और (ख) . श्री जे० राय को, अखिल भारतीय इस्पात मजदूरी वार्ता समिति के सदस्य तथा हिन्दुस्तान स्टील कर्मचारी संघ, दुर्गापुर, के संयुक्त सचिव है, दो विशेष मामलों में 26 जून, 1971 को गिरफ्तार किया

गया था उसे दुर्गापुर पुलिस थाने के दिनांक 6-5 71 के केस नं० 9 में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326/307 तथा भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 25/27 के अन्तर्गत तथा दिनांक 19-6-71 के केस नं० 65 में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 364/302 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था।

(ग) यह मामला स्थानीय प्रशासन के क्षेत्राधिकार में आता है।

श्री बी० के० मोदक : मन्त्री महोदय ने प्रश्न का उत्तर टाला है। प्रश्न यह था कि क्या उन्हें झूठे मामले में घसीटा गया था। इस संदर्भ में मैं 12 जुलाई को मजिस्ट्रेट द्वारा की गयी टिप्पणी पढ़ता हूं, जो इस प्रकार है :—

मेरा यह मत है कि साक्ष्य पत्र की पुष्टि में जांच अधिकारी को गवाही लेनी चाहिये थी। जांच अधिकारी ने जख्मी व्यक्ति के बयान भी नहीं लिये। मुझे आश्चर्य है कि इस अभियुक्त को गिरफ्तार करके यहां क्यों लाया गया है।

अभियुक्त 100 रुपये की जमानत दे।

अतः मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय को एक झूठे मामले में घसीटा गया था ? उनकी इस बारे में क्या राय है ?

श्री मोहन कुमारमंगलम : जहां तक मामले का सम्बन्ध है, यह अभी तक न्यायालय में अनिर्णित पड़ा है। इस पर राय देना मेरे लिये उचित नहीं होगा।

जहां तक उत्तर का सम्बन्ध है. प्रश्न यह था कि क्या उसे 26 जून को झूठे आरोपों पर गिरफ्तार किया गया था और उस गिरफ्तारी के बारे में मैं अपना उत्तर दे चुका हूं।

श्री बी० के० मोदक : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्री जीवन राय. सचिव को जमानत पर रिहा होने के बाद पी० वी० ऐ० अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किया गया और दोष पत्र में नजरबन्दी का कारण केवल वही दिया गया था जो कि पहले था, यदि ऐसा है, तो क्या सरकार उन्हें नजरबन्दी से रिहा करने पर विचार करेगी ?

श्री मोहन कुमारमंगलम : श्री जीवन राय को हिंसात्मक गतिविधि निवारण-अधिनियम के अधीन सम्भवतः 12 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। नजरबन्दी के कारणों की सूचना उन्हें दे दी गयी है और अब तक उस अधिनियम के अधीन प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। जो भी अभ्यावेदन वे दें, सलाहकार बोर्ड के सामने रखा जायेगा। जो सरकार को की जाने वाली कार्यवाही सम्बन्धी परामर्श देगा।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : श्री जीवन राय को एक विशेष दोष के आधार पर गिरफ्तार किया गया। बाद में उन्हें जमानत पर रिहा किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय कहते हैं कि मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या आप किसी व्यक्ति को दो बार दंडित कर सकते हैं ? यदि आप मुझे एक अपराध के लिये दंडित करते हैं और बाद में दोषी नहीं पाया जाता तो आप उसी

आधार पर मुझे--कैसे दोषी ठहरा सकते हैं ? एक दोष के लिये आप एक व्यक्ति को दो बार गिरफ्तार कर सकते हैं। यह सब क्या है ? गृह कार्य मन्त्री को उत्तर देना चाहिये। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : चिल्लाने मात्र से आप अपने प्रश्न को प्रभावशाली नहीं बना सकते।

श्री मोहन कुमारमंगलम : अधिक शोर करने से प्रश्न अधिक स्पष्ट नहीं होता।...**(व्यवधान)**

श्री श्यामनन्दन मिश्र : अध्यक्ष महोदय, आप एक सदस्य को शोर मचाने से रोक सकते हैं लेकिन एक मन्त्री को नहीं...**(व्यवधान)**

श्री मोहन कुमारमंगलम् : जिन दोषों पर श्री जीवन राय को गिरफ्तार किया गया था, वे अभी न्यायालय के विचाराधीन हैं। मजिस्ट्रेट ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया है लेकिन मेरे विचार में मामला अभी न्यायालय के पास पड़ा है। अत: उनका मामला निर्णयाधीन है। हिंसात्मक गतिविधि निवारण अधिनियम के अधीन गिरफ्तारी के कारण अधिनियम के अनुसार उनकी जानकारी में लाये जा चुके हैं और वे सलाहकार बोर्ड को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ये कारण कुछ अन्य बातों सहित उनकी सूचना में लाये जा चुके हैं। यदि ये कारण हिंसात्मक गतिविधि निवारण अधिनियम के उद्देश्यों से बाहर आते हैं तो सलाहकार बोर्ड धारा 12 के अधीन अपने निष्कर्ष पर पहुंचेगा और सलाहकार बोर्ड का परामर्श, यदि यह किसी व्यक्ति के रिहा करने के पक्ष में है, तो सरकार के लिये मान्य होता है।

पश्चिम बंगाल में सहकारिता आन्दोलन की असफलता

*1718. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में ऋण-सहकारी समितियों को छोड़कर सहकारिता आन्दोलन पूर्णत: असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस असफलता के क्या कारण हैं; और

(ग) आन्दोलन को पुनर्जीवित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

श्री सुबोध हंसदा : मन्त्री महोदय ने मेरे प्रश्न के उत्तर में नहीं कहा है। मैं उनका ध्यान पश्चिम बंगाल की उन सहकारी उपभोक्ता संस्थाओं की ओर दिलाना चाहता हूं जो घाटे में चल रही हैं और उनमें से एक हावड़ा समवायिका उपभोक्ता सहकारी संस्था है। क्या उन्हें विदित है कि यह घाटे में चल रही है और उनमें से कुछ का दिवाला निकल गया है ?

अध्यक्ष महोदय : आपने स्वयं ही सूचना दे दी है।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : कुछ स्टोर घाटे में चल रहे हैं और कुछ लाभ पर भी चल रहे हैं।

श्री सुबोध हंसदा : पिछले कुछ वर्षों में स्थापित कुछ चावल की मिलें हैं जिनमें कि कार्य आरम्भ नहीं हो सका । क्या सरकार को उसके बारे में जानकारी है और यदि हां, तो सरकार उस सम्बन्ध में क्या करना चाहती है ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : जैसा कि आपको विदित है, राज्य योजनाओं के अन्तर्गत कुछ परियोजनाएं हैं । परन्तु जब भी हमारे पास कोई योजना प्राप्त होती है, निश्चय ही हम राज्य सरकारों की मदद करते हैं ।

डा० रानेन सेन : मंत्री महोदय ने इस प्रश्न के उत्तर में अभी अभी नहीं कहा था । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें विदित है कि सहकारी आन्दोलनों की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि सहकारी आन्दोलन पश्चिम बंगाल में बहुत निचले स्तर पर हैं और यदि हां, तो सरकार ने पश्चिम बंगाल में सहकारी आन्दोलन की सफलता के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : जी, हाँ, समय समय पर कुछ कार्यवाहियां की गई हैं । पूर्वीय राज्यों, विशेषत: पश्चिम बंगाल में सहकारी आन्दोलनों को बढ़ावा देने के लिये एक केन्द्र समर्थित विशेष योजना आरम्भ की है । इस उद्देश्य के लिये पश्चिम बंगाल तथा अन्य बड़े राज्यों की सहायता के लिए एक सुगम ढंग अपनाया गया है तथा ऋणों की अदायगी में मामलों के महत्व के अनुसार पांच वर्ष की छूट दी जाये, ऋणों की अदायगी की अवधि मामलों के महत्वानुसर बढ़ाकर 15 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष कर दी जाये, ऋण साम्य अनुपात को सभी केन्द्रीय सरकारी कारखानों के लिये वर्तमान अनुपात के स्थान पर 80·20 कर दिया जायेगा, राज्य सरकारों को हिस्सों में पूंजी लगाने में वर्तमान 3 : 1 के स्थान पर 5 :1 की सुविधा दी जाये । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय योजना के अधीन ब्याज दर को आधा प्रतिशत घटा दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : आपने पूरा वक्तव्य पढ़ना शुरू कर दिया है ।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : कुछ कार्यवाहियां हमने की हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें सभा पटल पर क्यों नहीं रख देते ?

श्री डी० एन० महाता : क्या सरकार को पता है कि कुछ चावल मिलें 1967 में स्थापित हुई थीं, तब भी उन्होंने काम करना शुरू नहीं किया ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न केवल जानकारी रखने का नहीं अपितु उत्तर देने का है ।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : ऐसे मामलों में खाद्य निगम ऋण देती है ।

श्री डी० एन० महाता : क्या सरकार बताएगी कि कितनी सहकारी संस्थाएं घाटे पर चल रही हैं ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : कई प्रकार की संस्थाएं हैं । मुझे इसके लिए पूर्व सूचना चाहिए ।

तमिलनाडु की चीनी मिलों के विस्तार का कार्यक्रम

* 1719. **श्री लक्ष्मी नारायणन्** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिल नाडु की कौन-कौन की चीनी मिलें अपने विस्तार का कार्यक्रम बना रह हैं और कौन-कौन सी मिलें पहले ही अपना विस्तार कर चुकी हैं; और

(ख) क्या गन्ने की मूल्यों की बकाया राशि की अदायगी न किया जाना उनके भावी विस्तार में अधिक होगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) तमिल नाडु के जिन कारखानों को पर्याप्त विस्तार करने हेतु आशय पत्र लाइसेंस दिये हैं गये और जिसे अभी उन्होंने पूरा करना है तथा जिन कारखानों ने पहली पंचवर्षीय योजना से अपनी पिराई-क्षमता बढ़ाली है, उनका नाम बताने वाला विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है। तमिलनाडु के मौजूदा कारखानों के विस्तार हेतु कोई भी आवेदन-पत्र विचारार्थ नहीं पड़ा हुआ है :

(ख) जी नहीं।

विवरण

(क) तमिल नाडु के जिन चीनी कारखानों के पास विस्तार करने हेतु लाइसेंस आशय पत्र हैं और जिनकी योजनाओं को अभी पूरा करना है उनके नामों की सूची।

क्रम सं०	चीनी कारखाने का नाम तथा पता
1.	कावेरी शुगर्स एण्ड केमिकल्स लि०, पेत्तैक्यतलई, जिला तिरूचिरापल्ली।
2.	दि साऊथ इन्डिया स्टील एण्ड शुगर्स लि०, मुंडियामपकदकम, विल्लूपुरम, तालुक, जिला दक्षिण अकटि।
3.	अरूण शुगर्स लि०, पेन्नादम, जिलादक्षिणी अकटि।
4.	कत्लाकुरूची कोआपरेटिव शुगर मिल लि०, पो० आ० मूंमिलथुरिपतू, तालुक कत्लाकुरूची, जिला दक्षिण अकटि।
5.	दि तिरू अरूरान शुगर्स लि०, बदापथी मंगलम, जिला तंजौर,
6.	अमरावती कोआपरेटिव शगर मिल्स लि०, ए० के० पुथुर, अर्थात् कनियार, जिला कोयम्बतूर।
7.	दित शक्ति शुगर्स लि०, अप्पाखुदल, जिला कोयम्बतूर।
8.	नार्थ अकटि डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, बादापुदूपेट, अम्बूर, जिला उत्तरी अकटि।
9.	मदुरान्तकम कोआपरेटिव शूगर मिल्स लि०, पदालम, जिला चिंगलीपुट।
10.	दि सलेम कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, मोहनूर, तथा करूर (नम्माकल तालु), जिला सलेम।

(ख) तमिल नाडु के जिन चीनी कारखानों ने पहली पंचवर्षीय योजना से अपनी दैनिक पिराई-क्षमता बढ़ाली है, उनके नामों की सूची ।

1. दि दक्कन शुगर एण्ड आबकारी कं० लि०, पुगलूर शुगर फैक्ट्री, जिला तिरूचिरापल्ली ।

2. कावेरी शुगर्स एण्ड केमिकल्स लि०, कत्त्र,पेतैक्यतलई, जिला तिरूचिरापल्ली ।

3. दि साऊथ इंडिया स्टील एण्ड शुगर्स लि०, मुंडियापक्का, बिलापुरमतालुक, जिला दक्षिणी अकटि ।

4. नार्थ अकटि डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, बादापुदूपेट, अम्बूर, जिला उत्तरी अकटि ।

5. कोठारी शुगर एण्ड केमिकल्स लि०, कतूर, रेलवे स्टेशन लाल गुडी, जिला तिरूचिरापल्ली ।

श्री लक्ष्मी नारायणन् : वक्तव्य में 10 ऐसे कारखानों के नाम सम्मिलित किये हैं जिन्हें विस्तार हेतु लाइसेंस अथवा आशय पत्र जारी किये गये हैं । मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को पता है कि 30 आई० डी० पेंरी एण्ड कम्पनी अपनी क्षमता 2000 टन से बढ़ा कर 3000 टन प्रतिदिन कर रही है ।

श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे : यदि पीछे किसी भी कारखाने को आशय पत्र अथवा विस्तार करने हेतु लाइसेंस जारी किये गये हैं, तो हमारे पास वैधानिक शक्ति नहीं है कि हम इस कम्पनी को क्षमता बढ़ाने से रोक सकें ।

श्री लक्ष्मीनारायण : सूची में उक्त कम्पनी का नाम नहीं दिया गया । इसीलिये मैं जानना चाहता था कि क्या वह कम्पनी अपनी क्षमता 2000 टन से बढ़ाकर 3000 टन प्रतिदिन कर रही है । मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

श्री अन्ना साहेब पी० शिन्दे : इससे दो बातें सम्बन्धित हैं । वास्तव में मैंने उत्तर दे दिया है । सदस्य ने कुछ स्पष्टीकरण मांगा है, औद्योगिक विकास मन्त्रालय के निर्णय के अनुसार कारखाने एक करोड़ रुपए तक के विस्तार कार्य, उन्हें जारी किये गये लाईसेंसों अथवा आशय पत्रों के अधीन कर सकते हैं । यदि कोई कम्पनी उस सीमा के भीतर विस्तार करना चाहती है तो वह ऐसा विधिवत कर सकती है ।

उन कम्पनियों की सूची जिन्हें विस्तार हेतु लाइसेंस अथवा आशय पत्र जारी किये गये हैं सभा पटल पर रख दी गई हैं ।

श्री लक्ष्मी नारायणन् : तमिलनाडू की कई चीनी मिलों ने 1970-71 की फसल के गन्ने के मूल्य का 50 प्रतिशत भी नहीं दिया है । पिछले वर्ष के लिए भी उन्होंने गन्ना उत्पादकों को पूरा मूल्य नहीं दिया है । यदि ऐसी बातें होती रहती हैं तो इससे उद्योग को उत्पादकों को तथा सरकार को हानि पहुंचेगी । इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं मन्त्री महोदय से जानना

चाहता हूं क्या उन कारखानों को जिन्होंने मूल्य की अदायगी नहीं की है और जिन्हें इस समय सरकार से सभी सुविधायें मिल रहीं हैं कम से कम आगे विस्तार-कार्य करने से रोका जायेगा जिससे कि उत्पादकों की तथा उद्योग की रक्षा हो ?

श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे : वस्तुस्थिति यह है कि तमिलनाडु के चीनी के कारखानों द्वारा कुल 22,56,00,000 रुपये का गन्ना खरीदा गया था जिसमें से 17,26,00,000 रुपये की अदायगी कर दी गई है और 4,79,00,00 रुपये बकाया हैं। माननीय सदस्य जानते हैं कि गन्ने की बकाया राशि की अदायगी के लिये प्रभावी कदम उठाने के लिए राज्य सरकारों से आग्रह कर रहे हैं जिससे कि उत्पादकों को हानि न हो।

श्री लक्ष्मीनारायणन् : कई गन्ना उत्पादक ऐसे हैं जिन्हें मूल्य नहीं दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : आधा मिनट शेष है उसे भी आप ले सकते हैं।

श्री लक्ष्मी नारायणन् : तमिलनाडु में जब गन्ना उत्पादकों ने गन्ने का मूल्य न दिये जाने की शिकायत की, तो कारखानों के स्वामियों ने यह तर्क दिया कि केन्द्रीय सरकार ने पर्याप्त ऋण नहीं दिया। जब हम केन्द्रीय सरकार से पूछते हैं तो कह दिया जाता है कि यह मामला राज्य सरकार से सम्बन्धित है। यह स्थिति जारी है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें मिल कर ऐसे कारखानों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे जिन्होंने गन्ने के मूल्य की तुरन्त अदायगी नहीं की है ?

श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे : इस बारे में हमारा तथा तमिलनाडु सरकार का कोई मतभेद नहीं है। गन्ने के मूल्य की अदायगी के लिये मैं मामले पर पुनः राज्य सरकार के साथ बातचीत कर रहा है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

छोटे तथा मध्यम आकार के ट्रैक्टरों में आत्म निर्भरता

*1711. **डा० सरदीश राय** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में छोटे तथा मध्यम आकार के ट्रैक्टरों की बहुत कमी है;

(ख) क्या ये ट्रैक्टर जिनकी सप्लाई कम हो रही है, काले बाजार में सुगमता से उपलब्ध हो जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन ट्रैक्टरों को काले बाजार में बेचे जाने से रोकने हेतु क्या क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : जी, हां।

(ख) सरकार को यह मालूम हुआ है कि कुछ मामलों में कुछ राज्यों में किसानों को बेचे गए ट्रेक्टर उसी राज्य में तथा अन्य राज्यों में खरीदारों को उनके द्वारा प्रीमियम पर पुनः बेचे जा रहे हैं।

(ग) ट्रेक्टरों के विषय में चोर बाजारी समाप्त करने की दृष्टि से सरकार कृषि उद्योग निगमों के माध्यम से काफी बड़ी मात्रा में आयातित ट्रेक्टर उपलब्ध कर रही है। इन आयातित ट्रेक्टरों के मूल्य परियोजना तथा उपकरण निगम द्वारा निश्चित किए जाते हैं। सप्लाई स्थिति में सुधार करने के लिए विदेशों में रहने वाले सम्बन्धियों द्वारा उपहार में दिए गए ट्रेक्टरों को आयात करने की अनुमति भी दी गई है। इसके अतिरिक्त देश में ट्रेक्टरों के देशीय उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। इस व्यापार में फैले हुए भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए सरकार ट्रेक्टरों की बिक्री तथा उनके वितरण के सम्बन्ध में एक नियन्त्रण आदेश जारी करने के प्रश्न पर भी विचार कर रही है। इस आदेश की सम्भवतः शीघ्र ही घोषणा कर दी जाएगी।

मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की खानों के लिए गैर-सरकारी उपक्रमियों को क्षति पूर्ति का भुगतान

*1720. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन गैर सरकारी उपक्रमियों को क्षतिपूर्ति दे दी गई है जिनकी मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित हीरे की खानों को सरकार ने अपने अधिकार में कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उनको अब तक कुल कितनी राशि दी गयी है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमार मंगलम्) : (क) और (ख) : मध्य प्रदेश सरकार ने प्रतिवेदित किया है कि उसने मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में प्राइवेट उद्यमों से हीरक खानें अपने अधिकार में नहीं ली हैं। इसलिए इसके लिए प्रतिपूर्ति के संदाय का प्रश्न ही नहीं उठता है।

केरल के कोजीकोड क्षेत्र में इस्पात कारखाने की स्थापना

*1721. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल के कोजीकोड क्षेत्र में इस्पात कारखाना स्थापित करने की सम्भाव्यता का पता लगाया हैं; और

(ख) यदि हां तो उसके क्या परिणाम निकलें ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमारमंगलम) : (क) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने कोजीकोड में लोह खनिज के भंडारों का पता लगाने का काम अभी पूरा नहीं किया है। इस काम के पूरा हो जाने के पश्चात ही पूंजी निवेश के किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लघु सिंचाई योजनाओं को कार्यरूप देने के लिये केन्द्रीय सहायता

*1722. **श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान लघु सिंचाई योजनाओं को कार्य रूप देने हेतु केन्द्रीय सरकार तथा उसके द्वारा प्रवर्तित प्रत्येक वित्तीय संस्था ने ऋण अथवा अनुदान के रूप में प्रत्येक राज्य को कितनी वित्तीय सहायता दी है ; और

(ख) गत तीन वर्षों में इस सहायता से, राज्यवार, कौन-कौन से क्षेत्र, लाभान्वित हुए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) सन् 1968-69 के दौरान लघु सिंचाई योजनाओं के लिए ऋणों/उपादानों के रूप में दी गई केन्द्रीय सहायता के राज्यवार आंकड़े संलग्न अनुबन्ध में दिये गये हैं । 1 अप्रैल 1969 से लागू प्रणाली के अनुसार राज्यों को स्टेट प्लान परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता किसी विशेष योजना, अथवा योजना अथवा विकास शीर्ष के लिए अलग-अलग नहीं दी जाती अपितु पूरे वर्ष की वार्षिक योजनाओं के लिए एकमुश्त ऋण तथा उपदान के रूप में दी जाती । अत: 1969-70 और 1970-71 के दौरान लघु सिंचाई योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए दी गई केन्द्रीय सहायता के अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । भूमि विकास बैंकों, केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा लघु सिंचाई योजनाओं के लिए 1968-69 के दौरान दी गई ऋण सहायता के राज्यवार आंकड़े अनुबन्ध में दिये गये हैं । सन् 1969-70 और 1970-71 के दौरान इन स्रोतों द्वारा लघु सिंचाई योजनाओं पर विनियोजन के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं ।

(ख) वर्ष 1968-69 और 1970-71 के दौरान विभिन्न लघु सिंचाई योजनाओं से लाभान्वित होने वाले अतिरिक्त क्षेत्रों का राज्यवार ब्यौरा अनुबन्धों में दिया गया है ।

विवरण

क्र० संख्या	राज्य का नाम	1968-69 के दौरान नियुक्ति की गई केन्द्रीय सहायता		वर्ष 1968-69 के दौरान भूमि विकास बैंकों और केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	1968-69 और 1969-70 के दौरान लघु-सिंचाई योजनाओं से लाभान्वित कुल अतिरिक्त क्षेत्र (प्रत्याशित)
		ऋण (रु० लाखों में)	अनुदान	(रु० लाखों में)	(लाख हैक्टार)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	190·00	45·00	1228·68	1·57
2.	असम	58·80	14·70	0·17	0·75

3. बिहार	596·76	149·09	229·86	3·25
4. गुजरात	239·50	87·15	225·31	2·36
5. हिमाचल प्रदेश	—	—	3·11	0·04
6. जम्मू और कश्मीर	60·00	15·00	8·56	0·22
7. हरियाणा	47·00	15·60	625·07	1·35
8. केरल	136·80	34·20	26·91	0·36
9. मध्य प्रदेश	370·11	92·53	549·01	2·56
10. महाराष्ट्र	801·75	202·16	2405·09	3·44
11. मेघालया	—	—	—	0·02
12. मैसूर	360·00	90·00	481·51	1·32
13· नागालैंड	—	—	—	0 03
14. उड़ीसा	30·00	7·50	113·33	0·41
15. पंजाब	12·00	21·75	1244·51	3·09
16. राजस्थान	130·80	32·70	270·56	1·11
17. तमिलनाडु	300·00	75·00	1548·35	2·73
18. उत्तर प्रदेश	1177·57	294·39	1959·19	14·97
19. पश्चिम बंगाल	372·60	93·15	51·04	1·53
कुल राज्य	4873·69	1269·92	10970·26	41·11

कृषि मशीनरी के आयात को सुचारू बनाने के लिये एजेन्सी

* **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या कृषि मशीनरी के आयात को सुचारू बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई एजेन्सी है;

(ख) क्या राज्यों को तदर्थ आधार पर कृषि मशीनरी का आयात करने की अनुमति है; और

(ग) यदि ऐसी कोई एजेन्सी नहीं है, तो क्या सरकार का विचार इस प्रकार की कोई एजेन्सी स्थापित करने का है और यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) ट्रैक्टरों तथा सम्बद्ध फार्म मशीनरी का आयात केन्द्रीय कृषि मन्त्रालय के स्तर पर किया जाता है।

(ख) ट्रैक्टरों तथा सम्बद्ध फार्म मशीनरी का आयात भारतीय परियोजना तथा उपकरण निगम तथा सम्बन्धित राज्य कृषि उद्योग निगमों आदि के माध्यम से किया जाता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

पश्चिम बंगाल में कोयला-खानो के प्रबन्धकों के विरुद्ध 'सर्टिफिकेट' सम्बन्धी मामले

* 1724. **डा० रानेन सेन** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम बंगाल में कोयला-खानों के प्रबन्धकों के विरूद्ध विभिन्न प्रकार की करोड़ रुपये की कानूनी बकाया राशि की, अदायगी न करने के सम्बन्ध में बहुत से सर्टिफिकेट सम्बन्धी मामले काफी समय से आसनसोल के न्यायालय में अनि विर्णीत पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले अनिर्णीत पड़े हैं और वे कौन-कौन सी तारीख को दायर किये गये थे तथा किन-किन प्रबन्धों के विरूद्ध वे दायर किये गये थे; और

(ग) इन मामलों का फैसला करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के खाडिलकर) : (क) जी, हां। सूचना मिली है कि दिसम्बर, 1970 के अन्त में लगभग 8 लाख रुपये की कुल राशि की अदायगी बकाया थी।

(ख) सर्टिफिकेट सम्बन्धी 54 मामले अनिर्णीत पड़े हैं दायर करने की तिथियां और प्रबन्धकों के नाम संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—909/71]

(ग) पश्चिम बंगाल में सर्टिफिकेट सम्बन्धी मामले सरकारी मांगों की वसूली सम्बन्धी अधिनियम, 1913 (बंगाल अधिनियम) के अधीन सर्टिफिकेट अधिकारियों के समक्ष दायर किये जाते हैं, जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत की जाती के है। सर्टिफिकेट अधिकारियों द्वारा अनुसारण की जाने वाली प्रक्रिया बड़ा समय लेती है। मामलों निपटारे में विलम्ब के मुख्य कारण नोटिस जारी न करना और सर्टिफिकेट देनदारों क सर्टिफिकेट अधिकारियों के सामने पेश न होना है।

गुजरात में केन्द्रीय सरकार फार्म की स्थापना

* 1725. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में केन्द्रीय सरकारी फार्म की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो फार्म के लिऐ कौन सा स्थान चुना गया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

देश में कृषि इन्जीनियरिंग स्नातकों की आवश्यकता और उनके लिए रोजगार की व्यवस्था

* 1726. **श्री माधुर्य्य हालदर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रतिवर्ष अनुमानत: कितने कृषि इन्जीनियरों की आवश्यकता होती है तथा कितने नये कृषि इन्जीनियरिंग स्नातक विश्वविद्यालयों से निकलते हैं;

(ख) क्या इस प्रकार के इन्जीनियरों के लिये शैक्षिक सुविधाओं की योजना बनाने से पूर्व, देश में उनकी आवश्यकता के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया था; और

(ग) योजनाबद्ध हरित क्रान्ति के बावजूद भी कृषि स्नातकों के इतनी बड़ी संख्या में बेरोजगार होने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासहिब पी० शिन्दे) : (क) कृषि मन्त्रालय (कृषि विभाग) के 'मानव शक्ति एकक' द्वारा 1969 में लगाये गये नवीनतम अनुमानों के आधार पर सन् 1969 से 1973 तक पांच वर्षों की अवधि में 610 कृषि स्नातक इन्जीनियरों अर्थात् प्रति-वर्ष 122 इन्जीनियरों की आवश्यकता होगी ।

हाल ही के वर्षों में निकलने वाले कृषि स्नातक इन्जीनियरों की वार्षिक औसत संख्या लगभग 263 है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) इसमें कोई, संदेह नहीं कि 'हरी क्रान्ति' से उत्पादन में तो वृद्धि हुई है; किन्तु इससे कृषि इन्जीनियरों के लिये अभी तक रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि नहीं हो सकी । हरी क्रान्ति के फलस्वरूप आय में वृद्धि होने के साथ साथ कृषि कार्यों के यन्त्रीकरण, ग्राम विद्युतीकरण तथा कृषि परिसंस्करण उद्योगों के विकास से कृषि इन्जीनियरों के लिये रोजगार के अवसरों की संभावना बढ़ जायेगी । स्व रोजगार के अवसरों का अभाव, गैर-सरकारी क्षेत्र की सीमित मांग तथा स्नातक इन्जीनियरों के लिये रोजगार के अवसरों में वृद्धि के उद्देश्य से शिक्षा कार्यक्रमों का अपर्याप्त नवीकरण आदि कुछ ऐसे कारण हैं जो कि कृषि इन्जीनियरिंग स्नातकों की बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी हैं ।

बंगला देश के शरणार्थियों का आगमन

* 1727. **श्री समर गुह** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) बंगला देश से आने वाले शरणार्थियों के नवीनतम आंकड़े क्या हैं और उनके राज्य-वार आंकड़े क्या हैं;

(ख) बंगला देश से कितने और शरणार्थियों के आने की संभावना है और किन कारणों से;

(ग) क्या सरकार सभी शरणार्थियों को मानसून से बचने के लिए आवास-स्थान देने में सफल हो गई है; और

(घ) पाकिस्तान के इस दावे के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है कि शरणार्थी बड़ी संख्या में वापिस बंगला देश जा रहे हैं ।

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) 10-8-1971 तक पूर्वी बंगाल से 7513,776 शरणार्थी भारत आए हैं । इनका राज्य-वार विभाजन निम्नलिखित हैं :—

पश्चिम बंगाल	56,73,178	शरणार्थी	7·8·71	तक
आसाम	242,025	शरणार्थी	1·8·71	तक
मेघालय	3,27,508	शरणार्थी	1·8·71	तक
त्रिपुरा	12,62,158	शरणार्थी	7·8·71	तक
बिहार	8,907	शरणार्थी	1·8·71	तक

(ख) चूंकि स्थिति अनिश्चित चल रही है, इसलिए परिशुद्ध भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। आशा है कि शरणार्थियों की संख्या एक करोड़ तक पहुंच जाएगी।

(ग) शरणार्थियों के निरन्तर आगमन और समस्या की विशालता को ध्यान में रखते हुए, आने वाले सभी शरणार्थियों के लिए तत्काल आश्रय स्थान प्रदान करना सम्भव नहीं हो पाया, यद्यपि इन सब को आश्रय स्थान प्रदान करने की व्यवस्था कर दी गई है।

(घ) यह केवल पाकिस्तान का प्रचार है। 45,000 व्यक्ति प्रतिदिन की दर से शरणार्थी आ रहे हैं। इस तथ्य से यह स्पष्ट है कि पूर्वी बंगाल में नृशंसात्मक अत्याचार किए जा रहे हैं जो शरणार्थियों के वापस जाने में बाधक हैं।

पश्चिम बंगाल में कारखानों, कपड़ा मिलों तथा कोयला खानो का बन्द हो जाना।

* 1728. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में बहुत से कारखाने, कपड़ा मिलें तथा कोयला खानें बन्द हो रही हैं;

(ख) पश्चिम बंगाल में बहुत से बेरोजगार श्रमिकों की अनुमानत: कितनी संख्या है;

(ग) क्या श्रम विभाग द्वारा मध्यस्थता की बातचीत के लिए बातचीत के लिए बुलाई गयी वे बैठक में अधिकाँश प्रवन्धक नहीं आये; और

(घ) इन बन्द हुए कारखानों को पुन: चालू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 31, मई 1971 को पश्चिम बंगाल के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत काम ढूंढने वालों की संख्या 6, 5,501 थी।

(ग) श्रम मंत्रालय में उपलब्ध सूचना से यह संकेत नहीं मिलता।

(घ) कामबंदियां कई एक कारणों से हो सकती हैं, जिनमें श्रमिक अशांति शामिल है। श्रमिक अशांन्ति के कारण होने वाली काम बंदियों के मामलों में राज्य समझौता तंत्र बन्द हुए एककों को अनुनय द्वारा पुन: चालू करवाने के लिए प्रयास करता रहा है। पश्चिम बंगाल की

सरकारा द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना, के अनुसार, उन 221 कारखानों और प्रतिष्ठानों में से, जो कि 20 मार्च और 31 दिसम्बर. 1970 के बीच बंद हो गए थे, 33 एकक राज्य बाद में समझौता तंत्र के प्रयासों के परिणामस्वरूप पुनः चालू हो गए । जहां काम बन्दी कच्चे माल की कमी के कारण होती है, सरकार, जहां आवश्यक होता है, अग्रिम आयात लाइसेंस जारी करती है । कुप्रबन्ध के कारण होने वाली कामबंदियों की स्थिति में, जहां आवश्यक होता है, सरकार उद्योग (विकास और विनिमय) अधिनियम के अधीन अपेक्षित कार्यवाही करती है ।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था द्वारा अधिक प्रोटीन वाली गेहूं और मक्का की किस्म का विकास करने के लिए अनुसंधान

* 1729. **श्री पीलू मोदी :** **श्री विक्रम चन्द महाजन :**
श्री सी० चित्तिबासू :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय वैज्ञानिक कर्मचारी संघ द्वारा दिये गये एक वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था द्वारा अधिक प्रोटीन वाली गेहूं और मक्का की किस्म का विकास करने के सम्बन्ध में किये गये अनुसंधान के लम्बे चौड़े दावों को चुनौती दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) भारतीय वैज्ञानिक कर्मचारियों की संस्था की भारतीय कृषि अनुसंधान शाखा का सरकारी प्रकाशनः जिसके आवरण पृष्ठ पर "युवक्रा वैज्ञानिक" शीर्षक है और जिसके उपर दिनांक 1 जून, 1971 लिखा है, एक पुस्तिका के रूप में जारी किया गया था । पुस्तिका में एक बिना हस्ताक्षर का लेख है जिसका शीर्षक "कृषि अनुसंधान—दावे बनाम तथ्य है ।" यह लेख भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था पर साधारणतः कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किए अंशदानों पर और कुछ मदों के अनुसंधान पर सन्देह व्यक्त करता है ।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है । अतः सरकार यह समझती है कि अवैज्ञानिक रीति से प्रकाशित की गई पत्रिका विचारों को समुचित रूप से व्यक्त करने वाली नहीं थी और यह तथ्यों पर आधारित नहीं थी ।

विवरण

भारतीय वैज्ञानिक कर्मचारियों की संख्या की भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान शाखा के अध्यक्ष से संख्या की ओर "टाइम्स आफ इण्डिया" में एक वक्तव्य दिया है कि उसे इस पत्रिका के प्रकाशन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी यह पत्रिका कैसे और किसने प्रकाशित की, इस विषय में वे जांच-पड़ताल करवा रहे हैं । भारतीय कृषि अनुसंधान सँस्था के निदेशक ने 17 जुलाई 1971 को हुई वैज्ञानिक संस्थान के समस्त कर्मचारियों की बैठक में, जिसमें 500 वैज्ञा-

निकों ने भाग लिया था, लेख में उठाए गए मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। बैठक में वैज्ञानिकों ने स्वयं ही विवाद के लिए उठाए गए मुद्दों के ढंग तथा उसके आधाररहित होने के विषय में कठोर आलोचना की। संस्था के किसी भी कार्यालय कर्मचारी ने न तो कोई प्रश्न पूछा और न ही कोई ऐसे आंकड़े प्रस्तुत किए जिन पर उनके विचार आधारित थे। संस्था के सचीव ने कहा कि उनका उद्देश्य स्वस्थ विवाद के लिए केवल प्रेरित करना था। स्नातकोत्तर छात्रों सहित समस्त वैज्ञानिक इस रिपोर्ट से स्तब्ध रह गए और पूसा अनुसंधान सोसायटी और स्नातकोत्तर छात्र संघ ने कर्मचारी वर्ग के कुछ सदस्यों की ओर से इस अवैज्ञानिक कार्यवाही की निन्दा करते हुए एक सर्व-सम्पत्ति से प्रस्ताव पारित किया। निदेशक ने 20 जुलाई, 1971 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में इस प्रकरण को स्पष्ट कर दिया है। कुछ अन्य प्रमुख समाचार-पत्रों ने भी इस मतभेद को अवैज्ञानिक ढंग के प्रस्तुत करने के लिए खेद व्यक्त किया है।

एडवर्ड टेक्सटाइल मिल्स, बम्बई पर कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि।

* 1730. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बन्द हुई एडवर्ड टेक्सटाइल मिल्स बम्बई के प्रबन्धकों ने भविष्य निधि की लाखों रुपये की बकाया धन राशि का कर्मचारियों को अभी तक भुगतान नहीं किया है; और

(ख) कर्मचारियों को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : कर्मचारी भविष्य निधी का सम्बन्ध केन्द्रीय न्यासी बोर्ड से है, जो कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम 1952 के अधीन स्थापित किया गया है और इससे केन्द्रीय सरकार का सीधा सम्बन्ध नहीं है। भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :—

(क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार द्वारा मैसर्स एडवर्ड टेक्सटाइल मिल्स,, बम्बई का प्रबन्ध लीव एण्ड लाइसेंस'' आधार पर 1–5–1969 से ले लिया गया। इस तारीख को उक्त प्रतिष्ठान द्वारा भविष्य निधि अंशदानों की लगभग 14·95 लाख रुपये की राशि की अदायगी की जानी बाकी थी। 14·95 लाख रुपए की राशि में भविष्य निधि की पिछली बकाया राशि के 10·05 लाख रुपये नियोजकों हिस्से के 4·46 लाख रुपये और श्रमिकों के हिस्से के 0·44 लाख रुपये शामिल हैं चूंकि यह मिल दिवालिया हो गई है, इसलिए भविष्य निधि की समस्त देय राशि के सम्बन्ध में सरकारी परिसमापक के पास एक दावा दायर किया गया है। प्रबन्धकों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अधीन मामले न्यायालय में अनिर्णित पड़े हैं।

Rehabilitation of Bangla Desh Refugees in Behani, District Morena, (Madhya Pradesh)

* **1731. Shri Hukam Chand Kachwai** : will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) Whether any talks have been held between the officers of the Central and

the State Government of Madhya Pradesh in regard to rehabilitation of Bangla Desh refugese in Behani area of Morena District

(b) if so, the main features of the scheme and the number of refugees proposed to be rehabilitated there and the expenditure likely to be incurred by the Central Govern ment On this account: and

(c) the time by which the refugees are proposed to be rehabilitated there ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) No, Sir, There is no proposal to rehabilitate Bangla Desh refugees in Behani area of Morena District. Talks have, however, been held between the officers of the Central and the State Government of Madhya Pradesh in regard to the rehabilitation of East Pakistan new migrant agriculturist families (who came before 26th Morch, 1971) in Sheopur Tehsil of Morena District in Madya Pradesh after reclamation of ravine lands in the area.

(b) & (c) : The Government of India have sanctioned a grant of Rs. 7.80 lakhs to the Government to the Government of Madhya Pradesh for carrying out a detailed survey of about 20,000 acres of revine lands in Sheopur Tehsil of Morena District and the preparation of a project report for the reclamation of the area. Details of the scheme will be worked out when the project report is available.

कृषि वैज्ञानिकों के लिए नए वेतन मान

* 1732. **श्री प्रभुदास पटेल :**

श्री के० मालन्ना :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि सम्बन्धी अनुसंधान और शिक्षा को नया रूप देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि वैज्ञानिको के नये वेतनमान लागू करने की कोई योजना बना रहा है जो इस समय अन्य वैज्ञानिक संगठनों में कार्य करने वाले वैज्ञानिकों के वेतन-मानों की तुलना में कम है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक कर लिया जायगा ।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) सारे देश में कृषि तथा पशु-विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान तथा शिक्षा को प्रोत्साहन देने, समन्वय करने तथा निदेष देने, के लिए एक स्वायन्त केन्द्रीय एजेन्सी के रूप में उत्तरदायित्व वनाने की दृष्टि से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पुनर्गठन किया जा रहा है । पुर्नगठन की योजना के मूल सिद्धान्तों तथा उद्देश्यों में से एक सिद्धान्त तथा उद्देश्य, कृषि -अनुसंधान वैज्ञानिकों की कार्य करने की परिस्थितियों में सुधार करना है । परिषद के पुनर्गठन के समय से ही परिषद के पुनर्गठन के समय से ही कृषि वैज्ञानिकों के वेतनमानों को बढ़ाने में लिये प्रयत्न किये गये हैं पुनर्गठन के समय से ही परिषद के मुख्यालय तथा इसके अधीन काम करने वाली अनुसंधान संस्थाओं में कई पदों के वेतनमान बढ़ा दिये गये हैं ।

स्वचालित यंत्रों के कारण होने वाली बेरोजगारी का अनुमान

* 1733 **श्री बीरेन दत्त** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न विभागों में इलेक्ट्रिक कम्प्यूटरों की स्थापना के फल-स्वरूप हुई बेरोजगारी का कोई अनुमान लगाया है;

(ख) क्या सरकार को जीवन बीमा निगम और रेलवे विभाग में कम्प्यूटर लगाने के विरोध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) स्वछालन समिति की रिपोर्ट पर सरकार का निर्णय लिए जाने तक सरकार की नीति यह है कि स्वचालित यंत्रों के, जिनमें इस प्रकार के इलेक्ट्रानीय संगणक शामिल हैं, शुरू करने पर पूर्ण प्रतिबन्ध नहीं है । तथापि, इन यंत्रों की स्थापना भारतीय श्रम सम्मेलन के 15 वें अधिवेशन में स्वीकृत अभिनवीकरण सम्बन्धी आदर्श समझौते में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगी । आयात किए गए संगणकों के सम्बन्ध में इस प्रकार के आयात की अनुमति किए जाने से पहले छानबीन करने की एक प्रक्रिया है । जीवन बीमा निगम और रेल विभागों की सलाह दी गई है कि संगणक लगाने के अपने कार्यक्रम शुरू करने से पहले इन प्रक्रियाओं को अपनाएं ।

कैन्नानोर, केरल में आरालेम फार्म का कार्यकरण

* 1734. **श्री ए० के गोपालन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के कैन्नानौर जिले में सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किये गये आरा-लेम फार्म के कार्य का व्यौरा क्या हैं;

(ख) क्या उक्त फार्म का कार्य इस वर्ष की समाप्ति से पूर्व आरम्भ हो जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) केरल राज्य में कैन्नौर स्थित सरकारी फार्म सोवियत रूस से भेंट स्वरूप प्राप्त हुए यन्त्रों और उपस्करों की सहायता से स्थापित किया गया है । इस फार्म का क्षेत्रफल 12,000 एकड़ के लगभग होगा । इसमें से केरल सरकार द्वारा फार्म के लिए 7360 एकड़ भूमि अधिग्रहण की जा चुकी है । फार्म पर कार्य आरम्भ हो गया है और खरीफ 1971 के दौरान 109 एकड़ क्षेत्र में खेती भी की गई है । सोवि-यत रूस से 15 9 लाख रुपये की मशीनरी और उपकरण प्राप्त हो चुके हैं । कुछ और मशीनरी शीघ्र ही मिलने की आशा है ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को हानि

*1735. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा इस बारे में कोई अनुमान लगाया गया है कि

निगम सम्भवतः कितने वर्षों तक ऐसी स्थिति में पहुंच जायेगा जब इसको हानि नहीं होगी; और

(ख) क्या निगम द्वारा हानि को रोकने तथा निगम को सुचारू रूप से चलाने के लिए उत्पादन तथा विपणन सम्बन्धी कोई दीर्घकालीन योजना बनाई गई है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री मोहन कुमारमंगलम) : (क) जी हां। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने अनुमान लगाया था कि 1971–72 के लिए निर्धारित उत्पादन कार्यक्रम के आधार पर उसे लाभ होगा। परन्तु राउरकेला इस्पात कारखाने की दुर्घटना के कारण अब ऐसा होने की आशा नहीं है। यदि 1972–73 के लिए उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हो गया तो आशा है कि उस वर्ष हिन्दुस्तान लि० हानि-लाभ सम स्तर प्राप्त कर लेगी।

(ख) कम्पनी की लाभदायक प्रमुखतः स्थापित क्षमता के उपयोग की सीमा पर निर्भर करती है। कम्पनी पूर्ण उत्पादन के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों तथा बाधाओं को दूर करने तथा यथासम्भव शीघ्रातिशीघ्र उत्पादन बढ़ाने के लिए भरसक प्रयत्न कर रही है ताकि लाभ-दायक को अधिकतम बनाया जा सके। हानियों को रोकने के उद्देश्य से बाजार तैयार करने की भी योजनायें बनाई गई हैं।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा हरियाणा में अनाज की वसूली

*1736. **श्री राजदेव सिंह :**
श्री अर्जुन सेठी :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम को हरियाणा सरकार द्वारा अपनी स्टोर करने की क्षमता को बढ़ाने की अनुमति नहीं दी गई है जो राज्य की आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं है;

(ख) क्या हरियाणा में भारतीय खाद्य निगम का कार्य अब केवल केन्द्रीय पुल के लिए राज्य अभिकरणों द्वारा वसूल किये गये अनाज को प्राप्त करने तक ही सीमित हैं;

(ग) क्या स्टाक के जमा हो जाने के कारण हरियाणा राज्य सरकार ने वसूली कार्य बन्द कर दिया है; और

(घ) यदि भाग (क), (ख) और (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो सरकार का ऐसी क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) भारतीय खाद्य निगम पर ऐसे कोई प्रतिबन्ध लगाए गये है।

(ख) चावल और गेहूं के बारे में हरियाणा में भारतीय खाद्य निगम की भूमिका फिल-हाल राज्य की एजेंसियों द्वारा अधिप्राप्त किए गए खाद्यान्नों को केन्द्रीय पुल के लिए प्राप्त करने तक ही सीमित है। तथापि, राज्य सरकार के अनुरोध के अनुसरण में भारतीय खाद्य निगम धान, मक्का, बाजरा और ज्वार के लिए मूल्य साहाय्य कार्य अपने हाथ में ले रहा है।

(ग) वर्षा के कारण जहां कहीं कार्य अस्थायी रूप से स्थगित करना आवश्यक होता है उसको छोड़कर राज्य सरकार अधिप्राप्ति कार्य चालू रख रही है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आंध्र प्रदेश स्टेट कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड द्वारा आंध्र प्रदेश में चावल मिल का दोषपूर्ण निर्माण किये जाने के बारे में शिकायत

*1737. **श्री के० सूर्य नारायण** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को कोलावेन्नू लार्जर साइज्स कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की ओर से उस चावल मिल के दोषपूर्ण निर्माण के बारे में हाल ही में कोई शिकायत मिली है जिसका निर्माण सोसाइटी की ओर से स्टेट कोआपरेटिव मार्केटिंग फैडरेशन लिमिटेड द्वारा किया गया था;

(ख) यदि हां, तो शिकायत की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे): (क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को हाल ही में कोलावेन्नू लार्जर साइज्स कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड से शिकायत प्राप्त हुई है ।

(ख) शिकायत की मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं :

(1) आंध्र प्रदेश स्टेट कोआपरेटिव मार्केटिंग फैडरेशन लि०, जिसे सोसाइटी के लिए चावल मिल का निर्माण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, ने चावल मिल के निर्माण पर उचित धनराशि से अधिक व्यय किया है;

(2) सोसायटी को मिल की स्थापना से सम्बन्धित मामलों से सम्बद्ध नहीं किया गया; और

(3) मिल का निर्माण दोषपूर्ण है ।

(ग) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सीधे सहकारी समितियों को सहायता नहीं देता है, बल्कि केवल राज्य सरकारों को ही सहायता देता है, ताकि वे सहकारी समितियों को सहायता दे सकें । अतः सोसायटी को आवश्यक सहायता प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार से प्रस्ताव करना होगा । तथापि, निगम ने राज्य के अधिकारियों को भी इस मामले में लिखा है ।

उड़ीसा में निकल के कारखाने की स्थापना

*1738. **श्री कुमार माझी** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स केमीकल एण्ड मेकेलरजिक डिजाइन कम्पनी, नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत व्यवहार्यता प्रतिवेदन की तकनीकी जांच पूरी हो गई है और सरकार ने उड़ीसा में सुखिदा

निक्षेपों पर आधारित निकल कारखाना स्थापित करने के लिए पूंजी लगाने का निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो निर्णय करने में क्या बाधाएं हैं;

(ग) क्या कारखाने को सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत केवल उड़ीसा सरकार द्वारा स्थापित किया जायेगा, अथवा भारत सरकार और उड़ीसा सरकार द्वारा संयुक्त रूप से; और

(घ) क्या व्यवहार्यता-प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रख दी गई है और राज्य सरकार को भेज दी गई है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री मोहन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) . साध्यता रिपोर्ट का तकनीकी परीक्षण अभी सम्पूरित किया जाना है । परीक्षण के परिणाम विदित होने के उपरान्त ही विनिधान विनिश्चयन लिया जा सकता है ।

(ग) इस पर समुचित समय पर विचार किया जाएगा ।

(घ) जी, नहीं ।

राज्यों में इस्पात संयंत्रों के जनरल मैनेजरों की नियुक्ति

*1739. **श्री एस० एस० महापात्र** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा राज्यों में स्थित इस्पात संयंत्रों के जनरल मैनेजरों की नियुक्ति के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों से परामर्श करती है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमारमंगलम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उच्चतम पदों पर नियुक्तियां सामान्यत: इन पदों को भरने के लिए सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा विभिन्न स्रोतों से लिए गये उपयुक्त व्यक्तियों की नामिकाओं से की जाती है । ये नामिकाएं इस काम के लिए सरकार द्वारा विशेष रूप से गठित किये गये एम्पैनलमेंट सिलेक्शन बोर्ड द्वारा तैयार की जाती है ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में पदों पर नियुक्ति हेतु चयन

*1740. **श्री पी० एंथनी रेड्डी** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1970-71 के दौरान कुल कितने पदों के बारे में विज्ञापन दिये;

(ख) उनमें से ऐसे कितने पद हैं जिनका वेतन 2000 रुपये प्रति मास से अधिक है; और

(ग) क्या भारतीय अनुसंधान परिषद के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु एक

स्वतन्त्र निकाय स्थापित किये जाने का कोई प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने वर्ष 1970–71 के दौरान (1 अप्रैल, 1970 से 31 मार्च, 1971 तक) कुल 691 पदों के बारे में विज्ञापन दिये थे ।

(ख) दो ।

(ग) जी नहीं । परन्तु प्रशासनिक सुधार आयोग ने वैज्ञानिक विभाग सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ साथ यह भी सिफारिश की है कि सरकारी विधि से चलने वाले सभी वैज्ञानिक संगठनों में प्रथम श्रेणी के पदों की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के विशेष विंग के माध्यम से की जानी चाहिए, जिसका प्रधान एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक होना चाहिए जो संघ लोग सेवा आयोग का उपाध्यक्ष हो । इस सिफारिश पर इस समय भारत सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ।

Lift Irrigation Schemes in Madhya Pradesh

7 75. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Agriculture be pleased to state:

(a) The number of lift irrigation schemes proved successful in Madhya Pradesh during the last three years and the names of the rivers and places where such schemes have been undertaken;

(b) Whether any such schemes have been undertaken during this period or proposed to be undertaken in the villages located on the banks of Tapti and Narmada rivers; and

(c) If so, the names of the said places ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Sher Singh) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the Lok Sabha on receipt of the same.

मत्स्यपालन के लिए अनुसंधान योजना

7776. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें मत्स्यपालन को बढ़ावा देने के लिए नई अनुसन्धान योजनाएं क्रियान्वित की जायेंगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में निम्नलिखित सात अखिल भारतीय समन्वित परियोजनायें स्वीकृत की हैं :—

1. मीठे पानी के जलाशयों का परिस्थितिक तथा मात्स्यकी अध्ययन, मुख्य केन्द्र आंध्र प्रदेश में तथा उप-केन्द्र तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में है ।

2. भारतीय तथा विदेशी मछलियों का संयुक्त संवर्धन, मुख्य केन्द्र पश्चिम बंगाल में

तथा उप-केन्द्र आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मैसूर, तनिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश में है।

3. नदीय कार्य स्थान मछलियों तथा संग्रह तकनीकी की जांच पड़ताल। प्रमुख केन्द्र उत्तर प्रदेश में तथा उप-केन्द्र असम, बिहार तथा पश्चिम बंगाल में है।

4. हवा में सांस लेने वाली मछलियों के बीजों का भण्डारण तथा वर्द्धन। मुख्य केन्द्र बिहार में तथा उप-केन्द्र असम और मैसूर में है।

5. समुद्रीय प्रौन का जीव-विज्ञानीय तथा उनके संसाधनों का अध्ययन। मुख्य केन्द्र केरल में तथा उप-केन्द्र आन्ध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा तमिलनाडु में हैं।

6. ताजी मछलियों का परिवहन, मुख्य केन्द्र गुजरात तथा आन्ध्र प्रदेश में और उप-केन्द्र महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल में है।

7. निकृष्ट मछलियों का उपयोग। मुख्य केन्द्र केरल तथा उप-केन्द्र मैसूर और तमिलनाडु में है।

इन समन्वित परियोजनाओं पर किया जाने वाला कुल परिव्यय लगभग 62·03 लाख रुपये है।

आरक्षित वन भूमि और वनों के विकास पर व्यय

7777 **श्री रोबिन ककोटी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कुल कितने एकड़ आरक्षित वन भूमि है;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में बनों के विकास के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) क्या सरकार ने हाल में नई वन विकास योजना बनाई है।

(घ) यदि हां, तो किन राज्यों में इन नई वन विकास परियोजनाओं को शुरू किया जायेगा;

(ङ) क्या कुछ राज्यों के अनधिकृत कब्जे तथा खेती के लिए वनभूमि को साफ करने के कारण आरक्षित वन क्षेत्र बहुत कम होते जा रहे हैं और

(च) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और इसकी रोकथाम के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) . (1) 19·8–69 के दौरान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में आरक्षित वन भूमि के अन्तर्गत क्षेत्र, और (2) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना में वनों के विकास के लिए किए गए

कुल आवंटन को दशाने वाला विवरण । संलग्न है ।

(ग) चौथी अवधि में किन्हीं नई वन विकास योजनाओं का प्रस्ताव नहीं किया गया है । परन्तु वन संसाधनों के निवेश-पूर्व सर्वेक्षण की परियोजना को जोकि 1965 में संयुक्त राष्ट्र विशेषा निधि/खाद्य और कृषि संगठन/भारत सरकार परियोजना के रूप में शुरू की गई थी और जो अक्तूबर, 1965 में पूरी हो गई थी, इसके उपरान्त भारत सरकार परियोजना के रूप में जारी रखा गया है जिससे कि देश में लकड़ी पर आधारित उद्योगों के विकास के लिए कच्ची सामग्री की कम उपलब्धता के बारे में जाँच-पड़ताल की जा सके ।

(घ) उपरोक्त परियोजनाओं के अन्तर्गत जम्मू तथा कश्मीर उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह आते हैं । इसके अतिरिक्त भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र जिसमें असम, त्रिपुरा, नागालैंड, नेफा और मणिपुर शामिल हैं । सूची बनाने का कार्य बड़ी तेजी से करने का प्रस्ताव भी है ।

(ङ) तथा (च) इस सम्बन्ध में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण

1968-69 के दौरान आरक्षित वन भूमि तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में (1969-74) वनों के विकास के लिए आवंटन के विषय में राज्य-वार विवरण ।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आरक्षित वन भूमि (1968-69) (हजार हैक्टार)	चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) में आवंटन (रु० लाखों में)
1 राज्य		
आन्ध्र प्रदेश	4,315	225·00
असम	1,667	337·00
बिहार	441	450·00
गुजरात	616	350·00
हरियाणा	16	150·00
हिमाचल प्रदेश	186	980·00
जम्मू तथा कश्मीर	—	325·00
केरल	901	446·00
मध्य प्रदेश	7,994	950·00
महाराष्ट्र	4,010	750·00

मेघालय	असम में शामिल किया गया है	88·00
मैसूर	3,115	400·00
नागालैंड	31	113·00
उड़ीसा	3,032	325·00
पंजाब	4	300·00
राजस्थान	1,192	233·00
तमिलनाडु	1,724	440·00
उत्तर प्रदेश	3,136	1500·00
पश्चिम बंगाल	702	191·00
समस्त राज्य		
II संघ राज्य क्षेत्र		
अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह	224	67·40
चण्डीगढ़		2·00
दिल्ली	1	@
दादर तथा नगर हवेली	21	5·00
गोआ, दमन और दीव	105	70·60
मणिपुर	551	37·20
नेफा	1217	160·00
त्रिपुरा	409	106·00
समस्त भारत	35,630	9001·20

चौथी पंचवर्षीय योजना में मत्स्यपालन

7778. **श्री पी० गंगा रेड्डी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में मछुओं की संख्या कितनी है;

(ख) मत्स्य उद्योग से प्रतिमास कितनी आय होती है; और

(ग) इस समय विद्यमान मत्स्य पत्तनों की संख्या कितनी है और चौथी पंचवर्षीय योजना में और कितने मत्स्य पत्तन बनाये जायेंगे ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) अनुमान लगाया

* आरक्षित वन भूमि का श्रेणीकरण विद्यमान नहीं है ।

@ भूमि संरक्षण के अन्तर्गत व्यवस्था की गई है ।

गया है कि सन् 1970 में भारत में मछुआं की संख्या लगभग 18·4 लाख थी, उसमें से 10·4 लाख पूर्णकालिक कार्य करने वाले थे और शेष 8 लाख अंशकालिक आधार पर मीन-पकड़ने का कार्य कर रहे थे।

(ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संस्था द्वारा संगठित निवल राष्ट्रीय आय के अनुमानों के आधार पर 1967–68, 1968-69 तथा 1969-79 के दौरान मीन-उद्योग से प्रतिमास निवल आय क्रमश: 12·8 करोड़ रुपये, 14·4 करोड़ रुपये तथा 16 3 करोड़ थी।

(ग) अब तक स्वत: पूर्ण मीन ग्रहण बन्दरगाहों की व्यवस्था नहीं की गई है। जेटी, घाट तथा ढाल के रूप में मीन ग्रहण-जलमानों के लिये बन्दरगाहों की सुविधायें 19 स्थानों पर प्रदान की गई हैं। लगभग 1·5 करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये तक की लागत के बडे स्वत: पूर्ण मीन-ग्रहण बन्दरगाह 6 स्थानों अर्थात् बम्बई, कोचीन, विजिनजम (केरल), मद्रास, तूतीकोरीन तथा राय-चौक (पश्चिम बंगाल) में स्वीकृत किये गये हैं। 1 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक की लागत के छोटे बन्दरगाह 8 स्थानों पर स्वीकृत किये गये हैं। 1 लाख रुपये से कम लागत की छोटे पैमाने के लिये 44 स्थानों की स्वीकृति दे दी गई है। इसके अतिरिक्त, मीन-ग्रहण बन्दरगाहों के विकास के लिये उपयुक्त स्थानों का पता लगाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना, सर्वेक्षण कार्य कर रही और इन सर्वेक्षणों के परिणामों के आधार पर अतिरिक्त मीन-ग्रहण बन्दरगाहों की व्यवस्था करने का विचार है।

पशमीना ऊन के लिये पर्वतीय चरागाहों तथा भेडों का विकास

7779. **श्री पी० गंगा रेड्डी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्वतीय चरागाहों तथा भेड़ों, जो कीमिती पशमीना ऊन देती है, के विकास के लिए कोई प्रस्ताव है;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में इसके लिए कितने धन की व्यवस्था की गई है; और

(ग) 1971-72 में पशमीना ऊन के निर्यात से कितनी आय हुई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) एलपाइन चरागाह हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में उपलब्ध है। यह मन्त्रालय ग्राम चरागाह भूमियों तथा प्राकृतिक चरागाहों, विशेषकर एलपाइन चरागाहों की उन्नत व्यवस्था के लिये जम्मू तथा कश्मीर में एक क्षेत्रीय चारा उत्पादन तथा प्रदर्शन केन्द्र स्थापित कर रहा है। जम्मू तथा कश्मीर सरकार ने एलपाइन चरागाहों के विकास के लिये कदम उठाये हैं। इन चरागाहों में उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है।

(ii) पशमीना एक अन्डर कोट है जो विशेष नस्ल की बकरियों की बढ़िया ऊन से तैयार होता है। इनमें से कुछ नस्लें पश्चिम हिमालाई क्षेत्र में 10,000 फुट तथा उससे अधिक ऊंचाई पर मिलती है। लद्दाख में एक छोटा प्रयोगात्मक पशमीना बकरी फार्म है।

(iii) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पशमीने के विकास के लिये एक समन्वित अनुसंधान परियोजना प्रारम्भ कर रही है।

(ख) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की पशमीना विकास विषयक समन्वित अनुसंधान परियोजना के लिये 22,72 में लाख रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है ।

(ii) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जम्मू तथा कश्मीर के क्षेत्रीय चारा उत्पादन तथा प्रदर्शन केन्द्र के लिये 14.30 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है ।

(iii) ये प्रावधान राज्य सरकार द्वारा राज्य प्लान स्कीमों के सम्बन्ध में लिये गये प्रावधानों के अतिरिक्त है ।

(ग) पशमीने के निर्यात से प्राप्त होने वाली आय का अनुमान लगाया जा रहा है जिसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की कालोनी, कालकाजी, नई दिल्ली में भूमि का अधिग्रहण करने की प्रक्रिया और भूमि का मूल्य

7780. **श्री बी० के० दासचौधरी:** क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की कालोनी, कालकाजी में भूमि का अधिग्रहण करने की प्रक्रिया और भूमि का मूल्य सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सभी दस्तावेज साक्ष्यों सहित ऐसे अधिग्रहण मूल्य के आधार पर प्रति वर्ग गज भूमि का मूल्य कितना है;

(ख) उक्त कालोनी के अलाटियों से प्रति वर्ग गज भूमि के लिए 30 रुपये किस आधार पर वसूल किये जाते हैं;

(ग) क्या इस बारे में विचार किया गया है कि जबकि उक्त भूमि के प्लाटों के लिए विकास लागत वसूल की जा रही है, भूमि का मूल्य सभी विकास कार्यों के पूरा होने पर ही लिया जा सकता है; और यदि हां, तो क्या यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है;और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) कालकाजी के निकट, पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती में भूमि दिल्ली प्रशासन, पुनर्व्यवस्थापय (भूमि अधिग्रहण) अधिनियम, 1948 के माध्यम से किया गया था । भूमि के कुछ मालिकों ने, जिनकी अधिग्रहीत की गई थी, अधिनिर्णीत किए गए मूल्य को और बढ़ाने के लिए पुनरीक्षण की अपीलें दायर की हैं । पूर्व किए गए अपील अधिनिर्णयों को ध्यान में रखते हुए, अस्थायी आधार पर भूमि का मूल्य प्रति वर्ग गज 4 रुपये माना गया है ।

(ख) भूमि का मूल्य, कुल अर्जित क्षेत्र के लिए 4 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से अर्जन लागत को मिलाकर और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को विकास के लिए किए गए संवितरण और अनुमोदित खाकों के अनुसार, कुल क्षेत्र को एलाटमेन्ट के लिए उपलब्ध प्लाट क्षेत्र से विभाजित करके, 30 रुपये प्रति वर्ग गज माना गया है ।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठता ।

रांची स्थित हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन और बोकारो इस्पात लिमिटेड में भर्ती के लिए स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देना

7781. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची स्थित हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन और बोकारो इस्पात लिमिटेड आदि में व्यक्तियों की भर्ती के बारे में छोटानागपुर (बिहार) के लोगों में भारी असंतोष है; और

(ख) क्या कोई ऐसे मार्गदर्शी सिद्धान्त हैं जो कि रोजगार के लिए स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के बारे में इन सरकारी परियोजनाओं द्वारा अपनाये जाते हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खान) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी हां । इस मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार 500 रूपये प्रतिमास से कम वेतन वाले पदों के लिए भर्ती स्थानीय रोजगार कार्यालयों की मार्फत की जाती है तथा भर्ती में उन लोगों को प्राथमिकता दी जाती है, जिनकी भूमि का प्रायोजना के लिए अर्जित की गई है अथवा जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के होते हैं इस प्रणाली के अन्तर्गत स्थानीय लोगों की भर्ती को काफी अधिप्रतिनिधित्व दिया गया है ।

बिहार में बोकारो इस्पात लिमिटेड द्वारा खनन पट्टा

7782. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात लिमिटेड को सरैया गाँव (भावनाथपुर) पालमऊ बिहार में चूने के पत्थर निकालने के लिए खनन पट्टा मिला है;

(ख) यदि हां, तो इसके खनन में कितनी पूंजी लगाई गई है और उसमें कितनी आय होने की सम्भावना है;

(ग) क्या बोकारो इस्पात लिमिटेड पट्टे का कार्य स्वयं कर रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो उन ठेकेदारों के नाम एवं पते क्या हैं जिनको पट्टे का कार्य दिया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां

(ख) सरैया के स्थान पर भवनाथपुर चूना पत्थर का खान का विकास किया जा रहा है । बोकारो स्टील लि० ने मेरल ग्राम से भावनाथपुर तक रेलवे साइडिंग बनाने के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे को दिये गये ४ करोड़ रुपये को मिलाकर अब तक इस खान पर .5 करोड़ रुपये खर्च किये हैं । खान में धमन भट्टी में काम आने वाला 600 लाख टन चूना पत्थर प्राप्त होने की सम्भावना है ।

(ग) और (घ) बोकारो स्टील लि० पट्टे का कार्य स्वयं कर रही है तथा किसी ठेकेदार को आगे पट्टा नहीं दिया है ।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची और बोकारो इस्पात लिमिटेड में काम कर रहे कर्मचारी

7783. **कुमारीकमला कुमारी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन रांची और बोकारो इस्पात लिमिटेड, में पृथक् पृथक् निम्नतम से उच्चतम संवर्ग में कुल कितने कर्मचारी काम करते हैं; और

(ख) इनमें से कितने छोटानागपुर डिवीजन विशेषकर पालमऊ जिले (बिहार) के हैं ।

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) भारी इंजीनियरी निगम, राँची में काम करने वाले सभी श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या 17,706 है । बोकारो स्टील लि० में सभी श्रेणी के कर्मचारियों कों संख्या 9149 है ।

(ख) नौकरी के आँकड़े जन्म-स्थान पर निवासस्थान के आधार पर नहीं रखे जाते हैं ।

समस्तीपुर शुगर मिल्स लिमिटेड का प्रबंध

7784. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **कृषि** मंत्री 22 जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5700 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 सितम्बर, 1971 के बाद समस्तीपुर शुगर मिल्स लिमिटेड पर केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण को बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : **(क) और (ख)** : यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

आंध्र प्रदेश में 'ब्राइट्ज' के निक्षेप

7785. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के मंगमपेट, राजयपेट तालुक, जिला कड़पा में बहुत अच्छी किस्म के 'ब्राहट्ज' के निक्षेप मिले हैं ।

(ख) क्या भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण विभाग की ओर से किन्हीं व्यक्तियों ने इन पिट्स का दौरा किया है और निक्षेपों की जाँच की है;

(ग) यदि हां, तो उनकी जांच का ब्यौरा क्या है; और

(घ) 1970-71 में इन पिट्टस से कितनी मात्रा में ब्राहट्ज निकाले गये हैं और निर्यात किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) मेंगमपेट क्षेत्र में किए गए क्षेत्रीय अध्ययनों के परिणामस्वरूप 90 मीटर की गहराई तक बैराइट्स निक्षेपों के 38·66 लाख टन की अनुमानित उपलब्ध राशियां अवस्थित हुई है। क्षेत्र में पाए गए बैराइट्स अधिकतर घूसर प्रकार के हैं।

(घ) मेंगमपेट क्षेत्र से बैराइट्स का 1970 और 1971 (जून 1971 तक) के दौरान उत्पादन इस प्रकार रहा :—

1970 44,267 टन

1971 (जून 1971 तक) 9,048 टन (अन्तिम)

बैराइट्स के निर्यात के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रखी जाएगी।

केरल में सीसा अयस्क के निक्षेप

7786. **श्री वयालार रवि** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग ने केरल के नेड्मगाड् में सीसा अयस्क के कुल निक्षेपों का पता लगाने के लिए उक्त क्षेत्र का सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) वहां पर एक सीसा-खान स्थापित करने की समस्याओं का पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने केरल के नेडुमण्ड क्षेत्र का सीसे के लिए कोई भी विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया है क्योंकि उस क्षेत्र में सीसे के कोई भी प्राप्ति स्थल अभिलिखित नहीं किए गए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं।

केरल में सहकारी आधार पर मत्स्य पालन का गहन विकास

7787. **श्री वयालार रवि** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से अग्रेजों स्थित कृषि पुनर्वित निगम की सहायता से सहकारी आधार पर मत्स्य पालन के गहन विकास की कोई योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) योजना की क्रियान्वित के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं होता।

गिरिडीह कोयला खानों के श्रमिकों को दिया गया मुआवजा

7788 **श्री चपलेन्द्र भट्टाचार्य** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1963 से गिरिडीह कोयला खानों से कुल कितने श्रमिकों की छटनी की गई है अथवा वे स्वेच्छा से सेवा निवृत्त हुए हैं;

(ख) इन श्रमिकों को कुल कितना मुआवजा दिया गया है और मुआवजे की निम्नतम और अधिकतम राशि क्या है;

(ग) क्या स्वेच्छा से सेवा निवृत्त हुए श्रमिकों को राष्ट्रीय विकास निगम ने यह आश्वासन दिया था कि पुर्ननियुक्ति के मामले में उनको छटनी श्रमिकों के अनुरूप ही माना जायेगा ।

(घ) वर्ष 1968 में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की सभी कोयला खानों में कुल कितने नये व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है; और

(ङ) गिरिडीह कोयला खानों में छंटनी किये गये कुल कितने श्रमिक बेरोजगार हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ङ) . जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कुमार आयरन रोलिंग मिल्स लिमिटेड, आसाम का बन्द हो जाना

7789. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुमार आयरन रोलिंग मिल्स लिमिटेड, आसाम, बिल्लेट्स आदि जैसे कच्चे माल की अनुपलब्धता के कारण काफी समय से बन्द पड़ी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) मैसर्स कुमार आयरन एण्ड स्टील (प्रा०) लि०, गोहाटी, 1968 में श्रमिक अशान्ति, वित्तीय कठिनाई और कच्चे माल की कमी के कारण बन्द हो गई थी । कम्पनी ने अप्रैल, 1971, में लोहा और इस्पात नियंत्रक को सूचित किया था कि उन्होंने अपनी श्रमिक समस्याओं का समाधान कर लिया है और उनका कारखाने को पुनः चालू करने का विचार है ।

पंजाब में जर्सी कैटिल ब्रीडिंग फार्म परियोजना का बन्द किया जाना

7790. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में 12 लाख की लागत से तैयार की गई जर्सी कैटिल ब्रीडिंग फार्म परियोजना को बन्द कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख). चौथी योजना की अवधि में राज्य सरकार 12 लाख रुपये की लागत से एक विदेशी पशु-फार्म स्थापित करना चाहती थी । पहले यह निश्चय किया गया था कि नस्ल जर्सी होनी चाहिए परन्तु अब राज्य सरकार ने इन्डो-स्विस परियोजना के अन्तर्गत एक ब्राउन स्विस पशु-फार्म स्थापित करने का निर्णय किया है ।

तकनीकी विशेषज्ञों के परामर्श से राज्य सरकार ने ब्राउन स्विस से संकर प्रजनन के लिए पटियाला और संगरूर को चुना है । तदनुसार यह नस्ल पटियाला-नाभा में विकसित की जाएगी ।

राष्ट्रीय कृषि आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति

7791. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि आयोग में इस वर्ष जनवरी से अध्यक्ष का पद रिक्त है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार के लिये अध्यक्ष की नियूक्ति करना कब तक सम्भव हो सकेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) . श्री वि० शिवरामन, जिन्हें 11 फरवरी, 1971 से आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था, अध्यक्ष के पद का कार्यभार भी संभाले हुए हैं ।

पंजाब में किसानों को ट्रैक्टरों के लिये सप्लाई किये गये ईंधन की किस्म का सर्वेक्षण

7792 **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने पंजाब के किसानों को ट्रैक्टरों के लिये सप्लाई किये जाने वाले ईंधन की किस्म का सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के क्या मुख्य निष्कर्ष निकले हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि पंजाब में ट्रैक्टरों के लिये कृषकों को सप्लाई किये जाने वाले ईंधन की कोटि के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

केन्द्रीय मत्स्योद्योग निगम कलकत्ता के कार्यकरण के परिणाम

7793. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थित केन्द्रीय मत्स्योद्योग निगम गत कई वर्षों से घाटे में चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसे गत दो वर्षों में वर्षवार कितना घाटा हुआ ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) निगम को 1965-66 से प्रचालन के दौरान प्रतिवर्ष हानि हुई है ।

(ख) सन् 1969–70 तथा 1970–71 में क्रमश: 11,41,492·49 रुपये और 7,19,506·66 रुपए की हानि हुई है । सन् 1970–71 के आंकड़े अस्थायी हैं और निगम के विभिन्न एककों के लेखों की अभी लेखपरीक्षा तथा समंजन होना है ।

नये शंकर बीजों से चावल का उत्पादन

7794. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धान के 5 नये शंकर बीजों से भारत को कृषि उत्पादन में दूसरी भारी सफलता मिली है; और

(ख) यदि हां, तो इन नयी किस्मों से चावल के उत्पादन में कितनी वृद्धि हो जायेगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) ये किस्में सितम्बर, 1970 में नियुक्त की गई थीं और इनका वर्तमान खरीफ मौसम के दौरान, विभिन्न कृषि जल-वायु के क्षेत्रों में उनकी उपयुक्तता के अनुसार, परीक्षण किया जा रहा है। इसका मूल्यांकय करना अभी सम्भव नहीं है कि क्या निर्मुक्त की गई चावल की नई पांच अधिक उत्पादनशील किस्मों से कृषि उत्पादन में बहुत अधिक उत्पादन होगा या नहीं।

(ख) अधिक उत्पादनशील, अच्छा अनाज तथा कृमि, कीट एवं रोगों की प्रतिरोधक किस्म होने के कारण इनके लोकप्रिय होने की संभावना है। तदनुसार चावल का उत्पादन बढ़ने की संभावना है। बढ़ोतरी की सीमा परीक्षण के परिणामों पर निर्भर करेगी।

इस्पात और खान मन्त्रालय में काम कर रहे पार्लियामेंट असिस्टेंट

7795. **श्री हरि सिंह : क्या इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में काम कर रहे पार्लियामेंट असिस्टेंटों की संख्या कितनी है और वे किस-किस तारीख से अपने पद पर हैं :

(ख) उनको स्थानान्तरित न किये जाने के कारण क्या हैं; और

(ग) भारत सरकार के अन्य 'इकनामिक' मंत्रालयों की तुलना में उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) दो; एक दिसम्बर, 1956 से और दूसरा नवम्बर, 1970 से।

(ख) उनको उनके वर्तमान पदों पर कार्य-कुशलता तथा अनुभव की अविच्छिन्नता के हित में रखा जा रहा है, जो इस पद के लिए अति वांछनीय है।

(ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

कोरबा संयंत्र के निर्माण में हिन्दुस्तान लिमिटेड का सेन्ट्रल इंजीनियरिंग एण्ड डिजाइन ब्यूरो द्वारा परामर्शदात्री सेवा

7796. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खान विभाग तथा हिन्दुस्तान एल्युमीनियम कारपोरेशन ने कोरबा संयंत्र के प्रक्रम दो (स्टेज दो) के निर्माण में परामर्शदायी सेवा देने हेतु हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के सैन्ट्रल इन्जीनियरिंग एण्ड डिजाइन ब्यूरो से अनुरोध किया है;

(ख) क्या एन० आई० डी० सी० द्वारा कोरबा संयंत्र के प्रक्रम एक में दी गई परामर्शदायी सेवा असंतोषजनक थी; और

(ग) यदि हां, तो प्रक्रम दो में भी एन० आई० डी० सी० से परामर्शदायी सेवा न लिए जाने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) . भारत ऐल्युमीनियम कम्पनी लिमिटेड ने, न कि हिन्दुस्तान ऐल्युमीनियम ने हिन्दुस्तान इस्पात लिमिटेड के केन्द्रीय इंजीनियरी और डिजाइन ब्यूरो को कोरबा प्रद्रावक और गढ़ाई एककों के लिए प्रायोजना प्रबन्ध अभिकरण का प्रमुखी सलाहकार और विभागाध्यक्ष नियुक्त किया है। केन्द्रीय इंजीनियरी और डिजाइन ब्यूरो के पास, विशिष्टत: रोलिंग मिलों के बारे में जो कि कोरबा प्रद्रावक और निर्माण प्रायोजना का महत्वपूर्ण अंग है, इस प्रायोजन के लिए अपेक्षित आवश्यक विशेषज्ञता उपलब्ध है ।

कलकत्ता स्थित इंजीनियरिंग टाइम्स पब्लिकेशन (प्राइवेट) लिमिटेड का बन्द होना

7797. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग टाइम्स पब्लिकेशन (प्राइवेट) लिमिटेड ने वाचेल मोल्ला मैन्शन, कलकत्ता स्थित अपना मुद्रण संयंत्र और प्रकाशन कार्यालय बंद कर दिया है;

(ख) इसके बंद होने के लिए उत्तरदायी औद्योगिक विवादों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कम्पनी ने अपनी पत्रिकाओं का मुद्रण और प्रकाशन लुवग्रोव रोड, बम्बई 18 से कराना आरम्भ कर दिया है; और

(घ) क्या इस कम्पनी के बम्बई स्थानान्तरित हो जाने के पश्चात कलकत्ता स्थित कार्यालयों के कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति तथा अन्य देय राशि का भुगतान किया गया है ?

श्रम और पुर्नवास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (घ) . सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

दिल्ली में पोलीटैकनिक

7798. **श्री क्षत्रपति अम्बेश** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पोलीटैकनिक संस्थाओं के नाम क्या हैं;

(ख) उक्त संस्थाओं में उप-प्रधानाचार्य, प्रशिक्षकों और सुपरवाइजरों की संख्या कितनी है; और

(ग) उक्त संस्थाओं में वर्ग-चार अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) 1. गोविन्द वल्लभ पंत पोलीटैकनिक ओखला, नई दिल्ली–20

2. पूसा पोलीटैकनिक, पूसा, नई दिल्ली ।

3. थर्ड बायज़ पोलीटैकनिक, कश्मीरी गेट दिल्ली–6 ।

4. महिलाओं का पोलीटैकनिक, कश्मीरी गेट दिल्ली–6 ।

(क)	1. उप-प्रधानाचार्य	शून्य
	2. पर्यवेक्षक	शून्य
	3. अनुदेशक	98
	(सभी प्रकार के)	

(ग) तीन वर्कशाप अनुदेशक ।

दिल्ली में प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों तथा स्नातकोत्तर अध्यापकों के पदों के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के रजिस्टर्ड स्नातक

7799. **श्री क्षत्रपति अम्बेश** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में प्रशिक्षित अध्यापकों के पद के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने प्रशिक्षित स्नातक रजिस्टर्ड हैं; और

(ख) दिल्ली में स्नातकोत्तर अध्यापकों के पद के लिए विषय-वार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने स्नातकोत्तर रजिस्टर्ड हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) .

अध्यापकों की श्रेणी	दिल्ली के रोजगार कार्यालयों में 30 जून, 1971 को दर्ज व्यक्तियों की संख्या	
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	2	3
1. प्रशिक्षित ग्रजुएट अध्यापक	32	—
2. पोस्ट ग्रेजुएट अध्यापक		
कुल:	28	—
(एक) अर्थशास्त्र	9	—
(दो) राजनीति विज्ञान	6	—
(तीन) अंग्रेजी	3	—
(चार) हिन्दी	3	—
(पाँच) समाजशास्त्र	2	—
(छः) गणित	1	—
(सात) भौतिकी	1	—
(आठ) भूगोल	1	—
(नौ) इतिहास	1	—
(दस) संस्कृत	1	—

Central Assistance to Maharastra due to Lack of Rains there

7800. **Shri E. V. Vikhe Patil** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) Whether rains in Maharashtra had been quite inadequate during the last two years which have prompted the Government of Maharashtra to send a scheme to the Central Government in this connection;

(b) If so, the assistance sought by the Government of Maharashtra from the Central Government under the said scheme; and

(c) The amount sanctioned by the Central Government to the Government of Maharashtra so far under that scheme ?

The Minister of state in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) There have been inadequate rains for the last year's rabi crops and for kharif crops this year in certain parts of Maharashtra. State Government have been submitting reportes to the Central Government in this regard asking for assistance to cope with the situation. Latest request for financial assistance has been for Rs. 7 crores on account of highly deficient rainfall in 5 districts of Aurangabad Division and districts of Sholapur and Ahmednagar and parts of 6 other districts.

(b) Central Government has been in constant touch with the State Government in this matter and had sent a team for on the spot study and to assess the quantum of Central assistance required, in February 1971. The team again visited the state in June 1971 and later held discussions with the officials of the state Government on 31 st July, 1971. As a result of these studies a total ceiling of Rs. 12·35 crores was fixed for incurring of expenditure on relief measures in the Maharashtra State for purposes of Central assistance during 1970-71 and 1971-72. On receipt of the recent report about continued drought in certain parts of the state and request for Central assistance of Rs 7 crores, a ceiling of Rs. 6 crores for the months of July and August for Central assistance in regard to expenditure on relief measures has been fixed.

(c) Against the above ceiling of expenditure on relief measures fixed for Maharashtra, the total Central assistance released so far for the years 1970-71 and 1971-72 is Rs. 8.5 crores .In addition, a short-term loan assistance, totalling Rs. 10 crores for financing agricultural inputs, has also been released.

Fixation of Price of Agricultural and Industrial Produces

7801. **Shri E. V. Vikhe Patil** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) Whether Government treat agriculture as an industry;

(b) If so, whether the same principle is followed in fixing the prices of agricultural and industrial products; and

(c) If so, the details thereof ?

The Minster of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) to (c) There are important difference between agriculture and industry and, therefore, they cannot be treated alike in all respects. It is, however, presumed that what the Hon. Member has in mind is whether Government treat Agriculture and Industry alike in the matter of fixation of prices of products. As in the case of industrial products. Government endeavours to ensure that the administered prices for agricultural products are fixed at such levels as would cover the cost of cultivation and also provide a reasonable margin of profit to the cultivator. Whereas in the case of industry it is quite simple to work out the

cost of production, it has been more difficult to do so in the case of agricultural products due to large variations, paucity of sufficient data etc. The available data on cost of cultivation is however taken into account in fixing the prices for agricultural products.

Institution for grant of scholarships for post graduate studies in Agricuture and Zoology

7802. **Shri Narendra Singh Bist :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state

(a) The name of the institution looking after the implementation of the scheme for granting scholarships for post-graduate studies in agriculture and Zoology ;

(b) The criteria adopted for granting such scholarships ;

(c) The names of the institutions/Universities etc. Where facilities for doing Ph. D. in various branches of Zoology exist and the number of students getting scholarships in each of them, iudicating their respective subjects; and

(d) Whether any proposal for increasing the number of such scholarships is under consideration of Government ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb. P. Shinde) : (a) The ICAR awards fellowships for post-graduate studies and research in different disciplines of Agriculture and animal Sciences. The Ministry of Education awards scholarships under National Scholarship scheme in Zoology for which the implementing agencies are the state Governments and Union Territories.

(b) The ICAR fellowships are awarded on the basis of merit. Criteria adopted for scholarships for Master's programme is a competitive examination held by the ICAR and for Doctorate programme academic performance and personal interview. The Ministry of Education scholarships are also awarded on the basis of merit as established in the merit list of the result of the respective examinations.

(c) Most of the Universities which have science faculty and department of Post-graduate studies in Science have facilities for Post-graduate research in Zoology. A list of Universities providing facilities for Ph. D. in Zoology is appended. **[Placed in the Library. See No L. T.—910/71]**

The number of scholarships awarded each year varies as the basis for award is the population of the respective State/Union Territory and the number of students who appear in a particular examination on the last occasion. Information regarding the number of students getting scholarships in the various branches of Zoology for Post-graduate research is not readily available and it will be laid on the table of the House as soon as the required information becomes available.

(d) No.

Distribution of Tractors

7803. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Agriculture** be Pleased to state :

(a) Whether Government propose to distribute 10 to 15 horse-power tractors to farmers having holding of 10 acres or between 10 to 20 acres of land ; and

(b) If so, the horse-power of the tractors which are proposed to be made available to them ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) No, Sir. The distribution of imported tractors to farmers is made by the various state Agro-Industries Corporations and Union Territories according to rules, formulated by them, which vary from State to State.

(b) Tractors of various horse-powers from 14 to 65 are made available to farmers, besides, power tillers in the h. p. range of 6 to 12.

तराई विकास निगम का कार्य क्षेत्र

7804. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तराई विकास निगम द्वारा कुल कितने क्षेत्र का विकास किया जाना है और यह विकास कार्य कितनी अवधि में पूरा हो जायेगा;

(ख) विकास की जाने वाली भूमि किन-किन तहसीलों में हैं; और

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में शाहजहानपुर, बरेली औ पीलीभीत जिलों में निगम अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार कर रहा है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) तराई विकास निगम को 1969-70 से 1973-74 तक की पांच वर्षों की अवधि में 32,000 एकड़ भूमि समतल करके 41,000 एकड़ में सिंचाई जल वितरण प्रणाली की व्यवस्था करके और 26000 एकड़ में अतिरिक्त सिंचाई की व्यवस्था करके विकास कार्य करना है इससे 1973-74 के अन्त तक 46,000 एकड़ भूमि में बीज का उत्पादन हो सकेगा।

(ख) नैनीताल जिले की किच्छा, काशीपुर, रामनगर, सीतारगंज तहसीलें, रामपुर जिले की विलासपुर तहसील और बरेली जिले की बहरी तहसील।

(ग) जी नहीं।

Impact of Increase in Tax on Tractors

7805. **Dr. Laxminarain Pandey -**
Shri Narendra Singh ;
Shri Rana Bahadur Singh :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) The amount of tax paid on imported and indigenous tractors, respectively by the farmers before the Introduction of current year's budget proposals in this regard;

(b) The extent of increase in the price of indigenous tractors as a result of the new tax proposals in the budget for 1971-72;

(c) Whether this has affected the economic position of the farmers; and

(d) The extent to which the increase in the rate of taxes has affected the agreement signed with the International Development association (World Bank) for the import of 8000 tractors

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annashaeb P. Shinde) : (a)

(q)Prior to 29-5-71, agricultural tractors were free from both excise and custom duties. The position of levy of excise and custom duties thereafter is as briefly indicated below ;

(i) **Excise duty** : As part of the budget proposals for 1971-72, the exemption from excise duties on Agricultural tractors (indigenous) has been withdrawn with the result that agricultural tractors are liable to a duty of 10%**ad valorem** with effect from 29-5-71. Tractors intended for agricultural purposes are, however, exempted from special excise duty.

(ii) **Custom duty** : Tractors imported from abroad are now liable to a basic custom duty of 30% **ad valorem**, In addition, tractors imported from abroad are liable to an additional duty (countervailing duty) equal to the excise duty leviable on indigenous tractors by virture of Saction 2A of the Indian tariff Act, 1934. The current rate of excise duty being 10% **ad valorem** and the basis for assessment of countervailing duty being the cum duty/landed cost, the total incidence of customs duty on imported tractors would work out to 43%**ad valorem.**

The above taxes are in addition to such local taxes as are leviable by the states and institutions under the state Government and these vary from State to State.

(c) & (d) It is too early to assess the effect of the present levies of excise and custom duties on the import of tractors under the world Bank projects and also on the overall agricultural economy.

मैसर्स इण्डिया माइका एण्ड माइकानाइट लिमिटेड, डाकघर झुमरीतिलैया, हजारी बाग में कर्मचारी भविष्य निधि

7806. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स इण्डिया भाइका एण्ड माइकानाइट लिलिटेड, डाकघर झुमरीतिलैया (जिला हजारीबाग) पर 31 मई, 1960 से कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 लागू हो गया था और इसके लागू किये जाने के बारे में कारखाने के प्रबन्धकों ने एक लेख याचि का दायर की थी, यदि हां, तो बैंक गारन्टी के लिए उच्च न्यायालय में आवश्यक अनुरोध न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस मामले में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त की रुचि होने के कारण यह वहां केवल आंशिक रूप से लागू किया गया;

(ग) क्या उपयुक्त भाग (ख) के कारण रिकार्ड की छानबीन नहीं की गई थी और केवल पात्रता की जांच की गई थी; और

(घ) सहयोग न करने वाले प्रबन्धकों और गलती करने वाले आयुक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासन की जिम्मेदारी कर्मचारी भविष्य निधि और पारिवारिक पेंशन निधि अधिनियम 1952 के अधीन बनाये गये न्यासियों के केन्द्रीय मण्डल की है और केन्द्रीय सरकार से इसका सीधा सम्बन्ध है । भविष्य निधि के प्राधिकारियों ने नीचे लिखे अनुसार सूचना दी है :

(क) मैसर्स इण्डिया माइका एण्ड माइकानाइट लिमिटेड को 31 अक्टूबर 1960 से कर्मचारी भविष्य निधि और पारिवारिक पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अधीन लिया गया था। प्रबन्धकों द्वारा पटना उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी जो व्यय सहित अस्वीकार कर दी गयी थी। बैंक गारंटी के लिए विभिन्न न्यायालयों में अनुरोध प्रस्तुत करने की नियमित परम्परा पहले नहीं थी।

(ख) और (ग) प्रतिष्ठान द्वारा प्रस्तुत कानूनी रिटनों, की गई जांच पड़ताल, रिकार्ड की छानबीन के आधार पर और सम्बन्धित कमचारियों की पात्रता को ध्यान में रखते हुए परिपालन सुनिश्चित कर लिया गया है।

(घ) प्रश्न पैदा नहीं होता।

मैसर्स संकर वस्त्रालय, मुजफ्फरपुर, बिहार को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के उपबन्ध से छूट देना

7807. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स शंकर वस्त्रालय, मुजफ्फरपुर, बिहार को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की उपबन्ध धारा 1 (5) के उपबन्ध से छूट दी गई थी और इस बारे में केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को अनेक अभ्यावेदन भेजे गये थे लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला ?

(ख) क्या बिहार के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने उक्त फर्म की जांच की थी और भविष्य निधि निरीक्षक की, जिसने अधिनियम की धारा 1 (5) के अन्तर्गत छूट देने का विरोध किया था, बाद की रिपोर्ट पर विचार नहीं किया था, और

(ग) यदि हां, तो फर्म से कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया धन राशि को भूतलक्षमी प्रभाव से वसूल करने और दोषी आयुक्त को सजा देने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासन की जिम्मेदारी कर्मचारी भविष्य निधि और पारिवारिक पेंशन निधि अधिनियम 1952 के अधीन बनाये गये न्यासियों के केन्द्रीय मण्डल की है और केन्द्रीय सरकार से इसका सीधा सम्बन्ध नहीं है। भविष्य निधि के प्राधिकारियों ने नीचे लिखे अनुसार सूचना दी है :—

(क), (ख) और (ग) उस समय उपलब्ध तथ्यों के अनुसार क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बिहार के मैसर्स शंकर वस्त्रालय, मुजफ्फरपुर, बिहार को 1-5-1963 से कर्मचारी भविष्य निधि और पारिवारिक पेंशन निधि अधिनियम 1952 से अधिनियम की धारा 1 (5) के अधीन मुक्ति दे दी थी। केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को एक शिकायत मिली थी। शिकायत करने वाले से रजिस्टर्ड पत्र द्वारा पूछा गया था कि क्या उसके पास आरोप को सिद्ध करने के लिए पूरा सबूत है लेकिन प्रतीत होता है कि कोई उत्तर नहीं आया है। फिर भी इस प्रतिष्ठान को

3-9-1968 से अस्थायी तौर पर अधिनियम के मातहत ले लिया गया है। अधिनियम के अधीन लिये जाने की कार्यवाही को प्रतिष्ठान ने चुनौती दी है।

पटसन का उत्पादन बढ़ाने की योजना

7808. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में पटसन का उत्पादन बढ़ाने की योजना तैयार करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिससे कि पटसन के मूल्यों को अधिक उचित स्तर तक नीचे लाया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) भारत सरकार ने पटसन का उत्पादन बढ़ाने लिए पंकज कार्यक्रम के साथ साथ कई केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं शुरू की हैं। हाल ही में इस कार्य को काफी गतिमान कर दिया गया है। पटसन के उत्पादन को और अधिक बढ़ाने लिए कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक कार्यकारी दल का गठन किया गया है।

(ख) वर्तमान योजनाओं की प्रमुख विशेषताएं संलग्न टिप्पणी में दी गई हैं।

विवरण

भारत सरकार ने पटसन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं शुरू की हैं :—

1. **पटसन के लिए विशेष पंकज कार्यक्रम** : इस योजना के अन्तर्गत, विकास कार्य के लिए आवयश्यक सभी आदान जैसे सुधरे हुए बीज, उर्वरक, कीटनाशी औषधियां उपलब्ध कराने के साथ साथ पंक्तियों में बीज बोने की सुधरी हुई तकनीकी अपनाने, गलाने और उससे रेशे निकालने की भी व्यवस्था है।

2. **यूरिया का हवाई छिड़काव** : यूरिया के हवाई छिड़काव की क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए भारत सरकार ने यूरिया की लागत तथा परिचालन व्यय पर शत प्रतिशत उपदान दिया है।

3. **प्रभावित तथा सुधरे हुए बीजों का रिआयती मूल्यों पर वितरण** : पटसन के सुधरे हुए बीजों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार पटसन की सराप्पुरिक और आलिटेरियस किस्मों पर लागत पर 50 प्रतिशत की दर से उपदान दिया है। इस उपदान की अधिकतम सीमा क्रमशः 200 रुपये और 300 रुपये प्रति क्विन्टल है।

4. **गैर पंकज क्षेत्रों में यूरिया का स्थनीय छिड़काव** : पटसन के उत्पादन में काफी वृद्धि करने के लिए यूरिया की स्थलीय छिड़काव सुविधा को हाल ही में गैर-पंकज कार्यक्रम क्षेत्रों में भी उपलब्ध कराया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार यूरिया की लागत पर शत-प्रतिशत उपदान दे रही है।

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में सहायक पशु-चिकित्सक सर्जनों के वेतनमान और सुविधायें

7809. **श्री राजदेव सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र में पशु चिकित्सक सर्जनों के वेतनमानों 200–470 रुपये हैं, उनके पद अराजपत्रित हैं उन्हें निजी प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं है और उनके लिये निःशुल्क आवास की भी व्यवस्था नहीं है जबकि अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में उसी पद के वेतन-मान 350–800 रुपये हैं, और उनके पद राजपत्रित हैं, तथा उन्हें निजी प्रैक्टिस करने की अनुमति है और उन्हें निःशुल्क आवास की सुविधायें प्राप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त असमानता के क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा निर्धारित पशु चिकित्सा सहायक सर्जनों का वेतनमान रु० 200–470 है। यह पद अराजपत्रित है, निजी प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं है और बिना किराये का निवास स्थान भी नहीं दिया जाता। राज्यों तथा अन्य संघ शासित क्षेत्रों मे सहायक पशु-चिकित्सक सर्जनों के वेतनमानों तथा अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) सहायक पशु-चिकित्सा सर्जनों के वेतनमानों द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिल्ली प्रशासन द्वारा निश्चित किये गये थे। राज्य सरकारें तथा अन्य संघ प्रशासन अपने कर्मचारियों के वेतनमान अपने नियम तथा विनियमों के अनुसार निर्धारित करते हैं।

(ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा निर्धारित पशु चिकित्सा सहायक सर्जनों के वेतनमान तथा अन्य सुविधाओं में और अन्य केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन करने के प्रश्न पर तृतीय वेतन आयोग विचार कर रहा है।

ए० सी० सी० विकर्स बबकाक कर्मचारी संघ, दुर्गापुर के कार्यकारी सदस्यों का सेवा से निकाल दिया जाना

7810. **श्री कृष्णचन्द्र हल्दर** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ए० सी० सी० विकर्स बबकाक कर्मचारी संघ, दुर्गापुर के लगभग सभी कार्यकारी सदस्यों को सेवा से निकाल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनको बहाल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की

जा रही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

Recognition of Coal Worker's Union

7811. **Shri Ramavatar Shastri** :Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) Whether the Coal workers Union has not been recognised so far in any colliery run either by the National Coal Development Corporation or private owner of Coal fields; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : **(a) and (b).** The information is being collected and will be placed on the Table of the House when received.

चीनी का उत्पादन और खपत

7812. **श्री त्रिदिव चौधरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इण्यिन शूगर मिल्स एसोसिएशन, नई दिल्ली के प्रधान 11 द्वारा जुलाई, 1971 को दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि चालू मौसम में चीनी के उत्पादन में लगभग 5,00,000 टन की कमी होने की सम्भावना है जबकि गतवर्ष की तुलना में वृद्धि होने की आशा है; और

(ख) क्या सरकार चीनी के उत्पादन तथा चीनी की मांग और खपत के बारे में उक्त मूल्यांकन से सहमत है और क्या सरकार का विचार इस पृष्ठ भूमि में इसे बाजार में भेजने के लिये नीति में कोई परिवर्तन करने का है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) चालू वर्ष 1970–71 के दौरान 22 जुलाई, 1971 तक चीनी का उत्पादन 37·32 लाख मी० टन हुआ था जबकि पिछले वर्ष की उसी तारीख तक यह उत्पादन 42·10 लाख मी० टन हुआ था । 1970–71 में 22 जुलाई, 1971 तक आन्तरिक खपत के लिए चीनी को निकासी 31·32 लाख मी० टन हुई थी जबकि पिछले वर्ष की उसी तारीख को 26·37 लाख मी० टन चीनी आन्तरिक खपत के लिए दी गई थी । चालू चीनी वर्ष लगभग समाप्त हो चुका है । स्थिति पर बराबर निगरानी रखी जा रही है और यथा आवश्यक ऐसी कार्यवाही की जाएगी ।

राज्यों के पशु-पालन मन्त्रियों के सम्मेलन में पशुओं के गैरसरकारी आयात करने के बारे में दिया गया सुझाव

7813. **श्री एस० राधा कृष्णन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आयोजित राज्यों के पशु-पालन मन्त्रियों के सम्मेलन में दिये गये सुझाव के अनुसार सरकार ने गैर-सरकारी रूप से पशुओं का आयात करने की अनुमति देना स्वीकार कर लिया है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में इण्डियन डेरी कारपोरेशन ने एक योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग) सहकारी संस्थाओं तथा व्यक्तियों द्वारा निजी रूप में विदेशी पशुओं के आयात की अनुमति देने के बारे में एक प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है । इन लोगों को अच्छे पशुओं का चुनाव करने और उन्हें उन रोगों से बचाने के लिये जो इन पर आक्रमण करते हैं, सहायता देने के लिये यह प्रस्ताव है कि उनका भारतीय डेरी निगम के माध्यम से किया जाये । निगम को एक विस्तृत योजना का ब्यौरा तैयार करने के लिये कहा गया है जिसे सरकार सब सम्बन्धित तथ्यों पर विचार करने के पश्चात अन्तिम रूप देगी ।

उर्वरकों का आयात

7814. **श्री पी० गंगा रेड्डी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में, वर्ष बार, उर्वरकों की कितनी मात्रा का आयात किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : वर्ष 1968-69, 1969-70 तथा 1970-71 की अवधि में भारतीय पत्तनों पर वास्तव में उतारे गये उर्वरकों के आधार पर इन वर्षों में आयातित उर्वरकों की मात्रा निम्न प्रकार है :—

(पोषकों के आंकड़े लाख टनों में)

वर्ष	एन	पी० ओ०	के० ओ०
1968-69	8·41	1·37	2·13
1969-70	6·67	0·94	1·20
1970-71	4·77	0·32	1·20

इंगलैंड और अमरीका में इंडिया सप्लाई मिशनों के अतिरिक्त सहायक कार्यालयों को बनाए रखना

7815. **श्री माधुर्य्य हालदार** : क्या पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इंगलैंड और अमरीका में इण्डिया सप्लाई मिशनों के अतिरिक्त अन्य सहायक कार्यालयों को बनाए रखने की संपूर्ण समस्या का पुनर्विलोकन कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

पूर्ति मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) विविध सम्बन्धित मन्त्रालयों विभागों के परामर्श से इस मामले पर अभी तक विचार किया जा रहा है ।

मैसूर के उत्तर कनारा जिले में टाइटेनियम संयंत्र

7816. **श्री बालकृष्ण वेनकन्ना नायक** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य के उत्तर कनारा जिले में टाइटेनियम के निक्षेप पाये गये हैं जिनका उपयोग टाइटेनियम का निर्माण करने के लिए व्यापारिक दृष्टि से किया जा सकेगा;

(ख) यदि हां, तो उस क्षेत्र में टाइटेनियम संयंत्र लगाने के लिए उसका व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार उसका अन्वेषण करने और रसायन विश्लेषण करने का कार्य आरम्भ करेगी ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) . उत्तरी कनारा जिले के व्यवस्थित भूवैज्ञानिक मानचित्रण के दौरान टिटेनियमफेरस मैगनेटाइट के स्वरूप में टिटेनियम के कुछ प्राप्ति-स्थल प्रकाश में आए हैं। एकत्रित किए गए नमूनों से पता चला है कि टिटेनियमफेरस मैगनेटाइट का टिटेनियम डायोक्साइड का अंश लगभग 12 प्रतिशत है जो वाणिज्यक समुपयोजनार्थ बहुत निम्न है। आगे का कार्य प्रगति पर है।

Chemical Fertiliser Imported from Foreign Countries During 1969-70

7817. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) The quantity of chemical fertil zer imported from foreign countriries in the country during 1969-70 and the total amount paid to foreign countries; and

(b) Necessary steps taken by Government to stop the import thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) The quantities of fertilisers imported during 1969—70 and the amount paid to foreign countries is indicated below :

	Figures in lakh tonnes of nutrients	Amount Paid
Nitrogen	6·67	Crores
Phosphates	0·94	Rs. 116·77
Potash	1·20	

(b) Steps have been taken to establish additional production capacity by setting up new fertiliser factors and expanding some of the existing ones to meet the demand for nitrogen and phosphates. The country does not have potash deposits; and so all the potash required has to be imported.

पश्चिम बंगाल में गहरे खोदे गये कुएं तथा विद्युत चालित नलकूप

7818. **डा० सरदीश राय** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में जिलावार गहरे खोदे गये नलकूपों की संख्या कितनी है;

(ख) कितने नलकूपों में बिजली लगा दी गई है; और

(ग) गहरे नलकूपों को बिजली देने में विलम्ब के कारण क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) **और (ख)** . पश्चिम बंगाल में खोदे गये तथा गहरे नलकूपों की जिलेवार संख्या अनुबन्ध में दी गई है ।

(ग) स्थानीय शरारती तत्वों द्वारा कूड़ा-करकट डालने से बंद होने के कारण कुछ नलकूपों के विद्युतीकरण के कार्य में रुकावट पड़ गई है । समग्र रूप से गहरे नलकूपों का विद्युतीकरण कार्यक्रम संतोषजनक रूप से चल रहा है ।

विवरण

जिले का नाम	खोदे गये नलकूपों की संख्या	विद्युतीकरण किए गए नलकूपों की संख्या
1. नदिया	457	447
2. 24-परगना	184	166
3. मुर्शिदाबाद	251	229
4. हुगली	154	116
5. हावड़ा	50	17
6. वर्दवान	195	172
7. वीरभूम	26	22
8. मिदनापुर	88	63
9. बांकुरा	59	56
10. माल्दा	84	52
11. कूच बिहार	15	3
12. जलपाईगुड़ी	33	33
13. पश्चिम दिनांजपुर	96	90
14. दार्जिलिंग	1	1
योग	1693	1467

पश्चिम बंगाल में वर्गदारों को संरक्षण देना

7819. **श्री गदाधर साहा** : क्या कृषि मन्त्री भूमि की काश्त के लिए वर्गदार अधिकार की सुरक्षा के लिए केन्द्रीय भूमि सुधार समिति की सिफारिशों को लागू किये जाने के बारे में 22

जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5615 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में, जिलावार, कितने मामलों में वर्गदारों को संरक्षण दिया गया है;

(ख) क्या उन्हें पता है कि वर्गदारों को कृषि भूमि पर खेती करने के उनके अधिकार से वंचित करने के प्रयास किये जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) ऐसे मामलों के बारे में जहां जिनमें वर्गदारों की बेदखली के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया है, जिलेवार संख्या के विषय में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है यह एकत्रित की जा रही है ।

(ख) और (ग) . सभी जिला अधिकारियों को यह हिदायतें दी गयी हैं कि, किसी भी वर्गदार से अवैध बेदखली सम्बन्धी प्रतिवेदन प्राप्त होते ही इस प्रकार की बेदखली को रोकने के लिए कड़ी कार्यवाही करें और अत्याचारी जमीदारों पर मुकदमा चलाएं और वर्गदारों को उनकी जोतें वापिस दिलाएं ।

चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण

7820. **श्री आनन्दसिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का विचार छोड़ दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो राष्ट्रीयकरण का कार्य किस वर्ष तक पूरा हो जायेगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : **(क) और (ख)** . जहाँ तक चीनी उद्योग का अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीयकरण करने के प्रश्न का सम्बन्ध है, सरकार ने विशेषकर इसके राष्ट्रीयकरण की माँग के संदर्भ में चीनी उद्योग के कार्यचालन और तत्सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं का विस्तृत अध्ययन करने हेतु पहले ही चीनी उद्योग जांच आयोग की नियुक्ति कर दी है । आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सरकार इस सम्बन्ध में आगे विचार करेगी ।

केरल में सहकारी फार्म आरम्भ करने के लिए रूसी सहायता

7821. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस केरल में सहकारी फार्म शुरू करने सम्बन्धी केरल सरकार की योजना के लिए वित्त देने हेतु सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में हुए करार की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) योजना के कब तक क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) केरल में सहकारी फार्म आरम्भ करने के लिए रूस से कोई सहायता नहीं मांगी गई है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

जबरन मजूरी की प्रथा समाप्त करना

7822. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे कुछ स्थान हैं जहां पर जबरन मजूरी की प्रथा प्रचलित है; और

(ख) यदि हाँ, तो मजदूरों के लाभ हेतु इस प्रथा को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) भारत के संविधान के अनुसार, सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा को छोड़कर, मानव का पाप और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य जबर्दस्ती लिया हुआ श्रम प्रतिषिद्ध है । देश में कहीं भी जबरन मजदूरी की प्रणाली प्रचलित नहीं हैं । तथापि, जबरन मजदूरी और बन्धकत्रस्त श्रम के छुटपुट मामलों की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता ।

(ख) इस बुराई को दूर करने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने विभिन्न वैधानिक और कार्यकारी उपाय किए हैं । चूंकि बन्धकग्रस्त श्रम मुख्यत: आर्थिक पिछड़ेपन के कारण है, इस लिए जनता के आर्थिक स्तर को ऊंचा करके इस बुराई का उपचार करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं ।

मनीपुर में उठाऊ सिंचाई और सिंचाई प्रयोजनों हेतु इम्फाल पश्चिम क्षेत्र में भूमिगत जल का सर्वेक्षण

7823. **श्री एम० टोम्बी सिंह** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार मनीपुर में विशेषकर इम्फाल पश्चिमी क्षेत्र में भूमिगत जल के प्रयोग से उठाऊ सिंचाई लागू करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्यं बातें क्या हैं , और

(ग) क्या सरकार ने सिंचाई प्रयोजनों हेतु इम्फाल पश्चिम क्षेत्र में भूमिगत जल का विस्तार से सर्वेक्षण किया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : **(क) से (ग).** जानकारी एकत्रित की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

ग्रामीण रोजगार सम्बन्धी द्रुत कार्यक्रम को क्रियान्वित करने हेतु राजस्थान को केन्द्रीय अनुदान

7824. **श्री ब्रजराजसिंह कोट.** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान में ग्रामीण रोजगार सम्बन्धी द्रुत कार्यक्रम के लिए 1·5 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेरसिंह) : (क) और (ख) अब तक केन्द्रीय सरकार ने ग्राम रोजगार की त्वरित योजना के अन्तर्गत राजस्थान सरकार के 293·03 लाख रु० की कुल लागत के प्रस्ताव मंजूर किए हैं। ये प्रस्ताव 25 जिलों के बारे में हैं और इनमें सड़क, लघु सिंचाई, भूमि-संरक्षण, वनरोपण और भूमि-सुधार जैसी परियोजनाएं हैं।

Bill to Abolish Zamindari of Tatas in Bihar Pending for Presidential Assent

7825. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) Whether the bill providing abolition of Zamindari of Tatas in Bihar is pending with the President of India for his assent; and

(b) If so, the reasons for delay ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) It raises many important legal and constitutional questions, which are under examination.

सब्जी तथा फल उत्पादकों को बाजारों में अपने उत्पादों की मांग पैदा करने के लिये सुविधायें

7826. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनका मंत्रालय उन फल तथा सब्जी उत्पादकों को अपने उत्पादों की मांग पैदा करने के लिये क्या सुविधायें देता है जो अपनी सब्जियों, फलों अथवा अन्य उत्पादों के लिए मांग पैदा करने हेतु सम्भावित बाजारों का पता लगाने के लिये अन्य स्थानो को जाना चाहते हैं,

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) कितने उत्पादकों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) . भारत सरकार द्वारा निर्यातकों को संभावी बाजारों में उनके उत्पादों की मांग बढ़ाने के लिये निम्न सुविधायें प्रदान की जाती हैं :—

(1) रिजर्व बैंक के प्राधिकारी बाजारों का अध्ययन करने के लिये निर्यातकों को विदेशी मुद्रा निर्मुक्त करते हैं।

(2) निर्यातकों द्वारा जिन देशों की यात्रा की जाती है वहाँ पर भारत सरकार के वाणिज्यिक प्रतिनिधि उन्हें प्रमुख आयातकों से सम्पर्क स्थापित करने में सहायता करते हैं।

(3) परिसंस्करित खाद्य के लिये निर्यात वर्द्धन परिषदें निर्यातकों को परिसंस्करित खाद्य, परिसंस्करित शाक-सब्जी, परिसंस्करित फल, आदि के निर्यात के लिये आवश्यक बाजार परिज्ञान रिपोर्टें द्वारा भी सहायता प्रदान करेंगी।

(ग) यह जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

पश्चिमी बंगाल में चल रही चीनी मिलें

7827. **डा० सरदीश राय** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में चीनी की कितनी मिलें चल रही हैं;

(ख) उनमें से अब तक कितनी मिलें बन्द हो चुकी हैं;

(ग) क्या बन्द चीनी मिलों को पुनः खोलने के लिये सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) पश्चिमी बंगाल में दो पंजीकृत/लाइसेंसशुदा चीनी कारखाने हैं ।

(ख) अहमदपुर, जिला बीरभूम की लाइसेंसशुदा चीनी मिल 1964-65 पिराई-मौसम से बन्द पड़ी हुई है ।

(ग) और (घ). पता चला है कि अहमदपुर, जिला-बीरभूम की बन्द पड़ी चीनि मिल को फिर से चालू करने सम्बन्धित मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

बीज वितरण उपकरण का निर्माण

7828. **डा० सरदीश राय** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम देश में बीज वितरण के लिये उपकरण का निर्माण करने पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त उपकरण की कीमत क्या होगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : **(क) और** (ख) जी नहीं । सम्भवत: यह उल्लेख बीज विधायन उपस्कर के बारे में है । राष्ट्रीय बीज निगम की बीज विधायन उपस्कर के विनिर्माण की कोई योजना नहीं है । किन्तु निगम गैर-सरकारी उद्योग को उपयुक्त देसी उपस्करों के निर्माण की विशिष्टियाँ, जाँच के मानक, आदि निर्धारित करने में सहायता देता है । बीज विधायन उपस्कर के विनिर्माताओं की सूची और ऐसे उपस्करों के अनुमानित मूल्य के बारे में जानकारी संलग्न सूची में दी गई है । **[ग्रन्थालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० 911/71]**

श्रम मजूरी

7829. **डा० सरदीश राय** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और केरल में कृषि श्रमिक, औद्योगिक श्रमिक और हथकरघा बुनकर की दैनिक औसत मजूरी क्या है,

(ख) देश में किस वर्ग के श्रमिक को सबसे कम मजूरी दी जाती है; और

(ग) विभिन्न वर्गों के श्रमिकों, विशेषकर भूमिहीन कृषि श्रमिकों की स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों की "मजदूरी और कमाई" से सम्बन्धित उपलब्ध जानकारी "भारतीय श्रम संख्या की 1971" में दी गई है, जिसकी प्रति संसद के पुस्तकालय में प्राप्त है।

(ग) खेतीहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के आधीन निश्चित की गई है। अधिनियम में समय समय पर पुनरावलोकन और संशोधन की व्यवस्था है और राज्य सरकारें इस संबंध में कार्यवाही कर सकती हैं क्योंकि अधिकांश खेतीहर श्रमिक राज्यकीय क्षेत्र में आते हैं। खेतीहर श्रमिकों को उचित मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए तमिलनाडु, केरल और पाण्डिचेरी जैसे कुछ राज्यों/केन्द्र प्रशासित प्रदेशों द्वारा विशेष कानून पास किये गये हैं।

बंगला देश के शरणार्थियों के लिये अमरीका सहायता

7830. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में आये बंगला देश के शरणार्थियों को राहत देने के लिये अमरीका ने कुल कितनी सहायता देने का वचन दिया है; और

(ख) अब तक कितनी सहायता प्राप्त हो चुकी है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : **(क) और (ख)**. 8 जुलाई, 1971 तक संयुक्त राष्ट्र फोकल बिन्दु द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ने 70·5 मिलियन डालर के अंशदान के योगदान का वचन दिया है। वचनबद्ध राशि में से संयुक्त राष्ट्र तंत्र को 2·275 मिलियन डालर प्राप्त हुए हैं और भारत को सहायता के लिए नकद या सामान के रूप में 2·325 मिलियन डालर दे दिए गए हैं।

बन कटाई रोकने के लिये कार्यवाही

7831. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1947 से लेकर 10 लाख हैक्टेयर वन उत्पादक भूमि में से वन कटाई की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो वन कटाई बन्द करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री० शेर सिंह) : **(क) और (ख)**. राज्य सरकारों से आवश्यक जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेंगी।

रूरकेला इस्पात कारखाने में हुई दुर्घटना के बारे में उच्च स्तीय तकनीकी समिति का प्रतिवेदन

7832. **श्री सरोज मुखर्जी :**
श्री अर्जुन सेठी :

क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1951 में रूरकेला में हुई दुर्घटना के कारणों की जांच करने के लिए नियुक्त उच्च स्तरीय तकनी समिति की ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) आशा है इस महीने की समाप्ति से पहले ही अन्तिम रिर्पोट प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

रामकुमार टेक्सटाइल मिल्स मैसूर के कर्मचारियों की सेवा समाप्ति

7833. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामकुमार टैक्सटाइल मिल्स, मैसूर में कार्य कर रहे 219 श्रमिकों को हाल में प्रबन्धकों ने नौकरी से निकाल दिया है;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन्हें फिर काम पर लिये जाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ।

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

बंगला देश से आए शरणार्थियों के लिए तम्बुओं का निर्माण करने हेतु क्रयादेश देना ।

7834. **श्री एस० एस० बनर्जी** : क्या **पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश से आए शरणार्थियों के लिए तम्बुओं का निर्माण करने हेतु गैर-सरकारी फर्मों को बड़ी संख्या में क्रयादेश दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो आयुध कपड़ा कारखानों को क्रयादेश न दिये जाने के कारण हैं ?

पूर्ति मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) आयुध फैक्टरियां, रक्षा मंत्रालय की लगभग एक लाख तम्बुओं की अपनी ही आवश्यकता की पूर्ति के लिए पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के टैंडर के बारे में निश्चित मूल्य पर माल के परिदान की निश्चित तिथियां देने की स्थिति में नहीं थीं। इसीलिए तो 15 अप्रैल, 1971 को क्रयादेश अन्यत्र ही देने पड़े। बंगला देश के शरणार्थियों के लिए ये आयुध-फैक्टरियां बल्ली-रहित तम्बुओं की सप्लाई क्रयादेश देने के लगभग दो महीने के बाद ही शुरू कर सकती थीं। इसीलिए पूर्ति और निपटान महानिदेशालय ने पुनर्वास विभाग के लिए तम्बुओं की तुरन्त सप्लाई के लिए 20 अप्रैल, 1971 को जारी किए गए सीमित टैंडरों के लिए उन पर विचार ही नहीं किया।

मौलिक भूमि सुधार के लिये आल इण्डिया किसान सभा द्वारा प्रदर्शन

7835. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार को आल इन्डिया किसान सभा द्वारा देश के सभी जिलों और तालुका मुख्यालयों के समक्ष 9 अगस्त को प्रदर्शन किये जाने के निर्णय के बारे में जानकारी है जिसमें मौलिक भूमि सुधार की मांग की जायेगी तथा अधिकतम सीमा में अत्यधिक कमी करने, फसल बटाई की बेदखली को बन्द करने तथा सभी बंजर भूमि और अधिकतम सीमा वाली भूमि से अतिरिक्त भूमि को शिकमी काश्तकारों में वितरण के सम्बन्ध में मांग की जायेगी।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : अखिल भारतीय किसान सभा की अखिल भारतीय किसान परिषद् ने जून, 1971 में एक प्रस्ताव पारित किया था कि 9 अगस्त 1971 को सारे देश के सभी जिलों और उप प्रभाग मुख्यालयों में प्रदर्शन करके भूमि-सुधार दिवस मनाया जाएगा।

कलकत्ता में तौलीगंज और जादवपुर लेक कैम्प में बसाये गये शरणार्थी

7836. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में कलकत्ता के निकट तौलीगंज और जादवपुर में वास्तव में कितने शरणार्थियों को बसाया गया है;

(ख) क्या उन कालोनियों में उनकी अधिगृहित भूमि अथवा प्लाट पर कोई कानूनी स्वामित्व का अधिकार अभी दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किये गये प्रबन्धों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो यह समस्या कब और कैसे हल की जायेगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (घ) . जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

पश्चिम बंगाल में काकद्वीप में कृषि विश्वविद्यालय

7837. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के काकद्वीप में केन्द्रीय सरकार के अधीन कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये अब तक कोई व्यवस्था की गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या मंत्रालय इस मामले पर विचार कर रहा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) जी, नहीं। कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करना राज्य सरकार का विशेषाधिकार है। पश्चिम बंगाल में हाडिया जिले में कल्यानी विश्वविद्यालय मौजूद है।

पश्चिम बंगाल में कृषि पर आधारित उद्योग स्थापित करने का कार्यक्रम

7838 **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में कृषि पर आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए क्या तत्काल कार्यक्रम बनाया गया है; और

(ख) उनमें से कितने उद्योग चलने आरम्भ हो गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). जानकारी राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा बिना तराशे हीरों का आयात

7839. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को परिष्करण करने और उसके बाद निर्यात करने के लिए बिना तराशे गये हीरों का आयात करने की अनुमति दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). देश में प्रारम्भिक स्रोतों से सीधा सम्बन्ध स्थापित करने और अपरिष्कृत हीरकों की नियमित आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने अभी तक लगभग 90·78 लाख रुपये की अपरिष्कृत हीरकों का आयात किया है।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने इन हीरकों में से कुछ का आन्तरिक रूप से निबटान कर दिया है और अवशिष्ट को निर्यात करने के लिए प्रयत्नशील है।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अधीन हीरा परियोजनाओं में हीरों का उत्पादन

7840. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अधीन मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में रामखड़िया और माझगावन स्थित दो हीरा परियोजनाओं में उत्पादन क्षमता क्रमशः 11,250 और 12,000 केरट प्रति वर्ष करने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है।

(ख) वर्ष 1967 में अब तक हीरों का कुल कितना उत्पादन हुआ है; और

(ग) प्रत्याशित लक्ष्य की प्राप्ति में कितना समय लगेगा ।

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) मझगांव में 12,000 कैरट की लक्षित क्षमता पहले ही प्राप्त की जा चुकी है । रामखेरिया मे, मूल पूर्वेक्षण परिणामों की तुलना में खराब प्रभाव क्षेत्र और निम्न प्रतिप्राप्ति के कारण 11250 कैरट की लक्षित क्षमता अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है ।

(ख) 1967–68 से 1971--72 (31 -7--1971 तक) तक 55,658 कैरट ।

(ग) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, रामखेरिया की समस्याओं का विस्तार में अन्वेषण कर रहा है । इस अन्वेषण के सम्पूरित होने के उपरान्त ही लक्ष्य प्राप्त करने की क्षमता और उसके प्राप्त करने के संभाव्य समय का पता लग सकेगा ।

Retrenchment in Mica Mines and Factories

7841. **Shri S. D. Singh** : Will the Minister of Labour and Rehabilitaiion be pleased to state :

(a) Whether workers of the mines and factories Kodarama, Jhumri-Talaiya, Domchanch and Girdih, areas have been retrenched in large number; and

(b) if so, the steps taken by Central Government in this regard ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) In mica mines there were no large scale retrenchments. Factories come under the State Sphere.

(b) Does not arise.

Tractors and Other Facilities Provided by Agro-Industries Development Corporation

7842. **Shri S. D. Singh** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) The number of tractors distributed by the Agro-Industries Development Corporation so far, State-wise; and

(b) The number of other facilities being provided to the farmers in addition to loans for purchasing tractors ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahab P. Shinde) : (a) Information is being obtained from the various State Agro-Industries Corporations and will be placed on the Table of the Sabha.

(b) Apart form distribution of tractors and other agricultural machinery, the following facilities are also being made available to the farmes by most of the Agro-Industries Corporations :

(i) Hiring of tractors, power tillers, pump sets etc. at reasonable rates through the Custom Centres.

(ii) Distribution of tractors under the Hire-Purchase Scheme.

(iii) Distribution of other inputs like seeds, fertilisers, etc.

(iv) Provision of after-sale service and repairs at the various workshops set up for the purpose.

(v) Mobile workshops for providing after-sale service in the interior parts of the State.

(vi) Short period training to tractor owners in maintenance of tractors etc distributed by the Corporations,

(vii) Setting np of agro based industries like cattle feed and poultry feed manufacturing units, fruit and vegetables processing units, fertiliser plants, etc.

Persons Provided Employment Under Crash Programme

7843. **Shri S. D. Singh** : Will the Minister of Agricultuce be pleased to state :

(a) The numbcr of uneployed persons provided with employment so far under the Crash Programme of the Government; and

(b) Their number, State-wise ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri. Sher Singh) : (a) & (b)* Information in regard to the number of persons actually employed is not readily available. Work on projects has, however, commenced in eight States viz,, Bihar, Himachal Pradesh, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and West Bengal. The Governments of Haryana, Meghalaya, Mysore, Punjab, Rajasthan and Pondicherry have also completed the necessary preliminaries for starting the work. It is expected that work on approved projects will get into full swing after the monsoon, creating employment opportunities as envisaged.

पश्चिम बंगाल में फालतू भूमि का अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों में वितरण

7844. **श्री एस० पी० भट्टाचार्य** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमिहीन किसानों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों में औसतन कुल कितनी फालतू भूमि वितरित की जायेगी;

(ख) अनुसूचित जाति के भूमिहीन श्रमिकों की संख्या कितनी है; और

(ग) उनमें से कितने श्रमिकों को भूमि वितरित की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों सहित ऐसे भूमिहीन श्रमिकों और छोटे किसानों में, जिनके कब्जे में हैक्टार से कम भूमि थी, अब तक 1·40 लाख हैक्टार कृषि भूमि वितरित की जा चुकी है। 40,000 हैक्टार और भूमि तत्काल वितरण के लिए उपलब्ध है।

(ख) और (ग). राज्य सरकारों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है।

मशीनों द्वारा खेती

7845. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मशीनों द्वारा खेती करने के बारे में सरकार की दीर्घ विधि नीति की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) इस नीति के आधारभूत जोत का आकार क्या होगा ; और

(ग) ट्रैक्टरों स्वदेशी अथवा आयातित तथा कम्बाइन्ड हार्वस्टर स्वदेशी अथवा आयातित का आकार तथा अश्वशक्ति के जोत के आकार के सम्बन्ध में कैसी होगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). कृषि कार्यों के लिये साधनों के आधुनिकीकरण की व्यवस्था करना सरकार की नीति है, जिससे जोत का आकार तथा फार्म की स्थितियों के लिये उपयुक्त उन्नत उपस्करों तथा मशीनों के उपयोग से छोटे, मध्यम तथा बड़े फार्मों की कृषि–क्षमता का पूर्णत: उद्योग हो सके कृषि-उत्पाद में 5 प्रतिशत का औसत वृद्धि प्राप्त करने में सहायता करना दीर्घकालीन नीति है।

जहां कृषि-कार्यों को दक्षतापूर्ण तथा समय पर करने के लिये बोझा ढोने वाले पशु अपर्याप्त हों अथवा जहां बैलों की एक जोड़ी अथवा एक ट्रैक्टर का रख-रखाव करना अलाभकारी हो, ऐसी स्थितियों में कृषि मशीनरी की मरमम्त सेवा के लिये प्रोत्साहन/व्यवस्था की जायेगी। यहां तक कि 25 एकड़ से कम वाले मध्यम फार्मों पर, सामान्य: जिसकी बैलों की बहु जोड़ी से व्यवस्था हो सकती है, अधिक उत्पादनशील किस्म तथा बहुफसली खेती से अधिकतम लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से जुताई, कटाई तथा अन्य कार्यों को दक्षता तथा समय पर करने के लिये ट्रैक्टर,शक्ति चालित हल, पावर थ्रेसर तथा कटाई के उपकरणों के उपयोग की आवश्यकता है। कृषि की नई नीति के कार्यक्रम के अन्तर्गत फसलों की दक्षपूर्ण खेती के लिये शक्ति की मांग तथा उपकरणों की आवश्यकता, नीति का आधार है। परिचालन जोत के आकार की इस नीति को अपनाकर, संलग्न विवरण में दिये गये शक्ति के प्रमुख श्रोतों का पता लगाया जा सकता है कीमती मशीनों को धन प्राप्त करने के लिये किसानों तथा उद्यमकर्ताओं को विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के माध्यभ से ऋण सुविधायें दी जायेंगी। किसानों के लिये कृषि मशीनरी तथा उपस्करों के दक्षपूर्ण उपयोग के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम सुदृढ़ किये जायेंगे। राष्ट्रीय प्रदर्शनों के माध्यम से उन्नत उपस्करों को तीव्र रूप से प्रचालित तथा लोकप्रिय बनाया जायेगा और इन पर अनुसन्धान तथा विकार तीव्र किये गये है। ये कार्यक्रम छोटे तथा मध्यम फार्म के किसानों के लिये विशेष लाभकारी होंगे। **[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल टी —912/71]**

(ग) 25 से 50 एकड़ तक के फार्मों पर 20 अश्व शक्ति के ट्रैक्टरों की काफी मांग होगी ; जबकि कस्टम भाड़ा, गहरी जुताई, भूमि विकास, आदि के लिये बड़े फार्मों पर अधिक अश्व शक्ति के ट्रैक्टरों की आवश्यकता होगी। माँग के रुख तथा विभिन्न आकारों के फार्मों के लिये विभिन्न अश्व शक्ति क्षेत्र के ट्रैक्टरों की उपयुक्तता के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 1973-74 के दौरान ट्रैक्टरों की मांग निम्नलिखित होगी:-

12-20 डी० वी० एच-पी	25,000
21-35 डी० वी० एच० पी	45,000
36-50 डी० वी०एच० पी	18,000
51 तथा उससे ऊपर	2 000
योग	90,000

इसी प्रकार मध्यम तथा बड़े फार्मों पर 21 से 50 अश्व शक्ति के ट्रैक्टरों के साथ कार्य करने के लिये उपयुक्त कम्बाईन हारमेस्टरों का अधिकांशत: उपयोग किया जायेगा; जबकि बड़े सेल्फ–प्रोपेल्ड कम्बाइनों का बड़े फार्मों या किसानों के दल संयुक्त रूप से या कस्टम भाड़ा की व्यवस्था में लगी हुई संस्थाओं द्वारा उपयोग किया जायेगा। विभिन्न आकार के ट्रैक्टरों तथा कम्बाइनों की सप्लाई कार्यक्रम, सामान्यत: मांग का रुख तथा विभिन्न आकारों तथा कृषि परिस्थितियों के फार्मों की मांगों को पूरा करने से सम्बन्धित है।

नाइट्रोजन उर्वरकों में कमी

7846. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 में नाइट्रोजन के उपभोग में 5 प्रतिशत की कमी के क्या कारण हैं विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अधिक उपज वाली फसलों के अन्तर्गत भूमि में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या उक्त प्रवति को रोकने के लिये सरकार का कोई कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार ने ऐसे कोई आंकडे तैयार किये हैं जिनसे यह विदित हो सके कि यह प्रवृति किन क्षेत्रों में अधिक सक्रिय है।

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) वर्ष 1970-71 में नाइट्रोजन उर्वरकों की खपत में कोई कमी नहीं हुई है। वास्तव में तो पिछले वर्ष की तुलना में नाइट्रोजन उर्वरकों की खपत में 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। परन्तु अधिक उपज देने वाली किस्मों के क्षेत्रफल में 1970-71 में पिछले वर्ष की तुलना में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जिसकी तुलना में उर्वरकों की खपत में हुई वृद्धि, विशेष नहीं है।

(ख) जी हां, सरकार ने अधिक उपज देने वाली किस्मों की फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल में वृद्धि की तुलना में उर्वरक की खपत में हुई कम वृद्धि होने के कारणों का अध्ययन किया है। पता चला है कि निम्नलिखित कारणों से कुछ क्षेत्रों में उर्वरक के प्रयोग की मात्रा अनुकूलतम निर्दिष्ट मात्रा से प्राय: बहुत कम रही है:—

(1) उर्वरक के प्रयोग और वितरण के लिए ऋण में उपलब्धता में तंगी।

(2) फसलों की विशेषकर अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए उर्वरकों के अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ावा देने के विस्तार एवं प्रोत्साहनात्मक प्रयासों में कमी।

(3) प्राकृतिक कारण जैसे कुछ राज्यों में तूफान तथा बाढ़ आना।

सरकार इस समस्या से भलीभांति अवगत है और उर्वरकों की खपत की दर बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है। उन्होंने किसानों और उर्वरक व्यापारियों को अधिकाधिक ऋण उपलब्ध कराने के लिए व्यापारिक बैंकों को प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में ऋण जमानत निगम की स्थापना की है। राज्य सरकारों से भी किसानों को सहकारीसं स्थानों के माध्यम से अधिकाधिक मात्रा में उत्पादक ऋण की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए उपाय करने का अनुरोध किया गया है। केन्द्रीय सरकार भी उर्वरकों के भंडारण और वितरण के लिए राज्यों को छोटी अवधि के ऋण प्रदान करने का कार्य जारी रख रही है।

लाइसेन्स के स्थान पर अधिक सुलभी और शीघ्र कार्यान्वयत योग्य; डीलर पंजीकरण योजना लागू कर वितरण प्रणाली को और मुलायम बनाया गया था। इसके अतिरिक्त उन राज्यों में जहां कि वितरण प्रणाली सक्षम नहीं है और परिवहन सम्बन्धी अवस्थावना सुविधाएं भी कम हैं, केन्द्रीय उर्वरक पूल, उर्वरकों के समीकरण भंडार रख रहा है। पूल में सहकारी समितियों को सीधी-संभरण व्यवस्था लागू करके वितरण प्रणाली को और भी मुलायम बना दिया है।

जहाँ तक विस्तार का प्रश्न है, उर्वरकों की खपत को प्रत्यक्षरूप से प्रभावित करने वाली दो महत्वपूर्ण योजनाएं, जो नीचे लिखी कार्य कर रही है:—

(क) राष्ट्रीय प्रदर्शन और (ख) किसानों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसके अन्तर्गत, उर्वरकों के सन्तुलित और अनुकुलतम मात्रा के प्रयोग सहित, नवीनतम तकनीकों को किसानों तक पहुचाया जाता है। उर्वरकों के संतुलित और अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी एक बड़े पैमाने पर एक प्रभावशाली अभियान चलाने की योजना पर विचार कर रही है। यह योजना राज्य सरकारों और निर्माताओं द्वारा किये जा रहे प्रोत्साहनात्मक उपायों के अनुपूरक का कार्य करेगी।

(ग) पिछले वर्ष की तुलना में 1970-71 में विभिन्न फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्रफल में तदनुरूपी वृद्धि की तुलना में नाइट्रोजनक उर्वरकों की खपत में हुई वृद्धि का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र० संख्या राज्य/अन्य	1969-70 की तुलना में 1970-71 में नाइट्रोजनक उर्वरकों की खपत में आंकी गई प्रतिशत वृद्धि	1969-70 की तुलना में 1970-71 में फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्मों के क्षेत्रफल में आँकी गई प्रतिशत वृद्धि
1. आन्ध्र प्रदेश	(—) 29	39

2. असम	कुछ नहीं	50
3. बिहार	16	27
4. गुजरात	(—) 4	65
5. हरियाणा	20	46
6. हिमाचल प्रदेश	(—) 48	76
7. जम्मू व काश्मीर	34	24
8. केरल	(—) 12	18
9. मध्य प्रदेश	63	23
10. महाराष्ट्र	33	54
11. मैसूर	6	35
12. उड़ीसा	(—) 4	45
13. पंजाब	10	7
14. राजस्थान	43	29
15. उत्तर प्रदेश	(—) 7	13
16. पश्चिमी बंगाल	37	34
17. तमिल नाडू	18	31
18. अन्य	2	17
	कुल : 2	28

पंचायती राज संस्थान की असफलता

7847. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या कषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पंचायती राज संस्थान की असफलता के क्या मुख्य कारण हैं;

(ख) उक्त असफलता को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उक्त संस्थान असफल रहा है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) पंचायती राज सस्थाएं असफल नहीं रही हैं, यद्यपि यह हो सकता है कि कुछ मामलों में उनका कार्य आश से कम रहा हो। इन संस्थाओं ने उन राज्यों में अच्छा कार्य किया है जिनमें उन्हें पर्याप्त संशोधन तथा प्राधिकार सौंपे गए हैं। जून, 1968 में मद्रास में जब मुख्य मन्त्री और सामुदायिक विकास

तथा पंचायतीराज के प्रभारी राज्य मन्त्री मिलें तब उन्होंने इस विचार का अनुमोदन किया था कि लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण के एक उपकरण के रूप में पंचायतीराज जारी रहना चाहिए; पंचायती राज संस्थाओं को अतिरिक्त स्थानीय संशोधन जुटाने के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए। यह विचार पंचायत सलाहकार परिषद, जिसमें अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ राज्यों में पंचायतीराज के प्रभारी मन्त्री थे तथा जिसके अध्यक्ष कृषि मन्त्री थे, की बैठक में दोहराया गया था।

(ग) जी नहीं।

काजोरा जामबाद कोलियरी, पश्चिमी बंगाल के प्रबन्धकों द्वारा मशीनों और उपकरणों को हटाने के बारे मे शिकायत

7848. **डा० रानेन सेन** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सलेक्टिड काजोरा जामबाद कोलियरी, पश्चिमी बंगाल, जिसे जून, 1971 में रायल्टी का भुगतान न करने के कारण बन्द कर दिया गया था, के प्रबन्धकों द्वारा मशीनों और उपकरणों को हटाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय मे राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार ने सम्पृक्त प्राधिकारियों को देय राशियों को वसूल करने और संयंत्र तथा मशीनरी को हटाए जाने की रोकथाम के लिए आवश्यक कार्यवाई करने के लिए आदेश जारी किए हैं।

पश्चिम बंगाल की काजोरा जामबाद कोयला खान का बन्द किया जाना

7849. **डा० रानेन सेन** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काजोरा जामबाद कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) नियम के पूर्ण उल्लंघन में जून, 1971 के अन्त में बन्द कर दिया गया है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई मुकदमा चलाया गया है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

(ग) क्या उक्त प्रबन्धकों ने मई 1970 में मुख्य खान को भी इसी प्रकार बन्द कर दिया था; और

(घ) कोयला खान संरक्षण और सुरक्षा नियमों को बार-बार उल्लंघन करने के लिए सरकार का प्रबन्धकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) दि सेलेक्टेड कजोरा जम्बाद कोयला खान (खदान कार्यकरण), कोयला बोर्ड को कोयला खान

(संरक्षण और सुरक्षा) नियम 1954 के नियम 40 के अधीन यथा-अपेक्षित समुचित नोटिस दिए बिना ही 29-6-1971 को बन्द कर दी गई थी । कोयला बोर्ड बिना किसी नोटिस दिए बन्द किए जाने के लिए इस खान को अभियोजित करने के प्रश्न की जांच कर रहा है ।

(ग) और (घ) : इस खान का जम्बाद परत भूतल कार्यकरण (3 और 4 गर्त अनुभाग) बिना किसी अपेक्षित नोटिस के 1-12-1970 को बन्द कर दिया गया था । कोयला खान का अभियोजित किया गया है ।

रूस से आयातित सूरजमुखी के परिणाम

7850. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या रूस से आयातित सूरजमुखी की कुछ किस्मों के परिणाम अच्छे निकले हैं; और

(ख) इन किस्मों की परीक्षा के लिये कहां पर उगाया गया था ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1969-70 तथा 1970-71 के दौरान आयातित रूसी किस्मों की उपयुक्तता का पता लगाने के लिये निम्नलिखित स्थानों पर परीक्षण किये गये थे:—

1. आनन्द	13. धुलिया
2. कोयम्बटूर	14. मोहोल
3. हैदरावाद	15. लातुर
4. कल्याणी	16. धारवार
5. कानपुर	17. रायपुर
6. दिल्ली	18. करीमनगर
7. लुधियाना	19. यलमनचिली
8. गुरदासपुर	20. खरगोन
9. जबलपुर	21. वल्लभनगर
10. जलगांव	22. जूनागढ़
11. दिगराज	23. तलोद
12. पंतनगर	24. पूसा

गुजरात में जिंक स्मेल्टर की स्थापना

7851. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में एक जिंक स्मेल्टर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ।

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना को किस स्थान पर स्थगित किया जायेगा; और

(ग) क्या उक्त परियोजना आयातित माल पर आधारित होगी ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं ।

पूर्व जर्मनी को खराब ट्रैक्टरों को वापिस किया जाना

7852. **श्री निहार लास्कर :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1969 में राज्य व्यापार निगम के साथ किये गये समझौते के अधीन सप्लाई किये गये सभी खराब ट्रैक्टरों को वापिस लेने के लिये पूर्व जर्मनी को कहा है;

(ख) क्या सरकार 21 फरवरी, 1971 को पूर्व जर्मनी के साथ किये गये करार का कार्य क्षेत्र बढ़ाने के लिये, जिसके अनुसार जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य सभी ट्रैक्टरों को वापिस लेने पर सहमत हो गया था, उनके साथ बातचीत कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार को इस मामले में कितनी सफलता मिली है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां । अशोधित आर. एस. –09 ट्रैक्टरों की वापसी के बारे में भारतीय व्यापार निगम और पश्चिमी जर्मनी के सप्लाइरों के बीच 21-2-1971 को एक नयाचार पर हस्ताक्षर किये गये थे । नयाचार की एक प्रति पहले ही सभा-पटल पर रखी जा चुकी है ।

(ख) जी हां ।

(ग) बातचीत चल रही है ।

दोषपूर्ण ट्रैक्टरों के कारण हुई हानि के लिए आंध्र प्रदेश तथा पंजाब के किसानों द्वारा क्षतिपूर्ति की मांग

7853. **श्री निहार लास्कर**

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या 21 फरवरी, 1971 को प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किये जाने के पश्चात् और उस तारीख के बाद सुधारे गये ट्रैक्टरों के लगातार दोषपूर्ण होने के बारे मे शिकायतें प्राप्त हुई हैं और आंध्र प्रदेश तथा पंजाब के किसान उस हानि की क्षतिपूर्ति की मांग करते रहे हैं जो उन्हें जर्मन जनतांन्त्रिक गणतन्त्र द्वारा बिगड़े

ट्रैक्टर सप्लाई किये जाने के कारण हुई ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे): सुधारे गये आर० एस० –09 ट्रैक्टरों के कार्य निष्पादन के सम्बन्ध में भी प्राय: शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। पूर्वी जर्मनी द्वारा सप्लाई किये गये दोषपूर्ण ट्रैक्टरों के कारण होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में आन्ध्र प्रदेश तथा पंजाब के कृषकों से मांगे प्राप्त हुई हैं। इन पर विचार किया जा रहा है।

सुन्दरवन, पश्चिम बंगाल में वनों का विकास

7854. **श्री० माधुर्य हालदार** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिम बंगाल में सुन्दर वनों का विकास करने की कोई योजनाओं पर विचार कर रही है : और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक का परिव्यय क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) **और (ख)** जी, हां। पश्चिम बंगाल सरकार का सुन्दरवन क्षेत्र के परिव्यक्त वनों के 580 हैक्टार से भी अधिक भूमि में नारियल के वृक्ष लगाने का विचार है। चौथी पंचवर्षीय योजना के शेष तीन वर्षों के दौरान 18 लाख रूपये की लागत से बागान लगाए जायेंगे।

पश्चिम बंगाल में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

7855. **श्री रेणुपद दास** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल स्थिति विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से गत तीन वर्षों में कितने प्रशिक्षार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुये ;और

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को देश के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, बड़े उद्योगों और अन्य उद्योगों में प्रशिक्षु के रुप में रखा गया ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) 7,972

(ख): 3,057

बंगला देश के शरणार्थियों के लिये विदेशी सहायता

7856. **श्री समर गुह** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से, विभिन्न देशों की सरकारों से और गैर-सरकारी एजेन्सियों से बंगला देश के शरणार्थियों के लिये नकदी और वस्तुओं के रुप में प्राप्त हुई अन्तर्राष्ट्रीय सहायता का नवीनतम अनुमान क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, विभिन्न देशों की सरकारों और निजी ऐजेन्सियों के माध्यम से प्रस्तावित विदेशी सहायता का कुल अनुमान

105·34 करोड़ रुपये है। इस सहायता में से अब तक ६·40 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं जिसमें 2.06 करोड़ रुपये की नगद सहायता भी शामिल है।

अकाल स्थिति के कारण बंगला देश से आ रहे शरणार्थियों की संख्या में वृद्धि

7857. **श्री समर गुह:**

श्री सी० चित्तिबाबु :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अकाल स्थिति तथा निरन्तर किये जा रहे अत्याचारों के कारण बंगला देश से आने वाले शरणार्थियों की संख्या में फिर से वृद्धि हो रही है ;

(ख) क्या बंगला देश के मुसलिम नागरिक फिर से बडी संख्या में आ रहे हैं ?और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ?

कम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जुलाई, 1971 के अन्तर्गत, शरणार्थियों की प्रतिदिन औसत संख्या लगभग 23,000 थी जबकि 6 अगस्त, 1971 को समाप्त होने वाले सप्ताह के अन्तर्गत औसत संख्या लगभग 45,000 व्यक्ति प्रतिदिन थी। आयाकि शरणार्थियों की संख्या में वृद्धि निरन्तर किये जा रहे अत्याचारों से है या पूर्वी बंगाल में अकाल की स्थिति के कारण है, यह परिशुद्ध रूप में सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

(ख) और (ग) पूर्वी बंगाल से भारत आने वाले शरणार्थी सभी धर्मों को मानने वाले हैं जैसे—मुसलमान, हिन्दू, बौद्ध, ईसाई आदि। सरकार द्वारा धर्म-वार या समुदाय वार अलग अलग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के दिल्ली स्थित कार्यालय से लोहे तथा इस्पात के आयात का आवंटन

7858. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिन्दुस्तान स्टील्स लिमिटेड के दिल्ली स्थित कार्यालय से व्यापारियों तथा निर्माताओं को प्रति मास कितने लोहे और इस्पात का आवंटन किया जाता है ;

(ख) कितने व्यक्तियों/फार्मों को आवंटन किया जाता है;

(ग) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उन व्यक्तियों और फार्मों के नाम क्या है जिन्हें आवंटन किया जा रहा है;

(घ) क्या इस समुदाय के लिये कुछ आवंटन निर्धारित करने का सरकार का क्या विचार है; और

(ड) यदि हां, तो कितना तथा किस प्रकार से और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खान) : (क) और (ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) से (ङ) : मुख्य उत्पादकों के सभी स्टाकयार्ड, जिनमें हिन्दुस्तान स्टील लि० का दिल्ली स्थित स्टाकयार्ड भी शामिल है, एक समनीति के अनुसार जो, संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा निर्धारित की गई है । इस्पात के माल का वितरण करते हैं । सप्लाई मुख्यत: वास्तविक उपभोक्ताओं को उनकी क्षमता तथा आवश्यकताओं के अतिपात को ध्यान में रखकर की जाती है । स्टाकयार्डों से सामुदायिकता के आधार पर आवंटन के लिए इस्पात की मात्रा अलग से रखने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

कीड़ों से फसल की हानि को रोकने के लिये उपाय

7859. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कीड़े और चूहे प्रत्येक वर्ष फसल का एक अच्छा भाग नष्ट कर देते है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष कितनी हानि होती है; और

(ग) क्या इनसे होने वाली हानि को न्यूनतम करने के लिए सरकार का विचार नये उपाय काम में लाने का है और यदि हां, तो वे उपाय क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) कृमि, कीट, वनस्पति रोगों तथा खरपतवारों के आक्रमणों के कारण खाद्यान्न फसलों को हानि का मूल्यांकन 15 से 20 प्रतिशत तथा गोदाम सहित कुल हानि का अनुमान कुल उत्पादन का लगभग 20 प्रतिशत है । देश में क्षतिग्रस्त फसल की हानि के सम्बन्ध में वर्तमान वर्ष के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है । फिर भी, कीट तथा रोगों से प्रभावित होने वाली विभिन्न फसलों की हानि का राज्यवार मूल्यांकन संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) फललों पर कीट तथा रोगों के आक्रमण के कारण होने वाली हानि को कम करने तथा उनके नियंत्रण के लिये भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा कई उपाय किये गये हैं । कीट तथा रोगों के नियंत्रण के लिये, जो कि किसी क्षेत्र में स्थानीय महामारी के रूप में हो तथा किसी फसल पर बार-बार आक्रमण करते हों, वर्ष 1970--71 से हवाई रासायनिक कार्यों द्वारा ऐसे कीटों तथा रोगों को अधिकांशत: समाप्त करने की दृष्टि से किसानों की सहायता के लिये एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना चालू है । इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार 7 रुपये प्रति एकड़ की सीमा तक हवाई कार्यों की लागत वहन करती है । 12·96 लाख एकड़ के क्षेत्रों को आवृत करने के लिये 1970--71 में विभिन्न राज्यों में इस योजना के अन्तर्गत नियंत्रण उपाय किये गये और राज्यों को 73·21 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गयी । इस योजना के अन्तर्गत चालू वर्ष के लिये अब तक 16·64 लाख एकड़ के कुल क्षेत्र में हवाई-रासायनिक कार्यों के एक कार्यक्रम की स्वीकृति दे दी गई है ।

जब कृमि, कीट, रोग आदि स्थानीय महामारी के रूप में फैलते हैं तो नियन्त्रण उपाय के लिये भारत सरकार, प्राकृतिक आयात राहत निधि से भी राज्यों को सहायता देती है । राज्यों को नियन्त्रण कार्यों के लिए कीटनाशी औषधी की कुल लागत पर 50 प्रतिशत की सीमा तक अनुदान के रूप में तथा 25 प्रतिशत की सीमा तक ऋण के रूप में सहायता दी जाती है ।

कुछ राज्य सरकारें फसलों पर कीट तथा रोगों के नियंत्रण के लिये कीटनाशी औषधियों के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए भी राज सहायता दे रही है ।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	कीट रोग का नाम	प्रवावित क्षेत्र
			एकड़
1.	राजस्थान	कपास पर फील्ड क्रीकेट	85,000
2.	महाराष्ट्र	ज्वार पर इयर हैड केटरपिलर	22,000
		रबी ज्वार पर चिक्ता	2,47,100
		नारियल रोग (कपा)	13,400
3.	मैसूर	मूंगफली पर रेड हेयरी केटरपिलर	77,325
		रागी पर कृमि कीट	2,50,000
		ज्वार इयर हैड वग	1,30,000
4.	आध्र प्रदेश	धान पर हिस्पा	5,01,346
		धान पर गल्ल फूलाई	20,000
		मूंगफली लीफ वेविवंग केटरपिलर	1,69,672
5.	जम्मू तथा कश्मीर	मक्का पर तना वेधक	16,000
6.	मध्य प्रदेश	धान पर गाल फुलाई	3,765
		कपास पर जेसिड	45,000
		बुलवार्म, कीफ रालर, आदि ।	
7.	बिहार	गन्ना पर वेधक	93,000
		मक्का पर वेधक	55,000
		धात तना वेधक	55,000
		धान जेउिड का रोग कमप्लेक्स	15,000
8.	हरियाणा	पाइरिला लीफ हायर	60,000

उत्तर प्रदेश में सूरजमुखी और सोयाबीन के उत्पादन की किस्मों का विकास

7860. **श्री कृष्णचन्द्र पाडे** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में सूरजमुखी और सोयाबीन की किस्मों की खेती की जा सकती है; और

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य में इन किस्मों का विकास करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री(श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) सूरजमुखी और सौयाबीन की किस्मों के विकास के लिये समन्वित तिलहन विकास योजना और अखिल भारतीय समन्वित सौयाबीन विकास परियोजना के अन्तर्गत अनुसन्धान किया जा रहा है । इन परियोजनाओं के अन्तर्गत सूरजमुखी और सौयाबीन की उपलब्ध, विभिन्न किस्मों की उपयुक्तता का अनेकों केन्द्रों में परीक्षण किया जा रहा है और उनसे अधिक उपज प्राप्त करने के लिए विभिन्न कृषि वनस्पति सुरक्षा तकनीकों का विकास किया जा रहा है । और सूरजमुखी और सौयाबीन के उत्पादन को बढ़ाने के लिये केण्द्रीय कृषि विभाग ने निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किये हैं :

1. **सूरजमुखी** : 1971-72 में उत्तर प्रदेश सहित 12 राज्यों के 900 हैक्टार क्षेत्र में कार्यान्वयन के लिये सूरजमुखी के प्रदर्शन के लिये एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्वीकृत की गई है । उत्तर प्रदेश के लिए भौतिक लक्ष्य तथा वित्तीय परिव्य निम्न प्रकार हैं :

भौतिक लक्ष्य (हैक्टार)

खरीफ	**रबी/ग्रीष्म**	**योग**
50	40	90
किस्म	**वित्तीय परिव्यय रु०**	
खरीफ—68414	27,000	
रबी | सूर्योदय		
ग्रीष्म		

2. **सौयाबीन** : भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सहित देश के 13 राज्यों के उन क्षेत्रों मे जहां सौयाबीन के उत्पादन की काफी सम्भाव्यता समझी जाती हैं, 1970-71 के दौरान सौयाबीन की अधिक उपज देने वाली विदेशी किस्मों के विकास के लिये समग्र प्रदर्शन की इसी प्रकार की एक केन्द्रीय प्रायोजित स्वीकृत की है । 1971-72 के दौरान भी इस योजना को उत्तर प्रदेश सहित देश के 14 राज्यों के 600 हैक्टार क्षेत्र में चालू रखा जा रहा है । उत्तर प्रदेश के लिये इस योजन भौतिक लक्ष्य और वित्तीय परिव्यय निम्न प्रकार हैं :

1971-72

लक्ष्य (हैक्टार)	**संस्वीकृत राशि**
100	25,000

अधिक उपज देने वाले बीजों की किस्म सम्बन्धी कार्य-क्रम में त्रुटिया

7861. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक उपज देने वाले बीजों की किस्मों सम्बन्धी कार्यक्रम में त्रुटिया हैं; ।

(ख) क्या उन त्रुटियों को दूर करने के लिये स्वीकृत अनुसंधान और विकास प्रयासों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) विभिन्न कृषि जलवायु सम्बन्धी प्रदेशों में किस्मों की प्रतिकूलता, पैकेज पद्धतियों को आंशिकरूप से अपनाना, विशेषतया उर्वरकों का संतुलित प्रयोग करना और कीटों तथा रोगों का आक्रमण आदि कुछ रुकावटें मौजूद हैं।

(ख) और (ग) कार्यक्रम में सम्मिलित फसलों के सम्बन्ध में समन्वित अनुसंधान परियोजनायें शुरु की गई हैं और विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल और कीट तथा रोग रोधी किस्में विकसित की जा रही हैं। किसानों के प्रशिक्षण तथा राष्ट्रीय प्रदर्शनों के माध्यम से किसानों को शिक्षा देने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया है जहाँ अधिक उत्पादनशील किस्मों की खेती की तकनौलाजी तथा मितव्यता का प्रदर्शन किया जा रहा है।

धनवान किसानों द्वारा ऋणों का भुगतान न किये जाने के बारे में सर्वेक्षण

7862. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनवान किसान विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये गये ऋणों के भुगतान नहीं करते हैं;

(ख) क्या इस बात की पुष्टि करने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) उस सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) . ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। ऐसे किसी सर्वेक्षण की अनुपस्थिति में स्पष्ट रूप से कहना संभव नहीं है कि सशक्त कृषक विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये गये ऋणों की वापिस अदायगी नहीं करते।

(घ) प्रश्न नहीं होता।

हल्दिया औद्योगिक क्षेत्र में पुनर्नियुक्ति

7863. **श्री मनोरंजन हाजरा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल के प्रभारी मन्त्री श्री सिद्धार्थ शंकर राय द्वारा दिए गये इस व्यक्त की ओर दिलाया गया है कि हल्दिया औद्योगिक बेल्ट में एक वर्ष के अन्दर 1,00,000 व्यक्तियों को रोजगार दिया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी जा रही है ।

पश्चिम बंगाल में चुसिक कोयला खान में जबरन छुट्टी किये गये श्रमिक

7864. **श्री मनोरंजन हाजरा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला और खनिज सिण्डीकेट, आसनसोल (पश्चिम बंगाल) की चुसिक कोयला खान के 500 सदस्यों को 5 जुलाई, 1971 से जबरन छुट्टी दे दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो जबरन छुट्टी करने के क्या कारण हैं, और

(ग) सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) घुसिक (चुसिक नहीं) कोयला खान के 419 श्रमिकों को 5 जुलाई, 1971 से जबरन छुट्टी दी गई थी ।

(ख) पर्याप्त मात्रा में वेगनों के न मिलने के कारण खान मुख पर इतना अधिक कोयला इकट्ठा हो गया था । जिससे और ज्यादा कोयला इकट्ठा करना आर्थिक दृष्टि से लाभ-प्रद नहीं होता ।

(ग) रेल मंत्रालय कोयला खानों के लिए वेगन उपलब्ध कराने की स्थिति में सुधार करने हित कार्यवाही कर रहा है । श्रम मंत्रालय भी इस सम्बन्ध में रेल मंत्रालय के साथ सम्पर्क बनाये हुए है ।

पश्चिम बंगाल में सूती कपड़ा मिलों और कोयला खान का बन्द होना

7865 **श्री रोबिन सेन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में गत अप्रैल के मध्य तक 463 कारखाने, 22 सूती कपड़ा मिलें और 16 कोयला खानें बन्द थीं;

(ख) यदि हां, तो उन्हें फिर से चालू करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) क्या अधिकतर प्रबन्धकों ने उन्हें बन्द करने से पूर्व 30 दिन का अपेक्षित नोटिस नहीं दिया था, और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

Solving Water and Food Problem by Making Rajasthan Desert Fertile Through Atomic Energy

7866. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) Whether atomic energy would be utilised in making desert land of Rajasthan fertile and then the said land used for cultivation to solve the water and food problems; and

(b) Whether Government propose to carry out a survey in this reqard and start work on the basis of information already available ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Sher Singh) : (a) A nuclear power plant installed in Tarapore with a capacity of 400 MW is already supplying power to the grids of Maharashtra and Gujarat for Agricultural and industrial purposes. Two more nuclear plants of more or less of the same capacity are under installation—one at Ranapratap Sagar in Rajasthan and the other in Tamil Nadu. These will supply power for agricultural and in ustrial purposes in Rajasthan, Tamil Nadu and other adjoining States.

(b) The Department of Atomic Energy is already carring out investigations and research studies for the development of nuclear power agro-industrial complex at two locations one in Kutch in the Saurashtra Region and the other in the Gangetic plains.

माईनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर द्वारा प्राप्त आर्डरों का अन्य फर्मों को दिया जाना

7867. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य सरकारी एजेंसियों से प्राप्त बहुत से आर्डरों को माईनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर द्वारा गैर-सरकारी फर्मों को दिया जा रहा है;

(ख) क्या यह उस स्थिति में किया जा रहा है जबकि कारखानों की लगभग 20% क्षमता का उपयोग किया जा रहा है; और

(ग) गत वर्ष में कुल योजना बद्ध लक्ष्य में से कितने प्रतिशत आर्डर दूसरी फर्मों को दिए गए तथा इस वर्ष कितने प्रतिशत आर्डर दिये जाने की सम्भावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) वर्ष 1970-71 में कुल योजनाबद्ध लक्ष्य में से 18 प्रतिशत काम दूसरी फर्मों को दिया गया जिसमें से 4 प्रतिशत काम सहायक उद्योगों को दिया गया । वर्ष 1971-72 में उत्पादन लक्ष्य का 20 प्रतिशत काम दूसरी फर्मों को देने की योजना है जिसमें से 8 प्रतिशत काम सहायक उद्योगों को उनकी अनुक्रिया को देखते हुए दिया जाएगा ।

दंडकारण्य परियोजना के कार्यप्रभारित कर्मचारियों को वेतन की गैर-अदायगी

7868. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपरिटेंडिंग इंजीनियर (निर्माण), दंडकारण्य परियोजना, जगदलपुर धर्मपुरा के अधीन दंडकारण्य परियोजना के पारानकोटे, उमेरकोटे, अम्बागुडा कोण्डागांव में काम करने वाले कार्य प्रभारित कर्मचारियों को गत कई महीनों से वेतन अदा नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कार्य प्रभारित कर्मचारियों को बकाया वेतन अदा करने के किये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

रूरकेला इस्पात संयंत्र के पीड़ितों को दी गई सहायता

7869. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रूरकेला इस्पात संयंत्र में हाल में हुई दुर्घटना के पीड़ितों को सरकार ने कौन सी विशेष सहायता दी है?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : सामान्य प्रचलन के अनुसार दुर्घटना में मृत कर्मचारियों के आश्रितों तथा घायल हुए कर्मचारियों को, जो क्षतिपूर्ति के हकदार हैं, कामगार मुआवजा अधिनियम के अन्तर्गत मुआवजा देने के लिए कार्यवाई की जा रही है । इसके अलावा प्रबन्धक वर्ग द्वारा मृत कर्मचारी के एक लड़के को नौकरी भी दी जा रही है ।

मैंगनीज अयस्क का उत्पादन

7870. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री मयह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मैंगनीज अयस्क का उत्पादन विदेशों में इसकी मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार मैंगनीज अयस्क के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र के एककों के राष्ट्रीयकरण का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) देश में मैंगनीज अयस्क का उत्पादन विदेशी बाजार में वर्तमान मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है ।

Labour and Staif in Bhilai Steel Plant

871. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Ministor of **Steel and Mines** be pleased to state ;

(a) The number of labourers and other employees working in the Bhilai Steel Pla t at present; and

(b) The number of those employees who have been working there for more than ve yfiears but are still temporary ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan): (a) & (b). The nformation is being collected and will be laid on the Table of the House.

Conservancy Charges from Workers of Bhilai Steel Plant

7872. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Steel and Mines be pleased to state.

(a) Whether the labourers working in Bhilai Steel Plant are being charged at the rate of one rupee per quarter as conservancy charges;

(b) The date since when this amount is being collected from them and the head under which it is being accounted for; and

(c) The benefits to the labourers therefrom and the amount so far colleeted under this head ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) By and large, the Bhilai Steel Plant workers have been allotted quarters having one latrine each an conservancy charges from these quarters are recovered @ Rs. 1 per latrine. Where quarters having one common latrine for two units have been allotted, the rate is 50 paise per unit. No conservancy charges are being recovered from allottees of non-standard quarters having common latrines.

(b) These charges are being levied from January 1961 and are accounted for as "Township Income."

(c) As a result of this arrangement, no separate sweeper need be engaged by the employees for cleaning their latrines. The sweepers have been employed by the Public Health Department of the Bhilai Steel Plant. Approximately Rs. 22 lakhs has been collected on this account from January 1961 to 31st March 1971.

E. P. F. Dues With Tayko Texile Industry, Baroda

7873. **Shri Huham Chand Kachwai** : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) The number of workers and employees working in Tayko Textile Industry, Baroda, at present,

(b) The amount of the Employees' Provident Fund deposited by the said industry during the last two years and the amount of Provident Fund still to be deposited in respect of this period, and

(c) The action proposed to be taken by Government for declaring the temporary employees who more then three years service at their credit as permanent and to get the due amount deposited relating to the Provident Fund ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : The administration of the Employees Provident Fund is the concern of the Central Board of Trustees set up under the Employees Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 and is not the direct concern of the Central Government. The Provident Fund Authorities have reported that there is no establishment by the name of Toyko Textile Industry, Baroda covered under the Employees Provident Fund and Family Pension Fund Act, 1952. However, there is another establishment by the name of the Textile Appliances and Instruments

Company Pvt. Limited, Baroda which has heen covered under the Act and which has been using "Taico" as its Trade name. The information in regard to this establishment is as ander :—

(a) 125.

(b) Rs. 24,925/-deposited for two years ending 30. 6. 1971. Full amount deposited as per returns filed by the establishment. The establishment has, however, to deposit Rs. 6,812/-in respect of 30 employees who are not enrolled as members ofEmployees Provident Fund though eligible.

(c) The establishment has been asked to remit the amount of the Employees Provident Fund. Action has been also initiated for recovery of dues as arrears of land revenue.

मनीपुर में सिंघाड़े का उत्पादन

7874. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मनीपुर की लोकटक झील में सिंघाड़े की एक छोटी किस्म बहुतायत से पाई जाती है और साधारणतया मुख्य भोजन के साथ विशेषकर अकाल के दिनों में इसका उपयोग किया जाता है :

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस खाद्य-फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिये वैज्ञानिक उपाय काम में लाने का है; और

(ग) क्या इस फसल के उत्पादन के लिये मनीपुर में पुमलियु, वेटाऊ और खरूंगपन जैसे अन्य बड़े-बड़े मत्स्य-क्षेत्रों पर प्रयोग किया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए वेंटाऊ मत्स्य-क्षेत्र को व्यापारिक मत्स्य फार्म में परिवर्तित किया जा रहा है । पुमलिन तथा खंरूपत मत्स्य क्षेत्रों को पट्टे पर दे दिया गया । सिंघाड़ा (तरापा विसपिनोसा) के सम्वर्धन का कोई कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया है । परन्तु मनीपुर सरकार का मत्स्य विभाग लोकटक झील, पुमलिन खंरूपत और अन्य स्थानों में जल हायसिन्थ की, जो इस पौद की वृद्धि में रुकावट डालता है, वृद्धि में पर नियन्त्रण करने के लिये परीक्षण कर रहा है इन परीक्षणों के परिणामस्वरूप सिंघाड़े के सम्वर्धन के कार्यक्षेत्र के बारे में पता लगेगा ।

मनीपुर में मजदूर संघ

7875. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार मनीपुर के कुछ मजदूर संघों का पंजीकरण रद्द करने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा किन परिस्थितियों के अन्तर्गत किया जा रहा है ; और

(ग) वर्तमान मजदूर संघ अधिनियम के अन्तर्गत कितने और किन-किन मजदूर संघों को पंजीकृत किया गया है ?

श्री श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जायगी।

बंगला देश के शरणार्थियों को विमानों द्वारा लाना

7876. **श्री प्रभुदास पटेल :** **श्री राज राज सिंह देव :**
श्री के० मलन्ना :

क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगला देश के शरणार्थियों को विमान द्वारा लाने का कार्य अमरीका से भारतीय वायु सेना ने अपने हाथ में ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या रूस और कुछ अन्य देशों के विमान अभी तक यह कार्य कर रहे हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री ((श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) **और** (ख). 18·7.1971 से संयुक्त राज्य परिवहन वायुयानों की, जो कि केवल एक मास की निश्चित अवधि के लिए लिए गए थे, हटा लेने के परिणामस्वरूप खाद्य सामग्री और राहत सप्लाई को गौहाटी से त्रिपुरा ले जाने और वापसी पर शरणार्थियों को लाने का कार्य भारतीय वायु सेना के वायुयानों को सौंपा गया है।

(ग) केवल रूसी वायुयान कलकत्ता से माना के बीच कार्य कर रहे हैं।

बंगला देश के शरणार्थियों को ले जा रहे अमरीकी विमान को क्षति

7877. **श्री प्रभुदास पटेल :** **श्री राजसिंह देव :**
श्री के० मालन्ना :

क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या बंगला देश ने आये शरणार्थियों को ले जाते समय पाकिस्तान सेना के एक अमरीकी विमान को क्षति पहुंचाई थी, जैसा कि 20 जुलाई, 1971 के टाइम्स आफ इण्डिया में समाचार प्रकाशित हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर के० खाडिलकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश और पंजाब में जस्ते की कमी के संबंध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा किये गये अध्ययन

7878. **श्री प्रभुदास पटेल :**
श्री के० मालन्ना :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में 41 आदर्श कृषि केन्द्रों में फसल क्रम सूची और चक्रानुक्रम के सम्बन्ध में किये गये अनुसंधान के बड़े अच्छे परिणाम निकले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा आरम्भ की गई समेकित अनुपोषक योजना के अन्तर्गत किये गये अध्ययन से उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि के अनेक जिलों में जस्ते की व्यापक कमी का पता लगा है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) देश के विभिन्न भागों में स्थित विभिन्न आदर्श सस्य-विज्ञान सम्बन्धी केन्द्रों में सघन श्रम तथा अधिक लाभ कारी बहुफसली सस्यावर्तन का परीक्षण पूर्ण कर लिया गया है । ऐसे सस्यावर्तनों के परिणाम 19 अनुसंधान केन्द्रों से प्राप्त हुए थे । जहां तक खाद्यान्न फसल, तिलहन तथा दालों का सम्बन्ध है, तिहाई से अधिक केन्द्रों ने प्रति हैक्टार 10 मीटरी टन से अधिक का उत्पादन किया है । सबसे अधिक उत्पादन, मक्का-गेहूं-चीना के फसल क्रम से कथुलिया फार्म (मध्य प्रदेश) में प्राप्त हुआ है, जिसमें अनाज का प्रति हैक्टार कुल उत्पादन 15·5 मीटरी टन हुआ । अन्य तीन फसल के क्रमों का सबसे अधिक उत्पादन मक्का-लाई-गेहूं-चीना पंतनगर में हुआ (13·5 मीटरी टन/प्रति हैक्टार) । यहां तक कि किस्मों के उचित चयन द्वारा अनुवर्ती चावल की फसलों से मलतेरु (आंध्र प्रवेश) में दो फसल-क्रम से अनाज 12 मीटरी टन प्रति हैक्टार से अधिक उत्पादन करना सम्भव हुआ । इस केन्द्र में प्रति वर्ष उगाई गई चावल की तीन फसलों की तुलना में चावल की दो फसलों में कुल उत्पादन अधिक हुआ, जिससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि अधिक उत्पादनशील किस्मों का प्रयोग उर्वरकों तथा कीटनाशी औषधियों के संतुलित उपयोग तथा उचित मृदा तथा जल व्यवस्था की प्रणालियों से प्रतिवर्ष प्रति इकाई भूमि पर कई गुणा अधिक उत्पादन प्राप्त करना सम्भव होगा ।

(ग) जी हां ।

(घ) पंजाब के लुधियाना, पटियाला तथा जलन्धर जिलों में उत्तर प्रदेश के नैनीताल आजमगढ़, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, कानपुर तथा बस्ती जिलों में, आंध्र प्रदेश के करनूल, करीमनगर, हैदराबाद, निजामाबाद तथा नेल्लूर जिलों में और हरियाणा, के हिसार, रोहतक, अम्बाला तथा करनाल जिलों में जिन्क की अत्यधिक कमी पाई गई है । बिहार, मध्य प्रदेश तथा गुजरात और अन्य राज्यों से भी जिन्क के अभाव के कई मामले संचित किये गये ।

यह भी देखने में आया है कि जिन्क के अभाव से फसलों, विशेषकर कुछ अधिक उत्पादनशील किस्मों के उत्पादन में कमी आ जाती है और उर्वरकों के असंतुलित उपयोग अनुपयुक्त मृदा,

जल तथा फसल प्रबन्धों की परिस्थितियों में उत्पादन में यह कमी और अधिक बढ़ जाती है ।

पश्चिमी बंगाल में भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की शिकायतें

7879. **श्री वीरेन दत्त** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों ने अपनी कठिनाइयों के बारे में सरकार को कोई ज्ञापन दिया था ;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की मुख्य कठिनाइयाँ क्या हैं; और

(ग) उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) ज्ञापन में उल्लिखित मुख्य शिकायतें मांगें निम्न प्रकार हैं :

1. राज्य सरकार के प्रतिनियुक्तों की वापसी को रोकना ।

2. भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य सरकार द्वारा 26-11-66 को हस्ताक्षर किए गए करार का पुनरीक्षण ।

3. कलकत्ता क्षेत्रीय प्रबन्धक के कार्यालय के अन्तर्गत सभी रिक्तियों को राज्य सरकार के खाद्य तथा सम्भरण के कर्मचारियों द्वारा भरना ।

4. भारतीय खाद्य निगम में राज्य के प्रतिनियुक्तों को उच्चतम पदों पर पदोन्नति देना जैसा कि खाद्य विभाग के स्थानान्तरित कर्मचारियों के बारे में किया गया है ।

5. प्रोफार्मा पदोन्नति को पुन: शुरू करना ।

6. सारे चिकित्सा खर्चे की प्रतिपूर्ति करने को पुन: शुरू करना ।

7. भारतीय खाद्य निगम में मनमानी से तथा प्रेरित स्थानान्तरण को रोकना ।

8. राज्य के खाद्य विभाग के प्रतिनियुक्तियों को स्थानान्तरित कर्मचारी मानना, और

9. भारतीय खाद्य निगम में भन्डारण एजेन्सी प्रणाली को समाप्त करना और राज्य खाद्य डिपो की प्रणाली को शुरू करना ।

(ग) भारतीय खाद्य निगम पश्चिमी बंगाल की सरकार के परामर्श से पश्चिमी बंगाल के कर्मचारियों के अभ्यावेदन पर विचार कर रहा है ।

संतुलित मजूरी ढांचे के माध्यम से औद्योगिक शान्ति बनाये रखने तथा युनियन को मान्यता देने के लिए योजना

7880. **श्री वीरेन दत्त**: क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संतुलित मजूरी ढांचें के माध्यम मे औद्योगिक शान्ति बनाये रखने और बहुमत समर्थन प्राप्त श्रमिकों की यूनियन को मान्यता देने के लिए नई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) इस प्रकार की कोई नई योजना नहीं बनायी गयी है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कुतृणनाशी का प्रभाव और किसानों को आधुनिक प्रकार के सुधरे हुए बुवाई उपकरणों की सप्लाई

7881 **श्री वीरेन दत्त** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम और केरल में घास पात के नाश के कुशलतापूर्वक प्रयोग करने के लिए अपेक्षित उपकरणों और कुतृणानाशी को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) किसानों को उचित और सहायता-प्राप्त दर पर आधुनिक प्रकार के बुवाई उपकरण प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) यद्यपि कीटों और कृमियों पौध रोगी और चूहों पर नियन्त्रण के लिये कीटनाशी, फुंगीनाशी चुहेनाशी दवाओं को किसान बड़े पैमाने पर प्रयोग कर रहे हैं परन्तु खरपतवार नाशियों के प्रयोग में कोई विशेष सफलता नहीं मिली है । इसे ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने राज्य सरकारों के परामर्श से, चौथी योजना के अन्तिम वर्ष में 20 लाख एकड़ क्षेत्र में खरपतवार नियन्त्रण का एक साधारण लक्ष्य निर्धारित किया है । खरपतवार नियन्त्रण के अन्तर्गत 20 लाख एकड़ भूमि आवृत करने का वर्षवार ब्यौरा निम्न प्रकार है :

1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74
0·5	0·8	1·2	1·6	2

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के तत्वाधान में विभिन्न फसलों जिनमें धान भी सम्मिलित है, के खरपतवारों को नियन्त्रित करने के लिए प्रतिवर्ष विभिन्न खरपतवार नाशियों की क्षमता को निर्धारित करने के लिए विभिन्न स्थानों पर खरपतवार नियन्त्रण परीक्षण किये जाते हैं । कई कृषि विश्वविद्यालय तथा राज्य कृषि विभागों ने खरपतवार नियन्त्रण समस्या को हल करने के मिये रसायनों की क्षमता का आकलन करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं ।

इसके अतिरिक्त वनस्पति संरक्षण-संगरोध एवं भण्डारण निदेशालय विभिन्न फसलों के

खरपतवारों पर खरपतवार नाशियों के प्रयोग का मूल्यांकन और प्रदर्शन करने के लिए एक अखिल भारतीय मार्गदर्शी परियोजना चला रहा है। चौथी योजना में सारे देश जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और केरल भी सम्मिलित हैं, को आवंटित करने के लिए चौथी योजना में इस परियोजना के लिये 13·85 लाख रु० के परिव्यय की व्यवस्था है। इस परियोजना के कार्यान्वयन से किसानों को इस खरपतवारनाशी महत्वपूर्ण कृषि,आदान की क्षमता तथा लाभों का किसानों के समक्ष प्रदर्शन कर इन्हें इससे अवगत कराना सम्भव हो सकेगा। आरम्भिक अवस्था में तो इस कार्य को, धान, गेहूं, बाजरा, मक्का और ज्वार पांच फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्मों तक ही सीमित रखा गया है। खरपतवारनाशियों का विभिन्न राज्यों में विभिन्न फसलों के लिये (स्थानों की संख्या सहित) प्रयोग के प्रदर्शनों को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है। परियोजना की लागत का मूल तथा खरपतवार नियंत्रक रसायन, अर्थात् खरपतवार नाशी है जो राज्यों को मुफ्त दिये जायेंगे। इस समय 51 स्थानों पर 2,000 हैक्टार क्षेत्र में तथा योजना के अन्तिम वर्ष में बढ़ाकर 4,005 हैक्टार क्षेत्र में प्रदर्शन करने का प्रस्ताव हैं। **[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०—913/71]**

हवाई छिड़काव खरपतवारनाशियों के प्रयोग की सबसे साधारण प्रणाली है। अन्य कीटनाशियों के समान ही खरपतवारनाशियों के प्रयोग के लिये कम और अधिक क्षमता वाले दोनों ही पम्प छिड़काव के लिये इस्तेमाल में लाए जाते हैं। खरपतवार नियन्त्रण कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाले मानवचालित तथा शक्तिचालित दोनों प्रकार के उपकरणों की कोई कमी नहीं है। सभी राज्य खरपतवार नियन्त्रण के लिये आवश्यक उपरोक्त सभी प्रकार के उपस्करों से पूरी तरह सुसज्जित हैं और देश में खरपतवारनाशी उपकरणों की कोई कमी नहीं है।

(ख) किसानों को बुवाई में उपकर क्रय करने में कोई उपदान नहीं दिया जाता। तीसरी योजना के दौरान बीज और उर्वरक दिल्ली का प्रदर्शन करने और लोकप्रिय बनाने के लिये एक योजना चलाई गयी थी और उपस्करों पर उपदान भी दिया गया था। चौथी योजना में एक साधारण नीति के स्वरूप उपस्करों पर उपदान को बन्द ही कर दिया गया है।

केन्द्रीय भूमि सुधार समिति की सिफारिश की क्रियान्वित

7882. **श्री गदाधर साहा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भूमि सुधार समिति की सिफारिशों को राज्यों द्वारा लागू किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) **तथा (ख)**. केन्द्रीय भूमि सुधार समिति सितम्बर 1970 में नियुक्त की गई थी। इसकी अब तक दो बैठकें हुई हैं। समिति के विचार विमर्श के परिणामस्वरूप अधिकतम सीमा के सम्बन्ध में राज्य के कानूनों में व्यापक रूप से समरूपता लाने के लिए निम्नलिखित व्यापक मार्गदर्शन पद्धतियां सामने आई है और ने समिति निम्नलिखित सिफारिशे की हैं :—

(1) अधिकतम सीमा पूरे परिवार पर लागू होनी चाहिए । शब्द 'परिवार' की परिभाषा में पति, पत्नी तथा अवयस्क बच्चे आते हैं;

(2) जहां परिवार के सदस्यों की संख्या 5 से अधिक है वहां पांच से अधिक प्रत्येक सदस्य को अतिरिक्त भूमि रखने की अनुमति इस तरीके से दी जानी चाहिए कि कुल क्षेत्र उस क्षेत्र के दुगने भाग से अधिक नहीं होना चाहिए जितना एक परिवार को रखने का अधिकार है;

(3) पांच सदस्यों के एक परिवार के लिए अधिकतम सीमा वार्षिक सिंचित भूमि या दो फसल उगाने योग्य सिंचित भूमि के 10 से 18 एकड़ की सीमा के अन्दर निर्धारित की जानी चाहिये । चूंकि भूमि परिस्थितियां, भूमि की उत्पादकता, उगी हुई फसल का स्वरूप आदि एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न 2 होते हैं; बल्कि उसी राज्य के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र भिन्न 2 होते हैं, समिति ने समस्त देश के लिए कोई कठोर अधिकतम सीमा का सुझाव देने की बजाय एक ऐसी सीमा बनाने का संकेत दिया जिसके अन्दर अधिकतम सीमा निर्धारित की जानी चाहिए ।

(4) जल, उत्पादकता, भूमि वर्गीकरण, उगती हुई फसलें आदि की उपलब्धता को दृष्टि में रखते हुए अवन्य विभिन्न वर्ग की भूमि के लिए परिवर्तन अनुपात निर्धारित किया जाना चाहिए । 5 सदस्यों के एक परिवार के लिए अधिकतम सीमा शुल्क भूमियों में भी 54 एकड़ निश्चित की जानी चाहिए । भूमि का स्वरूप, वर्षा, निरन्तर सूखा परिस्थितियों आदि को ध्यान में रखते हुए ऐसा करने के लिए यदि कोई औचित्य है तो इस सीमा में छूट दी जा सकती है ।

(5) यंत्रीकृत फर्मों, भली भांति प्रबन्धित फर्मों आदि के सम्बन्ध में वर्तमान राज्य कानूनों में छूट वापिस ले ली जानी चाहिए ।

(6) जहां तक चाय, काफी, इलायची, रबड़ आदि के पोद-रोपण में छूट देने का सम्बन्ध है, समिति ने सलाह दी है कि सम्बन्धित मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के परामर्श से इन बातों पर सावधानी से विचार किया जाना चाहिये । इसके बाद राष्ट्रीय नीति बनाने की दृष्टि से इस छूट तथा अन्य छूटों के सम्बन्ध में मुख्य मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया जाना चाहिए । भारत सरकार इच्छुक है कि राज्य सरकारें सिफारिशों की क्रियान्विति के कार्य को शीघ्र ही शुरू करें ।

देहात में श्रमिकों के लिए निर्वाह मजूरी दर का निर्धारण और काम के घंटों में कमी

7883. **श्री गदाधर साहा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहात में श्रमिकों के लिये न्यायोचित मजूरी दर का निर्धारण करने तथा काम के घण्टों में कमी करने सम्बन्धी कानून बनाने के लिए सरकार का विचार ऐसा कानून कब तक बनाने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). स्पष्टतः प्रश्न

का आशय कृषि श्रमिकों से है । उनकी मजदूरी-दरें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन निर्धारित की गई हैं । इस अधिनियम में मजदूरी-दरों में सामयिक पुनरीक्षण और संशोधन, काम के घंटों के निर्धारण, आदि की व्यवस्था है । अतः केन्द्रीय सरकार द्वारा और किसी विधान की आवश्यकता नहीं समझी जाती । यह भी उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु, केरल और पांडिचेरी जैसे कुछ राज्यों संघ-शासित क्षेत्रों में कृषि श्रमिकों को उचित मजदूरी आदि की अदायगी सुनिश्चित कराने के लिए विशेष कानून बनाए गए हैं ।

Survey for Installation of Exploratory Tube-wells in Madhya Pradesh

7884. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Agriculture be pleased to state:

(a) Whether any survey has been conducted for the installation of exploratory tubewells in Madhya Pradesh;

(b) If so, whether Government have made arrangements for the installation of the aforesaid tubewells in Madhya Pradesh;

(c) The number of exploratory tubewells installed in Madhya Pradesh;

(d) The averege cost expended on an exploratory tube well; and

(e) If survey has not been conducted the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Agricutture (Shri Sher Singh) : (a) to (c), Since its inception i. e, 1954—55. Central Ground water Board (formerly Exploratory Tubewells Organisation) has drilled 74 exploratory wells out of which 41 wells have proved successful. Further work is in progress.

Besides the above, a Project for the study of the water resources of the alluvial parts of Narmada river valley is to be put on ground shortly.

(d) The average cost of a successful tubewell in respect of the work done in Narmada Valley in 1956—58 was Rs 43,200.00 including cost of pump and engine, depreciation charges and overhead charges. Average cost of successful tubewells in 1962—64 was Rs. 25,000,00 without cost of pump and engine. Average cost for the successful tubewells constructed subsequently will be worked out after the accounts have been finalised.

(e) Does not arise.

Deplorable Condition of Farmers of East Nimar District M. P. Due to Lack of Irrigation Facilities

7885. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Agricultare be pleased to state :

(a) Whether the financial condition of farmers of East Nimar district in Madhya Pradesh, particularly the areas where Adivasis are in a large number, is still deplorable;

(b) Whether it is due to acute shortage of irrigation facilities in these areas; and

(c) If so, whether Government propose to provide irrigation facilities by digging wells etc. there?

The Minister of State in the Ministery of Agriculture (Shri, Sher Singh) (a) to (c) The information is being collected and will be placed on the table of the Lok Sabhe, when received.

Development of New Varieties of Rice in Madhya Pradesh and Location of Research Centres

7886. **Shri G. C. Dixit** ; Will the Minister of Agriculture be pleased to state ;

(a) Whether new varieties of rice have been developed in Madhya Pradesh after 1967 and if so, the locations of the concerned research centres, and

(b) The names of varieties which are likely to result in ushering in Green Revolution during the next two or three years ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) ; (a) & (b) Two varieties, JR—285 and JR—3—756, from Jabalpur and three varieties. R—70—1, R—70—2 and R—68—1, from Raipur have been evolved and are likely to be released.

Export of Gur

7887. **hri G. C. Dixit** : Will the Minister of Agriculture be pleased to state

(a) Whether Government have under consideration any proposal to export gur to Joreign countries;

(b) If so, whether gur would be exported from Madhya Pradesh also; and

(c) If so, the amount of foreign exchange likely to be earned by Madhya Pradesh as a result thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Sher Singh) : (a) ; No, Sir.

(b) & (c) : Do not arise.

Complaints of Corruption against Regional Provident Fund Commissioner Bihar

7888. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Labour and Rehabilitatiou be pleased to state :

(a) Whether some members of Parliament had written letters to the Prime Minister in 1969, containing serious charges of corruption against the then Regional Provident Fund Commissioner, Bihar; if so, the particulars thereof ;

(b) Whether investigations were conducted against him; and

(c) If so, the name of the person or the agency which conducted the investigations and the result thereof ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : The administration of the Employees Provident Fund is the concern of the Central Board of Trustees set up under the Employees Provident Fund and Family Pension Fund Act, 1952 and is not the direct concern oft he Central Government. The Provident Fund authorities have reported as under :—

(a) to (c) The Honrible member wrote a letter to the Prime Minister in March, 1970 making certain allegations of corruption against the Regional Provident Fund Commissioner, Bihar. The investigations conducted by the Employees Provident Fund Organisation did not show any mala-fide intentions on the part of the Regional Provident Fund Commissioner.

Demonstration by Domestic Servants in Delhi

7889. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) Whether domestic servants working in Delhi held a demonstration or a rally at Boat Club ground on 14th July last on a call given by the Domestic Servants Union;

(b) Whether the Union has submitted a memorandum to the Government, if so, the particulars thereof; and

(c) The reaction of Government thereto ?

Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) Government have no information.

(b) All India Domestic Workers Union, New Delhi, in their letter dated 1/5/71, have demanded legislation for a minimum wage of Rs. 125/-, quarters, festival holidays, leave, fixed working hours, medical facilities, security of service, retrenchment compensation, gratuity, Bonus, etc.

(c) The question of providing statutory protection to domestic servants as well as that of exploring ways and means of improving their conditions have been considered by the States Governments and also by the Central Government from time to time. It has, however, not been found possible to make any statutory provision for the purpose, mainly because of the difficulty in enforcing any such law and the possibility of such an enactment resulting in largescale retrenchment of domestic servants.

Fire in Coal Mine near Asansol

7890. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Steel and Mines be pleased State :

(a) Whether a fire broke out in a coal mine situated near Asansol on the 17th July, 1971; and

(b) If so, the details of the damage caused as a result thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : **(a) & (b)**. A fire was noticed in the North Adjoy Colliery near Asansol on the 16th

July 1971. The fire has been contained and controlled as a result of protective work undertaken promptly. There is at present no danger to the adjoining coal mines. Alternative employment to all the persons employed in the mine has been provided. It is difficult at this stage to give a realistic estimate of the quantity of coal burnt.

दिल्ली दुग्ध योजना में दूध तथा आयातित दुग्ध पाउडर की प्राप्ति

7891. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा प्रतिवर्ष कितने दूध की प्राप्ति की गई ।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितना दुग्ध पाउडर और तरल मक्खन आयात किया गया तथा उसकी कीमत क्या थी; और

(ग) क्या दिल्ली दुग्ध योजना वाले दूध को मानवीकृत करने के लिये अधिक से अधिक पाउडर का इस्तेमाल करते हैं चूंकि दुग्ध पाउडर सस्ता मिलता है और घी तथा मक्खन बनाने में ताजे दुग्ध से निकाली गई क्रीम चरबी का प्रयोग करते हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा प्रतिवर्ष प्राप्त किया गया दूध निम्नलिखित है :—

वर्ष	प्राप्त की गई मात्रा
1968–69	6,13,06,839 लिटर
1969–70	7,20,17,373 लिटर
1970–71	6,28,28,497 लिटर

(ख) अवधि	सपरेटा दुग्ध चूर्ण मात्रा लागत (मीटरी रुपये टन) (लाख में)		बटर आयल मात्रा लागत (मीटरी रुपये टन)	
1968–69	2929·621		81·96	प्रयोग में नहीं लिया गया
1969–70	2963·872		55·97	,, ,,
1970–71	3864·161	142·84	387·321	37·61

(ग) शुद्ध दूध की कमी होने पर ही मानवीकरण के लिये दिल्ली दुग्ध योजना आयातित दुग्ध चूर्ण का उपयोग करती है । सामान्यतः घी तथा मक्खन अधिशेष दूध से बनाया जाता है ।

दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध की किस्म तथा इसकी आरे दुग्ध के साथ तुलना ।

7892. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत् तीन वर्षों में घी, मक्खन और आईसक्रीम का कितना उत्पादन हुआ ।

(ख) बम्बई के आरे द्वारा सप्लाई किये जाने वाले दुग्ध के साथ दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध की क्या तुलना है; और

(ग) क्या सरकार और दिल्ली दुग्ध योजना को घटिया किस्म के दुग्ध के बारे में शिकायतें मिली हैं और यदि हां, तो इसकी किस्म में सुधार करने तथा दूध से घी और मक्खन बनाये जाने को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों में दिल्ली दुग्ध योजना ने मक्खन, घी और आईसक्रीम की निम्नलिखित मात्रायें तैयार की हैं :—

वर्ष	मक्खन		घी	आईसक्रीम
	टेबल मक्खन (मीटरी टनों में)	सफेद मक्खन	(मैट्रिक टनों में)	(लिटरों में)
1968–69	137·876	608 671	367·188	15,175
1969–70	162·994	907·498	615·900	10,620
1970–71	116·183	672·389	306 697	4,800

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना तथा बम्बई दुग्ध योजना द्वारा संमरित दुग्ध की मात्रा का तुलनात्मक विश्लेषन निम्न प्रकार है :—

दुग्ध की श्रेणी	दिल्ली दुग्ध योजना		बम्बई दुग्ध योजना	
	चिकनाई	एस० एन० एफ०	चिकनाई	एस० एन० एफ
1. शुद्ध दुग्ध	—	—	7·0%	9 0%
2. मानकीकृत दुग्ध	5 0%	8·64%	5·0%	8·5%
3. टोन्ड दुग्ध	3·1%	8·64%	3·0%	8·5%
4. डबल टोन्ड दुग्ध	1·6%	9·10%	1·5%	11·5%
5. गाय का दूध	3·5% (और इससे ऊपर)	8·5%	4·5% (और इससे ऊपर)	8·5%

(ग) दूध के खट्टा होकर जम जाने, घटिया होने और अवांच्छित वस्तुओं के पाये जाने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं । दिल्ली दुग्ध योजना ने दुग्ध के खट्टा होकर जमने को रोकने के लिए दुग्ध भंडारण स्थान का तापक्रम नियमित करने के लिए कार्यवाही की है । दिल्ली दुग्ध योजना में स्वच्छता सम्बन्धी कार्यों को सुधारने के लिए एक सफाई निरीक्षक दस्ता भी गठित किया गया है विभिन्न श्रेणियों के दुग्ध के लिए निर्दिष्ट मानकों का दिल्ली दुग्ध योजना की गुन नियन्त्रण प्रयोगशाला बड़ी कड़ाई से पालन कराती है ।

घी और मक्खन बनाने के लिए फालतू दूध की चिकनाई का ही प्रयोग किया जाता है ।

अभ्रक खान श्रमिक कल्याण निधि के केन्द्रीय अस्पतालों के बिस्तरों की संख्या में कमी

7893. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभ्रक खान श्रमिक कल्याण निधि के केन्द्रीय अस्पतालों के वर्तमान बिस्तरों की संख्या में कमी करने का प्रस्ताव है;

(ख) इस प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का क्या कारण है;

(ग) क्या इस प्रस्ताव से कर्मचारियों में गहरा असंतोष है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). अभ्रक खान श्रमिक कल्याण निधि के अधीन दो केन्द्रीय अस्पताल हैं जिनमें से एक राजस्थान में गंगापुर में और दूसरा बिहार में कार्मा में गंगापुर स्थिति केन्द्रीय अस्पताल के बिस्तरों की संख्या में कमी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कम खर्ची के उपायों सम्बन्धी सुझाव देने हेतु बिहार सम्बन्धी अभ्रक खान श्रमिक कल्याण निधि सलाहकार समिति द्वारा नियुक्त समीक्षा उप समिति ने अन्य सिफारिशों के साथ-साथ एक सिफारिश यह की है कि विशेषज्ञ ग्रेड के डाक्टरों की कमी के कारण, कार्मा, स्थित केन्द्रीय अस्पताल के बिस्तरों की संख्या, जो इस समय सौ है, घटा कर आधी कर दी जाए। समीक्षा उप-समिति की जो सिफारिशें अप्रैल, 1971 के अन्त तक अभ्रक खान कल्याण आयुक्त के पास पहुंच चुकी हैं, उन पर राज्य सलाहकर समिति ने अभी विचार करना है। केवल उसके बाद ही यह मामला सरकार के सामने आयेगा।

(ग) इस मामले में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी विभागों के कर्मचारियों के कार्मिक संघों को मान्यता

7894. **श्री कृष्ण चंद्र हाल्दर** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी विभागों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के कार्मिक संघों को मान्यता लेने के लिए वर्तमान लागू नियम क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : इस समय रेल और रक्षा मन्त्रालय के अलावा केन्द्रीय सरकार के विभागों में श्रमिक संघों को मान्यता देने हेतु कोई नियम नहीं है। इन विभागों द्वारा बनाये नियमों की प्रमुख विशेषताओं का संक्षिप्त ब्यौरा संलग्न विवरणों में दिया गया है। पहले बने ऐसे नियमों के एक भाग को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकार किये जाने के परिणामस्वरूप अन्य सरकारी विभागों में श्रमिक संघों और संगठनों को मान्यता प्रदान करने के लिए नियम अभी भी निर्माणाधीन हैं। फिर भी जब तक ये नियम बन नहीं जाते, मन्त्रालय/विभागों द्वारा अपने कर्मचारी संगठनों को अनौपचारिक मान्यता दी जा रही है, बशर्ते पहले (1959) के नियमों की मुख्य विशेषताओं को वे पूरा करते हों।

कम्पनियों और निगमों व विभागीय उपक्रमों के रूप में कार्य कर रहे, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में, श्रमिक संघों को मान्यता सभी राज्यों/केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में जहां इस सम्बन्ध में

कोई विशेष नियम नहीं हैं, प्रचलित स्वेच्छा अनुशासन कोड़ में दिये माप दण्ड से, अनुशासित होगी ।

"विवरण"

रेल मंत्रालय द्वारा बनाए गए मान्यता के लिए नियम

मोटे तौर पर, निम्नलिखित कुछ ऐसी अधिक महत्वपूर्ण शर्तें हैं जिनके आधार पर सामान्य प्रबन्धक किसी यूनियन को मान्यता दे सकते हैं, यदि किसी विशिष्ट प्रतिष्ठान में इस प्रकार की यूनियन की आवश्यकता हो :—

1. इसमें सरकारी कर्मचारियों की एक विशिष्ट श्रेणी अवश्य होनी चाहिए ;

2. एक ही श्रेणी के सभी सरकारी कर्मचारी सदस्यता के लिए हकदार अवश्य होने चाहिए ;

3. यह भारतीय मजदूर यूनियन अधिनियम के अधीन अवश्य पंजीकृत होनी चाहिए;

4. इसकी सदस्य संख्या, संबंधित रेल में नियोजित अराजपत्रित कर्मचारियों की कुल संख्या 15 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए ;

5. यह वर्गीय (सैक्शनल) नहीं होनी चाहिए । श्रमिकों के किसी एक वर्ग या सीमित वर्ग यूनियनों को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए ; और

6. रेल प्रशासन के मतानुसार इसके विनाशकारी कार्यों में प्रवृत्त होने की सम्भावना नहीं होनी चाहिए ।

7. यह किसी जाति, कबीले या धार्मिक, जाति या इस प्रकार की जाति, कबीले या धार्मिक जाति के किसी वर्ग या उसके बीच के किसी समूह के आधार पर नहीं बनाई जानी चाहिए ।

रक्षा मन्त्रालय द्वारा बनाई गई यूनियनों की मान्यता के लिए स्थूल नियम

कोई भी मजदूर संघ मान्यता का हकदार है, बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाती हैं :—

1. इसकी सदस्यता ही इकाई में नियोजित श्रमिकों तक सीमित रहनी चाहिए ।

2. यह इकाई में नियोजित सभी श्रमिकों की प्रतिनिधित्व होना चाहिए । यूनियन के प्रतिनिधि स्वरूप को सिद्ध करने के लिए, यह पर्याप्त समझा जायगा यदि उन श्रमिकों/क्लर्कों और/या पर्यवेक्षकों के, जिनका यूनियन प्रतिनिधित्व करती है, 15 प्रतिशत से कम व्यक्ति इसके सदस्य हों ।

3. इसके नियमों में ऊपर खण्ड (2) में निर्दिष्ट श्रमिकों को किसी भी श्रेणी को इसको सदस्यता से वंचित करने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए ।

4. यूनियन के विधान में "आदर्श हड़ताल खण्ड" के अनुसार हड़ताल घोषित करने की प्रक्रिया के बारे में समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए ।

5. यूनियन के नियमों में इसकी कार्यकारी समिति की छः मास में कम से कम एक बार बैठक करने की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

6. इसे भारतीय मजदूर संघ अधिनियम, 1926 के अधीन पंजीकृत अवश्य होना चाहिए।

7. भारत सरकार की सामान्य या विशेष स्वीकृति प्राप्त किए बिना और ऐसी शर्तों के साथ जो सरकार लगाए, यूनियन को कोई राजनीतिक निधि नहीं बनाएगी।

पश्चिम बंगाल अग्नि सेवा के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल का आह्वान

7895. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिमी बंगाल अग्नि सेवा के कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में आंशिक हड़ताल के आह्वान की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की मुख्य मांगें क्या हैं ?

(ग) क्या उनकी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की है ; यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जायगी।

पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य समीक्षा समिति का पुनर्गठन

7896. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री 10 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1860 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समीक्षा समिति द्वारा पहले प्रस्तुत किए बाकी चार प्रतिवेदनों में की गई सब सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(ख) किन-किन सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) समिति के एक और प्रतिवेदन के बारे में भी समिति की सिफारिशें प्रायः स्वीकार कर ली गई हैं। शेष तीन प्रतिवेदन अभी भी सरकार के विचाराधीन हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार और सम्बन्धित मंत्रालयों / विभागों से टिप्पणियां मांगी गई हैं। टिप्पणियों की प्रतीक्षा है।

वर्जीनिया फ्लू क्योर्ड किस्म के तम्बाकू का उत्पादन

7897. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्जीनिया फ्लू क्योर्ड किस्म के तम्बाकू का अधिक उत्पादन करने हेतु केन्द्रीय सरकारी योजना द्वारा की गई प्रगति के बारे में कोई अध्ययन किया है, और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ख) क्या सरकार इस योजना को पश्चिम बंगाल विशेषकर कूचबिहार में, जहां कि वर्जीनिया पत्ता तम्बाकू का पैदा होता है, लागू करने पर विचार करेगी; और

(ग) इस योजना की सुविधाएं पश्चिम बंगाल मे बहुत समय से उपलब्ध न कराने के क्या कारण हैं जबकि यही योजना बिहार और उड़ीसा के लिए भी लागू हो रही है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां। भारतीय तम्बाकू विकास परिषद् तथा भारत सरकार वर्जीनिया फलू क्योर्ड तम्बाकू के विकास विषयक केन्द्र द्वारा आयोजित योजना की प्रगति का समय समय पर पुनरीक्षण किया जाता है। वर्ष 1966-67 से इस योजना की क्रियान्विति के फलस्वरूप आध्र प्रदेश, मैसूर, गुजरात तथा तमिलनाडू में 37,545 एकड़ भूमि में वी० एफ० सी० तम्बाकू की खेती का विकास किया गया है। महाराष्ट्र, बिहार तथा उड़ीसा में भी समन्वेषी परीक्षण किए जा रहे हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) वर्ष 1961-65 के मौसमों के दौरान तम्बाकू अनुसंधान केन्द्र, दिनह और कूच बिहार और जलपाईगुरी जिलों में किसानों के खेतों में अच्छी किस्म के वी० एफ० सी० तम्बाकू के उत्पादन की सम्भाव्यताओं को निश्चित करने के लिए किए प्रारम्भिक अध्ययनों के परिणाम उत्साहवर्धक नहीं थे।

कृषि श्रमिकों के बारे में आयोग

7898 **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कृषि श्रमिकों की स्थिति का अध्ययन करने तथा उनके कल्याण और भले के लिए उपायों का सुझाव देने के लिए एक आयोग नियुक्त करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) सरकार ने पहले एक राष्ट्रीय कृषि आयोग स्थापित कर रखा है जिसके विषयों में एक विषय छोटे कृषकों और कृषि श्रमिकों की समस्याओं की छानबीन करना तथा उन पर अपनी रिपोर्ट देना है।

कैंटोनमैंट बोर्ड के कर्मचारियों के बीच हुए फैसले की क्रियान्विति

7899. **श्री अमरनाथ विद्यालंकार** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को बार-बार शिकायतें मिली हैं कि 22 नवम्बर, 1966 को कैंटोमैंट बोर्ड और उसके कर्मचारियों के बीच हुए फैसले को रक्षा मंत्रालय क्रियान्वित नहीं कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

श्रम और पुर्नवास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : रक्षा मंत्रालय ने, जो सम्बन्धित मंत्रालय है, सूचित किया है कि उन्हें छावनी बोर्डो और उनके कर्मचारियों के बीच 22 नवम्बर, 1956 को हुए किसी समझौते के बारे में जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल में भूमिहीन तथा निर्धन ग्रामीणों में बांटी गई खास और बेनामी भूमि

7900. **श्री दिनेश जोरदार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के बर्दवान और 24 परगना जिलों के भूमिहीन तथा निर्धन व्यक्तियों में 1969–70 में कुल कितने एकड़ खास और बैनामी भूमि वितरित की गई थी तथा 1971 में जोतदारों और भूमि स्वामियों ने उसमें से कुछ भूमि पर पुनः जबरन कबजा कर लिया था; और

(ख) सरकार उन निर्धन व्यक्तियों की सुरक्षा के लिये जिसमें वह भूमि उन्हीं के पास रह सके, क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

केला उत्पादन

7901. **श्री राजदेव सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य विकास प्रक्रिया के कार्यक्रम में केले के उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है ।

(ख) क्या किसी राज्य सरकार ने बागवानी के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार से 'ब्याज मुक्त' ऋण की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो उस राज्य के बागवानी ढांचे में केले की खेती की प्रतिशतता क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) सफेद केले की कृषि को प्राथमिकता दी जा रही है । ऐसा कहना कि सरकार इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है, सही नहीं है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

निर्यात प्रधान उद्योगों को इस्पात का आवंटन

7902. **श्री राजदेव सिंह :** **श्री एम० एम० हाशिम :**
श्री के० मालन्ना :

क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऐसे निर्यात प्रधान उद्योगों को इस्पात के विशेष कोटे तथा दूसरे कच्चे माल का आवंटन करके प्रोत्साहन देने का है जो अपने निर्यात द्वारा अधिक विदेशी मुद्रा कमाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस्पात मंगाने के लिये आर्डर देने और उसकी वास्तविक सप्लाई के बीच न्यूनतम समयान्तर कितना है जिसको अब और भी कम किया जायेगा ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) अब कोटे नहीं दिये जाते हैं। इस्पात प्राथमिकता समिति कुल उपलब्धि को देखते हुए इंजीनियरी निर्यात प्रोत्साहन परिषद द्वारा इस्पात कारखानों को दिये गये विधिवत प्रायोजित तथा अभिशंसित आर्डरों के प्रेषण में प्राथमिकता देने के लिए की गई प्रार्थनाओं पर समुचित ध्यान देती है।

(ख) उच्च प्राथमिकता-प्राप्त उपभोक्ताओं के मांग पत्र भेजने तथा प्रमुख इस्पात कारखानों द्वारा माल के प्रेषण करने में लगभग 6 से 9 मास तक समय लग जाता है।

केरल में बेरोजगार तथा अपूर्व रोजगार वाले शिक्षित व्यक्ति

7903. **श्री एम०के० कृष्णन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) केरल में शिक्षित बेरोजगार तथा अपूर्ण रोजगार वाले व्यक्तियों की संख्या पृथक पृथक अनुमानत: क्या है; और

(ख) क्या सरकार का विचार केरल में इन बेरोजगारों को राहत देने का है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) यथातथ्य अनुमान ज्ञात नहीं हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार केरल के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में सन् 1970 की अन्तिम तारीख को दर्ज शिक्षित काम चाहने वालों की संख्या लगभग 1·79 लाख थी।

(ख) इस सम्बन्ध में 7 जुलाई, 1971 को जवाब दिए जाने के लिए पूछे तारांकित प्रश्न 970 के उत्तर के साथ सदन की मेज पर प्रस्तुत विवरण की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें (केरल सहित) देश में चल रही इन योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई थी।

बाढ़ से होने वाली क्षति का अनुमान लगाने के लिए केन्द्रीय दल का राज्यों का दौरा

7904 **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी दल ने राज्यों का दौरा किया है और प्रत्येक राज्य में बाढ़ से होने वाली क्षति का अनुमान लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में फसलों को अनुमानत: कितनी क्षति हुई ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) राज्य सरकारों के अनुरोध पर योजना आयोग प्राकृतिक आपदा के अवसर पर आवश्यक राहत और पुनर्वास (हानि/क्षतिग्रस्त फसलों के लिये राहत सहित) के लिये केन्द्रीय सहायता के निर्धारण हेतु केन्द्रीय अध्ययन दलों का गठन करता है। केरल उत्तर प्रदेश, और बिहार राज्यों का दौरा करने के लिए अन्तिम बाढ़ स्थिति तथा राहत सम्बन्धी उपायों के मूल्यांकन के लिए ऐसे अध्ययन दलों का गठन किया गया है / जा रहा है। ये दल, जिनमें कृषि मन्त्रालय के अधिकारी भी शामिल होंगे, दौरे की तिथियों के बारे में राज्य सरकारों की सहमति के उपरान्त बहुत शीघ्र ही तीन राज्यों का दौरा करेंगे।

(ख) इस समय प्रश्न ही नहीं होता।

श्रम अधिकारियों के समक्ष विवाद

7905. **श्री एम०के० कृष्णन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) समूचे देश में राज्यवार 31 मई, 1971 तक श्रम अधिकारियों के समक्ष विवाद के कुल कितने मामले अनिर्णीत पड़े थे; और

(ख) उन विवादों का फैसला करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) एक विवरण संलग्न है, जिसमें केन्द्रीय क्षेत्र में अनिर्णीत पड़े विवादों के सम्बन्ध में क्षेत्रवार / राज्यवार स्थिति दर्शाई गई है।

(ख) केन्द्रीय औद्योगिक सम्पर्क तंत्र के समझौता अधिकारियों को विवाद शीघ्र सामान्यत: एक मास की समयावधि के अन्दर-अन्दर, निपटाने के अनुदेश हैं। इन मामलों का शीघ्र निपटान करने हेतु और अनुदेश भी जारी किए गये हैं।

विवरण

क्षेत्र/राज्य	अनिर्णित पड़े मामलों की संख्या
1. अजमेर (राजस्थान और गुजरात राज्य)	40
2. आसनसोल (पश्चिम बंगाल कोयला क्षेत्र)	87
3. भुवनेश्वर (उड़ीसा राज्य)	8
4. बम्बई (महाराष्ट्र और गोआ राज्य)	60
5. कलकत्ता (आसनसोल कोयला क्षेत्र को छोड़कर आसाम और पश्चिम बंगाल राज्य)	66
6. धनबाद (बिहार राज्य)	103
7. हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश और मैसूर राज्य)	24

8. जबलपुर (मध्य प्रदेश राज्य)	172
9. कानपुर (पंजाब, हरियाना, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली राज्य)	60
10. मद्रास (तमिलनाडु और केरल राज्य)	49

काली मिर्च की खेती के विस्तार के लिए पैकेज कार्यक्रम

7906. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में काली मिर्च की खेती का विस्तार करने के लिए एक पैकेज कार्यक्रम भारत सरकार के अनुमोदनार्थ भेजा था;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस पैकेज कार्यक्रम का अनुमोदन किया है ? और

(घ) यदि नहीं, तो इसके विलम्ब के कारण क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं होता।

आन्ध्र प्रदेश में चावल की मिलों के निर्माण के लिये राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा दी गई वित्तीय सहायता

7907. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के अधीन राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली ने गत तीन वर्षों में आन्ध्र प्रदेश की विभिन्न सहकारी समितियों को "आन्ध्र प्रदेश कोआपरेटिव मार्केटिंग फैडरेशन लिमिटेड" के माध्यम से आन्ध्र प्रदेश में आधुनिक चावल की मिलों के निर्माण के लिये कितनी वित्तीय सहायता दी है;

(ख) उन समितियों के नाम क्या हैं और प्रत्येक समिति को कितनी राशि दी गई है तथा क्या निर्माण-कार्य पूरा हो गया है अथवा पूरा किया जाना है;

(ग) क्या इस विशिष्ट समिति द्वारा 'आन्ध्र प्रदेश कोआपरेटिव मार्केटिंग स्टेट फैडरेशन लिमिटेड' से मिल को संभाले जाने से पहले, जिसके द्वारा प्राथमिक समितियों के लिए मिलों का निर्माण किया जा रहा है, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने कोई देख-भाल की थी अथवा पूर्वापाय किये थे; और

(घ) यदि नहीं, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम किसी भी सहकारी समिति को सीधे वित्तीय सहायता नहीं देता है। सहकारी

विकास कार्यक्रमों के लिए इसकी सारी सहायता संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से दी जाती है। गत तीन वर्षों में निगम ने आन्ध्र प्रदेश सरकार को आंध्र प्रदेश कोआपरेटिव मार्केटिंग फैडरेशन लिमिटेड के माध्यम से आधुनिक चावल मिलों के निर्माण के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है।

(ख), (ग) व (घ) प्रश्न नहीं उठते।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों के विरुद्ध भ्रष्टाचार आदि की शिकायतें

7908. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को विभिन्न क्षेत्रीय आयुक्तों के विरुद्ध अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उन पर लगाये गये आरोपों के बारे जन जांच की गई थी; और

(ग) इसके बाद क्या कार्यवाही की गई ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग). कर्मचारी भविष्य निधि की व्यवस्था का सम्बन्ध केन्द्रीय न्यासी बोर्ड से है, जो कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अधीन स्थापित किया गया है और इससे भारत सरकार का सीधा सम्बन्ध नहीं है। प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्तों के विरुद्ध केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है।

मछली उद्योग के अपर्याप्त विस्तार के बारे में आलोचना

7909. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न स्रोतों से की जा रही आलोचना का पता है कि देश में मछली उद्योग के विस्तार के लिये पर्याप्त कार्यवाही नहीं की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) मीन उद्योग के विकास, उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में हुई अपर्याप्त प्रगति तथा इस क्षेत्र में कार्य की चाल को गतिमान करने के विषय में संसद सदस्यों, राज्य सरकारों तथा उद्योगपतियों ने जोर दिया है।

(ख) सरकार देश में मीन उद्योग के विकास के सम्बन्ध में शीघ्र ही ध्यान आकर्षित करने वाली समस्याओं, और सम्भाव्यताओं के विषय में भली भांति अवगत है। मीन उद्योग के विकास से सम्बन्धित सभी कार्य-कलापों को आवृत्त करने वाले कार्यक्रम बड़ी सावधानी से तैयार किये जाते हैं और उनका कार्यान्वयन किया जाता है। आवश्यकतानुसार उचित कार्यवाही करने के दृष्टिकोण से उनका पुनरीक्षण किया जाता है। निम्नलिखित संक्षिप्त विवरण से वस्तुस्थिति स्पष्ट हो जाती है।

निधि : एक आम शिकायत यह है कि उद्योग के विकास के लिये नियत राशियाँ अपर्याप्त हैं। परन्तु मीन उद्योग के विकास के लिए अनुवर्ती योजनाओं में अधिकाधिक राशियों की व्यवस्था कर दी गई है।

प्रथम योजना	5·13 करोड़ रु०
द्वितीय योजना	12·26 करोड़ रु०
तृतीय योजना	28·58 करोड़ रु०
चतुर्थ योजना	83·57 करोड़ रु०

इसके अतिरिक्त मीन उद्योग परियोजनाओं के लिये संस्थागत ऋण भी अधिकाधिक मात्रा में उपलब्ध हो रहा है। कुछ परियोजनाओं ने तो कृषि पुर्नवित्त निगम से काफी ऋण भी प्राप्त कर लिया है और कुछ राज्य सरकारों ने इसी के अनुरूप परियोजनाएं तैयार की हैं। मीन उद्योग को भी कृषि के समान ही संस्थागत ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम और कृषि पुनर्वित्त निगम अधिनियम में संशोधन करने के मामले में भी कार्यवाही की जा रही है।

तटीय मीन उद्योग

पहली तीन योजनाओं की अवधियों में तटीय मीन उद्योग के यन्त्रीकरण पर जोर दिया गया था। चौथी योजना के आरम्भ होने तक 7698 यन्त्रीकृत नौकाएं प्रयोग की जा रही थीं। चौथी योजना के अन्तर्गत 5500 यन्त्रीकृत नौकाएं और उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। मुख्यतः इस कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप समुद्री मीन उद्योग का उत्पादन 1961 में 68·4 लाख मीटरी टन से बढ़कर 1970 में 107·5 लाख मीटरी टन तक बढ़ाना सम्भव हो सका है। समुद्रीय उत्पादों का निर्यात मूल्य भी 1961 के 2·9 करोड़ रु० से बढ़कर 1970 में 35·54 करोड़ रु० हो गया है। नौकाओं के यन्त्रीकरण से सम्बन्धित समस्याओं जैसे कि नौकाओं और गियरों की क्वालिटि में सुधार, इंजनों की क्वालिटी में सुधार, नौकाओं के ढांचे में लकड़ी के स्थान पर किसी अन्य वस्तु के प्रयोग इत्यादि पर अनुसन्धान संस्थानों की तकनीकी समितियां निरन्तर ध्यान दे रही हैं। तटीय क्षेत्र के आस पास यन्त्रीकृत नौकाओं के सक्षम परिचालन और अन्य सहाय उद्योगों के लिए परिचालन केन्द्र का कार्य करने के लिए तट के साथ कई बन्दरगाह बनाए जा रहे हैं। ये बन्दरगाह सुविधाएं एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस योजना के लिए चौथी योजना में 6 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है।

गहरे समुद्र में मीन उद्योग

विभिन्न सूत्रों ने यह अनुरोध किया है कि गहरे समुद्र में मीन उद्योग की ओर अधिक ध्यान केवल इसलिये ही नहीं दिया जाना चाहिए कि गहरे समुद्र में अच्छे सम्भाव्य स्रोत है अपितु इसलिए भी कि कुछ क्षेत्रों में उपलब्ध तटीय क्षेत्र के संसाधनों का पहले ही अत्याधिक शोषण किया जा चुका है। उपयुक्त नौकाओं को प्राप्त करने, गहरे समुद्र में मीन उद्योग के लिए तकनीकी विशेषज्ञता तथा बन्दरगाहों के अभाव के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की गई है।

एक ओर तो तटीय मीन उद्योग के यत्रीकरण के कार्यक्रम की चौथी योजना की अवधि में जारी रखा जा रहा है जबकि दूसरी ओर गहरे समुद्र में मीन उद्योग के विकास की ओर भी अधिकाधिक ध्यान दिया जा रहा है। केवल यन्त्रीकृत नौकाओं के ही नहीं, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले बड़े जहाजों के सक्षम कार्य करने के लिये बन्दरगाहें उपलब्ध कराने के लिये चौथी योजना में 19·5 करोड़ रु० की व्यवस्था है। (जिसमें कि छोटे पत्तनों पर बन्दरगाह सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध कराना भी सम्मिलित हैं)। बम्बई, मद्रास, कलकत्ता कोचीन, तूतीकोरीन, विशाखापत्तनम के लिए बड़े बन्दरगाह पहले ही संस्वीकृत किये जा चुके हैं। 8 स्थानों के लिए छोटी बन्दरगाहें संस्वीकृत की गई हैं। गहरे समुद्र में मीन उद्योग के लिए नौकाओं की मांग को पूरा करने के लिए स्वदेशी निर्मित नौकाओं की कमी को आयात द्वारा पूरा किया जा रहा है। उद्योग की गैर-सरकारी फर्मों को भी सीमित संख्या में नौकाओं के आयात की अनुमति दी गई है। स्वदेशी नौका निर्माताओं को भी गहरे समुद्र में मीन उद्योग योग्य नौकाओं के निर्माण के लिये तकनीकी विशेषज्ञता का विकास करने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिये देश में बने स्टील के पोतों के लिये उपदान देने के विषय में एक योजना शुरु की गई है। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले उद्योग को भी विदेशी सहयोग प्राप्त करने के पात्र उद्योगों की सूची में सम्मिलित कर दिया गया है और गहरे समुद्र में मीनहरण परियोजनाओं के लिये विदेशी सहयोग प्राप्त करने के लिये शर्तों की रूप रेखा तैयार की जा रही है। केन्द्रीय सरकार भी समुद्रीय संसाधनों के सर्वेक्षण संस्थानों के विस्तार एवं गहरे समुद्र में मीन उद्योग के लिये कार्मिकों के प्रशिक्षण संस्थानों का विस्तार कर रही है। समुद्रीय संसाधनों का समन्वेषण करने वाले केन्द्रीय गहरा समुद्र मीन उद्योग संस्थान को 23 और नौकाएं देकर अधिक सुदृढ़ बनाया जा रहा है। समन्वेषी समन्वेषण के लिये 8 नये केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं। केन्द्रीय मीन उद्योग परिचालन संस्थान का मुख्यालय कोचीन में है तथा दूसरी एक शाखा मद्रास में स्थित है।

अन्तर्देशीय मीन उद्योग

अन्तर्देशीय क्षेत्र में भी बीज मछली के उत्पादन एकत्रीकरण, प्रेरित प्रजनन, नर्सरियों की स्थापना, मीन प्रदर्शन फार्मों, जलाशयों के विकास के विषय में अनेक स्कीमें शुरु की गई हैं। चौथी योजना की अवधि में मीन उद्योग के विकास के लिये कुल 83·31 करोड रु० की व्यवस्थित राशि में से 14·33 करोड़ रु० अन्तर्देशीय मीन उद्योग के लिये नियत किया गया है। अन्तर्देशीय मीन उत्पादन जो 1961 में 2·77 लाख मीटरी टन था 1970 में बढ़कर 6·71 लाख मीटरी टन हो गया है।

अनुसंधान

केन्द्रीय समुद्री मीन उद्योग अनुसन्धान संस्थान, केन्द्रीय अन्तर्देशीय मीन उद्योग अनुसंधान, केन्द्रीय मीन उद्योग तकनीकी अनुसन्धान संस्थान मीत उद्योग से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। समुद्रीय अनुसंधान संस्थान मछली की विभिन्न किस्मों, मछली के स्टाक के वितरण तथा वातावरण सम्बन्धी पहलुओं के विषय में अनुसन्धान कर रहा है। अन्तर्देशीय मीन उद्योग अनुसंधान संस्थान मीन प्रजनन तथा संवर्धन का उन्नत तकनीकों पर अनुसन्धान कर रहा है। तकनीलोजिकल संस्थान फिशिंग क्राफ्ट तथा गीयर व मछली के रख रखाव व परिसंस्करण के विषय में सुधार करने के बारे में कार्य कर रहा है।

भारतीय उर्वरकों के ऊंचे मूल्य

7910. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सस्ती मजदूरी के बावजूद भारत में उर्वरकों के मूल्य विश्व में सबसे अधिक हैं।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उर्वरक का मूल्य स्तर कम करने अथवा इसे राज सहायता प्रदान करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). उर्वरकों के मूल्य भारत में अन्य देशों की अपेक्षा अधिक हैं। घरेलू उत्पादन की लागत दुर्भाग्यवश अधिक है। उर्वरक उद्योग के लिए अत्यधिक धन की अपेक्षा रहती है। अतः आयातित मशीनरी, की ऊंची कीमत कच्चा माल और कुछ मामलों में नवीनतम प्रक्रिया जानकारी की खरीद, तथा उर्वरकों की उत्पादन लागत जैसे विभिन्न कारणों से उपभोक्ताओं से लिए जाने वाले मूल्य ऊंचे हैं। सरकार का यह निरन्तर प्रयत्न रहा है कि (क) स्थापित क्षमता के अधिकतम उपयोग (ख) मितव्ययता की दृष्टि से बड़े आकार के एककों के उत्पादन करके (ग) अधिकतम उत्पादन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नवीनतम उत्पादन तकनीकियों को अपना कर मूल्यों को नीचे लाया जाये। (ग) सरकार का सदैव यह प्रयास रहा है कि आयातित उर्वरकों के पूल मूल्य यथा सम्भव कम से कम निर्धारित किये जायें। आशा है कि नवीनतम उत्पादन तकनीकियों के अपनाने से, अधिकाधिक उत्पादन क्षमता को सुनिश्चित करके और वर्तमान एककों का विस्तार करके उत्पादन लागत और उर्वरकों के मूल्यों को नीचे लाया जा सकता है।

सरकार उर्वरकों के मूल्य पर कोई राजसहायता देने का विचार नहीं रखती। फिर भी, उर्वरक उपभोक्ताओं को देश भर में एक समान रेल शीर्ष मूल्यों पर बेचे जाते हैं।

(घ) राष्ट्रीय विकास परिषद ने निर्दिष्ट किया है कि कृषि आदानों को जिनमें उर्वरक शामिल है राज सहायता नहीं दी जानी चाहिए और किसानों को उनकी उपज के लिए प्रोत्साहन मूल्य देकर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

मैसूर राज्य के सूती कपड़ा उद्योग सम्बन्धी दूसरे केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों का लागू किया जाना

7911. **श्री दशरथ देव** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई सूती कपड़ा मिलों ने सूती कपड़ा उद्योग सम्बन्धी दूसरे केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू नहीं किया है।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन मिलों के नाम क्या हैं जहां पर मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया है; और

(घ) उक्त सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (घ) . मैसूर सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, 6 मिलों (नाम संलग्न विवरण में दिये गए हैं) ने सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया था ये सिफारिशें कानून लागू नहीं होतीं । तथापि अनुनय और परामर्श द्वारा इनकी क्रियान्विति कराने के लिए प्रयास जारी है ।

विवरण

मैसूर राज्य का उन सूती कपड़ा मिलों के नाम जिन्होंने सूती कपड़ा उद्योग सम्बंधी दूसरे केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया है ।

क्रमांक	उन मिलों के नाम जिन्होंने सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया है ।
1.	श्री चन्द्रोदय मिल्स, देवानगिरि ।
2.	बेलारी स्पिनिंग एण्ड वीविंग कं० लिमिटेड, बेलारी ।
3.	महादेव टैक्सटाइल मिल्स, हुबली ।
4.	नन्दी हस्वी टैक्सटाइल मिल्स (प्रा०) लिमिटेड, नरगुंड ।
5.	डोडाबल्लापुर स्पिनिंग मिल्स, डोडाबल्लापुर ।
6.	मिनर्वा मिल्स लिमिटेड, बंगलौर ।

Land Received Under Bhoodan Movement and Distributed Amongt Iandless Persons

7912. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) The acreage of land received under the Bhoodan Movement throughout the country so far and since distributed among the landless persons;

(b) If so, whether Government propose to lay a copy of the statement showing the details of the acreage of such land received and distributed in each State; and

(c) Whether the land so received is mestly not good and fertile ?

Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) According to the figures received from Sarva Seva Sangh, 1,691,019 hectares of land have been donated. Out of this 476,048 hectares of land is reported to have been distributed among the landless persons.

(b) Bhoodan is a non-official voluntary movement for donation and distribution of land organised under the leadership of Shri Vinoba Bhave based on Sarvodaya ideals, According to the information available, the States in which lands have been donated are Indicated below :

State	Hectares (in thousands)
Bihar	857·2
Uttar Pradesh	176·9
Rajasthan	170·8
Madhya Pradesh	162·0
Andhra Pradesh	96·8
Orissa	68·0
Maharashtra	54·5
Gujarat	41·2
Tamil Nadu	32·0

(c) It is reported that 750,096 hectares of land is unfit for cultivation.

आंध्र प्रदेश से अन्य राज्यों को चावल का भेजा जाना

7913. **श्री के० रामकृष्ण रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के नलगोडा जिले से चावल अन्य राज्यों को भेजा गया है जो दक्षिण जोन के अन्तर्गत नहीं है;

(ख) यदि हाँ, तो चावल के वहां से अन्य राज्यों को भेजे जाने को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या चावल मिलों और व्यापारियों ने उन्हें अन्य राज्यों को चावल भेजने की अनुमति देने से पूर्व, अपने समाहार कोटे को चाहे वह प्रोत्साहन के आधार पर ही था, पूरा कर दिया था ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : (क) से (ग). आन्ध्र प्रदेश की सरकार से एक रिपोर्ट मांगी गई है और जिसकी अभी प्रतीक्षा की जा रही है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

Mines Mechanisation Training Institutes Run by National Coal Development Corporation.

7914. **Shri M. C. Dage** : Will the Minister of Steel and Mines be pleased to state :

(a) The names of the Mines Mechanisation Training Institutes being run by the National Coal Development Corporation at present;

(c) Whether the N. C. D. C. has made some arrangements for imparting vocational training to the employees; and

(c) If so, the number of employees benefited thereby during the last year ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan): (a) Two Mines Mechanisation Training Institutes at Bhurkunda (Bihar) and Kurasia (Madhya Pradesh) are being run by the National Coal Development Corporation Limited, on behalf of the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation.

(b) Yes, Sir.

(c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House,

भारत हैवी प्लेट एण्ड वैसल्ज लि० विशाखापतनम

7915 **श्री के० सूर्यनारायण :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत हैवी प्लेट एण्ड वैसल्ज लि० विशाखापतनम में काम कर रहे कर्मचारियों की वर्तमान संख्या क्या है; और

(ख) वहाँ काम कर रहे आन्ध्र प्रदेश तथा अन्य बिभिन्न राज्यों के कर्मचारियों की संख्या क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) इस समय विशाखापत्तनम् स्थित भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वेसेल्स लि० में 1447 कर्मचारी काम कर रहे हैं जिनमें 97 प्रशिक्षार्थी भी शामिल हैं ।

(ख) हमारे पास सरकारी उपक्रमों में कर्मचारियों के जन्म स्थान अथवा निवास-स्थान सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । परन्तु 500 रुपये से कम मासिक वेतन वाले पदों पर नियुक्तियां स्थानीय रोजगार-कार्यालयों के मार्फत की जाती है और भर्ती में उन लोगों को प्राथमिकता दी जाती है जिन्हें प्रायोजना के कारण विस्थापित होना पड़ा है अथवा जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के हैं । इस प्रणाली के अन्तर्गत स्थानीय लोगों की भर्ती को काफी अधिप्रतिनिधित्व दिया गया है ।

मैसूर में बीज तैयार करने वाले संयंत्र

7916. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में अब तक बीज निगम द्वारा बीज तैयार करने के कितने संयंत्रों की स्थापना की गई है; और

(ख) हाल की फसल के बाद यंत्रों द्वारा कितनी मात्रा में बीज तैयार किया गया है ।

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) राष्ट्रीय बीज निगम ने अभी तक मैसूर में तीन परिस्करण संयंत्रों की स्थापना की है ।

(ख) इन संयंत्रों द्वारा 1970–71 में कुल 3815 क्विन्टल बीजों का तथा 30 जून 1971 को समाप्त होने वाली तिमाही में 1586 क्विन्टल बीजों का परिसंस्करण किया गया था ।

बिहार में बीज तैयार करने वाले संयंत्रों की स्थापना

7917 **श्री एन० ई० होरो :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीज निगम द्वारा अब तक बिहार में बीज तैयार करने वाले कितने संयंत्रों की स्थापना की गई है; और

(ख) हाल की फसल कटाई के उपरान्त संयंत्रों द्वारा कितनी मात्रा में बीज तैयार किये गये हैं।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) राष्ट्रीय बीज निगम ने बिहार में अब तक दो विधायन संयंत्रों की स्थापना की है।

(ख) सन् 1970–71 में इन संयंत्रों द्वारा विधायित बीजों की कुल मात्रा 2,548·34 क्विन्टल है। 30 जून, 1971 को समाप्त होने वाली तिमाही में इन संयंत्रों द्वारा 879 क्विन्टल बीजों का विधायन किया गया।

बोकारो इस्पात सयंत्र को रिफ्रेक्ट्रियों का ठेका अथवा सप्लाई

7918. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कम्पनियों को बोकारो इस्पात संयंत्र में रिफ्रेक्ट्रियों की सप्लाई के लिए ठेके दिए गए थे; और

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं तथा उनकी शर्तें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) जी, हां। प्रारम्भ में बोकारो इस्पात कारखाने के प्रथम चरण को पूरा करने के लिए आवश्यक ऊष्मसह में से 4130 टन कार्बन ब्लाक और पेस्ट की अल्प मात्रा को छोड़कर शेष की आपूर्ति के आर्डर देशीय ऊष्मसह निर्माताओं को ही दिये गये थे। जहां कहीं समय सारणी के अनुसार अथवा विशिष्टियों के अनुसार आपूर्ति की सम्भावना नहीं थी, वहां उन ऊष्मसहों के आयात के लिए वैकल्पिक उपाय करने पड़े। इस समय स्थिति यह है कि ऊष्मसह की कुल 212,086 टन की आयश्यकता में से 67,230 टन का आयात किया जा रहा है और शेष की आपूर्ति देशीय श्रोत से की जानी है।

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	आर्डर दी गई कुल मात्रा (टन)
1.	उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड	79,578
2.	कुमार धुबी फायरकिले एण्ड सिलिका वर्क्स लिमिटेड	16,430
3.	रिलायेश फायरब्रिक्स एण्ड पोटरीज	2,356
4.	नागरथ फायरब्रिक्स	855
5.	भूपाल माइनिंग वर्क्स	6,511
6.	झरिया फायरब्रिक्स एण्ड पोटरीज वर्क्स लिमिटेड	6,994
7.	इण्डिया रिफ्रैक्ट्रीज	22608

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	आर्डर दी गई कुल मात्रा (टन)
8.	बेलपहार रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड	12,589
9.	बर्न एण्ड कम्पनी लिमिटेड	743
10.	अलोक रिफ्रेक्ट्रीज	1,712
11.	मैथन मिन्रल इन्डस्ट्रीज	100
12.	बिहार पोट्रीज लिमिटेड	621
13.	उड़ीसा इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	11,433
14.	भारत फायरब्रिक्स एण्ड पोट्री वर्क्स	1·69 तथा 2,501 नम्बर
15.	केलिडोनियन जूट मिल्स कम्पनी	4,889 नम्बर
16.	हैरे रिफ्रेक्ट्री एण्ड शरेमिक वर्क्स	196
17.	बंगाल बिहार फायरब्रिक्स एण्ड पोट्री वर्क्स (प्रा०) लिमिटेड,	6,750
18.	इण्डिया फायरब्रिक्स एण्ड इन्शूलेशन कं० लिमिटेड	46,100

(इनमें वे संभारक शामिल नहीं है जिनको 100 टन से कम के लिये आर्डर दिये गये हैं)

करार की सामान्य शर्तें ऊष्पसह की आपूर्ति के सभी करारों पर लागू है सिवाय इसके कि विशेष कारणों से ही उनमें संशोधन किया जाता है। इन शर्तों के अनुसार इन्सपेक्शन नोट और प्रेषण-प्रमाण के आधार पर 90 प्रतिशत मूल्य की अदायगी की जाती है और शेष 10 प्रतिशत स्थल पर मील के पहुंच जाने और उसके स्वीकार कर लिए जाने के एक माह के अन्दर दिया जाता है। समय पर आपूर्ति न कर सकने पर, जिस अवधि में प्रदाय बाकी हो, उसके लिए निर्धारित हर्जाने की राशि की सीमा 10 प्रतिशत है। प्रत्येक मामले में गुणावगुण के आधार पर छूटें दी गई हैं, जिनमें जमानत की रकम न लेना, निर्धारित हर्जाने की राशि में कमी करना और समुचित बैंक गारंटी के आधार पर अग्रिम भुगतान में घट बढ़ शामिल है।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अतिथिगृहों में सरकारी कर्मचारियों का नि:शुल्क आतिथ्य सत्कार

7919. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लि० के अतिथि गृह में ड्यूटी पर तैनात सरकारी अधिकारियों का नि:शुल्क आतिथ्य सत्कार किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके सत्कार पर कितनी राशि व्यय की गई ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) जी, नहीं। साधारणत: हिन्दुस्तान स्टील लि० द्वारा कारखानों तथा रांची स्थित अतिथिगृहों में नि:शुल्क भोजन और निवास की सुवीधा उन केन्द्रीय और राज्य के सरकारी अधिकारियों को प्रदान की जाती है जो कम्पनी के काम से इस्पात कारखानों इकाइयों का दौरा करते है और कम्पनी द्वारा अतिथि माने जाते है। केन्द्रीय सरकार के यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार जब अधिकारियों को नि:शुल्क भोजन और निवास प्राप्त होता है, तो उन्हें अन्यथा मिलने वाले दैनिक भत्ते का 1/4 प्राप्त होता है।

(ख) 1968-69 से 1970-71 के तीन वर्षों में कम्पनी द्वारा अपने सभी अतिथि गृहों में इस मद में किये गये खर्च की राशी लगभग 1,85,900 रूपये है।

बंगला देश के विस्थापितों के प्रशासनिक नियंत्रण के लिए प्राधिकार

7920. **श्री श्यामसुन्दर महापात्र** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विभिन्न राज्यों में जाने वाले शरणार्थी राज्य सरकार के नियन्त्रण में होंगे अथवा केन्द्र सरकार के ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर): जिन शरणार्थियों की सीमावर्ती राज्यों से बाहर भेजा जा रहा है, उन्हे भारत सरकार के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन केन्द्रीय शिविरों में आवास दिया जाएगा।

तमिलनाडु द्वारा अभिजनक सांडों का आयात करने का अनुरोध

7921. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम्** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने केन्द्र सरकार से 95 अभिजनक सांडों के आयात के लिये विदेशी मुद्रा प्रदान करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, हो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) तमिलनाडु सरकार 95 अभिजनक साडों के आयात के लिये विदेशी मुद्रा नियुक्त करने के सम्बन्ध के अब तक कोई विशिष्ट अनुरोध नहीं किया है। सब राज्य सरकारों से की गई पूछताछ के उत्तर में राज्य सरकार ने 1971-72 के दौरान जर्सी, प्रीसीयन, ब्रोन स्विस तथा रेड डाने नस्ल के 85 साँडों की मांग की है। अन्य राज्यों की मांग पता लगाने के पश्चात् ही भारत सरकार इस माँग पर विचार करेगी।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

मद्रास में अलामांडी स्थित ढोर-फारम को अधिकार में लेना।

7522 **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास के समीप अलामण्डी स्थित ढोर-फारम को अधिकार में लेने तथा वहां केन्द्रीय योजना के रूप में एक भैस-फारम चलाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त प्रस्ताव पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ; और

(घ) इसे कब तक अपने अधिकार में ले लिये जाने की सम्भावना है ;

कृषि मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) **और** (ग) भारत सरकार ने चौथी योजना की अवधि में 1970-71 से 1973-74 के बीच तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रदत तमिलनाडु में अलमन्दी स्थान पर मुराहे भैसों के लिये 82·1 लाख रु० की लागत से एक केन्द्रीय पशु-प्रजनन फार्म स्थापित करने के लिये एक परियोजना संस्वीकृत की है ।

इस फार्म के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार है :—

(1) मुर्रहि भैंसों के समूह का वैज्ञानिक रीति से चुनाव और मिलन बराबर क्रमिक अनुवंशिक विकास में प्रगति करना ।

(2) राजकीय पशुधन फार्मों पर मुर्रह भैंसों के सुधार के लिए प्रमानित प्रजनन सांड उपलब्ध कराने के लिए सांडों की जांच ।

(3) आदर्श ग्राम खंडों/साधन पशु विकास परियोजना क्षेत्रों तथा कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों पर प्रजनन हेतु अच्छी किस्म की मुरहि भैंसों का उत्पादन और वितरण

(4) राजकीय पशु विकास योजनाओं के आसपास अच्छे भैंसों का कार्य और मुर्रह भैंसे उपलब्ध कराना ।

(5) फार्म के आसपास के क्षेत्रों में चारे की अधिक उपज देने वाली किस्मों की फसलें उगाने के लिए बीज तथा पौध लगाने की सामग्री उत्पादन और उपलब्ध कराना ।

(6) इस क्षेत्र में तकनीक कार्मिक एवं अन्य व्यक्तियों दोनों को ही वैज्ञानिक प्रजनन एवं फार्म प्रबन्ध प्रणालियों का प्रदर्शन करना तमिलनाडु सरकार अमलन्दी स्थित अपने सूखा गोबर विस्तारण फार्म का इस कार्य के लिए केन्द्रीय सरकार को देने को सहमत हो गई है (घ) जैसे ही अन्य औपचारिकतायें पूरी हो जाऐगी फार्म ले लिया जाएगा इनके शीघ्र ही पूरा होने की आशा है ।

पश्चिम बंगाल की सिलैक्टिड कजोरा जामबाद कोयला कम्पनी की और स्वामित्व की बकाया रा।शि

7923. **श्री सी० जनार्दनन :**

डा० रानेन सेन :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल की सिलैक्टिड कजोरा जामबाद कोयला खान की ओर कुल कितनी राशि बकाया है; और

(ख) राशि की वसूली के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) 31-3-71 को सेलेक्टेड कजोरा जम्बाद कोयला खान से पश्चिमी बंगाल सरकार को ब्याज सहित स्वामित्व की कुल देय राशि लगभग 9 लाख रुपए थी।

(ख) राज्य सरकार स्वामित्व की वसूली के लिए बंगाल लोक मांग वसूली अधिनियम के अधीन कदम उठा रही है ।

तृतीय योजना के लिए निर्धारित वनस्पति तेल का लक्ष्य

7924. **श्री राजदेव सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वनस्पति तेल का कुल उत्पादन तृतीय योजना में निर्धारित लक्ष्य तक नहीं पहुंचा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : तृतीय योजना के लिये मुख्य तिलहनों के उत्पादन का लक्ष्य 98 लाख मीटरी टन निर्धारित किया गया था । यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया । अतः तेल की उपलब्धि भी प्रत्याशित स्तरों तक नहीं पहुंच सकी ।

आसाम के कामरूप जिले में निर्धनता के कारण लड़कियों की कथित बिक्री ।

7925. **श्री विश्वनारायण शास्त्री** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनका ध्यान कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि आसाम में कामरूप जिले के बारामचारी गांव और ककलाबाड़ी गांवों में निर्धनता के कारण लड़कियों को बेचा गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) असम सरकार ने सूचित किया है कि उसमें लगाये गये आरोप निराधार हैं ।

दिल्ली दुग्ध योजना के मक्खन तथा घी के अनबिके भण्डार का मानव-उपभोग के योग्य न रहना

7926. **श्री टी० सोहन लाल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना में 1962 से पड़ा 30 टन सफेद मक्खन खराब तथा मानव -उपभोग के लिये अयोग्य हो चुका है;

(ख) क्या दिल्ली दुग्ध योजना के अधिकारी इसे बहुत कम मूल्य पर बेच डालने का प्रयास कर रहे हैं;

(ग) क्या दिल्ली दुग्ध योजना में घी के 100 डिब्बे भी वर्ष 1962 से अनबिके पड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसमें कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है तथा लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न हीं नहीं होता ।

केरल सर्कल में भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग की गतिविधियां

7927. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सर्कल में भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग की गतिविधियां बहुत ही कम हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग के केरल सर्कल के ढांचे को पुनः सुदृढ़ करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खान) : (क) से (ग) . केरल राज्य को सम्मिलित करते हुए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के कार्यकलाप की गति में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की शेष कलावधि के दौरान और अधिक वृद्धि होगी । केरल राज्य में वर्तमान अन्वेषण के दौरान वाक्साइट, लौह अयस्क, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, मिट्टी आदि पर जोर दिया जा रहा है क्योंकि राज्य सरकार इन निक्षेपों में से कुछ को शीघ्रातिशीघ्र विकसित करने के लिए इच्छुक है।

सेंट्रल गवर्नमेंट फिशिंग सीमैंस एसोसिएशन के पदाधिकारियो की नियुक्ति

7928. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल गवर्नमेंट फिशिंग सीमैन्स एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारियों, विशेषकर महासचिव की नियुक्ति, मछली पकड़ने वाले नाविकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए ठीक विभागों में नहीं की जाती है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) . गहरे समुद्र में कार्य करने वाले मीन उद्योग संगठन के तीन जहाज, कर्मचारियों सहित, 1966 और 1967 में केन्द्रीय मीन प्रचलन संस्थान को दे दिये गये थे । ये दोनों संगठन कृषि मन्त्रालय के अधीन हैं । जहाज एम० वी० तारपोन के साथ ही 1967 में केन्द्रीय सरकार मीन नाविक संस्थान के महामन्त्री भी केन्द्रीय मीन प्रचलन संस्थान में तबदील हो गये थे । संस्थान को बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि तबदीली से पहले ही जहाज कोचीन में था । अधिकांश मीन उद्योग नाविक गहरे समुद्र में कार्य करने वाले मीन उद्योग संगठन के पास ही रहे । इस संगठन के एकक बम्बई, कोचीन, विशाखापटनम और तूतीकोरीन में हैं परन्तु केन्द्रीय सरकार मीन जहाजों के लिये कोचीन ही मुख्य केन्द्र है, क्योंकि गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले मीन संगठन की भारत नार्वे परियोजना के एकक के अतिरिक्त केन्द्रीय मीन संगठनों के संस्थान यहीं स्थित हैं । संस्था के महामन्त्री की गहरे समुद्र में मीन पकड़ने वाले संगठन में फिर तबदीली करने के लिए कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है । इसके प्रतिकूल उन्होंने तबदीली के विरुद्ध प्रतिवेदन भेजा है ।

केन्द्र सरकारी मत्स्य नाविक एसोसिएशन की गतिविधियां

7929. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकारी मत्स्य नाविक एसोसिएशन की गतिविधियों से सरकार के मत्स्य संगठनों के कार्य पर कुप्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या उक्त एसोसिएशन का एक मजदूर संघ के रूप में गलत पंजीकरण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त पंजीकरण को रद्द करने तथा उसकी मान्यता समाप्त करने करने के लिये कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या सरकार को मालूम हुआ है कि उक्त एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारी भारत के मत्स्य संगठन के उत्तरदायी अधिकारियों को बदनाम कर रहे हैं तथा ऐसे संगठनों के उत्साह पर कुप्रभाव डाल रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) केन्द्रीय सरकार मत्स्य-नाविक संघ से सरकारी जहाजों पर नियुक्त कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी शर्तों के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं । संघ ने अपनी माँगों के सम्बन्ध में इस वर्ष जनवरी तथा फरवरी में एक आन्दोलन प्रारम्भ किया था । आन्दोलन "मांग दिवस" तथा 1–2–71 को वेतन का बहिष्कार करके बनाया गया । संघ के साथ विचार-विमर्श के उपरान्त आन्दोलन वापस ले लिया गया । किसी अशोभनीय घटना की सूचना नहीं मिली है, और मात्स्य की संगठन सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं ।

(ख) तथा (ग) श्रमिक संघ अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत श्रमिक संघों को मान्यता देने का अधिकार साविधिक दृष्टि से श्रमिक संघों के पंजीयक को ही है । किसी भी संघ को इस

सम्बन्ध में आवेदन करने अथवा श्रमिक संघ अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त करने के लिए सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। संघ का पंजीयन रद्द करने अथवा उसकी मान्यता वापस लेने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हाल ही में दिये गये कुछ इस प्रकार के निर्णयों के आधार पर कि भारत सरकार के कुछ मात्स्यकी संगठन 'व्यापार' तथा 'उद्योग' में संलग्न नहीं है, इस मामले के संवैधानिक पक्षों पर आवश्यक कार्यवाही करने की दृष्टि से विचार किया जा रहा है।

(घ) संघ के पदाधिकारियों से संघ की मांगों पर जोर देते हुए अथवा विभिन्न संगठनों की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में अधिकारियों के व्यवहार तथा उनके कार्यों के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ऐसे विषयों पर निर्दिष्ट प्रशासनिक प्रक्रियाओं के अनुसार विचार किया जाता है।

अत: इससे अधिकारियों के मनोबल पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ने का प्रश्न ही नहीं होता। इन संस्थाओं के कार्य के संचालन को देखते हुए मनोबल में किसी प्रकार का ह्रास प्रतीत नहीं होता।

मत्स्य संगठनों में प्रसासनिक अधिकारियों के वेतन-मान

7930. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के मत्स्य संगठनों में प्रशासनिक अधिकारियों के वेतन-मान भारत सरकार की अन्य सभी स्थापनाओं के ऐसे सभी पदों की तुलना में बहुत कम हैं ;

(ख) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में इसी प्रकार के पदों के वेतनों का या तो पुनरीक्षण कर दिया गया है अथवा नये उच्चतर पद बनाकर वर्तमान अधिकारियों को उन पर पदोन्नत कर दिया गया है; और

(ग) मत्स्य संगठनों के प्रशासनिक अधिकारियों के वेतन-मानों का पुनरीक्षण करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) मत्स्य संगठनों में प्रशासन अधिकारी के पद का वेतनमान 350—575 रुपये है। अन्य संगठनों में इसी पदनाम के पदों का वेतनमान सामान्य तौर पर 350—900 रुपये या400—950 रुपये के वेतन क्रम में होता है।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन उच्च वेतनमान में (अर्थात् 350-900 रुपये) प्रशासन अधिकारियों के दो अस्थायी पदों का, एक वर्ष 1969 तथा दूसरा 1970 में, सृजन किया गया था। निम्न श्रेणी के पदधारियों को उच्च वेतनमान में इन पदों पर नियुक्त किया गया। सन् 1971 में 400-950 रु० के उच्च वेतनमान में तीन पदों का सृजन किया गया था। इन तीन पदों में से एक पद प्रवर समिति के चयन से भरा गया है। निम्न श्रेणी के पदधारियों को नये सृजित पदों पर नियुक्त करने के लिए नियमों में कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। शेष पद प्रवर समिति द्वारा चयन से भरे जायेंगे। निम्न श्रेणी के पदधारी, यदि पात्र होंगे तो उनके विषय में भी विचार किया जायगा।

(ग) इन मत्स्य संगठनों में से एक प्रशासन अधिकारी के वेतनमान की श्रेणी को बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। परन्तु वेतनमानों के संशोधन पर सामान्य प्रतिबन्ध को, जो कि समय समय पर लागू किया जाता है, दृष्टिगत रखते हुए इस मामले को अन्तिम रूप नहीं दिया गया। अप्रैल, 1970 में भारत सरकार द्वारा गठित तृतीय वेतन आयोग विभिन्न श्रेणियों की सेवाओं को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की उपलब्धियों की संरचना तथा शर्तों के पुनरीक्षण के विषय में विचार कर रहा है। मत्स्य संगठनों के प्रशासन अधिकारियों के वेतनमान की स्थिति के बारे में तृतीय वेतन आयोग को जानकारी दे दी गई है।

Central Directive to States for Distribution of Uncultivable Common and Follow Land Among Harijans

7931. **Shri Ram Bhagat Paswan** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) Whether Government have taken any decision to distribute cultivable common land (Gair Magrua Aam) and follow land among the Harijans;

(b) if so, whether any directives have been issued to the state Government in this regard;

(c) The measures adopted by Government to ensure allotment of such land to Harijans; and

(d) The details of the Act which provides distribution of such land among the poor Harijans ?

The Minister of State in The Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) It is the policy of the State Government to distribute cultivable agricultural land and other culturable waste lands available with them and to give preference in the matter of distribution to members of scheduled castes and scheduled tribes.

(b) Land being a State subject, the question of issuing any directive to State Government does not arise. However, the Prime Minister and the Minister of Agricluture have written to the State Government advising them to expedite the distribution of land to landless persons showing preference to members of scheduled castes and scheduled tribes.

(c) The State Government are endeavouring to distribute all lands available with them as quickly as possible. So far 5 7 million hectares of waste land has been distributed by the different States.

(d) Distribution of waste land is done under Land Allotment Rules and executive orders.

मन्दापय स्थित केन्द्रीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान के लिये पूर्णकालिक निदेशक

7932. **श्री जी० भुवाराहन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्दापम स्थित मत्स्य संस्थान के निदेशक का कार्यालय इस संस्थान से दूर एरणाकुलम में है जिसके फलस्वरूप एरणाकुलम तथा मन्दापम स्थित दोनों ही कार्यालयों की

ग्रोर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है तथा दिन प्रतिदिन के मामलों में विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार मन्दापम संस्थान में कुशल कार्यकरण के लिये एक पूर्ण-कालिक निदेशक की नियुक्ति करने का विचार कर रही है;

(ग) क्या वर्तमान निदेशक के पास मन्दापम स्थित मत्स्य संस्थान के कार्य की देख-रेख करने के लिये प्राणीशास्त्र के ज्ञान सहित ग्रपेक्षित ग्रर्हताएं हैं; ग्रौर

(घ) इस संस्थान का विकास करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ग्रण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) केन्द्रीय समुद्रीय मीन उद्योग ग्रनुसंधान संस्थान के निदेशक का कार्यालय एरनाकुलम जो कि संस्थान का मुख्यालय है, में स्थित है। मण्डपम स्थित संस्थान की शाखा के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये वहां एक उपनिदेशक नियुक्त है ग्रौर उन्हें पर्याप्त प्रशासनिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। इस व्यवस्था द्वारा दिन प्रतिदिन के कार्य में किसी प्रकार की देरी नहीं होती।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) वर्तमान निदेशक को एक खुली प्रतियोगिता के माध्यम से सभी ग्रर्हताग्रों की पूर्ति के ग्राधार पर चुना गया था।

(घ) भारतीय कृषि ग्रनुसंधान परिषद् ने संस्थान की ग्रनुसंधान सम्बन्धी गति विधियां बढ़ाने के लिये (विशेषकर चौथी योजना के दौरान पूर्वीघाट पर) कार्यवाही की है ग्रौर इस सम्बन्ध में संस्थान द्वारा प्रस्तुत किए गये प्रस्तावों को भी स्वीकार कर लिया गया है।

केन्द्रीय समुद्री मत्स्य की ग्रनुसंधान संस्थान का मंडपम् (तमिलनाडु) से स्थानान्तरण

7933. **श्री वालतन्डायुतम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सामुद्री मत्स्य की ग्रनुसंधान संस्थान को मंडपम्, तमिलनाडु से स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव है; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ग्रण्णसाहिब पी० शिन्दे) : (क) केन्द्रीय समुद्री मात्स्यकी ग्रनुसंधान संस्थान के प्रधान कार्यालय को मंडपम् से कोचीन में स्थानान्तरित कर दिया गया है, किन्तु इससे मंडपम में हो रहे ग्रनुसंधान कार्य में किसी प्रकार का विघ्न नहीं पड़ेगा।

(ख) केन्द्रीय समुद्रीय मात्स्यकी ग्रनुसंधान संस्थान का ग्रपना प्रधान कार्यालय मंडपम् कैंप में है। चौथी लोक सभा की प्राक्कलन,समिति (1967–68) ने सितम्बर, 1967 में संस्थान का दौरा किया ग्रौर यह विचार व्यक्त किया कि समुद्री मछलियां वस्तुतः 'कैच किश' हैं, ग्रतः मछलियों की उपलब्धि के क्षेत्रो में ही सभी प्रकार का मौलिक ग्रनुसंधान कार्य होना चाहिए। ग्रनुसंधान कर्त्ता को वहां मौजूद होना चाहिये जहां मछलियां वितरित की जाती हैं। समुद्रीय

मात्स्यकी अनुसंधान संस्थान को अनिवार्य रूप में मछली पकड़ने के महत्वपूर्ण केन्द्रों के अधिकाधिक समीप स्थित किया जाना चाहिए जहां वस्तुतः समुद्री अनुसंधान तथा सम वेषी जलयानों के प्राप्त करने की सुविधायें मौजूद हों। इन बातों को ध्यान में रखते हुए प्राक्कलन समिति ने अपनी 36वीं रिपोर्ट में सिफारिश की कि प्रधान कार्यालय को कोचीन, मद्रास या टूटीकारिन में स्थानान्तरित किया जाना चाहिये। समिति ने यह भी अनुभव किया चूंकि इस संस्थान में समुद्रीय मीन क्षेत्रों के अन्वेषण के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है अतः यह एक केन्द्रीय स्थान पर स्थित होना चाहिए और यदि यह केन्द्रीय स्थान पर स्थित होता तो यह अनुसंधान के सम्बन्ध में अधिक कार्य कर पाता और वास्तविक रूप में उसका उत्पादन और भी अधिक होता। प्राक्कलन समिति की सिफारिश के अनुसार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने उसके समस्त पहलुओं पर विचार करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। समिति ने बहुमत से सिफारिश की कि इस संस्थान के प्रधान कार्यालय को मंडापम कैम्प से कोचीन में स्थानान्तरित कर दिया जाये ताकि इस संस्थान के उचित विकास के विषय में सुविधा रहे। यह सिफारिश परिषद् द्वारा स्वीकार करके क्रियान्वित की गई। केवल निदेशक और न्यूनतम प्रशासनिक कर्मचारियों को मंडपम से कोचीन स्थानांरित किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं कि मंडपम या पूर्वी समुद्री तट पर किये जाने वाले अनुसंधान कार्य में किसी प्रकार की उपेक्षा न की जाए। वास्तव में गत एक वर्ष के दौरान अनुसंधान कार्यक्रम को काफी सुदृढ़ किया गया है।

Memorandum by All India Commercial Clerks Association, Ajmer

7934. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) Whether the All India Commercial Clerks Association, Ajmer had submitted any memorandum to the Labour Commissioner, Ajmer regarding the shortage of staff in Parcel Office and Booking Office at Ajmer Station;

(b) Whether the Labour Commissioner, Ajmer had made a study of work in both the Offices for one week and submitted his report;

(c) If so, the particulars of the memorandum submitted by the aforesaid Association as also the report submitted by the Labour Commissioner and the action taken thereon:

(d) The number of disputes relating to Railway employees pending in the Labour Department (Central) Ajmer so far and the dates on which these disputes were referred to the Labour Department, and

(e) Whether the dispute referred to in part (a) above has since been settled, if so, when, and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) to (e) . Information is being collected and will be placed on the Table of the House after it is received.

बिहार के कारखानों तथा प्रतिष्ठानों की ओर कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि

7935. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार प्रदेश में 31 मार्च, 1971 को प्रतिष्ठान । कारखाने वार, कर्मचारी भविष्य निधि अंशदानों की कुल कितनी राशि बकाया थी; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने बिहार सरकार से बकाया राशि को शीघ्र वसूल करने के लिए अनुरोध किया है और यदि हां तो कब ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : कर्मचारी भविष्य निधि की व्यवस्था का सम्बंध केन्द्रीय न्यासी बोर्ड से है, जो कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अधीन स्थापित किया गया है और इससे केन्द्रीय सरकार का सीधा सम्बंध नहीं है । भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :—

(क) 31 मार्च, 1971 को बिहार क्षेत्र में छूट न प्राप्त दोषी प्रतिष्ठानों के नियोजकों की और नियोजकों और कर्मचारियों के हिस्से के भविष्य निधि अंशदानों तथा छूट रद्द होने पर बकाया राशि के लगभग 47·15 लाख रुपये बाकी थे । प्रत्येक दोषी प्रतिष्ठान के सम्बन्ध में बकाया र शि की सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है तथापि, एक विवरण संलग्न है, जिसमें बिहार क्षेत्र के ऐसे छूट न प्राप्त मुख्य दोषी प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में, जिनकी ओर 31–3–1971 को एक लाख से अधिक की राशि बकाया थी, भविष्य निधि की बकाया राशि दी गई है । **[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 914/71]**

(ख) दोषी प्रतिष्ठानों के विरुद्ध अभियोजन के मामलों को शीघ्र निपटाने का प्रश्न जून 1971 के अन्त में केन्द्रीय भविष्य निधि द्वारा बिहार सरकार के साथ उठाया गया है ।

बिहार में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत मामले

7936 **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत अभ्रक खान मालिकों के विरुद्ध बिहार प्रदेश में एक ही बार तथा एक ही समय पर बड़ी संख्या में आपराधिक मामले दायर किये गये थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि एक ही अभियुक्त के विरुद्ध कई मामले दर्ज हैं;

(ख) यदि हां, तो अभियुक्तों के नाम क्या हैं, कब से उन्होंने पैसा जमा नहीं करवाया तथा मुकदमे किस तारीख में दायर किये गये थे;

(ग) क्या भविष्य निधि अंशदानों की अदायगी में चूक के तुरन्त पश्चात् मुकदमे दायर न करके प्रादेशिक आयुक्त ने आठ वर्ष बीत जाने पर मुकदमें दायर किये थे; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : कर्मचारी भविष्य निधि की व्यवस्था का सम्बन्ध केन्द्रीय न्यासी बोर्ड से है, जो कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अधीन स्थापित किया गया है और इससे केन्द्रीय सरकार का सीधा सम्बन्ध नहीं है। भविष्य, निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है—

(क) जी हाँ। चूंकि प्रत्येक मास की अदायगी में चूक एक अपराध है, इसलिए हो सकता है, कि छूट न प्राप्त एक ही प्रतिष्ठान के नियोजक के विरुद्ध काफी संख्या में मामले दायर किए गए हों।

(ख) एक विवरण, जिसमे बिहार प्रदेश की अभ्रक खानों के सम्बन्ध में अभियुक्तों के नाम, पैसा जमा न करने की अवधि और मामले दायर करने की तारीख दी गई है, संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 915/71

(ग) और (घ) : शुरू शुरू में अनुनयी तरीके अपनाए गए और जब वे विफल हो गए, तब राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त करके अभियोजन के मामले दायर किए गए।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कोयला खान भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा योजनाओं का विलय

7937. **श्री मुहम्मद जमीलुईहमान** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कोयला खान भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा योजना के विलय का कार्य चल रहा है;

(ख) क्या वर्तमान अधिनियमों में व्यापक संशोधन करने का ब्यौरा तैयार करने हेतु कोई समिति नियुक्त की गई है और यदि हां, तो निर्देशपद का ब्यौरा क्या है और उसके द्वारा क्या कोई अन्तरिम प्रतिवेदन या अन्य प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है; और

(ग) इस प्रकार के विलय के पश्चात् इन तीन संगठनों के कर्मचारियों और अधिकारियों की परस्पर वरिष्ठता बनाये रखने के लिए क्या निवारक कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) सामाजिक सुरक्षा की समाकलित योजना तैयार करने हेतु राष्ट्री श्रम आयोग की सिफारिश पर निर्णय करने के लिए, दिसम्बर, 1969 में एक कार्यकारीदल स्थापित किया गया, जिसने अंतिम उद्देश्य के रूप में सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के समाकलन का सुझाव दिया। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के समाकलन से सम्बद्ध वैधानिक, प्रशासनिक और संगठनात्मक मामलो की व्यापक रूप से जांच करने और समाकलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया है। अभी तक कोई रिपोर्ट, अंतरिम या अन्यथा, प्राप्त नहीं हुई है।

प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्तों के विरुद्ध शिकायतें

7938. **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को विभिन्न प्रादेशिक आयुक्तों के विरुद्ध जनता एवं संसद सदस्यों से कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक आयुक्त के विरुद्ध पिछले तीन वर्षों में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त मामले में क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) : कर्मचारी भविष्य निधि की व्यवस्था का सम्बन्ध केन्द्रीय न्यासी बोर्ड से है, जो कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अधीन स्थापित किया गया है और इससे भारत सरकार का सीधा सम्बन्ध नहीं है। प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्तों के विरुद्ध केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है।

आन्ध्र प्रदेश में "कन्टीन्यूअस कास्टिंग" संयंत्र स्थापित करना

7939. **श्री के० के० रामी रेड्डी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास परियोजना की वित्तीय तथा तकनीकी सहायता से आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में लोहे के उत्पादन के लिए स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित औद्योगिक परियोजना की लागत, उत्पादन क्षमता और रोजगार संभाव्यता आदि जैसी मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम ने "कन्टीन्यूअस कास्टिंग" संयंत्र की स्थापना हेतु लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र दिया था; और

(ग) यदि हां तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम ने संयुक्त राष्ट्र संघ विकास प्रायोजना की सहायता से फौड्री ग्रेड कच्चे लोहे के उत्पादन के लिए एक डिमान्सट्रेशन संयंत्र लगाने का प्रस्ताव किया है। इस प्रस्ताव में अपचायक/ईंधन के रूप में नान-कोकिंग कोयले का प्रयोग करके फौड्रीग्रेड कच्चा लोहा तैयार करने की व्यवस्था है। इस इकाई की प्रस्तावित क्षमता 50 टन प्रतिदिन है। प्रायोजना की कुल लागत 2·35 करोड़ रुपये बताई गई है जिसमें संयुक्त राष्ट्र विकास प्रायोजना से 1·12 करोड़ रुपये की सहायता शामिल है। इस प्रायोजना के शक्यता प्रतिवेदन में यह नहीं बताया गया है कि कुल कितने आदमियों को रोजगार मिलेगा।

(ख) और (ग) : आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम ने प्रतिवर्ष साधारण इस्पात। हाईकार्बन इस्पात के 50,000 टन बिलेट तथा साधारण। हाई कार्बन इस्पात के 20,000 टन छड़

(राड) के उत्पादन के लिए औद्योगिक लाइसेंस हेतु हाल में ही आवेदन पत्र दिया है। इस आवेदन पर कार्यवाई की जा रही है।

केन्द्रीय भाण्डागार निगम (दक्षिण जोन) के कर्मचारियों द्वारा उनके उत्पीडन के विरुद्ध अभ्यावेदन

7640. **श्री वयालार रवि** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, दक्षिण जोन के केन्द्रीय भाण्डागार निगम के कर्मचारियों द्वारा उनके उत्पीड़न के विरुद्ध, कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) जी हां। कर्मचारी-सघ की ओर से दिए गए ज्ञापन में यह आरोप लगाया गया था कि कुछ पदाधिकारियों का स्थानान्तरण करके उन्हें उत्पीड़ित किया गया था। इस मामले की जांच की गई थी। यह पाया गया था कि उक्त पदाधिकारियों के स्थानान्तरण प्रशासकीय आधार पर और लोक हित में किए गये थे और इससे कोई उत्पीड़ित नहीं था। तथापि, केन्द्रीय भाण्डागार निगम से यह अनुरोध किया गया था कि वे संघ के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श करें और इस सम्बन्ध में उन्हें स्थिति स्पष्ट करें। उन्होंने उनके साथ विचार विमर्श किया था और फिलहाल यह मामला आपस में तय कर लिया गया है।

केरल में इस्पात की कमी

7941. **श्री वयालार रवि** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि इस्पात की सप्लाई-विशेष रूप से सी० आर० चादरों की कमी के कारण केरल में इस्पात का फर्नीचर बनाने वाले 90 कारखाने बन्द हो गये है; और

(ख) यदि हां, तो इन कारखानों को इस्पात सप्लाई करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) यह सम्भव है कि इस्पात की आम कमी के कारण देश के सभी भागों में (केरल भी शामिल है) औद्योगिक एकक को, जिनमें इस्पात का फर्नीचर बनाने वाले कारखाने भी शामिल है, कुछ हद तक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस्पात की कमी के कारण केरल में इस्पात का फर्नीचर बनाने वाली फैक्टरियों के बन्द होने के बारे में सरकार के पास जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ख) अपने इस्पात कारखाने में उत्पादन बढ़ाने तथा यथावश्यक मात्रा में आयात करने के लिए सभी उपाय किये जा रहे हैं।

Re-rolling Mills in Bihar

7942. **Shri Sukhdeo Prasad Verma** : Will the Minister of Steel and Miness be pleased to State :

(a) the number of re-rolling mills in Bihar upto 1965 and the number at present with the names and locations thereof

(b) the production capacity of each of them and the quantum of raw material supplied to each of them per year,

(c) whether each re-rolling mills is provided raw material according to its production capacity if not, the reasons therefor, and

(d) the steps proposed to be taken by Government to ensure the supply of raw material to each of the said mills according to their production capacity ?

The Minister of State In the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) to (b) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

साउथ एवेन्यू तथा नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली में एम० पी० केन्टीन में सेवा की शर्तें

7943. **श्री पी० ए० थनी रेड्डी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साउथ एवेन्यू तथा नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली की दोनों एम० पी० केन्टीनों में सेवा की शर्तें क्या हैं; और

(ख) प्रत्येक केन्टीन में कितने कर्मचारी काम करते हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) साउथ एवेन्यू और नार्थ एवेन्यू में एम० पी० कैंटीनें निजी भोजप्रबन्धकों द्वारा चलाई जाती हैं । इन कैंटीनों में कर्मचारियों की सेवा शर्तें सम्बन्धी कोई लिखित नियम नहीं हैं । सरकार को यह सूचित किया गया है कि नार्थ एवेन्यू के कैंटीन कर्मचारियों को 50 रु० से 100 रु० तक मजदूरी दी जाती है और खाना तथा रहने का प्रबन्ध मुफ्त किया जाता है और उनके काम के घन्टे तथा छुट्टी की हकदारी आदि दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 के अनुसार है । साउथ एवेन्यू की कैंटीन भोज-प्रबन्धक मजदूरी की दैनिक दर पर नियोजित करते हैं ।

(ख) साउथ एवेन्यू और नार्थ एवेन्यू की कैंटीनों में नियोजित श्रमिकों की संख्या क्रमश: 8 और 11 है ।

अभ्रक खान कम्पनियों की ओर कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि

7944. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स क्रिश्चियन माइका इन्डस्ट्रीज डोमचंद, और मैसर्स सी० एच० (पी०) लिमिटेड, डाकखाना झूमरीतिलैया जैसी कुछ प्रमुख अभ्रक खान कम्पनियां बिहार प्रदेश में

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अधीन पुरानी तथा अभ्यस्त दोषी है;

(ख) क्या उक्त तथा अन्य कम्पनियों ने कर्मचारी भविष्य निधि अंशदानों को श्रमिकों का का भाग भी, जो उनके वेतनों में से काट लिया जाता है, जमा नहीं करवाया है, यदि हां, तो यह कितनी राशि है;

(ग) क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अन्तर्गत इनके विरूद्ध कभी मुकदमे दायर किये गये हैं, यदि हां, तो कब और उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भविष्य निधि जमा करवाने में दोष के सम्बन्ध में भारतीय दंड संहित की धारा 406 तथा 409 के अन्तर्गत बिहार प्रदेश में दायर किये गये कुछ मामले इस कारण असफल हो गये, कि शिकायत याचिकाओं में ही अनियमितताएं थीं, और यदि हां, तो इस प्रकार असफल हुए मामलों के ब्यौरे क्या है; और

(ङ) ऐसी गलती करने वाले तथा अनुत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है जिनके कारण यह मामले असफल हुए ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ङ) कर्मचारी भविष्य निधि की व्यवस्था का सम्बन्ध केन्द्रीय न्यासी बोर्ड से है, जो कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अधीन स्थापित किया गया है और इससे केन्द्रीय सरकार का सीधा सम्बन्ध नहीं है। भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि सूचना एकत्र की जा रही है। वह यथा-समय सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

गाद के जमा हो जाने के कारण अधिकोडे (एरनाकुलम) समुद्री मुहाने का बन्द हो जाना

7945. **श्री व्यालर रवि** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि गाद के जमा हो जाने के कारण अधिकोडे (एरनाकुलम) समुद्री मुहाना बन्द हो गया है और इस कारण एस क्षेत्र में सम्पूर्ण मत्स्य उद्योग ठप्प हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो गाद को हटाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) अजही समुद्र मुहाने के प्रवेश स्थान पर रेत का टीला बन गया है जिसके परिणामस्वरूप मीन हरण जहाजों को समुद्र में घूम कर जाना पड़ता है। इससे मीन हरण कार्यक्रम पर दुष्प्रभाव पड़ा है और इस बारे में मीन उद्योग से आवेदन प्राप्त हुआ है।

(ख) केरल सरकार कोचीन पत्तन ट्रस्ट और अन्य संगठनों से उधार ड्रैजर प्राप्त करने का प्रयत्न कर रही थी। ड्रैजरों की कमी है और जो ड्रैजर इस कार्य के लिये मिल सकते हैं वे अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिये कार्य कर रहे हैं, अतः अभी तक ड्रैजर प्राप्त करना सम्भव नहीं हुआ है। केरल सरकार ने लगभग 1·5 करोड़ रुपये की लागत से एक ड्रैजर खरीदने के लिये व्यवस्था कर ली है। जब तक ड्रैजर का निर्माण नहीं हो जाता तब तक ड्रैजर को उधार प्राप्त करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

Arrears of employees Provideut fund with Mohan Printing Press, Ujjain

7946. **Shri Phool Chand Verma** : Will theMinister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) The amount of Employees' Provident found contribution outstanding against Mohan Printing press, Ujjain and the daily 'Avantika' and the action being taken by Government to recover the same; and

(b) Whether the managements of the daily 'Avantika' and the said Press do not confirm their employees so that they may not be required to deposit the amount of Providen Fund contribution, if so, the action proposed to be taken by Government to remove such an irregularity ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R K. Kadilkar) : The administratio of the employees Provident fund is the concern of the Central Board of Trustees set up under the Employees' Provident funds and family Pension fund Act, 1952 and is not the direct concern of the Central Government.

(a) and (b) : The Provident fuud authorities have reportedlthat at present the Employees Provid nt funds and family pension fund Act, 1952 does not apply to the Mohan Printing Press, Ujjain and the Daily "Avantika"

गुजरात में कृषि श्रमिकों के लिए मजूरी दर

7947. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **कृषि और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गुजरात में एक कृषि श्रमिक की मजूरी दर कितनी है;

(ख) एक कृषि श्रमिक की केन्द्रीय मजूरी दर कितनी है; और

(ग) क्या सरकार का विचार गुजरात की मजूरी दर को केन्द्र की मजूरी दर के बराबर लाने का है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर ० के० खाडिलकर) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार कृषि उद्योग में रोजगार के सम्बन्ध में गुजरात राज्य में विभिन्न श्रेणियों के लिए न्यूनतम मजदूरी-दरें, जो 1·25 रु० प्रतिदिन और 3·00 रु० प्रतिदिन के बीच में हैं, गुजरात सरकार द्वारा दिसम्बर, 1967 में अधिसूचित की गई ।

(ख) गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने मई, 1969 में मजदूरी की जो न्यूनतम दरें अधिसूचित की हैं ने 2·50 रु० प्रतिदिन और 3·40 रु० प्रतिदिन के बीच हैं

(ग) मजदूरी की न्यूनतम दरों में अगले संशोधन के समय ध्यान में रखे जाने वाले तत्वों में एक तत्व यह हो सकता है ।

रुरकेला इस्पात संयंत्र की इस्पात गलाई भट्टी की छत गिर जाने के परिणाम स्वरूप इस्पात की सप्लाई में हुई गडबढ़ का प्रभाव

7948. **श्री जी० वेंकटस्वामी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे, कि :

(क) क्या सरकार रूरकेला इस्पात संयंत्र की इस्पात गलाई भट्टी की छत के गिर जाने के परिणामस्वरूप इस्पात की सप्लाई में हुई अस्तव्यवस्था के प्रभाव को कम करने के उपायों पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो परिणामतः इस्पात की सप्लाई में हुई कमी को दूर करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, हां इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि राउरकेला में हुई दुर्घटना के परिणामस्वरूप उत्पादन में कितनी कमी होगी।

(ख) इस अनुमान को तथा विदेशी मुद्रा की दिक्कतों को देखते हुए यथावश्यक मात्रा में आयात किया जायगा।

मलकागंज, दिल्ली के निकट कब्रिस्तान से ट्रक अड्डे को हटाना

7949. **श्री अर्जुन सेटी** : क्या कृषि मंत्री मालगंज दिल्ली के निकट कब्रिस्तान से ट्रक अड्डे को हटाने के बारे में 19 मई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10269 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न प्रभावशाली व्यक्ति इस मामले में बिलम्ब कराने का प्रयत्न कर रहे हैं जबकि यह 1965 से अनिर्णीत पड़ा है; और

(ख) क्या सम्बन्धित व्यक्ति को जिसने बिना अधिकार के इस स्थान को किराये पर दिया था, गिरफ्तार कर लिया गया है।

कृषि मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) दिल्ली प्रशासन से की गई पूछताछ से ज्ञात हुआ है कि उनके पास इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

(ख) जी नहीं।

इन्द्रा मार्किट, दिल्ली में कार्य के सामान्य घंटों के पश्चात दुकानों का खुला रहना

7950. **श्री अर्जुन सेटी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 14 मई, 1970 के सामान्य कार्य-विधि के पश्चात भी इन्द्रा मार्केट, दिल्ली में दुकानें खुली रहने के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 9657 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निरीक्षक द्वारा इन दुकानों का निरीक्षण कितनी बार, किस किस तारीख को किस-किस समय किया गया ; और

(ख) जो दुकानें वहां 24 घंटे खुली रहने के कारण वहां के निवासियों के लिए अभिशाप बन गई हैं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

विवरण

निरीक्षण की तारीख	चालानों की संख्या	अब तक निपटाए गए चालानों की संख्या	जुर्माने की राशि
1	2	3	4
			रुपये
21-5-70	3	1	30·00
23-6-70	3	3	100·00
7-7-70	1	1	35 00
26-7-70	1	1	40 00
29-7-70	1	1	30·00
9-8-70	1	1	40·00
13-8-70	3	1	40·00
15-8-70	1	—	—
26-8-70	1	—	—
2-9-70	1	1	25·00
15-9-70	6	5	145·00
24-9-70	2	2	30·00
19-12-70	3	1	40·00
26-1-71	1	1	45·00
12-6-71	5	4	120·00
18-7-71	2	—	—
योग : 16	35	23	720·00

नोट : उपर्युक्त तारीखों को निरीक्षण पौने नौ बजे रात को या उसके बाद किए गए ।

पंजाब में राजकीय नलकूपों को हुई हानि

7951. **श्री सतपाल कपूर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनाँक 25 जुलाई, 1971 के टाइम्स आफ इण्डिया में प्रकाशित यह समाचार देखा है कि पंजाब में राज्य सरकार के नलकूपों को दोषपूर्ण आयोजना, उनके लगाये

जाने के स्थानों के गलत चुनाव तथा सम्बन्धित कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण भारी हानि हो रही है;

(ख) क्या प्रत्येक नलकूप को 1962-63 में औसत हानि, 604 रुपये हुई थी, जोकि बढ़कर 1966-67 में 4905 रुपये हो गई थी;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी अभिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) उनके प्रति केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और स्थिति को सुधारने के लिये क्या उपाय किये गये हैं और उक्त हानि के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ङ) अपेक्षित जानकारी प्राप्त होने पर और उसकी जांच-पड़ताल के उपरान्त ही केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में पता लगेगा ।

आंध्र प्रदेश में हीरों के निक्षेपों की खोज

7952. **श्री कोदंड रामी रेड्डी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग आन्ध्र प्रदेश में अनन्तपुर जिले के वज्रकूरा में हीरों के निक्षेपों का खोज कार्य पूरा कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). 1961–63 के दौरान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा अनन्तपुर जिले के वज्रकूरर में हीरों के लिए किये गये विस्तृत भूवैज्ञानिक और भूभौतकीय अन्वेषणों से वज्रकूरर लसावरम ग्रामों के निकट दो दो नलिकाशैल की की विद्यमानता प्रमाणित हुई है । वज्रकूरर में नलिका-शैल संख्या 1 से प्राप्त हुई प्रचुर नमूनों से अभी तक कुल 22·42 कैरट वजन के 21 हीरे प्राप्त हुये हैं । इन हीरों में से एक का वजन 9·456 कैरट था । कार्य अभी भी प्रगति पर है और उसके 1973 तक सम्पूरित होने की आशा है ।

आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा स्वर्ण निक्षेप निकालने के लिये अनुमति

7953. **श्री कोदण्ड रामी रेड्डी** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि अनन्तपुर जिले में रामगिरि में वर्ण निक्षेपों को उसी भांति निकालने की अनुमति दी जाये जैसे कि मैसूर की हाल्दिया स्वर्ण खानों के मामले में प्राप्त है; और

(ख) यदि हां, तो क्या अनुमति दे दी गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने प्रारम्भ में आन्ध्र प्रदेश खनन निगम द्वारा रामगिरी स्वर्ण निक्षेपों के समुपयोजन में अभिरुचि दिखाई थी । किन्तु अधिक विचारोपरान्त उन्होंने निक्षेपों के समुपयोजन के लिए अपनी असमर्थता अभिव्यक्त की है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है ।

कालीकट में एक मसाला अनुसंधान केन्द्र और वाइनाड, केरल में सिट्रस अनुसंधान केन्द्र का खोला जाना

7954. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, कालिकट में एक मसाला अनुसन्धान केन्द्र और वाइनाड केरल में एक सिटरस अनुसंधान केन्द्र खोलने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजनाओं की मुख्य विशेषतायें क्या हैं तथा इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने चौथी योजना के दौरान लगभग 50 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक केन्द्रीय मसाला अनुसंधान संस्थान की स्थापना के लिए एक परियोजना तैयार की है । देश में उगाये जाने वाले महत्वपूर्ण मसालों पर तीव्र अनुसन्धान करने के लिये इस संस्थान के निम्नलिखित प्रभाग होंगे :—

आनुवंशिक विज्ञान प्रभाग

पादप रोग–विज्ञान प्रभाग

कीट-विज्ञान प्रभाग

मृदा, कृषि रसायन-शास्त्र तथा सस्य-विज्ञान प्रभाग ।

जब यह संस्थान स्थापित हो जायेगा यह मसालों को कई किस्मों के अनुसन्धान का एक मुख्य केन्द्र होगा । यद्यपि, इस संस्थान में अधिकतर इन फसलों पर मूल अनुसंधान किया जायेगा, लेकिन इस संस्थान का समस्योनुमुखी तथा समस्या-समाधान सम्बन्धी अनुसन्धान कार्यक्रम भी होगा । यह अखिल भारतीय मसाला सुधार समन्वित परियोजना का पूरक होगा, जो कि पहले ही कार्य कर रहा है ।

चौथी योजना के दौरान परिषद के लिए 39 लाख रुपये की लागत से 'सिट्रस डिक्लाइन' रोग के अध्ययन के लिए भी एक परियोजना तैयार की गई है। इस परियोजना के अन्तर्गत विचार है कि उन जीवों तथा बातों का पता करने के लिए अध्ययन किये जायें, जिनके कारण देश के विभिन्न सिट्रस उगाने वाले क्षेत्रों में यह बीमारी होती है। सिट्रस जनन द्रव्य को काफी मात्रा में एकत्रित किया जायेगा तथा रोग के प्रतिरोध के लिए, जिसके कारण कि यह रोग होता है, सिम्रौन्स तथा भण्डारण की परीक्षा की जायेगी और खेती के लिए प्रतिरोधक सामग्री का वर्धन किया जायेगा। इस बीमारी से प्रभावित उद्यानों के सुधार के लिए प्रभावी नियत्रण अनुसूचियां क्षेत्रवार तैयार की जायेंगी। उपरोक्त कार्य को प्रारम्भ करने के लिये एक मुख्य केन्द्र उद्यान विभाग अनुसन्धान संस्थान, हैसरघट्टा, बंगलौर तथा पांच क्षेत्रीय केन्द्र-कोडुर (आँध्र प्रदेश, वयानड (केरल), नागपुर (महाराष्ट्र), श्री गंगानगर (राजस्थान) तथा जौरहार (असम) में एक एक स्थापित करने का विचार है।

ये परियोजनायें योजना आयोग तथा वित्र मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त होने पर क्रियान्वित की जायेंगी।

वर्मा से स्वदेश वापस आने वालों को दिल्ली में दुकानों के आवंटन में भेद-भाव

7955. **श्री लीलाधर कटकी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने निर्माण और आवास मंत्रालय से कहा है कि वर्मा से स्वदेश वापस आने वाले ऐसे व्यक्तियों के लिए, जो छोटे स्तर का व्यापार करना चाहते हैं, कुछ दुकानों की दिल्ली में व्यवस्था की जाय तथा ये दुकानें ऐसे व्यक्तियो के लिए आरक्षित की जायें;

(ख) क्या पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के लिए दुकानें बनवायी गयी थीं और आवंटित की गयी थीं।

(ग) क्या नई दिल्ली नगर पालिका / दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण में इस समय भी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को दुकानें आवंटित की जा रही हैं परन्तु वर्मा से आये शरणार्थियों को नहीं ; और

(घ) यदि भाग (ख) तथा (ग) के उत्तर हां में हैं तो वर्मा से स्वदेश वापस आने वालों के साथ भेद-भाव करने और दुकानों के आवंटन के लिए एक जैसी नीति न अपनाने के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) (क) जी, हां। तथापि, इस प्रकार का आरक्षण संभव नहीं पाया था।

(ख) दिल्ली की विभिन्न बस्तियों / मार्केटों में दुकानों का निर्माण किया गया था और पश्चिमी पकिस्तान के शरणार्थियों को आवंटित की गई थीं।

(ग) नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा निर्मित दुकाने टेन्डर के आधार पर आवंटित की जाती हैं जब तक कि वे विशिष्ट रूप में पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को सड़कों पर अस्थायी स्टालों के बदले में न बनाई गई हो। दिल्ली नगर निगम ने 1948-50 के अन्तर्गत, पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों के लिए दुकाने निर्माण करके आवंटित की थीं। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई दुकानों का निपटारा सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से

किया जाता है ।

(घ) उपरोक्त भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित दुकानों के अलावा नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा निर्मित की गई दुकानों या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई दुकानें क्रमश: टेडर के आधार और सार्वजनिक नीलाम के माध्यम से आवंटित की जाती हैं। अत: किसी भेद-भाव का प्रश्न नहीं उठता ।

बर्मा में स्वदेश वापिस आने वाले व्यक्तियों को दिल्ली में दुकानों का आवंटन

7956. **श्री लीलाधर कटकी:** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री 19 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4941 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सम्पदा निदेशालय, नई दिल्ली नगरपालिका, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अभी तक बर्मा से स्वदेश वापिस आये व्यक्तियों को किसी भी दुकान का आवंटन नहीं किया है ?

(ख) पुनर्वास मंत्रालय तथा स्थानीय स्वायत्त शासन, दिल्ली प्रशासन के सचिव ने, इन तीनों निकाय को 1966 में इस आशय के अनुदेश जारी किये थे कि दुकानों के आवंटन के मामले में बर्मा से स्वदेश आने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाये ;

(ग) क्या बर्मा से स्वदेश आने वाले व्यक्तियों को कोई दुकान / प्लाट अलाट किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो लगभग चार वर्ष की अवधि बीत जाने के पश्चात भी अब तक दुकानें । प्लाट आवंटित न करने के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर): (क) दिल्ली में, इन प्राधिकरणों द्वारा बर्मा के प्रत्यावासियों को दुकाने आवंटित नहीं की गई हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) पूर्व प्रस्ताव में कुछ परिवर्तन हो गया था इसलिए अब दुकानों के निर्माण करने का प्रस्ताव है ।

बर्मा से स्वदेश वापस आने वालों के लिये मध्य प्रदेश में भूमि का आवंटन

7957. **श्री लीलाधर कटकी :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बर्मा से स्वदेश वापस आने वालों को मध्य प्रदेश में भूमि, प्लाट्स तथा दुकानों के आबंटन सम्बन्धी मामलों में अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या स्वदेश वापस आने वालों को राज्य सरकार केवल 5 एकड़ भूमि का आवंटन कर रही है ;

(ग) क्या 5 एकड भूमि कृषि के लिए बहुत कम है ;

(घ) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार के परामर्श से मध्य प्रदेश की चम्बल घाटी

भूमि आवंटित करने की योजना निश्चित की हैं ; और

(ङ.) क्या सरकार का विचार राज्य सरकार को ऐसे अनुदेश देने का है कि कृषि के लिए भूमि की अधिकतम सीमा 5 एकड़ से 20 एकड़ कर दी जाय ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उन्हें इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली है ।

(ख) जी, हाँ ।

(ग) जी, नहीं । राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि प्रत्यावासियों से इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली है ।

(घ) बर्मा से आए प्रत्यावासियों के लिए चम्बल घाटी में कोई भूमि नहीं रखी गई है ।

(ङ) जी, नहीं ।

भारतीय खाद्य निगम, मणीपुर स्थित गोदामों में खाद्यान्नों का क्षतिग्रस्त होना

7958. **श्री ज्योतिर्मय बसु**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में बहुत सा गेहूं क्षतिग्रस्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितना ; और

(ग) देश में भारतीय खाद्य निगम की दूसरी कितनी होल्डिंग्स में खाद्यान्न क्षतिग्रस्त हुए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहब पी० शिन्दे) : (क) भारतीय खाद्य निगम का मणिपुर में गेहूं का कोई भण्डार नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) देश में, अप्रैल और जुलाई, 1971 के बीच भारतीय खाद्य निगम के 42 गोदामों में क्षति हुई है और लगभग 300 मी० टन खाद्यान्न क्षति-ग्रस्त हुये थे ।

Camp Allowance to Construction Workers In Mana Refugee Camp, Raipur

7959. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) The number of employees in the constrution staff under the Executive Engineer, Mana Refugee Camp, Raipur;

(b) Whether these employees are not getting camp allowance,

(c) if so, the reasons therefor , and

(d) the action proposed to by taken by Government ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) There are 11 Assistant Engineers, 32 Section officers, 100 other staff on regular establishment and 124 employees belonging to Class III and Class IV posts on the work-charged establishment under the Executive Engineer, Mana Group of Transit Centres, Mana, Raipur .

(b) These employees are being paid camp allowance.

(c) & (d) : Do not arise.

भूजल संरक्षण तथा भूमिगत जल के समुप योजना हेतु रायल सीमा आन्ध्रप्रदेश में परियोजना के लिए विश्व बैंक की सहायता :

7960. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या कृषिमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के रायल सीमा में भूजल संरक्षण तथा भूमिगत जल के समुप योजन हेतु विस्तृत परियोजना के लिए विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस प्रकार के प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) विश्व बैंक ऋण परियोजना के अन्तर्गत आने वाले नलकूप और खुदाई के कुओं के कार्यक्रम में 18 जिलों के 83 तालुके सम्मिलित हैं । इनमें रयालसीमानन्तपुर, कूड़ापा और कुरनूल जिलेसम्मिलत है ।

(क) प्रश्न ही नहीं होता ।

वनस्पति औद्योगिक उपक्रमों के लिये लाइसेंस देना

7961. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य उत्पादन आदेश 1955 के अन्तर्गत वर्ष 1970-71 में 109 नये लाइसेंस दिये गये है;

(ख) क्या वर्ष 1970-71 में वनस्पति औद्योगिक उपक्रमों के लिये 46 नये लाइसेंस दिये गये है;

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं जिनमें से नये वनस्पति औद्योगिक उपक्रम तथा खाद्य उत्पादक एकक स्थापित किये जायेंगे; और

(घ) इनमें से कितने (एक) सरकारी क्षेत्र, (दो) गैर-सरकारी क्षेत्र, और (तीन) सहकारी क्षेत्र में है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह): (क) जनवरी से दिसम्बर, 1970 के दौरान फल उत्पाद आदेश 1955 के अधीन 104 नये लाइसेंस दिये गये हैं ।

(ग) 1970-71 में वनस्पति कारखानों के लिये दिये गये नये लाइसेंसों की संख्या केवल 38 ही है ।

(ग) और (घ): अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है। (ग्रन्थालय में रख दिया गया। देखियें संख्या एल० टी० —916/71)

ब्रह्मपुत्र बेसिन का भूगर्भीय अध्ययन

7962. **श्री विजय मोडक :**

श्री सुबोध हंसदा :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण के 20 सदस्यीय दल ने ब्रह्मपुत्र बेसिन का भूगर्भीय अध्ययन पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि हां तो उसका परिणाम क्या है ;

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अन्तरिम प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूप-रेखा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (घ): भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के भूवैज्ञानविदों के दल ने, जिन्हें ब्रह्मपुत्र बेसिन की भूवैज्ञानिक संरचना का निर्धारण-कार्य सौंपा गया था, अपने कार्य की प्रथम प्रावस्था सम्पूरित कर ली है। अब वह आधार-सामग्री के विश्लेषण और प्रयोगशाला अध्ययनों में कार्यरत हैं। आशा की जाती है कि प्रथम प्रावस्था अध्ययनों के बारे में उनकी रिपोर्ट को 1972 के मध्य तक अन्तिम रूप दिया जाएगा।

बंगलौर स्थित राम कुमार मिल्स के कर्मचारियों की मांगें

7963. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगलौर स्थित राम कुमार मिल्स हाथीग्राम कल सागरा संघ ने अपनी मांगों के सम्बन्ध में मैसूर के राज्यपाल को कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की मुख्य-मुख्य मांगें क्या हैं; और

(ग) उनकी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) हां।

(ख) और (ग) : मैसूर सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार श्रमिकों की मुख्य मांग, सूती कपड़ा उद्योग के दूसरे मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुपार मंहगाई भत्ते में वृद्धि के बारे में थी। इस मामले पर उठाया गया विरुद्ध राज्य उद्योग सम्पर्क तंत्र द्वारा समझौता कार्यवाही के लिए, जो असफल रही, स्वीकार किया गया। राज्य सरकार अब इसे न्यायनिर्णयन के लिए भेजने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

राजधानी में रविवार रात्री को कैमिस्टों की दूकानों का खोलना

7964. **श्री शशीभूषण** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली में चौबीस घंटे खुली रहने वाली कैमिस्टों की दुकानों के नाम, उनकी संख्या क्या हैं तथा वे कहां-कहां पर स्थित हैं ;

(ख) क्या जो दुकानें सप्ताह में सातों दिन 24 घंटे खुली रहती हैं वे रविवार रात्रि को बन्द रहती हैं ;

(ग) क्या सरकार को उन रोगियों को होने वाली असुविधा के बारे में पता है जो रविवार रात्रि को अचानक रोगग्रस्त हो जाते हैं और जिनको उस रात औषधि उपलब्ध नहीं होती है ; और

(घ) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में तथा रविवार रात्रि को भी कमिस्टों की दुकानें खुलवाने का प्रबन्ध करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

राष्ट्रीय कृषि आयोग का अन्तरिम प्रतिवेदन

7965. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि आयोग ने कोई अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं होता ।

बिजूर और हाल्दी लघु सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति

7966. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजूर और हाल्दी लघु सिंचाई योजनायें किस स्थिति में हैं ; और

(ख) उनकी धीमी प्रगति के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

आन्ध्र प्रदेश में छोटे किसानों और खेतीहर मजदूरों से सम्बन्धित योजना

7967. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे किसानों और खेतिहर मजदूरों के लाभ की योजनाओं के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश में कुछ परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं ;

(ख) आन्ध्र प्रदेश के किस जिले में छोटे किसानों की संख्या सबसे अधिक है ; और

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश के चित्तूर जिले को इस योजना के विस्तार क्षेत्र के अन्तर्गत लिया जायेगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी हां। भारत सरकार द्वारा सीमान्त कृषकों तथा कृषि श्रमिकों के लाभ के लिये दो परियोजनायें अर्थात् आन्ध्र प्रदेश के नालगोंडा तथा विशाखापत्तनम जिलों में एक एक परियोजना स्थापित की गई है।

(ख) आन्ध्र प्रदेश के सभी जिलों में सीमान्त कृषकों की संख्या के सम्बन्ध में तत्काल जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिर भी, 1970 में छांटे गये 9 चुनींदा जिलों के अध्ययन से पता लगा है कि सीमान्त कृषकों की सबसे अधिक संख्या विशाखापत्तनम में है।

(ग) जी नहीं। इस समय चित्तूर तथा आन्ध्र प्रदेश के किसी अन्य जिले में इस योजना का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

तिलहनों के उत्पादन का मूगफली के मूल्य पर प्रभाव

7968. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूंगफली के मूल्य के उतार चढाव के कारण तिलहनों के उत्पादन पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव के बारे में सरकार को पता है ;

(ख) क्या मूगफली का न्यूनतम लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित किया जायेगा ; और

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम को निर्देश दिये जायेंगे कि वह उक्त मूल्य को समर्थन देने हेतु कोई कार्यवाही करे ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सन् 1971-72 के मौसम के लिए मूंगफली के बारे में अपनाई जाने वाली मूल्य नीति विचाराधीन है।

जिला सहकारी सैन्ट्रल बैंक लिमिटेड, चित्तूर आंध्र प्रदेश के कार्यकरण की जांच

7969. **श्री पी० नरसिम्हा रेडडी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला सहकारी सेंट्रल बैंक लिमिटेड, चित्तूर, आंध्र प्रदेश के दोषपूर्ण कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप ऋण सुविधाओं में हुई कमी का सरकार को पता है ;

(ख) क्या रिजर्व बैंक ने इस बैंक के कार्यक्रम की जांच की है तथा स्थिति सुधारने के लिए उपाय सुझाये हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस प्रकार की जांच की जायेगी ?

कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) चित्तूर केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा दिया जाने वाला ऋण 1968-69 से उत्तरोत्तर रूप से घटता जा रहा है। बैंक भारी अतिदेयों और अपर्याप्त "नानओवरड्यू कवर" के फलस्वरुप भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत की गई ऋण सीमाओं का पूरा-पूरा उपयोग नहीं कर सका है।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी, 1971 में प्रबन्ध निदेशक, आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक तथा पंजीयक, सहकारी समितियां, आंध्र प्रदेश से भी इस विषय पर चर्चा की

थी और बैंक की पुन: स्थापना के लिये एक कार्यक्रम का सुझाव दिया था । रिजर्व बैंक का इस बैंक की पुन: स्थापना के लिए योजना तैयार करने की दृष्टि से एक विशेष अध्ययन करने का विचार है ।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

RE: QUESTION OF PRIVILEGE

अध्यक्ष महोदय : आपको याद होगा कि 16 जुलाई, 1971 को श्री एस. एम. कृष्ण ने समाचार पत्र में प्रकाशित इस रिपोर्ट के आधार पर कि श्री एन. शिवप्पा द्वारा 13 जुलाई, 1971 को कावेरी जल विवाद सम्बन्धी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर बोलते समय कुछ बातें कहीं थीं जिनपर तामिलनाडु विधान सभा के अध्यक्ष मुझे लिखेंगे, विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था । तब मैंने यह कहा था कि तामिलनाडू विधान सभा के अध्यक्ष से मुझे जो पत्र प्राप्त होगा, वह मैं सभा में पेश कर दूंगा । यह पत्र मुझे 22 जुलाई, 1971 को मिला और इसमें उन्होंने अन्य बातों के अलावा श्री शिवप्पा द्वारा प्रयुक्त शब्दों को विधान सभा की गरिमा का अनादर करने वाले और उसके विशेषाधिकारों पर आघात करने वाले बताया है और मुझे उचित कार्यवाही करने के लिए कहा हैं ।

मैंने उन्हें 29 जुलाई, 1971 को उत्तर भेजा जिसमें बताया कि श्री शिवप्पा ने वे शब्द राज्य सरकार के लिए कहे थे न कि विधान सभा । के लिये साथ ही किसी सदस्य द्वारा सभा में कही गई किसी बात पर विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता । अत: इस मामले को समाप्त समझा जाए ।

मैं श्री एस. एम. कृष्ण की भी अपना विशेषाधिकार प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हुं ।

नियम 377 के अधीन विषय

MATTERS UNDER RULE 377

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि आज सत्र का अन्तिम दिन है और मेरे पास अनेक सूचनाएं अपने अपने विषय उठाने के लिए आई हैं परन्तु समय कम है । श्री समर मुकर्जी, श्री दीनेन भट्टाचार्य, श्री चिन्तामणि पाणीग्रही, श्री एस. एम. बनर्जी के साथ ही मैं एक मिनट उनको भी देना चाहूंगा जिन्होंने कल एक बारात को पीटने आदि की घटना का उल्लेख किया था ।

श्री कार्तिक उराव (लोहारउगा) : राजस्थान के बीकानेर जिले में मोटावर गांव में अनुसूचित जाति की एक बारात को दूल्हे सहित पीट दिया गया । यदि ऐसी घटनाओं पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती तो हम देश में शान्ति और व्यवस्था कभी नहीं ला सकते । दूसरी घटना

गंगाधर जिले में दो बच्चों के सिर काट कर उन्हें कुएं फेंकने की है। यदि ऐसी घटनाओं पर सरकार चुप बैठी रही तो देश के लिए यह बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इन घटनाओं की जानकारी है और यदि हां, तो वह क्या कार्यवाही करेगी या कर चुकी है ?

Shri Panna Lal Barupal (Ganganagar) It is a matter of very deep ragret that even 23 years after independence, such outerages against Harijans are being perpetrated. In other parts of Rajasthan also they are being dispossened of the land which has come to them generation after generation.

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : मेरे एक प्रश्न संख्या 1439 के उत्तर में गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने 28 जुलाई, 1971 को बताया था कि हिन्दुस्तान मोटर कारखाने में सफाई कार्य (कूम्बिंग आप्रेशन) केवल तीन घंटे चला और इससे उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा जबकि वास्तव में यह कार्य पूरे दिन चला और पूरे दो दिन तक उत्पादन नहीं हुआ। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार के कार्य की अनुमति है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : जिस जानकारी का सम्बन्ध राज्यों से होता है, वह उन्हीं के माध्यम से यहां दी जाती है। इसका आधार भी पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दी गई सूचना है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (श्रीरामपुर) : मुझे दो तार मिले हैं। एक आसनसोल की सेन रैले साईकिल कारखाने की हड़ताल के सिलसिले में हुई गिरफतारियों के बारे में और दूसरी कलकत्ता में निर्दोष छात्रों को पीटने आदि के बारे में है। श्री पन्त तो उन पर कोई न कोई दोष धरेंगे ही परन्तु एक ओर प्रधान मंत्री सभी की सहयोग देने की बात करती हैं और दूसरी ओर बंगाली प्रशासन इस प्रकार मनमानी कर रहा है। कुछ समय पूर्व अलादिपुर घटना के बारे में सोमनाथ चटर्जी ने प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन दिया था, जिस पर जांच से स्वयं कांग्रेस दोषी पाई गई, इस पर प्रधान मंत्री ने मामला दबा दिया। वहां कांग्रेसी गुंडों ने 50 घर जला दिये। (अन्तर्बाधाएं) आज सत्र का अन्तिम दिन है। मैं सरकार से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। यदि श्री पंत ईमानदार हैं और सच्चे लोकतंत्रवादी हैं, तो वह उत्तर दें और मैं यह भी चाहता हूं कि बन्दी बनाए गए व्यक्तियों को तुरन्त रिहा किया जाए।

एक माननीय सदस्य : व्यवस्था का प्रश्न

अध्यक्ष महोदय : मुझे ज्ञात है। यह क्या है। मेरी सभी सदस्यों से अपील है कि वे दूसरे दलों के सदस्यों के लिये 'गुंडा शब्द प्रयोग न करे।

Shri B. P. Maurya (Hapur) : The hon, Member was agitated but he has called the hon. Minister dishonest and the Congressmen as 'Goondas.' These expressions should be expnuged.

अध्यक्ष महोदय : इसके लिये मुझे खेद है। ये अच्छी भावनाएं नहीं हैं।

श्री के. सी. पन्त : अभी कल ही एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में कुछ जानकारी दी गई थी, यदि यह मौखिक उत्तर के लिये आता तो मै कुछ अतिरिक्त जानकारी देता। जानकारी छिपाने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : शेख मुजीब के स्वास्थ्य आदि के बारे में कई कफवाहें उड़ाई जा रही हैं। अतः मैं चाहता हूं कि सरकार, यदि उसने अपने श्रोत से कोई सूचना प्राप्त की है, तो सत्रावसान मे पूर्व उनके बारे में जानकारी दे। क्या किसी ने शेख जी को पश्चिम पाकिस्तान में नजरबन्दी के बाद जीवित देखा है ? क्या सरकार संयुक्त राष्ट्र की ओर से किसी को यह पता लगाने के लिए कहेगी ?

श्री एस. एम. बनर्जी (कानपुर) : मुझे खुशी है कि प्रधान मंत्री ने शेख मुजीब के बारे का विश्व के नाम अपील की है। मैं चाहता था कि इसी प्रकार का संकल्प सभा में पास किया जाए। मुझे गम है कि शेख जी को समाप्त किया जा चुका हैं क्योंकि श्री कीसिंगर तक को भी उनसे मिलने नहीं दिया गया था। फिर भी यह संकल्प पास किया जाए क्योंकि संसदीय लोकतंत्र और धर्म निर्पेक्षता की रक्षा हेतु शेखजी की रक्षा आवश्यक है।

श्री जी. विश्वनाथन : मैं आपका ध्यान कावेरी जल विवाद में भारत के महान्यायवादी को मैसूर की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित होने का भारत सरकार ने जो अनुमति दी है उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। मुझे समझ में नहीं आता कि महान्यायवादी को एक राज्य के पक्ष में तथा दूसरे राज. के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित होने की अनुमति सरकार ने किस आधार पर दी है। अथवा देने जा रही है। यह बहुत ही असंवैधानिक तथा अनुचित है। भारत सरकार इस प्रकार पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार में महान्यायवादी को अनुमति दे दी है और यदि हां–तो क्या सरकार इसको रद्द करेगी।

संसदीय कार्य नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : विधि मंत्री इस समय यहाँ पर उपस्थित नहीं है।

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh) : The Harijans are being beaten up and are not allowed to draw water from the wells. The Government should make a Statement in this regard.

Shri C. P. Shailani (Hathras) : The Harijans are being treated even worse than the animals in Rajasthan. They are even being deprived of purchasing daily necessities from banias shop. Their girls are being raped, I am sorry to say that Government has not done anything in this regard during the last 29 years. The Government should hold an enquiry in this regard and present a report. in the House.

Shri K. C. Pant : The Hon. Member only yesterday gave me the information in writing and have already telphoned to the Rajasthan Government in this regard.

Shri B. P, Maurya : Whenever any Call Attention Notice is given in regard to the atrocities on Harijans, it is not admitted. A similar notice was rejected only yesterday, I want to know the reasons therefor ?

Mr. Speaker . It was received at 7. P. M. when the business of the House had already been decided.

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

समुद्री नाविक राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड निगम

संसद कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राजबहादुर) : मैं वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

(एक) समुद्री नाविक राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड (संशोधन) नियम, 1970, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर, 1970 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2055 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) समुद्री नाविक राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड (संशोधन) नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 1 मई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 621 में प्रकाशित हुए थे । **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए सँख्या एल० टी० 886/71]**

केन्द्रीय अंग्रेजी संस्थान, हैदराबाद का प्रतिवेदन

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : मैं श्री सिद्धार्थ शंकर राय की ओर से केन्द्रीय अंग्रेजी संस्थान, हैदराबाद, की वर्ष 1969—70 की गतिविधियां सम्बन्धी प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे सभा पटल पर रखता हूं **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 887/71]**

अत्यावश्यक सेवायें बनाये रखना अधिनियम 1968 के अन्तर्गत अधिसूचना

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय): मैं अत्यावश्यक सेवायें बनाये रखना अधिनियम, 1968 की धारा 2 की उपधारा 2 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं

(एक) अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2919, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 7 अगस्त, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पश्चिमी बंगाल राज्य में जल पूर्ति से सम्बन्धित सेवा को अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है ।

(दो) अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2920 में प्रकाशित आदेश, जो भारत के राजपत्र दिनाँक 7 अगस्त, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पश्चिमी बंग राज्य में जलपूर्ति से सम्बन्धित किसी सेवा में हड़ताल का प्रतिषेध किया गया है । **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 888/71]**

अधिसूचनाएं वित्तीय लेखे आदि

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

(एक) सरकारी बचत पत्र (संशोधन) नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1105 में प्रकाशित हुये थे ।

(दो) डाकघर बचत पत्र (तीसरा संशोधन) नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1106 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) सरकारी बचत पत्र (नियत जमा) (संशोधन) नियम, 1971 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1107 में प्रकाशित हुये थे । **[ग्रन्थालय रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 889/71]**

(2) मैसूर राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 27 मार्च, 1971 को जारी की गई उद्-घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित मैसूर लाटरी और पुरस्कार प्रतियोगिता नियन्त्रण तथा कर अधिनियम, 1951 की धारा 30 के अन्तर्गत जारी की गई मैसूर अधिसूचना संख्या एस० ओ० 942, दिनांक 14 मई, 1971, की एक प्रति, जिसके द्वारा महिला मण्डली, बंगलौर, द्वारा संचालित लाटरी को उक्त अधिनियम की धारा 12 के उपबन्धों से छूट दी गई है । **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 890/71]**

(3) केन्द्रीय सरकार के वर्ष 1969–70 के वित्तीय लेखे की एक प्रति । **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 891/71]**

(4) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 1103, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई, 1971 में प्रकाशित हुये थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) जी० एस० आर० 1138, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई, 1971 में प्रकाशित हुये थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 892/71]**

(5) (एक) दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में यथा प्रवृत्त बंगाल वित्त (विक्रय कर) अधिनियम, 1941 की धारा 26 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली विक्रय कर (पहला संशोधन), नियम 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिल्ली राजपत्र, दिनांक 18 मार्च, 1971 में अधिसूचना संख्या एफ० 4 (97/69-फिन(जी) में प्रकाशित हुए थे । **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 893/71]**

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 894/71]**

(6) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 1080, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई, 1971 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) जी० एस० आर० 1085 से जी० एस० आर० 1102 तक, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई, 1971 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 895/71**]

मैसूर औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड सेवा विनियम और अधिसूचनाएं

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) मैसूर राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 27 मार्च, 1971 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित मैसूर औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1966 की धारा 42 के अन्तर्गत मैसूर औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड सेवा विनियमों की एक प्रति । [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल०टी० 896/71**]

(2) गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनाँक 13 मई, 1971 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित गुजरात औद्योगिक विकास अधिनियम, 1962 की धारा 54 की उपधारा (3) के अन्तर्गत गुजरात सरकार की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) किराया विनियम, जो दिनांक 24 दिसम्बर, 1970 की अधिसूचना संख्या जी० आई डी सी/एल ए डब्ल्यू/ए डी एम-4, में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण ।

(दो) अधिसूचना संख्या जी आई डी सी/एल ए डब्ल्यू/ए डी एम-2, दिनांक 23 जनवरी, 1971, जिसके द्वारा सम्पत्ति व्ययन विनियमों में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण ।

(तीन) अधिसूचना, संख्या जी आई डी सी/एल ए डब्ल्यू/ए डी एम-3, दिनांक 2 फरवरी 1971 जिसके द्वारा गुजरात औद्योगिक विकास निगम में निहित भूमि के व्ययन से सम्बन्धित विनिमयों में कतिपय संशोधन किए गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण ।

(चार) अधिसूचना संख्या जी० आई डी सी/एल ए डब्ल्यू/ए डी एम-2 (एक), दिनांक 4 अप्रैल, 1971, जिसके द्वारा सम्पत्ति व्ययन विनियमों में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण । [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिऐ संख्या एल० टी० 897/71**]

आर० एस० 09 ट्रैक्टर के बारे में तकनीकी विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : मैं तारांकित प्रश्न संख्या 1593 के सम्बन्ध में अनुपूरक प्रश्नों के दौरान 5 अगस्त, 1971 को कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री द्वारा दिये गये एक आश्वासन के अनुसरण में, आर एस–09 ट्रैक्टरों सम्बन्धी तकनीकी विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 898/71]**

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के लेखापरिक्षित लेखे

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम 1948 की धारा 12 की उपधारा (4) के अन्तर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड के वर्ष 1968 69 के लेखापरीक्षित लेखे की एक प्रति सभापटल पर रखता हूं, **[ग्रंथालय में रखी गयी देखिए संख्या एल. टी. 899/71]**

हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजि संस्करण) की एक-एक प्रति सभापटल पर रखता हूं

(एक) हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड, रसायनी, के वर्ष 1969—70 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड, रसायनी, का वर्ष 1969—70 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 900/71]**

कर्मचारी भविष्य निधि योजना और विवरण

श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा): मैं (1) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि (पहला संशोधन) स्कीम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभापटल पर रखता हूं जो भारत के राजपत्र, दिनांक 24 अप्रैल 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 579 में प्रकाशित हुई थी। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 901/71]**

(2) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल. टी.902/71]**

(3) अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 19 के अन्तर्गत, पश्चिमी बंगाल से भारी संख्या में आये शरणार्थियों तथा उनके पुनर्वास के बारे में 16 जून, 1971 को आधे घण्टे की चर्चा के दौरान उठाई गई बातों के उत्तर में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 903/71]**

भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, मद्रास, के वर्ष 1969—70 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी 903A/71]**

भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, मद्रास का वार्षिक प्रतिवेदन, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान दिल्ली के प्रमाणित लेखे, उनसे सम्बन्धित एक विवरण और भारतीय खान स्कूल, धनबाद का वार्षिक प्रतिवेदन

श्री के. एस. रामास्वामी : मैं श्री डी. पी. यादव की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(एक) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली, के वर्ष 1969—70 के प्रमाणित लेखे की एक प्रति तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सभापटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 904/71]**

(दो) उपर्युक्त लेखे के अंग्रेजी संस्करण के साथ-साथ हिन्दी संस्करण सभा-पटल पर न रखे जा सकने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल. टी. 905/71]**

भारतीय खान विद्यालय, धनवाद, के वर्ष 1969—70 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये सख्या एल.टी. 906/71]**

गुजरात पोस्ता कैंवस्यूलस (शोधन नियम और तत्सम्बन्धी विवरण

श्री के. एस रामस्वामी : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) गुजरात राज्य के सम्बन्धी में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 13 मई, 1971 की उदघोषणा के खन्ड (ग) चार के साथ पठित बम्बई मद्य निषेध अधिनियम, 1949 की धारा 143 की उपधारा (4) के अन्तर्गत गुजरात पोस्ता कैंपस्यूल्स (संशोधन) नियम, 1971 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो गुजरात सरकार राजपत्र, दिनांक 24 जून, 1971 में अधिसूचना संख्या जी एच/एच/3012/बी पी ए—1271/32046/पी में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी 907/71]**

(2) उपर्युक्त अधिसूचना का हिन्दी संस्करण सभा-पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या ऐल. टी. 908/71]**

सदस्यों क दोष सिद्धि
CONVICTION OF MEMBERS

अध्यक्ष महोदय : मैं न्यायिक मैजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, नई दिल्ली से प्राप्त दिनांक 11 अगस्त, 1971 के एक पत्र की सूचना सभा को देता हूं, जिसमें बताया गया है कि लोक सभा के सदस्य सर्वश्री माधव सिंधिया, नरेन्द्र सिंह, हुक्म चन्द कछवाय, भारत सिंह चौहान, फूल चन्द वर्मा और ओंकार लाल बेरवा का दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन निषेधात्मक आदेश का उल्लंघन करने के कारण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अधीन

एक आरोप के सम्बन्ध में नई दिल्ली में 11 अगस्त, 1971 को विचारण किया गया और उन्हें दोषी पाया गया तथा उन्हें एक दिन के साधारण कारावास का दण्ड दिया गया ।

याचिका समिति
COMMITTEE ON PETITIONS

कार्यवाही सारांश

श्री ए. पी. शर्मा (बक्सर) : मैं याचिका समिति की चालू सत्र के दौरान हुई पहली से तीसरी बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं ।

विधेयकों पर अनुमति
ASSENT TO BILLS

सचिव : मैं चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित पांच विधेयक सभा पटल पर रखता हूं ।

(1) **वित्त** (संख्या 2) विधेयक, 1971

(2) भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) विधेयक, 1971

(3) गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति विधेयक, 1971

(4) गुजरात राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1971

(5) पंजाब राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1971

राज्य सभा से सन्देश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देश की सूचना देनी है :—

"राज्य सभा ने 11 अगस्त, 1971 को हुई अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 4 अगस्त, 1971 को पास किये गये संविधान (चौबीसवां संशोधन) विधेयक, 1971, को भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबन्धों के अनुसार, बिना किसी संशोधन के पास कर दिया है ।"

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

पांचवा प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

श्री के. एन. तिवारी (बेतिया) : मैं प्राक्कलन समिति का निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं :—

(1) कृषि मंत्रालय—ट्रैक्टर तथा अन्य कृषिक मशीनरी और औजार—सम्बन्धी पांचवां प्रतिवेदन ।

(2) कृषि मंत्रालय सम्बन्धी पाँचवे प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश ।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

दूसरा और अट्ठाईसवां प्रतिवेदन

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

(1) विनियोग लेखे (डाक और तार), 1968-69 तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (डाक और तार) 1970 के बारे में दूसरा प्रतिवेदन ।

(2) विदेश व्यापार मंत्रालय तथा कृषि विभाग के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल), 1970 के बारे में अट्ठाईसवां प्रतिवेदन ।

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

पहला प्रतिवेदन

डा० मेलकोटे (हैदराबाद) : मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति का पहला प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

राष्ट्रीय स्वस्थता दल संगठन सम्बन्धी जांच आयोग के प्रतिवेदन के बारे में दिनांक 2-7-1971 के तारांकित प्रश्न संख्या 881 के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO S.Q. NO. 881 DATED 2-7-1971 Re: REPORT OF ENQUIRY COMMISSION ON N. F. C. ORGANISATION

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के. एम. रामास्वामी) : राष्ट्रीय स्वस्थता दल संगठन के बारे में लगाये गये विभिन्न आरोपों की जांच करने के लिये नियुक्त एक सदस्यीय जांच आयोग के प्रतिवेदन के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 881 के उत्तर में श्री सतपाल कपूर ने पूछा था कि क्या यह सच है कि दूसरे वेतन आयोग द्वारा उक्त कर्मचारीयों के लिए जिन ग्रेडों की सिफारिश की थी वे ग्रेड विभाग द्वारा उन्हें अभी तक नहीं दिये गये हैं । उक्त प्रश्न हिन्दी में था और अनुरूप प्रश्न में दूसरे वेतन आयोग के बारे में जिस विशेष प्रश्न का

उल्लेख किया गया था उसे मैंने नहीं सुना था। मैंने यह सोचा था कि चूंकि मूल प्रश्न एक सदस्यीय जांच आयोग के प्रतिवेदन से सम्बन्धित था तो उक्त अनुपूरक प्रश्न में भी एक सदस्यीय आयोग से सम्बन्धित प्रश्न पूछा गया होगा। तदानुसार मैंने यह उत्तर दिया था कि सरकार आयोग के प्रतिवेदन पर विचार कर रही है और इस मामले पर निर्णय किया जायेगा। आयोग से अभिप्राय एक सदस्यीय आयोग से था।

2. वास्तविक स्थिति यह है कि दूसरे वेतन आयोग ने राष्ट्रीय स्वस्थता दल संगठन के वेतन मानों के बारे में कोई विशेष सिफारिश नहीं की थी। उक्त संगठन में वेतनमानों का पुनरीक्षण मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय से सलाह कर अन्य सरकारी कार्यालयों में उन्हीं ग्रेड़ों में पुनरीक्षित वेतनमानों के आधार पर किये गये थे।

कराधान विधियाँ (संशोधन) विधेयक
TEXATION LAWS AMENDMENT BILL

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि आय-कर अधिनियम, 1961, धन कर अधिनियम, 1957 तथा दान-कर अधिनियम, 1958 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि आय-कर अधिनियम, 1961, धन-कर अधिनियम, 1957 तथा दान-कर अधिनियम, 1958 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

केन्द्रीय बिक्री कर (संशोधन) विधेयक
CENTRAL SALES TAX (AMENDMENT) BILL

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को निम्नलिखित तीस सदस्यों, अर्थात् --

श्री धर्मराव शरणप्पा अफजलपुरकर,

श्री छत्रपति अम्बेश,

डा० हेनरी आस्टिन,

श्री आर० वी० बड़े,

श्री विशेश्वरनाथ भार्गव,

श्री सोमनाथ चटर्जी,

श्री त्रिदिब चौधरी,

श्री यशवन्तराव चव्हाण,

श्री सी० सी० देसाई,

श्री शिवाजीराव एम० देशमुख,

श्री तरुण गोगोई,

श्री एन० ई० होरो,

श्री एम० मुहम्मद इस्माइल,

श्री डी० पी० जदेजा,

श्री सतपाल कपूर,

श्री बी० आर० कावड़े,

श्री ई० आर० कृष्णन्,

श्री महाराज सिंह,

श्री डी० के० पण्डा,

श्री एच० एम० पटेल

श्री पी० एन्थनी रेड्डी,

श्री देवेन्द्र सत्पथी,

श्री पी० एम० सईद,

श्री एम० आर० शर्मा,

डा० शंकर दयाल शर्मा,

श्री शिवकुमार शास्त्री,

श्री बी० आर० शुक्ल,

श्री सन्त बक्श सिंह,

श्री आर० पी० यादव; और

श्री के० आर० गणेश,

की एक प्रवर समिति को अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन देने [की हिदायतों के साथ सौंपा जाये ।''

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : मैं अनुरोध करता हूं कि सी. सी. देसाई के स्थान पर श्री प्रसन्नभाई मेहता का नाम रखा जाये ।

श्री के० आर० गणेश: यह बात स्वीकार है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री के० आर० गणेश द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव संशोधित रूप में प्रस्तुत करता हूं । प्रश्न यह है ''कि केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को निम्नलिखित तीस सदस्यों अर्थात्

श्री धर्मराव शरणप्पा अफजलपुरकर,

श्री छत्रपति अम्बेश,

डा० हेनरी आस्टिन,

श्री आर० वी० बड़े,

श्री विशेश्वरनाथ भार्गव,

श्री सोमनाथ चटर्जी,

श्री त्रिदिब चौधरी,

श्री यशवन्तराव चव्हाण,

श्री प्रसन्न भाई मेहता,

श्री शिवाजीराव एस० देशमुख,

श्री तरुण गोगोई,

श्री एन० ई० होरो,

श्री एम० मुहम्मद इस्माइल,

श्री डी० पी० जदेजा,

श्री सतपाल कपूर,

श्री ई० आर० कावड़े,

श्री ई० आर० कृष्णन्,

श्री महाराज सिंह,

श्री डी० के० पण्डा,

श्री एच० एम० पटेल,

श्री पी० एन्थनी रेड्डी,

श्री देवेन्द्र सत्पथी,

श्री पी० एम० सईद,

श्री एम० आर० शर्मा,

डा० शंकर दयाल शर्मा,

श्री शिवकुमार शास्त्री,

श्री बी० आर० शुक्ल,

श्री सन्त बक्स सिंह,

श्री आर० पी० यादव; और

श्री के० आर० गणेश

प्रवर समिति को अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन देने की हिदायतों के साथ सौंपा जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion Was Adopted

जल प्रदूषण निवारण विधेयक
PREVENTION OF WATER POLLUTION BILL

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि यह सभा राज्य सभा द्वारा अपनी 30 जुलाई, 1971 की बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव में की गई तथा 31 जुलाई, 1971 को इस सभा को भेजी गई इस सिफारिश से सहमत हों, कि जल प्रदूषण के निवारण और जल की स्वास्थ्य प्रदत्ता को बनाए रखने या पूर्वावस्था में लाने के लिये, पूर्वोक्त प्रयोजनों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से जल प्रदूषण निवारण बोर्डों की स्थापना के लिए, उनसे सम्बन्धित कृत्य ऐसे बोर्डों को प्रदत्त करने के लिए और तत्संसक्त विषयों के लिये उपलब्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की युक्त समिति में सम्मिलित हो और संकल्प करें कि उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिये लोक सभा के निम्नलिखित चौबीस सदस्य नामनिर्दिष्ट किये जायें अर्थात् :—

श्री मगन्ती अंकिनीडु

श्री कोंडाजी बासप्पा,

श्री ओंकार लाल बेरवा,

श्री चकलेश्वर सिंह,

श्री श्री छुट्टन लाल,

श्री गंगावरण दीक्षित,

श्री टी० एच० गार्वत,

श्री मनी राम गोदरा,

श्री के० गोपाल,

श्री समर गुह,

श्री एम० एम० हाशिम

श्री ए० के० किस्कू,

हाजी लुतफल हक,

श्री यमुना प्रसाद मण्डल,

श्री मोहन स्वरूप,

श्री राजाराम दादा साहेब निम्बालकर,

श्री रामजी राम,

श्री पी० गंगा रेड्डी,

डा० सरदीश राय,

श्री एस० ए० शमीम,

श्री रामावतार शास्त्री,

श्री एस० डी० सिंह, और

श्री जी० विश्वनाथन ,,

श्री सेझियान (कुम्बकोण्डम) : मैं इस बारे में एक मामूली सा संशोधन करना चाहता हूं। क्रम संख्या 24 पर श्री जी० विश्वनाथन के स्थान पर श्री आर० पी० उलगनम्बी का नाम शामिल कर लिया जाये।

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : मैं अनुरोध करता हूं कि श्री श्यामनन्दन मिश्र के स्थान पर श्री एन० एन० पटेल का नाम संयुक्त समिति के लिये निर्देशित किया जाये।

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : मुझे दोनों संशोधन स्वीकार हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधित रूप में प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा द्वारा अपनी 30 जुलाई, 1971 की बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव में की गई तथा 31 जुलाई, 1971 को इस सभा को भेजी गई इस सिफारिश से सहमत हों, कि जल प्रदूषण के निवारण और जल की स्वास्थ्य प्रदत्ता को बनाए रखने या पूर्वावस्था में लाने के लिए, पूर्वोक्त प्रयोजनों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से जल प्रदूषण निवारण बोर्डों की स्थापना के लिये, उनसे सम्बन्धित कृत्य ऐसे बोर्डों को प्रदत्त करने के लिये और तत्संसक्त विषयों

के लिये उपलब्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की युक्त समिति में सम्मिलित ह और संकल्प करें कि उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए लोक सभा के निम्नलिखित चौबीस सदस्य नामनिर्दिष्ट किये जायें अर्थात् :—

श्री मगन्ती अंकिनीडु,

श्री कोंडाजी बासप्पा,

श्री ओंकार लाल बेरवा,

श्री चकलेश्वर सिंह,

श्री छुट्टन लाल,

श्री गंगाचरण दीक्षित,

श्री टी० एच० गावीत,

श्री मनी राम गोदरा,

श्री के० गोपाल,

श्री समर गुह,

श्री एम० एम० हाशिम,

श्री ए० के० किस्कू,

हाजी लुतफल हक,

श्री यमुना प्रसाद मण्डल,

श्री एन० एन० पटेल,

श्री मोहन स्वरूप,

श्री राजाराम दादा साहेब निम्बालकर,

श्री रामजी राम,

श्री पी० गंगा रेड्डी,

डा० सरदीश राय,

श्री एस० ए० शमीम,

श्री रामवतार शास्त्री,

श्री एस० डी० सिंह; और

श्री आर० पी० उलगनम्बी और

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयकों पर विचार करेंगे । समय बहुत कम है और बहुत से

सदस्यों ने अभी बोलना है अत: शीघ्रता से इनको निपटाया जाय ताकि बाढ़ व सूखे की स्थिति के बारे में होने वाली चर्चा को कुछ अधिक समय दिया जा सके ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : अध्यक्ष महोदय बाढ़ तथा सूखे की स्थिति पर चर्चा के लिये और समय दिया जाना चाहिए ।

राष्ट्रीय गौरव के अपमान का निवारण विधेयक

PREVENTION OF INSULTS TO NATIONAL HONOUR BILL

Shri R. S. Pandey : The prevention of Insults to national honour Bill has been brought forward to secure national honour through national anthem and national flag.

Be fore 14th August 1947, w e had niether a national flag nor a national anthem which could be said to be representative of the whole nation. It is on this day that national flag was haisted and the national anthem was played for the first time. This is a red letter day in the histoty of our country. The national flag is not a mere piece of cloth. Similarly the three colours of the flag are the amblems of Indian culture, peace and prosperity. The national anthem expresses the voice of the people, Therefore it is very necessary that due respect should be shown to both of them. But we find that our people do not have proper concious ness in this regard. That is why this bill has been brought forward which provides that if any body insults national flag he will be punishable with three years imprisonment. We have seen many times that flags hoisted on Government building are either dusty or torn and sometimes they are found to be in wrong position.

It is a matter of great regret that we should feel the necessity of introducing such a biil after so many years of Independence. By this time the people should have themselves developed this sense for honouring the national flag and national anthem. We have to get rid of the indifference with which we treat the fla g.

It has bee n seen that when the national anthem is played in the cinema halls people start moving out. All this betrays lack of proper education. Therefore it is very necessary that people should be properly educated in this regard. This matter can be in c'uded in educational curriculum Also discourses can be brodcast over the A. I. R. But this is not being done. It is high time Government paid attention to this matter.

It is very strange that now a days national anthem is being played over the A. I. R. at the end of day's programme i. e. about mid night. This is not proper because that time is for rest. My suggestion is that some other time should be found for playing the national anthem over A. I. R,

Each political party has its own flag. Our's is a national Government. I want that there should be only one flag.

It is rather surprising that one or two states in the country have demanded for their own flags. Government has rightly rejected their demand. But may I know, is it not a fact that in many states local songs are sung in place of the national anthem. This should not be done. There should be only one flag and one national anthem for the whole country and the people should be properly educated to pay due regard to them.

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीम नगर) : यह बड़ा हर्ष का विषय है कि सरकार ने इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत किया है। यह बड़े दुख: की बात है कि लोगों द्वारा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय ध्वज का समुचित सम्मान नहीं किया जाता। सभा भवनों और थियेटरों में जब राष्ट्रीय गीत गाया जाता है तो लोग बाहर निकलना प्रारम्भ कर देते हैं।

मंत्री महोदय को विधेयक के खण्ड 3 को जिसमें यह कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय गीत के गाने में कोई यदि गड़बडी करेगा अथवा उसे गाने से मना करेगा तो यह खण्ड लागू होगा स्पष्ट करना चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह खण्ड ऐसे लोगों पर भी लागू होगा जो राष्ट्रीय गीत के समय थियेटर से उठ कर बाहर निकलना शुरू कर देते हैं।

राष्ट्रीय ध्वज के मामले में हम यह देखते हैं कि जब कभी कोई प्रदर्शन होता है तो राष्ट्रीय ध्वज फाड़ा जाता है या पैरों के नीचे रौंदा जाता है या उसका अपमान किया जाता है। क्या इस विधेयक में ऐसा कोई उपबन्ध है जिसके अन्तर्गत इस तरह के काम करने वाले लोगों को दोष ठहराया जाए।

जैसा कि माननीय सदस्य श्री पाँडे ने बताया कि आकाशवाणी द्वारा कार्यक्रम की समाप्ति पर राष्ट्र गीत गाया जाता है और वह समय लोगों के आराम का होता है अत: कार्यक्रम की समाप्ति पर राष्ट्र गीत गाने की कोई आवश्यकता नहीं।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

डा० कर्णसिंह (बीकानेर) मुझे बहुत खुशी है कि यह विधेयक सदन में इस बात को सुनिश्चित करने के लिए पेश किया जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज का उचित सम्मान हो। पिछले 7-8 वर्षों से मैं सरकार का ध्यान निरन्तर इस बात की ओर दिलाता रहा हूं कि जब भी थियेटरों या सिनेमा घरों में राष्ट्रीय गीत गाया जाता है लोग उठकर बाहर चले जाते हैं।

भारत जैसे विशाल देश में लोगों को जेल भेज दिए जाने की धमकी देकर राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रीय गीत के सम्मान करने पर बाध्य नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसके लिये तो हमें युवा लोगों में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और प्रेम प्रदर्शित करने की भावना पैदा करनी चाहिए। आज का युवा वर्ग निराश है उन्हें अपना भविष्य अंधकारमय दिखता है यही कारण है कि वह राष्ट्रीय गरिमा और सम्मान के प्रतिकों का सम्मान नही करते अत: मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह इस बात को देखने का यत्न करें कि लोगों के मन में राष्ट्र ध्वज तथा राष्ट्रीय गीत के प्रति सम्मान कैसे पैदा किया जा सकता है।

एक अन्य बात जिसके बारे में श्री आर० एस० पाण्डे ने उल्लेख किया वह यह है कि विभिन्न दल के लोगों ने अपने दल के भिन्न-2 झंडे रखे हुए हैं और इस बात की ओर मैं आपका ध्यान इसलिए नहीं दिला रहा क्योंकि मैं किसी दल से सम्बद्ध हूं। मैं किसी दल से बंधा नहीं मैं स्वतन्त्र हूं।

अत: मैं प्रधान मंत्री तथा कांग्रेस दल से निवेदन करुंगा कि अब समय आ गया है जबकि विभिन्न दलों को अपने झंडों का रुप राष्ट्रीय झंडे की तुलना में विभिन्न प्रकार का बनाना चाहिये इन्हीं शब्दों के साथ मैं विधयेक का समर्थन करता हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं इस विधयेक का समर्थन करता हूं । मैं यही कहूंगा कि लोगों को झंडे के बारे में विभिन्न राजनैतिक दलों पर प्रहार नहीं करना चाहिये । इन दलों की राष्ट्रीय भावना को लोग काफी वर्षों से जानते आये हैं ।

रेडियों से रात के 11 बजे या 11·30 बजे प्रसारित होने वाले राष्ट्रीय गान को बन्द किया जाना चाहिये क्योंकि रात को इन्हें सुनने के लिये कोई नहीं उठता । मेरा सुझाव है कि सिनेमा घरों में भी राष्ट्रीय गान को बन्द किया जाना चाहिये । 26 जनवरी तथा 15 अगस्त को हजारों की संख्या में झंडे छोटे-छोटे बच्चों को बेचे जाते हैं । दूसरे दिन ये झंडे सड़कों पर बिखरे पड़े देखे जाते हैं जिन पर लोग चलते हैं । अतः इन झंडों का बेचा जाना बन्द किया जाना चाहिये ।

राष्ट्रपति का झंडा भिन्न प्रकार का है । राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रीय झंडा उपयोग में लाने हेतु कदम उठाये जा रहे हैं । यह बात कितनी बुरी लगती है कि राष्ट्रपति भवन पर भिन्न प्रकार का झंडा लहराये । हर स्थान के लिये एक ही झंडा होना चाहिये, जो राष्ट्रीय झंडा ही हो ।

Shri Rajdeo Singh (Jaunpur) : Our national flag is the Symbol of our national prestige and honour. Provision on 3 years imprisonment for those who do not respect the nationl flag, has been made in the Bill this punishment needs to the enhanced from 3 to 5 years. All those who disrespect the national flag are traitrors and should be punished Strongly.

Some members have suggested that Singing of national anthem should be stopped in the cinema houses. It should continue as before.

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहसीन) : मुझे इस बात की खुशी है कि अधिकांश सदस्यों ने विधेयक के सिद्धान्तों का समर्थन किया है । कुछ सदस्यों ने विधेयक के प्रावधानों के दुरुपयोग की बात कही है । इस ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा । सन् 1970 के दौरान पश्चिम बंगाल में 24 के करीब ऐसी घटनाऐं हुई थीं जिनमें राष्ट्रीय झंडे का अपमान हुआ था । इसी प्रकार की घटनाएं कुछ अन्य राज्यों में भी हुई थीं । राष्ट्रीय झंडे का अपमान करने वालों को पर्याप्त सजा मिलनी चाहिये अधिकांश संसद सदस्यों की इच्छा के अनुसार ही यह विधेयक सदन के सामने लाया गया है । इस कानून का उद्देश्य लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर राष्ट्रीय झंडे तथा संविधान का अपमान करने से रोकना है । विधेयक में यह भी उपबन्ध किया गया है कि संशोधन के उद्देश्य से संविधान की आलोचना की जा सकती है । कई सदस्यों ने कांग्रेस तथा राष्ट्रीय झंडे की समानता की भी बातकी,कांग्रेस का झंडा, राष्ट्रीय झंडे के पहले से अस्तित्व में रहा है । ये दोनों भिन्न प्रकार के हैं अतः कांग्रेस के झंडे को बदलने के मेरे विचार में कोई आवश्यकता नहीं ।

सिनेमा घरों में राष्ट्रीय गीत के बारे में कई सदस्यों ने चर्चा आपत्ति की है सरकार ने इस पर पूर्णतः विचार किया है और ऐसे आदेश समय-समय पर जारी करती रही है कि फिल्म समाप्ति पर सिनेमा हाल के दरवाजे उस समय तक न खोले जायें जब तक राष्ट्रीय गीत पूरा नहीं हो जाता ।

एक सुझाव यह दिया गया कि राष्ट्र गान को रेडियो पर 11 बजे शाम को गाया जाना

शोभा नहीं देता, क्योंकि रात में अधिक देर हो जाती है और इससे लाभ नहीं होता। यह सुझाव सूचना और प्रसारण मंत्रालय को विचारार्थ भेज दिया जायेगा। राष्ट्रगान को गाये जाने का उद्देश्य यह होता है कि लोग उसे ठीक उच्चारण से गा सकें। इसी उद्देश्य से यह स्कूलों और छविग्रहों में भी गाया जाता है। हां, इस सम्बन्ध में किसी को विवश नहीं किया जाना चाहिए मैं इस बात से सहमत हूं। किन्तु हम चाहते हैं कि लोग राष्ट्रीय झंडे, राष्ट्र गान अथवा संविधान का अपमान न करें। इस विधेयक का यही उद्देश्य है। मैं सभा को यह सूचना भी देना चाहता हूं कि राष्ट्रपति भवन और राजभवनों पर 15 अगस्त से राष्ट्रीय झंडे फहराये जायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि राष्ट्रीय गौरव के अपमान का निवारण करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

खंड 2

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : मैं अपने संशोधन संख्या 8 और 9 प्रस्तुत करता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं अपना संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 3, 8 और 9 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

The amendment Nos. 3, 8 and 9 were put and negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill

खंड 3

श्री रामावतार शास्त्री : मैं अपना संशोधन संख्या 7 प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 7 मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The Amendment No. 7 was put and negatived

अध्यक्ष महोदय. प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ?, 1, अधिनियम सूत्र और शीर्षक विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted

खंड 3, 1, अधिनियमन सूत्र और शीर्षक विधेयक में जोड़ दिये गये।
Clause 3, 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री मोहसिन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

Shri Ramavatar Shastri : Mr Speaker, Sir the Minister has given an assurance that the provisions of the Bill will not be misused. But we have doubt in it. This Bill Will be put into action by the bureaucracy and we are afraid of bureaucracy. If we honestly criticise the legislation, such criticism should not be treated as contempt and it should not create hatred. Instructions to this effect should be issued to the bureaucracy.

श्री मोहसिन : राष्ट्रीय झंडे के अनुचित प्रयोग का भय निराधार है। ऐसे अनुदेश भी दे दिये जायेंगे जिससे इस विधेयक के उपबन्धों का दुरुपयोग न हो।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

खाद्य उपमिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक
PREVENTION OF FOOD ADULTERATION (AMENDMENT) BILL

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी०पी० चट्टोपाध्याय) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

'कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair

यह एक ऐसा विधेयक है जिस पर शायद ही कोई असहमति प्रकट करे। सन् 1954 से पूर्व खाद्य सम्बन्धी कानूनों में एकरूपता नहीं थी, इसीलिए वर्ष 1954 में इस प्रकार की एक

रूपता लाने के उद्देश्य से खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम संसद द्वारा बनाया गया था। इसमें खाद्य पदार्थों के निरीक्षण, उनमें मिलावट का पता लगाने वाले खाद्य पदार्थों के निर्माताओं, संग्रहकर्ताओं और विक्रेताओं को दंड देने की व्यवस्था की गई थी। बाद में वर्ष 1964 में संशोधन करके उसके कुछ दोष दूर किये गये थे। क्योंकि यह अधिनियम जम्मू और काश्मीर राज्य पर लागू नहीं था, इसलिए जम्मू और काश्मीर राज्य में इसे लागू करने के उद्देश्य से इसमें अब संशोधन किया जा रहा है। राज्य सरकार से भी इस सम्बन्ध में विचार विमर्श कर लिया गया है। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पर विचार किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री गदाधर साहा (वीर भूम) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 को जम्मू और काश्मीर राज्य पर लागू करना है और तदनुसार वहां पर खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण को रोकना है। विधेयक के इस उद्देश्य की दृष्टि से मैं इसका समर्थन करता हूं किन्तु मूल अधिनियम का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। मूल अधिनियम के लागू हो जाने पर भी खाद्य में अपमिश्रण का काम पूर्ववत् चल रहा है। उसे न रोका जा सका है और न उसमें कमी ही हुई है। मेरे विचार से तो खाद्य पदार्थों में मिलावट बढती जा रही है।

मूल अधिनियम ही दोषपूर्ण है। इसके अनुसार अपमिश्रण करने वाले लोगों को आंच भी नहीं आती और निर्दोष व्यक्ति पकडे और दंडित किये जाते है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। साथ ही मैं इस बात पर भी बल देना चाहूंगा कि सरकार को लाइसैंस देने सम्बन्धी अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहिए।

मूल अधिनियम में 100 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक के दंड और एक मास से लेकर 2 वर्ष तक के कारावास दंड की व्यवस्था है। मेरा सुझाव हैं कि दंड की राशि और कारावास की अवधि बढ़ाई जाये। निरीक्षण कर्मचारियों और परीक्षण करने वाली प्रयोगशालाओं की संख्य बढ़ाई जाये। तभी उक्त अधिनियम का उद्देश्य पूरा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करता हूं कि बोलते समय वे इस बात का ध्यान रखे कि इस विधेयक का उद्देश्य मूल अधिनियम को जम्मू तथा काश्मीर राज्य में लागू करने तक ही सीमित है। मूल अधिनियम के गुण-दोषों पर चर्चा एक पृथक प्रस्ताव के माध्यम से की जा सकती है।

श्री ए० एन० विद्यालंकार (चंडीगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने ठीक ही कहा है कि इस विधेयक के बारे में बोलते हुए मूल अधिनियम के गुण-दोषों की चर्चा न की जाये। मेरा विचार है कि यदि यह अधिनियम जैसा का तैसा जम्मू तथा काश्मीर राज्य में लागू कर दिया

जायेगा तो उससे जनता को कोई भी लाभ नहीं होगा। ऐसा लगता है कि यह अधिनियम व्यवहार में लागू नहीं है। आज बाजार में हर वस्तु में अपमिश्रण पाया जाता है। यदि इस अधिनियम के कार्यान्वयन को न सुधारा गया तो जम्मू तथा काश्मीर के लोगों को इससे कुछ भी लाभ न होगा। मूल अधिनियम के कार्यान्वयन में सबसे बड़ा दुगुर्ण यह है कि इसके अन्तर्गत इन्सपैक्टर वास्तविक अपराधियों को नहीं पकड़ते वे निर्माताओं, माल को डिब्बाबन्द करने वालों आदि को नहीं पकड़ते। इसके विपरीत निर्दोष लोग पकड़े जाते हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि मूल अधिनियम ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है। इसका कार्यान्वयन असंतोष-जनक है। असली अपराधी पकड़े जायें और उन्हे दंडित किया जाये। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri Ishaq Sambhali (Amroha) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I welcome this Bill. It is good that this Act is being extended to Jammu and Kashmir State, But I doubt whether it will deliver any goods to the people of that State, as the original Act will carry the corruption and bribery to that State in connection with the adulteration of food stuff. Even big companies are en gaged in adulteration. For example, M/s Keventers (Pvt.) Limited was found guilty of adulteration but no action has so far been taken against this Company. The smaller the shopkeeper, the more he is arrested. It shows that our Government is still in the grip of monopolists and they are playing with the lives of poor people. Here I would like to suggest that more penelity should be given to those. who are found guilty of adulteration, and the application of the principal Act should be inproved.

Dr. Kailash (Bombay South) : Mr. Deputy Speaker, Sir I stand to support this Bill. It is true that the real culprits are not punished. In my opinion State Governments are more responsible for it than the Central Government. I would like to draw the attention of the Minister to the fact that there is only one chemical laboratory, where adulterated food stuff are tested, in the whole of Western part of India. In order to expedite the work of testing the sampel of adulterated food articles more such laboratories should be set up.

मैंने इस बात का उल्लेख स्वास्थ्य मन्त्री का ध्यान इस ओर दिलाने के उद्देश्य से किया है कि सरकार ने श्रीनगर या जम्मू के किसी भाग में कोई रासायनिक प्रयोगशाला स्थापित करने की परवाह नहीं की है। ऐसी प्रयोगशाला के अभाव में इस अधिनियम को जम्मू तथा काश्मीर पर लागू करने से कोई लाभ नहीं होगा। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि इस अधिनियम के वहां लागू करने से पहले जम्मू तथा काश्मीर राज्य में एक रासायनिक प्रयोगशाला स्थापित कर दी जाये।

श्री जी० विश्वनाथन (वांडीवाश) : यह अधिनियम अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उपभोक्ता के हितों की रक्षा होती है। किन्तु मैं यह बलपूर्वक कहना चाहता हूं कि इस अधि-नियम का दुरूपयोग किया जाता है। मुकद्मों की वकालत करते समय मैंने प्रायः यह देखा है कि वकील या जज वस्तुतः यह नहीं जान पाता है कि मिलावट किसने की है और इसमें निर्दोष व्यक्ति को सजा दे दी जाती है। यह अधिनियम इस समय छोटे व्यापारियों और खुदरा व्यापारियों के विरूद्ध उपयोग से लाया जा रहा है। मेरा अनुरोध है कि राज्य सरकारों के साथ मिलकर प्रक्रिया में ऐसा संशोधन किया जाना चाहिए जिससे उत्पादक या निर्माता लोग दंडित किये जा सकें। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीमनगर) : मैं विधेयक का इस दृष्टि से स्वागत करता हूं कि मूल अधिनियम जम्मू तथा काश्मीर राज्य में लागू किया जा रहा है जहां हमारे अधिनियम स्वत : लागू नहीं होते हैं। साथ ही मैं यह अनुरोध करता हूं कि विधेयक में कारावास दंड की व्यवस्था की जाये और अनिवार्य कारावास की व्यवस्था हटा दी जाय। वकालत करते रहने के नाते हम यह जानते हैं कि मूल अधिनियम को लागू करते समय व्यवहार में क्या कठिनाइयां आती हैं। इस अधिनियम के उपबन्ध छोटे व्यापारियों के विरूद्ध हैं। इस ओर मन्त्री महोदय ध्यान दें।

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : जिन माननीय सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया है मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया था, इस विधेयक का उद्देश्य सीमित है। यह विधेयक मूल अधिनियम को जम्मू तथा काश्मीर राज्य में लागू करने के लिए लाया गया है। कुछ सदस्यों ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिये हैं। मैं उन्हें बतलाना चाहता हूं कि खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण के बारे से सरकार पूर्णत: जागरूक है। वास्तव में वर्ष 1965 में 1954 के मूल अधिनियम में सरकार द्वारा जो संशोधन किये गये थे वे मूल अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिये किये गये थे। इसके साथ ही उनमें अपमिश्रित खाद्य वस्तुओं के बेईमान निर्माताओं, विक्रेताओं और परिरक्षकों के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था थी। मूल अधिनियम में कम से कम 6 महीने और अधिकतम 6 वर्ष का दण्ड दिये जाने की व्यवस्था है। जुर्माने की राशि भी 1000 रुपये से कम नहीं, अधिक हो सकती है। अत: यह कहना अनुचित होगा कि कठोर दण्ड की व्यवस्था नहीं है। हम अपनी नीति को क्रियान्वित करने वाली व्यवस्था को सुदृढ़ बना रहे हैं, प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ा रहे हैं, किस्म में सुधार किया जायेगा और मूल अधिनियम के उपबन्धों को उचित ढंग से क्रियान्वित किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 2 was added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 3 में श्री पंडा का संशोधन परिचालित कर दिया गया है। परन्तु यह इस विधेयक के कार्यक्षेत्र से भिन्न है। इस विधेयक का सम्बन्ध अधिनियम को जम्मू तथा कश्मीर पर लागू करने से है जबकि उनके संशोधन का प्रयोजन मूल अधिनियम के उपबन्धों में संशोधन करने से है। इसका प्रस्तुत संशोधन विधेयक के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री डी० के० पण्डा (भन्जनगर): मुझे बताने दीजिये कि यह इस विधेयक से कैसे सम्बद्ध है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 3 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 3 was added to the Bill

खण्ड 4, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।
Clause 4, Clause 1, the Enacting Formula and the Table were added to the Bill

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) संशोधन तथा विधिमान्यकरण विधेयक
COAL BEARING AREAS (ACQUISITION AND DEVELOPMENT) AMENDMENT AND VALIDATION BILL

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं प्रस्ताव करता हूं

कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 का और संशोधन करनें और उक्त अधिनियम के आधीन भूमि के या भूमि में या उस पर अधिकारों के कतिपय अर्जन को विधिमान्य करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

वर्ष 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प में उल्लिखित है कि भविष्य में देश में कोयला उद्योग के विकास की जिम्मेदारी सरकार की होगी और संकल्प में निर्धारित असाधारण परिस्थितियों के सिवाय इस उद्योग के सभी एकक सरकार द्वारा स्थापित किये जायेंगे। तदनुसार कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 से अधीन केन्द्रीय सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ अछूती भूमि को, जिसमें भूमिगत खनिज या ऐसी भूमि में अथवा उस पर अधिकार शामिल है अर्जन की शक्तियाँ भी प्राप्त कर ली थीं। जिस प्रकार 1894 के भूमि अर्जन अधिनियम में उपबन्धित है। भूमि अर्जन के मामले में, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई थी कि धारा 4 (1) के अन्तर्गत अकेली अधिसूचना जारी की जाये जिसमें यह बताया जाये कि किसी क्षेत्र में सार्वजनिक कार्य के लिये भूमि की आवश्यकता है या इसकी आवश्यकता होने की सम्भावना है। इस अधिसूचना के पश्चात मूल अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि के विभिन्न टुकड़ों के बारे में अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत एक या अधिक घोषणा की जाती थी। दूसरे शब्दों में सरकार धारा 6 के अन्तर्गत उत्तरवर्ती घोषणा के द्वारा भूमि का अर्जन नहीं कर सकती। उपरोक्त निर्णय के प्रतिकूल प्रभाव को दूर करने के लिये भूमि अर्जन अधिनियम में संशोधन किया गया और उस संशोधन में विशेष रुप से यह उपबन्ध किया गया है कि यदि आवश्यक होगा तो धारा 6 के अन्तर्गत एक से अधिक घोषणाएं जारी की जा सकती हैं। परन्तु ऐसी स्थिति में मुआवजा बाजार मूल्य के आधार पर दिया जायेगा।

कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) अधिनियम, 1957 के सम्बद्ध उपबन्ध भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के उपबन्धों से मिलते जुलते हैं और लगभग वैसे ही हैं। अतः उच्चतम न्यायालय का उक्त निर्णय उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत किये गये अर्जनों पर भी लागू होता है। तथा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड के लिये किये गये अथवा किये जाने वाले भूमि के अर्जनों के अनेक मामलों की विधि मान्यता को भी प्रभावित करता है। चर्चाधीन विधेयक के द्वारा कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) अधिनियम 1957 में भूमि अर्जन (संशोधन तथा मान्यकरण) अधिनियम, 1967 (1967 का 13) के समान संशोधन करने का विचार है।

इस विधेयक में सरकार को उस स्वामित्व की क्षति के लिये राज्य सरकारों को मुआवजा देने के लिये अधिकार देने का भी विचार है जो उनकी तब होती जब अधिनियम के अन्तर्गत तीसरे पक्ष के अधिकारों के बिना क्षेत्रों का अर्जन किया जाता और उन्हें वह राशि दी जाती, जिसके लिये स्वामित्व के रुप में वे उस स्थिति में हकदार होते, यदि वे क्षेत्र खनिजों के खनन के लिये पट्टे पर दिये गये होते।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ : "कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 का और संशोधन करने और उक्त अधिनियम के अधीन भूमि के या भूमि में या उस पर अधिकारों के कतिपय अर्जनो को विधिमान्य करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) : This bill is not comprhensive because it does not deal with the core of the problem. The only good point in this Bill is that state Government would get fixed amount from the censre as compenstation for the mines. Government

have not made any effort to see that the amount of royalty which the big owners owe to the State Government is paid to them. The State Government run in to difficulty when they do not get this amount because development work is hampered. Bihar State Government and West Bengal are facing this difficulty and the result is that their backwardness can not be removed. There is no provision in this Bill to ensure payment of the arrears of Royalty by the mine owners to the state Government similarly there is no provision for award ing punishment to the defaulting mine owners.

It has also been observed that there has been no significant increase in the wages of laboures working in Coal mines of Asansol, jharia, Raniganj etc. The facilities of hospitals and housing are quite inadequate. Government have not paid any attention towards these problems which are being faced by the labourers of coal mines. The atmosphere in which there labourers have to work make them T. B. patients. Arrangements should be made to prevent such diseases. Then problem of nonavailabaility of wagons is very much there. This question has been discussed in this House many times. Lakhs of tonnes of coal is accumulated due to non-availability of wagons which creates several problems. In view of this, I say that this is a patch up measure. They are tryirg to solve the problem partially. The problem will remain as it is.

The nationalised banks give loans to the coal mines of big capitalists. I would, therefore, suggest that if Government is interested in the development of coal industry then it should not be allowed to remain in private sector. They should nationalise this industry. Acomprehensive Bill should be introduced in which the interests of labourers should be safeguarded.

श्री जी० विश्वनाथन (वान्डीवाश) : मूल अधिनियम के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा भूमि अर्जित करने पर राज्य सरकार को कोई मुआवजा नहीं दिया जाता था ।

उपाध्यक्ष महोदय : खनिज के लिये कोई मुआवजा नहीं दिया जाता था; परन्तु भूमि के लिये मुआवजा देने की व्यवस्था है ।

श्री जी० विश्वनाथन : जी, हां । खनिजों के मूल्यों को ध्यान में नहीं रखा जायेगा । इसी लिये राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार से कहतीं थीं कि इस दृष्टिकोण से राज्य सरकार को जो मिलना चाहिये, वह नहीं मिलता । राज्यों की वित्तीय स्थिति शोचनीय है । मुझे प्रसन्नता है कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों की स्वामित्व का भुगतान करने के लिये सहमत हो गई है यद्यपि वह मुआवजा देने पर सहमत नहीं हुई है । विधेयक के खण्ड 7 में शब्द 'में' का जान-बूझकर प्रयोग किया गया है जबकि वास्तव में यह शब्द 'शैल' होना चाहिये था । इसमें समुचित संशोधन किया जाना चाहिये ।

इस विधेयक से सरकार को भूमि को चरणवार अर्जित करने का अधिकार मिलता है। यह विचित्र प्रक्रिया है । इससे भू-स्वामियों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है । मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि चरणवार अर्जित करने की प्रक्रिया समाप्त कर दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिये गये हैं, परन्तु सरकार उन्हीं सुझावों का उत्तर दे जो इस विधेयक से सम्बद्ध हों।

श्री शाहनवाज खाँ : इस विधेयक का कार्यक्षेत्र बहुत सीमित है। इस विधेयक का उद्देश्य कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम को भूमि अर्जन अधिनियम के बराबर लाना है क्योंकि दोनों अधिनियम लगभग एक ही विषय से सम्बन्धित हैं। भूमि अर्जन अधिनियम में वर्ष 1967 में संशोधन किया गया था। माननीय सदस्य ने कहा है कि राज्य सरकारों को उनके स्वामित्व से वंचित किया जाता है क्योंकि खनिजों के सम्बन्ध में उन्हें कोई मुआवजा देय नहीं है। अब हम एक उपबन्ध जोड़ रहे हैं जिससे राज्य सरकारें खनिजों के सम्बन्ध में मुआवजे की अधिकारी होंगी। खण्ड में 'मैं' शब्द को "शैल" में बदलने से कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि यदि राज्य सरकारों को स्वामित्व का भुगतान नहीं किया जाता तो इनको पट्टे को समाप्त करने के अधिकार सहित प्रर्याप्त शक्तियां प्राप्त हैं। मेरे विचार में वे शक्तियां पर्याप्त हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है 'कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 का और संशोधित करने और उक्त अधिनियम के अधीन भूमि के या भूमि में या उस पर अधिकारों के कतिपय अर्जनों को निधिमान्य करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खण्ड 2–8, खण्ड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है।
The motion was adopted

खण्ड 2–8, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।
Clauses 2—8, clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री शाहनवाज खां : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि विधेयक को पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

देश में बाढ तथा सूखे की स्थिति के बारे में चर्चा
DISCUSSION Re. FLOOD AND DROUGHT SITUATION IN THE COUNTRY

उपाध्यक्ष महोदय : अब नियम 193 के अन्तर्गत देश में बाढ़ और सूखे की स्थिति के बारे में चर्चा होगी ।

Shri Paripoornanand Painuli (Tehri-Garhwal) : Lakhs of people have become homeless due to flood havoc. It has been observed that no permanent measures have been adopted to prevent the recrurrence of floods.

So far, only patch work has been done. The flood control measures can be divided into four categories Vij; Construction of embankments, drainage schemes and protection scheme and raising the village levels. But Government have not taken any steps to control floods in catchment areas of the rivers. An expert Committee appointed by Irrigation and Powerministry. had arrived at the conclusion that in order to control floods we have to pay more attention towards catchment areas because construction of dams is only a contributory factor and it can not provide any permanent solution to the problem.

Ministry of Irrigation and Power had appointed a high level Committee on floods. That Committee has gone into the devastations caused by floods and has arrived at the conclusion that the Ganga and its tributaries cause maximum suffering. In view of this, Government should take concrete steps to pervent floods in this area. Government should introduce afforestation scheme in hilly cereasbecause mamads have destroyed all the national vegitation there. Grarging of cattle in these areas should be banned. Flood protection works should be taken upon war footing. It should be made an integral part of national Development Programme a national water Grid is quite neceessary for the purpose our national forest policy which has become out dated should be changed. The people of Almora, Nainital, Pithoragarh have suffered maximum due to the flood havoc. They are facing starvation. Government should rush assistance to these arreas.

[श्री के. एन. तिवारी पीठासीन हुए
Shri k. N. Tiwary in The Chair]

*श्री कृष्ण हाल्दर (औस ग्राम) : सभापति महोदय हमारे देश में नदियों की भरमार है परन्तु अंग्रेजी शासन के समय इन नदियों का लाभ उठाने के लिये कोई योजना नहीं बनायी गयी, इनकी सर्वथा उपेक्षा की गई, जिसके फलस्वरूप आज ये नदियां कोई लाभ पहुचाने के स्थान पर प्रति वर्ष करोड़ों रुपये की हानि करती हैं तथा अनेकों प्राणियों की जाने लेती है बाढ़ों के कारण करोड़ों लोग बेघर हो जाते है और लाखों लोग तरह-तरह की महामारियों का शिकार हो जाते हैं । पिछले तीन वर्षों के आँकड़ों से पता चलता है कि इन नदियों में आने वाली बाढ़ों के कारण हमारे देश को प्रतिवर्ष औसत 2॥ करोड़ के मूल्य की खाद्य-फसलों का हानि होती है ।

स्वाधीनता प्राप्ति के 25 वर्ष पश्चात हमने सोचा था कि सरकार राष्ट्रीय स्तर पर कोई

*बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर
Summarised Hindi version of English translation of the speech delivered in Bengli.

ऐसी योजना बनायेगी जिससे इन नदियों की बाढ़ों से मुक्ति मिल सके। परन्तु अभी तक कोई राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण योजना नहीं बन पायी है। यदि ऐसी कोई योजना बन जाती, तो लाखों लोग इस प्रकार बेघर न होते।

उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा केरल के लोग प्रायः उन बाढ़ों का शिकार होते हैं। अभी हाल ही में राजस्थान के लोग भी इन बाढ़ों के शिकार हुए और ये सभी गरीब लोग हैं तथा अनुसूचित जातियों और जन-जातियों से सम्बन्धित हैं फिर कृषक और मजदूर लोग हैं।

हमारा अनुमान है कि देश में बाढ-नियन्त्रण के लिये सरकार को 1000 से 1500 करोड़ रुपये खर्च करने की आवश्यकता है। परन्तु हमने देखा है कि सरकार ने अभी तक केवल 250 करोड़ रुपये खर्च किये हैं और शायद इसीलिए देश में निरन्तर बाढ़ आती रहती है।

साम्यवादी चीन ने भयंकर मांग्सी नदीं को नियंत्रित करके उसे वहाँ के लोगों के हित में लगाया उन्होंने इस नदी की बाढ़ को नियन्त्रित करने की योजना तैयार की और लोगों ने भी उसमें अपना श्रम दान किया। परन्तु हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं होता यदि हमारी सरकार भी गंगा, नर्मदा, तीस्ता आल्पस नदियों के संबंध में कोई वैज्ञानिक अनुसंधान करती, तो इन बाढ़ों को रोकना सम्भव हो सकता था। जिनसे कि देश में प्रतिवर्ष भारी नुकसान होता है। नदियों की प्रवृत्ति तथा दिशाओं की जानकारी प्राप्त करने के पश्चात बाढ़ों पर नियन्त्रण पाना सम्भव हो जाता है।

मेरे पूर्ववक्ता ने बताया कि अनेक स्थानों पर हमारी नदियां सूख रही हैं। यह केवल इसीलिये हो रहा है क्योंकि सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई राष्ट्रीय योजना तैयार नहीं की।

खेद है कि दामोदर घाटी निगम योजना के होते हुए भी हमें प्रतिवर्ष बाढ़ों के कारण 20 से 25 करोड़ रुपये की हानि होती है। सैकड़ों गांव और हजारों एकड़ भूमि जलमग्न हो जाती है। अभी तक 8 बांधों के समक्ष केवल 4 बांधों का ही निर्माण किया जा सका है। इस सम्बन्ध में यदि मान सिंह समिति के प्रतिवेदन को क्रियान्वित किया जाता तो वर्तमान बाढ़-विपत्ति को रोका जा सकता था। इसके अतिरिक्त निचले क्षेत्रों में दामोदर नदी पर बांध निर्मित हो जाते। यदि सिंचाई उद्देश्यों के लिये नदियों के पानी को अनेक भागों से निकाल दिया जाता हुगली, हावड़ा और आराम बाड़ा उपखन्ड जैसे स्थानों को भयंकर विनाश से बचाया जा सकता था

हमें विदित है कि निचली दामोदर घाटी योजना और जल विकास योजना को क्रियान्वित करके सरकार को 14 करोड़ रुपए की जरुरत है लेकिन फिर भी सरकार ने केवल 25 लाख रूपये की स्वीकृति दी है जोकि बहुत ही कम राशि है। इन योजनाओं को पूरा करने के लिये कम से कम 4 करोड़ रुपये की स्वीकृति तो अवश्य ही दी जानी चहिए ताकि तीन वर्ष में यह फार्म पूरा हो सके। इन योजनाओं के पूरा होने से निश्चय ही दामोदर घाटी के लोगों की जानें बचेंगी।

सरकार को अजय और कनौर नदियों के लिये बाढ़ नियन्त्रण योजनायें तैयार करनी चाहिये। मेरे चुनाव क्षेत्र में वर्ष भर में तीन बार बाढ आती है। फरक्का बांध का निर्माण भी शीघ्राति शीघ्र पूरा किया जाना चाहिये।

अत: में मैं फिर कहूंगा कि सरकार को बाढ़ नियन्त्रण के लिये अवश्य ही आवश्यक कदम उठाने चाहियें । हर वर्ष सरकार बाढ़ पीड़ितों को राहत सहायता देती है महामारियों तथा अकाल के शिकार लोगों की सहायतार्थ काफी धनराशि खर्च करते हैं । मेरा निवेदन है कि इस प्रकार धन का व्यय करने की बजाय इन शिकायतो को रोकने का उपाय क्यों न किया जाये ।

डा० हेनरी आस्टिन (एरणाकुलम) : देश में वर्षा ऋतु के मध्य में अतिवृष्टि से भारी धन और जन की हानि हुई है और बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, असम, राजस्थान, पंजाब, केरल, उड़ीसा आदि अनेक राज्य बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं ।

इस सम्बन्ध में लोकमत है कि इन प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करने के लिये इंजीनियरी कुशलता तथा अन्य तकनीकों का आश्रय लिया जाना चाहिये, मंत्री महोदय ने अनुमान लगाकर बताया है कि इस विपत्ती को रोकने के लिये प्रतिवर्ष 40 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी । यह भी हर्ष का विषय है कि चौथी योजना में 39, प्रयोजन के लिये 138 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । परन्तु साथ ही हमें अन्य संसाधन जुटाकर और अधिक धनराशि की व्यवस्था करनी चाहिये ।

गत वर्षों में बाढ़ों का आना विभिन्न भौगोलिक स्थिति तथा वर्षों की प्रवृत्ति ' वायु की तीव्रता तथा तापमान एवम प्रभावित स्थान कि मिट्टी की किस्म आदि पर भी निर्भर रहा है । हालांकि इन सभी समस्याओं का तकनीकी हल तो नहीं निकल सकता परन्तु फिर भी इस सम्बन्ध में कुछ अध्ययन किया जा सकता है । कुछ नदियों को नियन्त्रित किया जा सकता है । तथा सघन बन-रोपण हो सकता है । मौसम की पूर्व सूचना देने की और अच्छी प्रणालियां निकाली जा सकती हैं बाढ़ आने की पूर्व चेतावनी तथा बचाव कार्यों की ओर भी यथोचित ध्यान दिया जाना चाहिये ।

केरल में समुद्री कटाव एक बड़ी भारी समस्या है और इसमें बहुत ही उपजाऊ और लाभप्रद भूमि बह जाती है । पहले मेरे चुनाव क्षेत्र में परमाणु शक्ति उत्पन्न करने के लिये अनेक भू-पदार्थों के भण्डार थे परन्तु गत तीस वर्षों में वे सब भण्डार बह गये और सब कुछ समुद्र की बाढ़ के कारण हुआ । स्वयं तकनीकी तरीकों से भली प्रकार भिज्ञ मंत्री महोदय को इसके लिये तुरन्त यथेष्ट उपाय करने चाहिये । हालैंड एक छोटा सा देश है । परन्तु समुद्री कटावी को रोकने के लिये उसने बड़े अच्छे वैज्ञानिक उपाय किये हैं । भारत भी ऐसा कर सकता है । मन्त्र महोदय के अनुसार केरल के तट की रक्षा के लिये उन्हें केवल 40 करोड़ रुपये चाहिये । मेरे चुनाव क्षेत्र में चेलम से कनामद्दि तक के क्षेत्र में 40 परिवार नष्ट हो चुके हैं और 2000 एकड़ भूमि जलमग्न हो चुकी है । जून और जुलाई में आई 30 विपत्ती से केरल में लगभग सभी तटीय नगर बुरी तरह प्रभावित हुए हैं । 25000 लोग बेघर हो गये । ऐसा प्रतिवर्ष होता है ।

मंत्री महोदय इस सारी स्थिति से अवगत हैं और मुझे विश्वास है कि वे इसे एक केन्द्रीय विषय बनाकर शीघ्र यथेष्ट कार्यवाही करेंगे । सरकार इसे एक राष्ट्रीय समस्या समझे और समुद्र से होने वाले कटावों को रोकने के लिये एक समुद्री कटाव बोर्ड गठित करें । जब तक इस

सम्बन्ध में कोई स्थायी उपाय नहीं किये जाते जब तक प्रभावित होने वाले लोगों को तुरन्त राहत सहायता दी जाये । लोगों को सहायता देने के लिये एक संचित निधि बनाई जाये । यदि इस समस्या को हल करने के लिये तकनीकी उपाय किये जायें तो यह समस्या शीघ्र दूर हो सकती है ।

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : Nature has been very ironic with our nation. In some areas, it has caused great havoc by ferocious floods whereas it has caused deadly famine by drought. People are crying on these two accounts almost simultaneously. Where Bihar, Assam· Delhi, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Kerala, Madhya. Pradesh, Manipur, Mysore, Orissa, Punjab, Rajasthan, U.P. and west Bengal are the victims of heavy floods. States like Andhra Pradesh, Maharashtra; Mysore, Assam and Tamil Nadu, are suffering from drought. Some of these, States are really very much affected. I think the State of Bihar only suffered a loss of about Rs, 300 crores on account of floods. Hundreds of people have lost their lives and thousands have been rendered homeless.

Similarly there have been very heavy losses in othes States also. Somewhere it is floods and. Sea erosion, and somewhere it is heavy rains. Sea erosion is a big problem in Kerala and the centre should give Rs. 150 crores for safety measures.

However the condition of flood affected Bihar is certainly unique, and the floods there this time have been the most ferocious. Out of 17 districts, 14 are very badly affected by fl ods. Water has entered many cities. and even the Capital Patna is danger-striken. Food grains with crores of rupees have been blocken and exposed to the danger of destriction. The industrial con plexes in Barauni and Katihov arc also in danger because of the break in Gupta Dam. The reason for this break should also be investigated. Bihar Government. has declared. a situation of national calamity because of famine conditions. and the people are being given relief. Crops in 44, 166·6 square miles area has been destroyed. As many as five lack people have been evacuated and rehabilitated on high attitudes. Hundreds of people have lost their lives in Bihar. The tolls is 50 in Patna itself.

Bihar administration has sought a help of Rs. 68·22 laks from the centre but I think it is too less in amount and it should be at least 100 crores of rupees. Only than all the dams and roads can be required and the homeless people. The Hon. Minister himself had visited Patna and there is a scheme also in this respect but that has not been implemented. It should be implemented forthwith.

There is over all shortage of fodder for the cattle. The Railway Minister has agreed to provide 4 carriages. More people as well as the cattle should be provided with adequate relief like that of money medicines, drinking water etc Roads should repaired and long term plans should be draw and implemented to face the challenge of floods and drought.

All the States should be given central help quite genewerstly to meet their needs and remove the suffering of the people.

श्री शंकर राव सांवत (कोलाबा) : हमारे देश का भाग्य अधिकांशत: मानसून के समय पर आने पर निर्भर करता है परन्तु अब परिस्थिति ऐसी नियन्त्रण से बाहर होती जा रही है ।

वर्ष प्रतिवर्ष हम असहाय से होते जा रहे हैं। इस वर्ष मानसून से 3 प्रदेश बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जलमग्न हो गये हैं और इस बाढ़ में न केवल पशु और फसलें बह गई बल्कि गांव के गांव डूब गये।

महाराष्ट्र में अभूतपूर्व सूखा पड़ा है जिससे असहनीय हानि हुई है। कुल 26 जिलों में से 21 जिलों पर उसका बुरा प्रभाव पड़ा है और 23,00 से अधिक गांव अकाल ग्रस्त हैं ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि कल तक सम्पन्न रूप से जाने वाले लोग आज अपने नित्य का भोजन जुटाने के लिये अकाल राहत कार्यों में काम करने आते हैं। लोग काम की खोज में भटकते फिर रहे हैं। यहां तक कि कानून और व्यवस्था की स्थिति सम्बन्धी नयी समस्यायें भी पैदा हो गई हैं।

गत वर्ष तो केवल 9 जिले अकाल ग्रस्त हुये थे और 200 करोड़ रुपये की हानि हुई थी परन्तु इस बार की हानि का अनुमान लगाना भी सम्भव नहीं है। कई जिलों में तो बुवाई तक नहीं हो रही है।

बाढ़ और सूखे की विभिषिकायें वैसे तो दोनों ही बहुत दु.ख दायी हैं परन्तु जहां बाढ़ का प्रभाव उसी समय के लिये होता है और बाद में वह भूमि को कुछ अधिक उपजाऊ भी बना जाता है वहां इसके विपरीत, सूखे का प्रभाव धीमे-विष की तरह होता है। जोकि चारे और पानी की कमी के कारण पशु मर जाते हैं और लोग भी भोजन तथा जल के अभाव में या तो भागने लगते हैं या फिर मर जाते हैं और साथ ही सारे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था न केवल अवरुद्ध होती है बल्कि नष्ट-भ्रष्ट भी हो जाती है।

और इस प्रकार उत्पन्न हताश और निराश मनोवृत्ति के फलस्वरूप सुयोजित सामाजिक जीवन भी अस्त-व्यस्त हो जाता है

इन परिस्थितियों में, मेरा सुझाव है कि कुछ अल्पावधि तथा दीर्घावधि वाली परियोजना चालू की जानी चाहिये ताकि देश में बाढ़ की स्थिति का मुकाबला किया जा सके। प्रभावित क्षेत्रों में हानि व क्षति का पता लगाने के लिये केन्द्रीय दल भेजे जायें तथा सम्बन्धित राज्यों को वार्षिक सहायता दी जाये। केवल महाराष्ट्र को ही इस उद्देश्य के लिये प्राय: 15 करोड़ रुपये की आवश्यकता है।

न्याय निर्णय द्वारा विवाद की निपटाये जाने की प्रतीक्षा में महाराष्ट्र की प्राय: आधी सिचाई योजनायें रुकी पड़ी हैं उन्हें आरम्भ किया जाना चाहिये इस कारण जहां आंध्र प्रदेश की केवल एक बड़ी परियोजना तथा दो मध्यम परियोजना रुकी पड़ी हैं वहीं महाराष्ट्र की 11 बडी तथा 23 मध्यम परियोजनाएं कुल 34 परियोजनायें रुकी हुई हैं। यह रुकावट दूर करके कम से कम आधी परियोजनायें तो तुरन्त ही चालू की जानी चाहियें।

गंगा और गोदावरी को मिलाने के लिये एक बडी नहर का निर्माण किया जाना चाहिये। इससे उत्तर में जहां बाढ़ रोकी जा सकेगी वहां उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र और आँध्र में लाखों एकड़ भूमि की सिचाई भी हो सकेगी तथा साथ सस्ती जल-परिवहन सुविधा भी उपलब्ध होगी इसके अतिरिक्त यह नहर उत्तर दक्षिण को भी मिलायेगी। सिचाई मंत्री इस ओर विशेष ध्यान दें। इस उपाय से उत्तर और दक्षिण दोनों क्षेत्रों की समस्यायें हल होंगी।

अत: केन्द्रीय सरकार थोड़ी अवधि की तथा लम्बी अवधि की योजनायें बनाये जिससे बाढ़ तथा सूखे की स्थिति का मुकाबला किया जा सके ।

श्री रण बहादुर सिंह (सिधी) : श्रीमन, मैं सभी का ध्यान मध्य प्रदेश की बाढ़ ग्रस्त स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । हालांकि मध्य प्रदेश अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण इस विपदा से बचा रहता था परन्तु इस वर्ष पिछले मास की वर्षा के कारण बन तथा सोम नदी की बाढ़ से प्राय: 50 गांव बह गये किसी और शाहजेल जिलों के इन क्षेत्रों में पहले कभी बाढ नहीं आयी थी अत: इस आकस्मिक विपत्ति के लिये वहां के लोग तैयार नहीं थे इसी कारण न केवल ग्रामीण बेघर हो गये बल्कि रेत जम जाने के कारण उनकी कृषि-भूमि पर भी बुरा प्रभाव पड़ा और वह खेती योग्य नहीं रह गई ।

मध्य प्रदेश के सिंधी और राहडोल जिलों में जहां लगभग 50 गांव बाढ ग्रस्त हैं वहां पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि उनकी भूमि, बीज तथा उनके सभी घर बह गये हैं । मैं सुझाव दूंगा कि जिन किसानों के खेतों से बीज बह गये हैं, उन्हें बीज उपलब्ध कराये जायें । जब से उस क्षेत्र में वन सम्पति का राष्ट्रीयकरण हुआ है तब से अधिकांश आदिवासियों को जो वहां रह रहे हैं, अपने लिये अस्थायी आवास की व्यवस्था करने के लिये बांस आदि नहीं मिल रहे हैं । आदिवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुये राष्ट्रीयकृत वनों के कानूनों को उदार बनाया जाना चाहिये ताकि जब वर्षा काल समाप्त हो, तो वे अपने लिये अस्थायी मकान बना सकें । मंत्री महोदय को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उस क्षेत्र के लोगों को तत्काल राहत दी जाये, विशेषकर उन लोगों को, जो नये मकान बनाना चाहते हों अथवा उन लोगों को भी जो अपने खेतों में एकत्र हुए बालू को साफ करना चाहते हों, तकावी ऋणों के रूप में सहायता दी जानी चाहिये ।

सरकार को बाणसागर बांध परियोजना के निर्माण की ओर तत्काल ध्यान देना चाहिये । इस परियोजना के कार्य में अब अधिक विलेम्ब नहीं होना चाहिये ।

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj) : Mr. Chairman Sir, some part or the other in the country is flooded every year and it has become refualistic to have a debate on flood in this house out I do not know how far the help isextended to the flood affected persons.

This year floods have wrought a havoc in Bihar and earlier floods used to recede after three or four days but this year the seventy of flood continued for days together. The roads and villages are submerged in water. The people had to climb the roofs of their houses and tops of the trees to save their lives. They are living in a very miserable condition. The sugarcane crop has sustained collossal loss. The situation is really horrible. The number of rescue boats is very inadequate. The pahcity of rescue boats has made the officers concerned helpless. All wells and tubewells are submerged under water. People have sought shelter near railway lines. About 240 square miles of area from Sonepur to Chhapra is in the grip of serious floods. People are facing horrible situation. They have nothing to eat. Prepared food in packets must be arranged for them. Their kachcha houses have collapsed. They have nothing to protect themselves from rains and water. Their immediate requirement is tarpaulin. The Govt. Should open fair-price shops and make the food grains available to the people. They directly need the food grains. Foodgrains should be supplied free of cost to the poor people as far as possible. Adequate measures like disinfecting the wells should be taken to check out break of epidemics collection of land revenue should be suspended.

In the existing dams and embankments there is not sufficient out-let for water. Suitable measures should be taken to provide outlets. In future whenever dams are constructed, provisions should be made for the outlets.

The Govt. should make arrangemrnt to provide fodder to cattle. A part of such relief should be made partially as loan and partiatly free of cost.

The farmers have no seed with them The Government should make arrangements for providing them seeds and fertilizers in time for the next crop.

*श्री एम० राजंगम (डिडिगुल) : हमारे देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां बाढ़ न आती हो अथवा सूखा न पड़ता हो। समूचे देश में लगभग 13 करोड़ लोग बाढ़ों के कारण बेघर हो गये हैं। इस वर्ष बाढ़ के कारण हुई हानि का अनुमान 275 करोड़ रुपये लगाया गया है। इस वर्ष बाढ़ों के कारण फसलों को हुई हानि हमारे देश के इतिहास में अभूतपूर्व है। हमारा सिंचाई और विद्युत मंत्रालय विश्व विख्यात इंजीनियर डा० के० एल० राव के अधीन है हम उनसे आशा करते हैं कि वह विनाशकारी बाढ़ों का कोई स्थायी हल निकालेंगे। हम उनसे अपील करते हैं कि वह लगातार आने वाली बाढ़ों का स्थायी हल ढूढ़ें। हमारे लिए बड़े अफसोस की बात है कि बाढ़ और सूखे की भयानक स्थिति को हम समाप्त नहीं कर पाये हैं जिसके कारण लाखों लोगों के जीवन समाप्त हो जाते हैं।

मे सुझाव दूंगा कि चढ़ते हुये गंगा के पानी को शांत काबेरी से जोड़ने की जो शानदार योजना है उसे यदि क्रियान्वित किया गया तो इस समय बाढ़ों से प्रभावित भारत के भाग कृषि योग्य हो जायेंगे और चिर सूखे क्षेत्र भी खेती के लिए उपजाऊ बन जायेंगे। इससे हमारे कार्यो के क्षेत्र में और भी अवसर खुल जायेंगे।

इस योजना को आरंभ करके काबेरी जल विवाद जैसे अरुचिकर जल विवाद अपने आप ही समाप्त हो जायेगे। इस योजना के क्रियान्यवन में चाहे कितनी ही बाधायें और रुकावटें आये, इसे राष्ट्र के हित में अभी से ही आरम्भ किया जाना चाहिये। यद्यपि हमारे लिये इसे पूर्ण रूप से आरम्भ करना संभव नहीं होगा तथापि हम इसे प्रारम्भ में खंडों में आरम्भ कर सकते हैं। इसे आरम्भ करने के बाद अन्य छोटी-छोटी नदियों के लिये कार्य-क्रम बढ़ाया जा सकता है।

तमिलनाडु में रामनाथपुरम, और मदुरै जिले, विशेषकर डिंडीगुल, तिरुमंगलम, उसीलमपट्टी और नीलाकोटाई तथा उत्तर में अरकाट जिले और सलेम जिले में ऐसे क्षेत्र हैं जो सूखे से लगातार ग्रस्त हो रहे हैं। तमिलनाडू की राज्य सरकार इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के कष्टों को दूर करने के लिये अपने संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग कर रही है। इन क्षेत्रों को केन्द्र की सहायता की बड़ी आवश्यकता है। अतः मंत्री महोदय को इन सूखा ग्रस्त क्षत्रों के लिये केन्द्रीय वित्तीय सहायता देनी चाहिये।

---

* तिमल में दिये गये भाषण के अंग्रजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated versino based on English translation of a speech delivered in .Tamil

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : समय बढ़ाया जाये ।

Mr. Chairman : Time can be extended by an hour if the hon. Members want so,, The suggestion made by Shri Bibhuti Mishra is good.

Shri Ganga Reddy (Adilabad) : You do not Call my name while it is there in the list.

Mr, Chairman : It is the policy of the chair to follow list.

श्री अनंतराव पाटिल (खेंड) : इस बर्ष प्रकृति ने देश का परीक्षण लिया है । देश में कहीं-कहीं तो बिल्कुल वर्षा नहीं है जबकि कहीं-कहीं भारी वर्षा हुई है, सूखे और बाढ़ की स्थिति ने एक जैसा ही प्रभाव डाला है । दोनों ही हालत में फसल नष्ट हुई है । देश के उत्तरी भाग में बाढ़ें आई है तो दक्षिणी भाग में सूखा पड़ा है । खरीफ की फसलें नष्ट हो गई हैं ।

महाराष्ट्र में जून के प्रथम सप्ताह में वर्षा हुई थी परन्तु उसके बाद दो महीने तक वर्षा नही हुई । राज्य के 26 जिलों में से 16 जिले बुरी तरह से प्रभावित हुये हैं । कोंकण के चार पांच जिलों में धान फसल अच्छी थी परन्तु महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र ने ज्वार, बाजरा. मूंगफली और अन्य फसलों को क्षति पहुंची है । कुछ क्षेत्रों में वर्षों तक अकाल की स्थिति रहती है । किसानों के पास कार्य नहीं है । कृषि श्रमिकों के पास कोई काम नहीं है । अतः उन्हें का और मजूरी दी जाती है ताकि वे खाद्यान्न खरीद सकें ।

पशुओं के लिये चारा नहीं है । महाराष्ट्र की अन्य सबसे बड़ी मुसीबत पेय-जल की कमम की है । यदि अगस्त में वर्षा नहीं हुई तो रबी की बुवाई को क्षति पहुंचेगी । अतः चारा पेय-जली और रोजगार की व्यवस्था करना अत्यन्त आवश्यक है । राज्य सरकार स्थिति का मुकाबला करने की भरसक कोशिश कर रही है ।

महाराष्ट्र में सड़कों के निर्माण का कार्य आरम्भ कर दिया गया है । निर्माण कार्य से ग्रामीण क्षेत्रों में उन हृष्ट-पुष्ट पुरूषों और स्त्रियों को रोजगार मिलेगा जिनके पास काम नहीं है, परन्तु राज्य सरकार के पास उपलब्ध राशि अथवा संसाधन बहुत सीमित है । पिछले दिन कृषि मन्त्री ने राज्य सभा में यह आश्वासन दिया था कि केन्द्र महाराष्ट्र में एक अध्ययन दल भेजेगा और प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने के पश्चात् सरकार महाराष्ट्र सरकार को सहायता देगी । महाराष्ट्र सरकार ने पहले से ही 5 करोड़ रुपये खर्च कर दिये हैं और निर्माण तथा राहत कार्यों के लिये व्यय 12 करोड़ रुपये से 15 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का अनुमान है । यह आवश्यक है कि राज्य सरकार को धन उपलब्ध कराया जाये ।

कुंए खोदने तथा पेय जल की व्यवस्था के लिये विस्फोटन मशीनों तथा खुदाई की मशीनों की आवश्यकता है । यदि ये चीजें केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध हों तो राज्य सरकार को उपलब्ध की जानी चाहिये ।

केन्द्रीय सरकार को अन्य राज्यों से चारा उपलब्ध कराने के लिये महाराष्ट्र सरकार की सहायता करनी चाहिये । वर्षा की कमी और सूखे के कारण अगले वर्ष खाद्यान्न की कमी हो सकती है । निस्संदेह, भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार

को खाद्य की सप्लाई करेंगे । क्योंकि उनके पास काफी स्टाक है किन्तु कीमतों के बारे में हमें, विशेषकर अकाल ग्रस्त क्षेत्रों के लिये कुछ राहत देनी चाहिये ।

मन्त्री महोदय ने इस समस्या के समाधान के लिये कुछ लघु-कालीन उपाय करने का उल्लेख किया था परन्तु दीर्घकालीन उपाय के बारे में क्या करना है ? उन जिलों के लिये बड़ी, छोटी और मध्यम सिंचाई की व्यवस्था क्या है जो जिले स्थायी रूप से अकाल पीड़ित हैं । जिन जिलों में बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की संभावना नहीं है वहां लघु और मध्यम सिंचाई परियोजनायें आरम्भ की जानी चाहिये और उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिये और आवश्यक धन दिया जाना चाहिये ।

Shri N. N Pandey (Gorakhpur) : Mr. Chairman Sir, proper arrangements will have to be made to meet the flood situation.

So many hon. Members have suggested for the short term. We shall not be able to stop the rewages of loods unless we harness our rivers, have river valley projects and take measures at all India level.

My experience from abroad shows that dams have been constructed on the river but the whole Ganga has not been utilized for the progress of this country.

To day U. P. and Bihar are in the grip of serious. floods. 11 blocks out of 13 bloc in U. P. have been deluged. We have not been able to tackle this problem since independence.

During the last five years the Central Government has allocated a crores of rupees to state Government to solve the flood shuation. We should find out a permanent solution in this situation.

I suggest to constitute a Central Flood control Board having power to incure expenditure and handle the work, formulated schemes and implement them instead of providing funds straight to the States. If the situation is not met properly, the country may have to face a serious situation.

Apart from that, the Government should raise its voice in U. N. O. for the stoppage of such researches as being about meteorological calamities.

श्री के० रामकृष्ण रेड्डी (नलगांडा) : आँध्र प्रदेश का तेलगाना का पूरा क्षेत्र तथा रायलसीमा क्षेत्र सूखे और अकाल की स्थिति में है। इतना ही नहीं आंध्र प्रदेश के कुछ अन्य जिले भी सूखाग्रस्त हैं । खड़ी फसलें समाप्त हो गई हैं और क्षेत्र में सिंचाई के लिये धरती का जल भी उपलब्ध नहीं है । राज्य सरकार ने 10 करोड़ रुपए की सहायता मांगी है ।

वहां पर हर वर्ष बाढ आती है । क्या केन्द्रीय सरकार सहायता दल भेजेगी तथा 10 करोड़ रुपये की सहायता देगी । उन क्षेत्रों में खाद्यान्न उचित मूल्य भंडारों द्वारा दिये जायें तथा वहां से चावल के निर्यात पर रोक लगाई जाये ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : पिछले कई वर्ष से हम सूखे तथा बाढ़ की स्थिति पर वाद-विवाद में भाग लेते रहे हैं ।

पिछले सप्ताह उड़ीसा की प्राय : सभी नदियां बाढ़ ग्रस्त रहीं और सभी निचले क्षेत्र उससे प्रभावित हुए तथा 5 लाख एकड़ खड़ी फसलें नष्ट हो गई। बाढ़ से रक्षा के लिये कई परियोजनाएं बनीं। कटक जिले में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जहां 6 महीने बाढ़ रहती है तथा दूसरे 6 महीने सूखा रहता है। दूसरी, तीसरी तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में हीराकुण्ड बांध के अतिरिक्त कोई अन्य बाढ़ नियन्त्रण योजना आरम्भ नहीं की गई।

गत वर्ष मन्त्री महोदय ने बताया था कि बाढ़ नियन्त्रण के लिये एक आवर्ती निधि स्थापित की जायेगी। उसका क्या बना ? मन्त्री महोदय ने बताया था कि एक व्यापक बाढ़ नियन्त्रण योजना चालू की जायेगी। हमें उसकी कुछ जानकारी दी जायेगी। आप गंगा जल की कमी वाले क्षेत्रों में क्यों नहीं भेज देते।

चिलका क्षेत्र में राष्ट्रीय राजपत्र संख्या 5, 1968 में पूरी तरह नष्ट हो गया था। केन्द्र ने उसकी मरम्मत के लिये सहायता दी थी।

सरकार के समक्ष कई समस्याएं हैं। हमारे पास इनके समाधान के लिये कम से कम पांच वर्ष के लिये व्यापक योजना होनी चाहिए। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी आदि में बाढ़ रोकने के लिये 400—500 करोड़ रुपए की योजना बनायें। यदि सम्भव हो, तो उत्तर से कुछ जल दक्षिण को प्रवाहित कर दें।

मैं जानता हूं कि मंत्री महोदय सभी मामलों पर ध्यान दे रहे होंगे। मंत्रालय ने स्वीकार किया है कि ये पांच राज्य बाढ़ से बहुत अधिक प्रभावित हैं बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आसाम तथा उत्तर प्रदेश बाढ़ से 15—16 करोड़ रुपए की वार्षिक क्षति होती है। अगामी सत्र में हमें सूखा और बाढ़ की समस्याओं से निपटने के लिये 8—10 वर्षों की योजना रखनी चाहिए।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : मंत्री महोदय के वक्तव्य को विशेषत: उड़ीसा राज्य से सम्बन्धी अंश को मैंने ध्यान से पढ़ा है। राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् मैंने पाया है कि वक्तव्य में स्थिति का सही मूल्यांकन नहीं हुआ है। तीन जुलाई से महानदी, सुवर्णरेखा, बुढ़ाबालंगा, बालासोर, ढ़ेंकानाल और क्योंझर पर बाढ़ का प्रभाव पड़ रहा है। चार लाख एकड़ भूमि तथा छः लाख व्यक्तियों पर इसका प्रभाव पड़ा है। 1000 घर गिर गये हैं और 11 व्यक्ति और बहुत से पशु मर गये हैं।

सुवर्णरेखा पूर्ववर्ती क्षेत्र में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की सीमा है परन्तु नदी का पर वर्ती भाग उड़ीसा राज्य में प्रवेश करता है। नदी के पूर्ववर्ती भाग के लिये बाढ़ नियन्त्रण का पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा सरकारों का साझा कार्यक्रम हैं। सरकार को 10·48 करोड़ रुपये के अनुमान से तैयार किये जाने वाले बाँध की स्वीकृति देनी चाहिये। हम नहीं चाहते कि उड़ीसा के पर्वतीय क्षेत्रों का अहित हो।

भीमकुंड की मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त कार्यवाही की जानी चाहिए। वर्ष 1969—70 में बाढ़ के लिये 3 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता दी गई थी। इस वर्ष बाढ़ का प्रकोप और भी भयंकर है अतएव कम से कम 4 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता दी जानी चाहिए।

बाढ़ का स्थिति पर कृषि मंत्रालय की प्रति क्रिया समझ में नहीं आती । उन्होंने स्वीकार किया है कि खेती के 10 प्रतिशत क्षेत्र को क्षति पहुंची है । तो भी उन्हें आशा है कि वर्ष 1971 —72 के लिये 13 करोड़ टन का लक्ष्य पूरा कर लिया जायेगा । विस्थापितों के आगमन से स्थिति और भी बिगड़ी है इसका ध्यान रखना चाहिए ।

Shri Bibuti Mishra (Motihari) : Is it a fact that due to earthquake, the bed of the rivers like Ganga has risen and consequently there came obstacles in the flow of water in rivers of Bibar ? Is it a fact that all the paths and channels of the flow of water have been included in cultivation area and as a result here of floods occur ? Is it also a fact that there is no provision for the flow of water n the new projects which in town accumulates water and causes flood ?

The Government should draw long term plans to check floods and protect the people there from.

***श्री पी० वेंकटासुब्बया** (नन्दयाल)- : देश में सर्वत्र सूखे और बाढ़ के प्रकोप से प्रकृति ने महान विनाश किया है । इन प्राकृतिक विपत्तियों को, मानवीय भूलों ने विस्थापितों के रूप में इस देश की विपत्तियों की और भी बढ़ा दिया है ।

(इसके पश्चात माननीय सदस्य ने अपना भाषण अंग्रेजी में दिया ।)
(The Hon. Member then continue his speech in English)

यह पहला ही अवसर है कि आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र में गम्भीर सूखा पड़ा है । फल-स्वरूप अधिकांश क्षेत्रों में खेती नहीं की जा सकी । आंध्र प्रदेश में वर्ष 1968—69 तथा 1969 —70 में तुफानों से भी विनाश हुआ ।

[श्री आर० डी० भंडारे पीठासीन हुए
(Shri R. D. Bhandare in chair)]

तेलंगाना तथा रायलसीमा क्षेत्रों में यहां तालाबों द्वारा सिंचाई होती है, तालाब तथा कुएं जल-विहीन हो गये हैं ।

मैं सिंचाई; खाद्य तथा कृषि मंत्रियों से आग्रह करना चाहता हूं कि वे समस्या की ओर ध्यान दें । इन समस्याओं के दीर्घकालीन हल निकालने चाहिएं । क्या बार बार इन विपदाओं को आने से रोकने के लिये कुछ प्रभावी कार्यवाहियां नहीं की जा सकती ।

बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों की समस्याएं तो अस्थायी होती है परन्तु सूखा क्षेत्रों में तो पीने के पानी की कमी भी हो जाती है । तेलंगाना तथा रायल सीमा के क्षेत्र में तो सामान्य समय में भी पानी की एक बालटी के लिये मीलों चलना पड़ता है । कुछ बाढ़ निवारक उपाय किये गये हैं ।

यदि पटना से गंगा का कुछ जल कावेरी को भेजा जा सके तो इससे वास्तविक सिंचाई कार्य हो सकेगे ।

आंध्र के सूखा क्षेत्रों की सहायता के लिये 10 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता तुरन्त दी जाये । वहां पर चारे की और पीने के पानी की कमी है ।

---

*तेलुगू में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर
*Summarised Hindi version English translation of the speech delivered in Telugu

रायल सीमा में वर्षा केवल 15 – 20 इंच होती है । सरकार को वहां कुएं खोदने के लिए रिंग आदि मशीनों की व्यवस्था करनी चाहिए । वहाँ की कुछ सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाएं वित्त के अभाव में बीच में रुकी पड़ी हैं । उनके लिये तुरन्त वित्तीय सहायता दी जाए इससे अकालग्रस्त क्षेत्रों को लाभ पहूंचेगा । सरकार को अकालग्रस्त क्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना करनी चाहिए ।

रायल सीमा तथा तेलगाना क्षेत्रों में भूगत जल को सिंचाई के लिए उपलब्ध करने के लिये उपाय किये जाने चाहिए । सूखे के कारण बेरोजगार व्यक्तियों के लिये रोजगार की कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए ।

आँध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को एक विस्तृत विवरण भेजा है । उसके अध्ययन के लिये एक केन्द्रीय दल शीघ्र नियुक्त किया जाये ।

Shri Shyamnandan Mishra (Begusarai) : My territory is woustly affected by floods. If you consider the refugees at par with the people affected by draught and floods you would find 45 to 48 percent people seeking our feet.

The Government had made a provision of Rs. 200 Crores for Bangla Desh refugees. An equal amount would be required to provide assistance to Flood draught affected people.

About 1·5 Crores of people have been affected by floods in Bihar. The Government of Bihar has asked for an amount of Rs. 68. crores to provide assistance to flood affected people. But I feel that Bihar would be needing Rs. 100 crores for this purpose and it is not in a position to arrange for the balance amount. It needs fodder for the cattle, which is not available there. If no arrangements are made in this regard endless number of cattle would die.

A provision of Rs. 138 crores has been made in the Fourth Five Year Plan. This amount is inadequate. This provision should be raised to Rs. 250 crores. only then we would be able to contral Floods in the country.

Railways should make available adequate number of wagons for the movement of fodder required for the Cattle in flood affected areas in Bihar. A central Minister should establish a camp office in Bihar and coordinate all work relating to relief. The Minister should be fully empowered to take on the spot decisions. An amount of Rs. 75—100 crores should be provided to Bihar as assistance.

An amount of Rs. 200 crores has been inserted in Barauni Area. That means Government property worth Rs. 200 crores is badly affected by floods in Bihar In order to safeguard Barauni area, the Government should strengthen nearby dam. The level of national highways No. 31 should also be raised, as with its present level it has been immedidated.

श्री लीलाधर कटकी (नदगांव) : बाढ़, भू-कटाव तथा सूखे की समस्याओं पर हम प्रतिवर्ष इस सदन में विचार करते हैं । अब समय आ गया है कि संसद सदस्यों की एक उच्च-अधिकार प्राप्त समिति गठित की जाए । यह समिति इस बात की जांच करे कि देश के सम्मुख आने वाली

इस समस्या से क्या कठिनाईयां उत्पन्न होती हैं और उनको प्रभावी रूप से हल करने के लिए क्या उपाय किये जायें ।

सरकार ने ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियन्त्र बोर्ड गठित किया हुआ है । मंत्री महोदय सदन को सूचित करें कि क्या 11 करोड़ रुपये की लागत से 1971-72 वर्ष के दौरान कार्यान्वित की जानेवाली योजनाओं को मंजूर किया जा चुका है कि नहीं । क्योंकि यदि इन्हें मंजूर करने में देरी की गई तो कार्य करने के लिये बहुत थोड़ा समय बाकी रह जायेगा ।

डिब्रूगढ नगर को भू-कटाव का खतरा है । डुबरी नगर में भी बहुत कटाव हुआ है जिससे वहां पर 30 लाख रुपये की क्षति हुई है । इस समस्या की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये ।

आसाम में प्रतिवर्ष बाढ आती हैं परन्तु इस वर्ष वहां के चार सब-डिवीजन सूखा से प्रभावित हैं इसके फलस्वरूप 90 प्रतिशत रवि फसल नष्ट हो चुकी है और खरीफ की फसल की अभी बुवाई भी प्रारम्भ नहीं की जा सकी है । यह आशंका है कि आने वाले वर्ष में उस राज्य को खाद्यान्न की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ेगा । अत: सरकार को वहां पर पहले ही अनाज भेजने की तैयारी करनी चाहिये ।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ययांग क्षेत्र है । इसका 20 किलोमीटर क्षेत्र ब्रह्मपुत्र तटबंध से मिला हुआ नहीं है । इस क्षेत्र को प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण बहुत अधिक क्षति होती है । अत: 20 किलोमीटर के इस क्षेत्र को ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियन्त्रण आयोग के अन्तर्गत आने वाले कार्य के मौसम में कार्यान्वित करने की योजना में सम्मिलित किया जाये ।

एक तो वर्षा के कारण बाढ़ आती हैं, दूसरे, जो तटबंधों में दरारों के कारण बाढ आती है उससे भी लोगों की अत्यधिक क्षति होती है । मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कई इलाके इस प्रकार की बाढ़ से ग्रस्त हैं । अत: सरकार को बाढ़ के इस पहलू की ओर भी ध्यान देना चाहिये ।

बिहार तथा उत्तरी बंगाल में आने वाली बाढ़ों का भी आसाम राज्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है । इसका कारण यह है कि असम की मुख्य परिवहन लाईन बिहार एवं उत्तरी बंगाल होकर है । अत: इस बात को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि आसाम की परिवहन लाईन को कोई क्षति न पंहुचे ।

Shri Ram Deo Singh (Maharajganj) : It is an age of Science and technology, but our country is still facing the problem of floods and drought. This clearly shows that during the past 25 years, the Government did not take its responsibility seriously.

Bihar is facing serious situation due to Floods. Its Rabi crop was destroyed due to heavy rains. 200 of its 540 blocks are badly affected by floods. People are taking shelter on roofs or tree tops and saving their lives, somehow the Government of Bihar lacks seriousness to solve this problem, nor it is fully prepared to meet the situation. In the circumstances, the Central Government should take over the whole responsibility and save Bihar from destruction. A Central Minister should set up a camp office there for a few days and supervise and coordinate all relief measures.

Government should immediately provide tarpanlins to those people whose houses have fallen. It should arrange for meals for the people who are affected by floods. It

should also arrange for free fodder for the cattle. More wagons should be provided for the purpose and rebate should be allowed in freight charges. Farmers should also be provided with seed for the next crop.

An amount of Rs. 225 crores would be required for the purpose. If the situation is not dealt with properly, it would become more acute. Therefore, assistance of non Government agencies should also be sought.

श्री विक्रमचन्द महाजन (काँगड़ा) : बाढ़ों से होने वाला सर्वनाश एक तो प्रकृति के कारण होता है और इसका दूसरा कारण है अधिकारियों की अक्षमता, अयोग्यता और उदासीनता । मन्त्रालय की रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है कि 250 करोड़ रुपये की हानि तटबन्धों की कमी व उनकी कमजोरी के कारण हुई ।

कांगड़ा में 300 करोड़ रुपये की लागत से पोंग बांध का निर्माण हो रहा है । यह सर्व विदित है कि उस क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है । उस पानी को निकालने के लिए इस बांध में पांच सुरंगें बनायी गई हैं परन्तु बाढ़ के पानी की निकासी के लिए ये अपर्याप्त हैं । इन सुरंगों का आयोजन करते समय इस बात को ध्यान में नहीं रखा गया कि इनके द्वारा बाढ़ के सारे पानी की निकासी हो । इस असफलता के कारण सैंकड़ों परिवारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और हजारों मकान बह गये ।

पठानकोट से 20 मील दूर एक स्थान पर रेलवे ने एक रेल लाइन बिछायी है । रेल लाइन के कारण पानी का प्रवाह रुक जाता है और इस कारण प्रतिवर्ष वहां पर बाढ़ का पानी इकट्ठा हो जाता है । इससे हजारों एकड़ भूमि पानी में डूब जाती है । इसको रोकने का उपाय यह था कि रेल लाइन के पार बड़ी सुरंग बनाई जाती है । परन्तु इस बारे में अनेक बार अनुरोध किये जाने के बावजूद कृषि मंत्रालय तथा रेल मन्त्रालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

बाढ़ें प्रकृति का प्रकोप ही नहीं होती हैं । मानवीय प्रयासों द्वारा इन पर नियन्त्रण पाया जा सकता है । परन्तु यह तभी सम्भव है यदि ठेकेदार और अधिकारी दक्ष हों और अपना कार्य उचित ढंग से करें । ठेकेदार निर्माण कार्य में सीमेंट के स्थान पर रेत का प्रयोग करते हैं, अधिकारी रिश्वत लेते हैं और इसका परिणाम होता है कि बाढ़ आने पर तटबन्ध बह जाते हैं । ऐसे अधिकारियों और ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये । गंगा को काबेरी के साथ मिलाने की सरकार की एक विस्तृत योजना है परन्तु ऐसी योजनाओं का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तरी क्षेत्र में बाढ़ों पर नियन्त्रण करने का प्रयास किया जाना चाहिये । गंगा आदि नदियों में गाद समाप्त की जानी चाहिए । ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध जांच की जाए जिन्होंने पोंग बाँध की सुरंगों का आयोजन करते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा कि इससे बाढ़ रोकने में सहायता होगी कि नहीं । जांच में दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों को दण्ड दिया जाना चाहिये ।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : We have been discussing the problem of floods, every year but still we have not been able to find a solution to this problem which

causes devartation every year. Efforts should be made to find out the causes of securring floods. De-forestation can be one cause of this. Due to this, water brings soil from mountains and that soil causes silt in rivers, which in turn results in Floods in rivers. Government should have a scheme for afforestation of mountaneous areas.

There should be water shortage points to collect rain water. Water collected in this manner could be used for irrigation purposes.

This year Morena has been flooded. Heavy damage has been caused by floods in that area, There have been breaches in Bombay, Agra, National, Highway. Central Government as well as State Government is neglecting this area knowingly. Government should immediately render assistance to flood affected people there.

Some canals have been constructed in district Morena, but these are not being used. When water from these canals is used for irrigation purposes the area is submerged with water. Government should pay attention towards this aspect.

श्री एन० शिवप्पा (हसन) : मैसूर में पिछले 6—7 वर्षों से लगातार सूखा तथा दुर्भिक्ष पड़ रहा है भारत की विशेषरूप से दक्षिणी पठार की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है कि इसके एक ओर पूर्वी तट है व दूसरी ओर पश्चिमी तट है तथा बीच में दक्षिणी पठार है जिसमें कोई पानी नहीं, अनाज नहीं और न ही सिंचाई की कोई सुविधाएं हैं। पिछले 20 वर्षों से न तो वहां के लोगों की सुनवाई केन्द्रीय सरकार ने की है और न ही राज्य सरकार ने की है। वहां 27 लोक सभा के सदस्यों एवं राज्य सभा के सदस्यों ने प्रधान मन्त्री के सम्मुख अपनी कठिनाइयां रखी हैं। मैसूर के लगभग सभी 18 जिले अकाल से ग्रस्त हैं, अत: केन्द्रीय सरकार को वहाँ के लोगों के कष्ट दूर करने के लिए कुछ न कुछ कार्यवाही करनी चाहिये :

प्रतिवर्ष हम अकाल सहायता या बाढ़ सहायता कार्यों पर करोड़ों रुपये नष्ट करते हैं। सरकार से इस बारे में स्थाई हल खोजने का प्रयास करना चाहिये। यह समस्या देश के 75 प्रतिशत ग्रामीण लोगों की समस्या है।ग्रामीण लोग ही देश के वास्तविक स्वामी हैं, अत: उनकी भलाई के लिए हमें इस दिशा में कोई प्रभावी कदम उठाना चाहिये।

यहां प्रश्न सर्वेक्षण का नहीं अपितु प्रश्न तो यह है कि खाद्य तथा अकाल की समस्याओं क स्थायी समाधान ढूंढा जाना चाहिये। इस ओर भी उद्योग की भान्ति कोई क्रान्तिकारी कदम उठाना होगा। हमारे पास पर्याप्त संसाधन एवं कच्चा माल है और मैसूर राज्य में कार्य किया जा सकता है। अब समय आ गया है कि सूची वाह्य नदियों की सफाई की जाये।

केन्द्रीय सरकार सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में सर्वेक्षण के लिये एक समिति भेज रही है। इस समिति ने जिले को एक इकाई के रूप में लिया है। परन्तु जिस जिले में केवल 5—6 तालुकों में ही सूखा पड़ा हो, तो उस जिले के लोगों की क्या हालत होगी ? अत: उक्त समिति को तालुक को ही इकाई के रूप में लेना चाहिये।

केन्द्र सरकार ने बहुत सी विचाराधीन परियोजनाओं को स्वीकृति देनी है। अब समय आ गया है कि इसके लिये वित्त की व्यवस्था की जाये। अत: इस संकट पूर्ण स्थिति में मैसुर राज्य के लिये 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था करना आवश्यक है।

Shri S. N. Singh (Jhunjhunu) : Mr. Chairman Sir, floods and drought are both natural calamities and both have their separate problems. Rajasthan has to face both of these calamities every year. It is es ential that these problems should be solved on a national level and permanent basis. There is a Desert Development Board in Rajasthan which is ineffective. Such a Board should be constituted at the national level to deal with this problem in other states like U. P. and Bihar as well.

The problem of Rajasthan are quite different and whole of the family is engaged in bringing drinking water. Regional Pipe Line schemes should be implemented in such areas. We can not change nature but we can minimise its effects. Rural works scheme is a good signal in this respect. But there has been discrimination in selection of districts in Rajasthan. Districts like Jhunjhunu and Sikar-comming at No. 4 and 5 from the drought point of view-has not been selected. It creates bad feeling in the minds of people. There should be some basis for selection. In this regard, exclusion of said two districts can not be understood.

Drought leads to famine. In famine days people should be provided with food. Famine is a usual feature in Rajasthan. Therefore, it needs to be fought on national level so that the States suffering from such calamities may be able to develop and stand equal to other states. I, therefore, would request the hon'ble Minister to form a Desert Development Board and prepare a development plan for the cutive country under it.

श्री एस० एस० महापात्र (बालासोर) : चूंकि मैं उड़ीसा से आया हूं इसलिये यह स्वाभाविक ही है कि मैं उड़ीसा में बाढ़ से उत्पन्न समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करने का प्रयास करूंगा। कटक, बालासोर, पुरी के कुछ भाग, धनकल तथा केंोंझर में बाढ़ से विनाश हुआ है। हर वर्ष देश के विभिन्न भागों में बाढ़ आती है। मैं दामोदर घाटी निगम में सूचना विभाग का अध्यक्ष था। यह निगम पश्चिम बंगाल एवं बिहार में बाढ़ की रोकथाम हेतु स्थापित किया गया था और इसके अन्तर्गत 8 बांधों का निर्माण किया जाना था परन्तु केवल 4 बांधों का ही निर्माण हुआ है। इसके परिणामस्वरूप बाढ़ पर नियन्त्रण नहीं हो सका है। डा० के. एल. राव तो हीराकुण्ड बांध परियोजना में इन्जीनियर रह चुके हैं। हम देखते हैं कि महानदी में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और नियन्त्रण नहीं हो सका है।

बिजली के लिए नेशनलग्रिड की भांति ही बांधों पर राष्ट्रीय नियन्त्रण होना चाहिये और सभी नदियों का आपस में सम्बन्ध स्थापित होना चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस समस्या को राष्ट्रीय समस्या के रूप में लेकर इसका स्थायी समाधान क्यों नहीं कर देती।

उड़ीसा में बाढ़ मे बहुत क्षति हुई है। ग्यारह व्यक्तियों की जानें गयी हैं और बहुत से पशु भी मर गये हैं। बहुत से तटबन्ध बह गये हैं। अभी भी कई जगह पानी खतरे के निशान से ऊपर है। उड़ीसा सरकार इस मामले में कुछ करने में असमर्थ है और वह केन्द्र सरकार पर आरोप लगा रही है। अतः केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर कुछ करना चाहिए ताकि इस समस्या का समाधान हो सके।

स्वर्ण रेखा परियोजना में मेरी दिलचस्पी है। इससे उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल को लाभ होगा। इस परियोजना के पूरा हो जाने पर 4 लाख क्यूसेक पानी दो तटबन्धों के बीच बहेगा

और इसके परिणाम स्वरूप उड़ीसा में 60,000 एकड़ तथा पश्चिम बंगाल में 40,000 एकड़ भूमि जलमग्न हो जायेंगी। इस तरह एक लाख लोग बेघर हो जायेंगे। अत: मेरे विचार में उड़ीसा सरकार इस परियोजना के पक्ष में नहीं है। पश्चिम बंगाल में पिछली सरकार का भी यही विचार था। मैंने माननीय मन्त्री महोदय से बात की है और उन्होंने बताया है कि दामोदर घाटी निगम की तरह इस नदी के ऊपरी तथा निचले भागों में तटबन्धों का निर्माण किया जायेगा। यदि यह योजना शीघ्र ही क्रियान्वित न की गयी तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में सत्याग्रह छिड़ जायेगा।

इसी प्रकार मन्त्री महोदय को भीमकुण्ड परियोजना की ओर भी ध्यान देना चाहिए जिससे कि वैतरणी नदी की बाढ़ पर नियन्त्रण होगा।

मन्त्री महोदय को इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये। उन्हें उड़ीसा के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का दौरा भी करना चाहिये और मुझे आशा है कि वे उड़ीसा के इन क्षेत्रों के लिए 3 करोड़ रुपये की सिफारिश करेंगे।

Shri Ganga Reddi (Adilabad) : Respected Sir, Our country is facing great trouble this year. Problems on account of refugees, drought, famine, floods and threat of attack from Pakistan has caused a loss worth crores of rupees. Even Andhra Pradesh is witnessing drought. Country is witnessing a drought which has not been there in last hundred years. This has also affected the areas of Telangana and Royal a seema.

There has been a devastating drought and the crops have suffered from pests and diseases. The agricultural people are running to towns for employment. Prices of foodgrains are touching the sky height. Andhra Pradesh Governme-t has released Rs. 2 crores for draught relief for the time being. Recovery of land revenue and Taccavi loans have been postponed. Government of Andhra Pradesh is finding itself unable to cope with such a colossal problem. In a memorandum submitted only yesterday to Prime Minister we have demanded an amount of 10 crores of rupees for this purpose.

A master plan should be prepared for chromic drought affected areas and Godavari Project and its North Canal should be implemented without any loss of time.

Shri T. D. Kamble (Latur) : Mr. Chairman, Sir, it is unfortunate that our country has to suffer every year either from too much of rains or shortage of rains. There has been floods in U. P. and Bihar and there is swere drought in seven districts of Maharashtra. I hail from Marathwada and know that the situation is alarming there because of famine. I would request you to sand a study team there immediately and give them the necessary help.

The Government of Maharashtra can not solve the problem of its own. Agriculturists have been forced to manual labour because of famine which has rebbed them of water and cattle. There are people who can not even do the labour work. Govt. should provide work for people and save their lives.

In Marathwada, there is no big project. There are only one or two big factories which are facing closure. I would request the Government to start construction of small dams immediately and provide necessary machinery for this purpose. The agriculturists should be provided with loans so that they may start working. Centre should provide a sum of 20—25 crores of Rupees for the people of this area.

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुये
Shri K. N. Tiwary in the Chair]

Md. Jamilurrahman (Kishanganj) : Mr, Chairman, Sir, Floods are a regular feature naw. I want to explain the problems faced by the people of my area. There are many rivers like Mahanadi, Kosi and Ganga. Nothing h s been done in last 22 years for the people of Purnia. Govt. should take steps for flood control there on a war footing.

Kosi project is there but it has caused water logging and no solution has been found for this in last 6—7 years.

Further, there are 15—16 lacs of people who have been affected by floods in the district of Purnia. No concrete steps have been taken by Bihar Govt. I had submitted a memorandum to Prime Minister. In Barauni, oil refniery and Fertilizer Factory are in danger. North Bihar, is completely cut off. Dagmara Barrage, if it had been constructed, would have solved much of the problem. Shri Hunmanthaiya and Shri L. N. Mishra have been there and witnessed the fary of floods.

Mr. Chairman : Now, please stop.

Shri Md. Jamilurrahman : I raise a point of order.

Mr. Chairman : No, point of order. you please stop.

Shri Md. Jamilurrahman : Other's have spoken for twenty minutes.

Mr. Chairman : They might have spoken. But I alloted you 5 minutes. I do not allow you now.

Shri Md. Jamilurrahaman : This is injustice. I am here to convey people's voice to Government through you.

Mr. Chairman : I don's allow. The Law Minister now.

कावेरी जल विवाद में मैसूर की ओर से एटार्नी जनरल की उपस्थिति के समाचार के बारे में वक्तव्य

Statement re. Reported appearance of Attorney General on behalf of Mysore in Covery water Dispute

विधि तथा न्याय मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : मुझे सूचना दी गयी थी कि आज सुबह यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या भारत के एटार्नी जनरल कावेरी जल विवाद में मैसूर सरकार की ओर से उच्चतम न्यायालय में उपस्थित हुये थे। परन्तु ऐसा नहीं हुआ। एटर्नी जनरल तो भारत संघ की ओर से उपस्थित हुये थे। मैसूर के राज्यपाल ने अनुरोध किया था कि एटार्नी जनरल को मैसूर की ओर से उपस्थित होने की अनुमति दी जाये। परन्तु मैंने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था क्योंकि ऐसे मामलों में संघीय सरकार किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं कर सकती।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : श्री विश्वनाथन ने समाचार पत्रों में पर इस समाचार के आधार पर प्रश्न उठाया था कि मैसूर के राज्यपाल ने एटार्नी जनरल से मैसूर की ओर से उपस्थित होने का अनुरोध किया था । अब उसका खण्डन किया जा चुका है ।

श्री एच० आर० गोखले : मैसूर के राज्यपाल ने मेरे से अनुरोध किया था और दो अधिकारी भी इसी सम्बन्ध मे मुझसे मिले थे । परन्तु मैने उनके अनुरोध को नहीं माना ।

श्री सेझियान : इससे ज्ञात होता है कि श्री धर्मवीर को संविधान के उपबन्धों और सरकार की प्रक्रिया का पता नहीं है और वे राज्यपाल के पद पर आसीन है ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : आज सुबह मैंने मांग की थी कि सरकार को शेख मुजीबुर्रहमान की रिहाई के लिये संकल्प प्रस्तुत करना चाहिये । अब चूंकि सत्र समाप्त होने को है इसलिये ऐसा सम्भव नहीं है । क्या माननीय मन्त्री राज बहादुर इस सम्बन्ध में कुछ कहेंगे ।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राजबहादुर) : प्रधान मन्त्री साढ़े छः बजे के करीब आयेंगी । उस समय यदि आप यह प्रश्न करें तो शायद वे कुछ बता सकेंगी ।

देश में बाढ़ तथा सूखे की स्थिति के बारे में चर्चा-जारी

Discussion re. flood of drought situation in the country–contd.

Mr. Chairman : Mr. Jamilurrahman, you can give suggestions only.

Shri Md. Jamilurrahman : I wanted to Know whether Government was preparing a plan for next 7-8 years so that floods may be controlled for whole of India and particularly for Purnia as well. Second point is whether Government will send seeds to Purnia, Dharbhanga and Sabraja ? Third, will the medical facilities be provided for the people of these three districts. Road from Dharbhanga to Forbisganj should be completed and rivers like Mahanand should be completed and a dam constructed, Fifthly, scheme of afforestation should be implemented. Lastly, Taccavi loans and Natural calamaties loans should be provided.

Mr. Chairman : I would request the hon minister for Parliamentary Affairs to suggest to his party members to put questions only. The time at our disposal is very limited and we do not want to disappoint other Members.

Shri Raj Bahadur : While requesting the members of my party to ask only questions, I assure the Chairman that the Members of my party will not deliver speeches.

श्री के० बासप्पा (चित्रदुर्ग) : श्रीमान जी, मैसूर को सूखे के कारण भयंकर अकाल का सामना करना पड़ रहा है । इस राज्य के 19 जिलों में से 16 जिले अकाल-ग्रस्त हैं । दक्षिण कनारा के जिलों में समुद्र के द्वारा हमेशा भूमि का कटाव होता रहता है । मानसून के दौरान कम्मानू, कापू तथा मखन्ती जैसे तटीय क्षेत्रों में हमेशा भूमि बह जाती है । भूमि के इस प्रकार के कटाव को रोकने के लिए सरकार को निश्चय ही कोई कार्यवाही करनी चाहिये । इसी प्रकार चित्रादुर्ग और रायदुर्ग के बीच में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य भी शीघ्र ही किया जाना चाहिये ताकि चित्रदुर्ग को समय पर उचित सहायता दी जा सके ।

अन्त में, मैं सिंचाई मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन्हें उपरि कृष्णा

परियोजना की मंजूरी भी शीघ्र प्रदान कर देनी चाहिये ताकि निरन्तर सूखाग्रस्त रहने वाले बेलगांव क्षेत्र के लिये सिचाई की कोई निश्चित व्यवस्था की जा सके। इसके साथ ही, याज्ञवी परियोजना जैसे के अन्य परियोजनाये भारत सरकार के विचाराधीन हैं। उनकी मंजूरी भी शीघ्र ही दे दी जानी चाहिये।

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : Sir, Delhi is confronted with a serious flood problem. The Yamuna river is in flood. The Okhla Dam would have given way had the hon-minister not taken action well in time. The flood water has entered a number of residential colonies. The condition in the slum areas is very pitiable. It is very sad that Delhi Administration do not pay adequate attention to this problem.

The Government is standing about a crore of rupees to prevent floods. I would suggest the Government to take up a comprehensive scheme and spend about Rs, 20 crores on it to solve this problem once for all,

श्री के० सूर्यनारायण (एलूरू) : क्योंकि सम्पूर्ण देश में कहीं न कहीं सरकार को सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ता है अत: सूखे की इस व्यापकता को दृष्टिगत रखते हुये सरकार ने 1969 में देश के सम्पूर्ण सूखा क्षेत्रों का वैज्ञानिक रूप से मानचित्र बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी अध्ययन किया था। यह अध्ययन योजना आयोग के कहने पर किया गया था। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि इस दल की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने कौन-कौन सी योजनायें बनाई हैं ?

गत वर्ष भारत सरकार ने पश्चिम गोदावरी जिले में थार्मालेरू परियोजना के लिए दो करोड़ रुपये की स्वीकृति दी थी। दुर्भाग्यवश इस समय आन्ध्र प्रदेश सरकार के पास इस परियोजना को पूर्ण करने के लिये धन नहीं है, अत: क्या केन्द्र सरकार से इस योजना की पूर्ति के अपेक्षित धन की व्यवस्था करेगी।

Shrimati Sahodrabai Rai (Sagar) : Mr. Chairman, Sir I represent Mahakoshol and Sagar is my District. I strongly feel that there is great need for taking flood relief measures in Sagar, Jabalpur, Damoh and other Districts as they are confronted with the problems of floods. The ministers should personally visit these areas to have an uptodate knowledge of the serious situation prevailing over there. Taccavi loans should be distributed to the farmers of these flood affected areas,

श्री दिनेश जोरदार (मालदा) : श्रीमान जी मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें मालूम है कि 1967 से लेकर अब तक मालदा को प्रतिवर्ष बाढ़ों का सामना करना पड़ रहा है ? ये बाढ़ें फरक्का बांध और अन्य बांधों के कारण आती हैं। अत: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कालिंदी नदी के फरक्का बांध के मुख्य द्वार का निर्माण किया जायेगा और यदि हां, तो इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा ? मैं समझता हूं कि इस परियोजना को पूरा करने के लिए 10 से 12 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इस वर्ष मालदा की बाढ़ में 25 व्यक्ति मारे गये हैं और इस बाढ़ ने सभी पिछले रिकार्ड तोड़ दिये हैं। अत: मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि उसे अविलम्ब बाढ़ नियंत्रण के लिए कार्यवाही करनी चाहिए। प्रधान मंत्री ने बिहार और उत्तर प्रदेश के बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया है, परन्तु मालदा तो एक

तरफ, उन्होंने पश्चिम बंगाल के किसी भी क्षेत्र का दौरा नहीं किया । इस क्षेत्र की ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिये ।

केरल में भी आजकल दोहरी विपदा आई हुई है । वहाँ बाढ़ों के साथ साथ समुद्रीय कटाव भी हो रहा है । केरल सरकार ने समुद्रीय कटाव निवारक कार्यों के लिए 40 करोड़ रुपये की मांग की है । मैं समझता हूं कि सरकार को इसे राष्ट्रीय योजना के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिये और यदि ऐसा न किया गया तो एक दिन सारा केरल ही समुद्र में समा जायेगा ।

Shri Rudra Pratap Singh (Barahanhi) : Sir, will the Government formulate a definite plan for controlling floods after obtaining resources by imposing a ceiling on individual property ? Will the Government issue strict instructions to its officials not to misuse public funds when they conduct tours of the flood affected and drought affected areas ? Lastly, I would like to know whether the Government will try to give maximum help to the states for meeting the situation caused by floods ?

Shri Ram Bhagat Paswan (Rosera) : Sir, floods have created a havoc in several parts of Bihar. As a result of these floods, 80 percent of Rabi crop, 95 percent of maize crop, and 90 percent of rise crop have been completely destroyed. Lakhs of people have been rendered homeless The Government should provide immediate relief to the victims of floods. Taccavi loans should also be distributed to them and arangements for supply of fodder in those areas should be made. At the same time, Government should see that flood protection projects like Western Kosi Canal, Dagamara, Barrage and Kamala Balon Dam are constructed early, so that these areas could be saved from floods.

Shri M. C. Daga (Pali) : I am sorry to say that not even half of the money alloted for flood measures is spent on actual constructions. A big chunk is being pocketted by the Engineers who are in league with the contractors. Will the Government take strong and immediate steps to check such malpractices ? Do the Government realise the fact that all dams should be constructed in consultation with a board of Engineers ? I feel that a number of small dams should be put up in place of huge dams.

Shri Naval Kishore Sharma (Dansa) : Sir, a number of embankments and dams have been damaged as a result of recent floods. Jaipur, Alwar, Bharatpur, Tonk, Sewai Madhopur, Nagaur Sikar districts have been badly affected and all communications have been disrupted there. I would request the Government to provide immediate relief and assistance for the repair of such dams and roads.

Dr. Govind Dass Richhariya (Jhansi) : Sir, The Govt. have not been able to provide even drinking water in a number of draught affected areas even after so many years of freedom. The Govt. should ensure that the region of Jhansi in Bundelkhand is provided with drinking water. On account of a dispute which is pending between Uttar Pradesh, and Madhya Pradesh, the construction of a dam in Belwa has been delayed for a number of years. Will the Govt. take immediate steps to settle that dispute ?

श्री सुबोध हंसदा (मिदनापुर) : सभापति महोदय, स्वर्ण रेखा तट बांध योजना के परिणाम स्वरूप हजारों लोग बेघर हो जायेंगे । अत: मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस योजना पर पुनर्विचार करे ।

जहां तक दामोदर घाटी निगम का सम्बन्ध है, इसके पानी को उस समय छोड़ा जाता है जबकि तटबंधों में तालाब का पानी भरा होता है । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि

वर्षा ऋतु के आरम्भ होने से पहले इसके पानी को क्यों नहीं छोड़ा जाता। इसके साथ ही, क्या मंत्री महोदय यह भी बतायेंगे कि दामोदर खुदाई योजना का कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

Shri Chandrika Prasad (Ballia) : Sir, as a result of Birla Dam breach, party villages have been washed away by floods. A thorough prove should be conducted to find out as to who is responsible for it ? At the same time, steps should be taken to construct Sansar Tola Dam. A number of villages are being eroded by the recarrying floods in the area of Chandpur, Kamalpur, Maharajpur, etc. The Govt. should adopt permanent measures to stop such erosion.

I would like to suggest that the Govt. should sanction 3 month's advarce salary to its employees who have suffered due to recent floods. A detailed relief programme for helping the victims of flood should also be chalked out.

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) : Mr. Chairman, Sir, it is unfortunate that District Champaran has been in a victim of recurring floods for the last several years. Has the Govt. prepared any scheme to check the recurring devastation by floods ?

I do not as to know why the work on the Chikrana Dam project has. been stopped The Government should see that this project is taken in hand immediately so that this recurring problem of floods could be solved.

* **श्री बी० एन० रेड्डी** : सभापति महोदय, जैसा कि आपने कहा है में केवल एक ही प्रश्न पूछ रहा हूं। आन्ध्र प्रदेश को दक्षिण भारत अनाज का भण्डार कहा जाता है परन्तु आज स्थिति यह है कि आन्ध्र प्रदेश स्वयं गम्भीर सूखे की जकड़ में है। वहां की राज्य सरकार अपनी संसाधनों के बावजूद इस विषम समस्या का सामना करने में असमर्थ है। राज्य सरकार ने लोगों के कष्टों को कम करने में अपनी यह लाचारी केन्द्र सरकार को बता दी है। अत: अब वहां के लोगों को उन दुखों से तत्काल छुटकारा दिलाने के लिए केन्द्र सरकार क्या कार्यवाही करेगी ? क्या यह सत्य नहीं है कि राज्य सरकार ने इस कार्य के लिए केन्द्र से 10 करोड़ रुपये की सहायता की तत्काल मांग की है ? क्या सूखे के कारण हुई क्षति का अनुमान लगाने के लिए, राज्य सरकार ने केन्द्रीय दल द्वारा सर्वेक्षण कराये जाने की मांग नहीं की है ? अत: क्या अब केन्द्र, आन्ध्र प्रदेश के लाखों लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई तुरन्त कार्यवाही करेगा ? क्या अपने आपको समाजवादी कहने वाली केन्द्रीय सरकार वहां के लोगों को जीवन की कुछ आधारभूत सुविधायें आदि जुटाने के लिए कोई व्यवस्था करेगी या केवल मात्र समाजवाद के नारों से ही उनका पेट भरती रहेगी ?

सभापति महोदय : माननीय सिंचाई मंत्री—**व्यवधान**

---

*तेलगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

Summarised translated version based on the English translation of the speech delivered in Telugu.

Some hon. Members : Time May be exten and ded (**Interruptions**)

सभापति महोदय : मेरी कठिनाई यह है कि पहले इसके लिए तीन घंटे का समय निर्धारित किया गया था। कुछ सदस्यों के आग्रह पर मैंने एक घंटा और बढ़ा दिया। अब मैं मंत्री महोदय से निवेदन कर देता हूं वह आपकी शिकायतों को सुन लेंगे। आप अपनी शिकायतें उन्हें लिखकर भेज सकतें हैं, ऐसा करना आपके लिए अधिक लाभकारी होगा (**व्यवधान**)

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं अपने मित्र मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इन सभी प्रश्नों का बहुत संक्षिप्त उत्तर दें। कृपया सदस्यों को 2-2 मिनट का समय दें ताकि अपने प्रश्न रख सकें।

सभापति महोदय : मुझे आपके सुझाव पर कोई आपत्ति नहीं है।

श्री राज बहादुर : मंत्री महोदय संक्षेप में बोलेगें।

सभापति महोदय : क्या आप सदस्यों से निवेदन करेगें कि वे केवल एक मिनट में अपनी बात समाप्त करने का प्रयत्न करें ?

श्री राज बहादुर : वह केवल दो मिनट ही लेगें।

Shri B. N. Bahargav (Ajmer) : Govt. should make immediate provision for the relief to those victims of floods who are extremely poor and who are not accastomed for such floods.

Shri Jagannath Mishra (Madhubani) : The flood of this year has brought havoc in Bihar. Almost the total area of the state, specially Madhubani is badly affected, I would like to know what immediate relief measures have been taken for flood striken people.

Those people have to face this calamity every year. I would like to kno v what steps are being taken to control Bhutaki Balan and why dagmara Barrage is not being Constructed. Why the Western Kosi Canal and road from Darbhanga to Rharbisgunj is not being constructed. Way fare price shops and hospitals are not being opened for the benefit of affected people,

Shri Ramji Ram (Akbarpur) : In Bihar Tanda has been rauaged. by floods. Government should took immediate steps to provide relief to the flood victims.

Shri Dharam Rao Afzalpurkar (Gulburga) : The work in the cement project proposed to be established in the district of Gulburga has not yet started. Government should see that it is started at an early date. Govt. should give sufficient facilities of drinking water in Gulburga. Immediate relief work should be undertaken in the drought aspected region of Bihar.

The railway line between Mirja and Bangalore and Gunabnl and Bangalore should be changed from metre gauge to broad gauge.

Yamuna Prasad Mandal (Samastipur) : Since last ten years I have been repea-

tedly requesting the Govt. to save Barma Dam on the left bank of Ganga and Khunkhuna Dam. But nothing has been done so far, with the result that almost 80 lakh persons have been affected by the flood.

Bihar Govt. should atleast be given hundred crores for its new schemes. A Grant of 30 thousand tonnes good variety wheat should also be given to Bihar. Otherwise there is all possibility of famine there. Drinking water facilities should be provided and good number of boats should be given.

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीमनगर) : क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार की ओर से सरकार की ओर से सरकार को वहां की सूखे की भयंकर स्थिति के सम्बन्ध में कोई सूचना मिली है ? यदि हाँ, तो उसने इस सम्बन्ध से आर्थिक सहायता देने के लिए क्या कार्यवाई की है ?

तेलंगाना क्षेत्र के पिछड़ेपन और उसके सूखा ग्रस्त होने की स्थिति को देखते हुए क्या सरकार पोचमपद और मानेर योजनाओं को पूरा करने जा रही है। ये परियोजनाएं करीमनगर जिले के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं। इसके अभाव में वहां आन्दोलन होने की सम्भावना है।

श्री ईश्वर रेडडी (कड़प्पा) : काला बाजार के कारण आन्ध्र प्रदेश में अनाज की कीमतें आकाश को छू रही है। वहां अनाज 1·40 रुपये प्रति किलो के भाव बिक रहा है उसका भाव 85 पैसे किलो होना चाहिये। सरकार इस स्थिति में सुधार के लिये क्या कार्रवाई कर रही है ?

क्या सरकार तुंगभद्रा नहर योजना को और अधिक दे रही है। जिससे कि बहुत से बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सके ?

प्रो० एस० एल० सक्सेना (महाराजगंज) : पूर्वी उत्तर प्रदेश और विशेषकर गोरखपुर जिले में बाढ़ आई हुई है और बाद में उसे सूखा का सामना करना पड़ेगा। अतः इस दिशा में कोई स्थायी प्रबन्ध करने और घाघरा, गण्डक और रोहिण्य नदियों की बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए सरकार क्या कार्रवाई कर रही है ? जलगुम्डी योजना का क्या हुआ, जो राप्ती की बाढ़ के नियंत्रण के लिए है ?

Shri Chiranjite Jha (Saharsa) : For the construction of Kosi barrage govt. requisitioned the land of the people with the assurance that the safety of the people will be their responsibility. But nothing has been done in that direction and floods have become a regular phenomena. Whether Govt. is going to resort to dredging in Kosi as its level is rising, Whether Govt. is going to construct Western Kosi Canal ? Whether Govt. is. giving employment to the unemployed of the region ?

Shri Tarkeshwar Pandey (Salempur) : In view of the life of the names given to you by the minister. I think it is not useful to speak.

Shri Shankar Dayal Siugh (Chatra) : Govt. has not done any thing for the villages submerged in D. V. C. Centre should do something for them because D. V. C. is under the central, Govt. Secondly nothing is being done for the fodder of the animals. It should be dealt with immediately.

Shri Nageshwar Durinedy (Machhlishabar) : The bridges on Gomti and sai in jamupur shouid be raised and steps should be taken to some janupur from the fary of floods.

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : हमारे देश में बहुत सी नदियाँ हैं और सबको नियंत्रण में करना असम्भव है ; 225 करोड़ रुपया खर्च करके हम लगभग 25 प्रति शत भूमि को बाढ़ से बचाने में सफल हुए है अगले 10 सालों में हमारा कार्यक्रम और 25 प्रतिशत भूमि को बाढ़ की लपेट से बचाने का है । अत: 1981 तक हम बाढ़ ग्रस्त भूमि के 50 प्रतिशत भाग को उसके पंजे से बचा सकने में सफल हो जायेंगे । चाहे हम कितना ही प्रयत्न करें शत प्रतिशत सफलता हम इसमें नहीं पा सकते ।

यह कहना सर्वथा गलत है कि हमने बाढ़ नियंत्रण की दिशा में कुछ नहीं किया है। हमने इस क्षेत्र में पर्याप्त कार्य किया है और हमें सफलता भी मिली है । पर फिर भी प्राकृतिक सीमाएं हैं जिन्हें पार नही किया सकता । उदाहरणत : इस वर्ष गंगा में इतना पानी आया जितना कि कभी नहीं आया था था तथा सहायक नदियों का पानी उसमें नहीं समा सका क्योंकि उसके पानी का स्तर उनसे ऊंचा था । यही कारण है कि इस वर्ष गंगा ने इतना नुकसान पहुंचाया । इतने पानी को नियंत्रण करना असम्भव है पर फिर भी और अधिक उपाचारात्मक कदम उठा कर हमें एक बड़ी सीमा तक हानि होने से देश को बचा सकते हैं ।

इस वर्ष बिहार में सबसे अधिक हानि हुई, प्रधानमंत्री सहायता कोष से उसे एक लाख रुपया दिया गया । इसी मद से पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश को 75,000 रुपया तथा आसाम को 50,000 रु०दिया गया । और यह सब गंगा में अधिक पानी आने के कारण हुआ ।

जैसा कि मैंने पहले कहा है ये बाढ़ें बांधों में दरार आने के कारण आई । उन्हें ठीक किया जा सकता है ; पिपरासी, मधुबनी, बरौनी आदि स्थानों पर बांधों में दरार आ गई । कटिहार में भी यही हुआ पटना, खगरिया और मुंगेर में भी पानी भर गया ।

बिहार को इस वर्ष बाढ़ सहायता के रूप में केन्द्र से दो करोड रुपये दिये गये हैं और इसके खर्च होने पर उसे और रुपया दिया जायेगा तथा इसी प्रकार दिया जाता रहेगा ।

इसके पश्चात जिस राज्य में बाढ़ से हानि हुई वह है उत्तर प्रदेश छितौनी में करोड़ों रुपया खर्च किया गया है । पुश्ते में दरार आने के कारण बड़ी संख्या में लोगों को वहां से हटाना पड़ा। यहां गंगा की बड़ी ही असुविधा जनक स्थिति है । इसलिए इसकी पूरी-पूरी जांच करने और उचित उपाय सुझाने के लिए एक समिति नियुक्त की जा रही है ।

घाघरा और राप्ती बड़ी कठिनाई पैदा कर रही है । राप्ती की बाढ़ को रोकने के लिए जलकुण्डी में बांध बनाया जाना चाहिए पर दुर्भाग्यवश वह नेपाल में है । इस सम्बन्ध में एक समिति नियुक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री से अनुरोध किया है जो राप्ती की बाढ़ को रोकने के लिए कोई अन्य उपाय सुझायें ।

घाघरा बड़ी भयंकर नदी है और उसके सम्बन्ध में कुछ नहीं किया जा सकता । बिजली बनाने के लिए नेपाल का एक बांध बनाने का इरादा है इससे कुछ सीमा तक इसकी बाढ़ पर नियंत्रण किया जा सकता है । भारत में यह मैदान में बहती है इस कारण इसे नियंत्रित करना असम्भव है ।

पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी का पानी हुगली और हावड़ा जिलों में फैल जाता है । दुर्गापुर बांध के निचले भाग को बचाया जाना चाहिए । पर इस दिशा में कुछ नहीं किया गया इसमें 13 करोड़ रुपये लगेंगे । बाढ़ नियत्रण राज्य का विषय है । हम उनसे इसका प्रबन्ध करने के लिये कह रहे हैं । यदि यह हो जाये तो हुगली और हावड़ा जिलों में बाढ़ न आए ।

स्वर्णरेखा नदी जो उड़ीसा के बालासोर और पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिलों से होकर बहती है, एक बड़ी नदी है । इस पर बांध बनाना कठिन है क्योंकि उसमें दरार पड़ जायेंगी इसलिए उस पर बँगाल में बाँध बनाया जाना चाहिए । यदि वह हो जायें तो स्वर्णरेखा की बाढ़ को रोका जा सकता है ।

गंगा को कावेरी से मिलाने की परियोजना एक बड़ी योजना है । इस पर सावधानी से विचार हो रहा है, पर इसमें अभी समय लगेगा ।

केरल के समुद्री कटाव को रोकने के लिए माननीय सदस्य को राज्य सरकार और केन्द्र में वित्त विभाग से कहना चाहिए ।

कृषि मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली) : इस वर्ष मौसम बड़ा ही अनिश्चित रहा है । कभी बाढ़ तो कभी सूखा । जहां हमेशा बाढ़ें आदि आती थीं जैसे आसाम इस बार वहां सूखा पड़ा महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश आदि की भी यही स्थिति रही ।

माननीय सदस्यों ने संगत प्रश्न पूछे हैं सरकार दीर्घकालीन उपाय के रूप में इस दिशा में क्या किया है तथा लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या तात्कालिक उपाय किए हैं ।

कुछ माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाया है कि सरकार ने सूखे आदि की कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या, दीर्घकालीन उपाय किये हैं । सरकार ने कुछ ऐसे उपाय अवश्य किये हैं । जिससे सूखे का प्रभाव कुछ कम अवश्य होगा । हमने चारों पंचवर्षीय योजनाओं में सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिऐ जो 100 करोड़ रुपये का कार्यक्रम बनाया है उसे क्रियान्वित कर दिया है ।

जहां तक अल्प कालिक सहायता देने का सम्बन्ध है सदस्य यह अनुभव करेंगे कि राहत कार्यों के लिये राज्य सरकार का पहला उत्तरदायित्व है और सभी सरकारें इस उत्तरदायित्व को पूरी तरह निभा रही हैं । मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि राज्यों को जितनी सहायता की आवश्यकता होगी तथा जितनी सहायता नियमानुसार उन्हें दी जा सकती है वह दी जायेगी ।

जहां तक खाद्य स्थिति का सम्बन्ध है, पहले यह अनुमान था कि हमारा खाद्य उत्पादन 1060 लाख टन होगा किन्तु अब आशा है कि 1970—1971 में 1070·81 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन होगा । यह भी आशा है कि प्रतिकूल मौसम होने पर भी खाद्यान्न में कमी नहीं होगी ।

मैं यह भी सदन को बताना चाहता हूं कि हमारे पास खाद्यान्न का भारी स्टाक है तथा जिस राज्य को भी उसकी आवश्यकता होगी हम यथा सम्भव उसे खाद्य सामग्री भेजेगें ।

जहां तक बाढ ग्रस्त क्षेत्रों में बीजों से सम्बन्धित कठिनाइयों का सम्बन्ध है मैंने बाढ

ग्रस्त तथा सूखा क्षेत्रों के लिये बीजों की सप्लाई के बारे में बातचीत की है तथा इस बारे में कुछ कदम उठाये जा रहे हैं। इसी महीने की 19 तारीख को राज्यों के खाद्य मन्त्री यहां आ रहे हैं उनसे मैं इस बारे में बातचीत करुगां कि हम इस बारे में उनकी आवश्यकताओं को कहाँ तक पूरा कर सकते हैं। चारे के सम्बन्ध में भी यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह आवश्यकता कहां तक पूरी की जा सकती है।

कई राज्यों ने रिगों की सप्लाई की भी मांग की है। हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि जिन राज्यों में मौसम पर भरोसा किया जा सकता है उनसे ऐसे राज्यों को तुरन्त रिग सप्लाई कराये जायें।

श्री वी० एन० रेड्डी (निरपाल गूडा) : आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में पड़े अकाल के बारे में भारी चिन्ता व्यक्त की है। केन्द्र सरकार उसकी क्या सहायता करने जा रही है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैंने कहा था कि आंध्र प्रदेश से भी अभ्यावेदन आया है। उस सम्बन्ध में भी आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

राहत कार्य करने के लिये प्रारम्भिक उत्तरदायित्व तो सम्बद्ध राज्यों का है। वित्त आयोग पंचाट के अनुसार राज्य सरकारों के पास कुछ धनराशि ऐसी होती है जो आवश्यक सहायता के लिये केन्द्र सरकार से मांगने से पहले ही राज्य सरकार को व्यय करनी पड़ती है। यह धन-राशि समाप्त होने के बाद ही कोई राज्य सरकार केन्द्र से सहायता मांग सकती है। केन्द्रसरकार अपना अध्ययन दल वहाँ भेजता है जो यह पता लगाता है कि वास्तविक व्यय की राशि क्या है तथा केन्द्र को कितने प्रतिशत राशि देनी है। किन्तु हमें उस दल के निर्णय की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। जब हमें कोई अभ्यावेदन प्राप्त होता है तथा यदि कहीं किसी प्रकार का कष्ट होता है तो हम ऋण के रूप में सहायता दे देते हैं। जिसे बाद में सहायता के नियमों के अन्तर्गत उस राज्य को सहायता दे दी जाती है।

पाकिस्तान के सैनिक शासन द्वारा शेख मुजीबुर्रहमान पर मुकदमा चलाये जाने के समाचार के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE ; REPORTED TRIAL OF SHEIKH MUJIBUR REHMAN BY THE MILITARY REGIME OF PAKISTAN.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : क्योंकि आज इस सत्र का अन्तिम दिन है। अत: संकल्प तो पेश नहीं किया जा सकता फिर भी मैं आपके द्वारा प्रधान मंत्री से अनुरोध करुंगा कि वे शेख मुजीबुर्रहमान की सुरक्षा के बारे में एक वक्तव्य दे ताकि संसार को भी पता लगे कि हमारी संसद को भी शेख की उतनी ही चिन्ता है। उनकी अर्थ बंगला देश में संसदीय तो और धर्म निर्पेक्षता की

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : मैं उस पर पश्चिमी पाकिस्तान से आ रहे समाचारों के सम्बन्ध में सदस्यों की गहरी चिन्ता, उद्देश्य और मानसिक व्यथा को पूरी तरह समझती हूं।

अनेक सदस्यों ने विदेशों में विभिन्न संगठनों और संसदों को तारें भेजकर और साथ ही भारत सरकार की ओर से संयुक्त राष्ट्र महासचिव को भी इस बारे में लिखा गया है। स्वयं मैंने भी कई बार विभिन्न राज्याध्यक्षों और प्रधान मंत्रियों को शेख मुजीब को बचने के लिये अपनी ओर से भरसक प्रयत्न करने के लिये लिखा है। संसद शायद यह चाहती है कि संसद में एक संकल्प पारित किया जाना चाहिये परन्तु यह भी समझा जाता है कि इससे हम अपनी तीव्र भावनाओं को दुहराने के अतिरिक्त और कोई प्रयोजन पूरा नहीं कर पायेंगे।

पाकिस्तान में जिस प्रकार का सैनिक शासन है वह हमारे संकल्प पारित करने से जनता की किसी आवाज की ओर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। यह शायद कुछ सरकारों द्वारा दबाव डालने से ही हो सकता है और हम इसके लिये हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं।

हमें यह भी विचार करना है कि जो कदम हम उठाते हैं उससे कही कोई हानि न हो। हम जानते हैं कि सैनिक शासन द्वारा कहा जा रहा है कि शेख मुजीब भारत से बहकावे पर कार्य कर रहे हैं और यह कि हम उसे प्रोत्साहत दे रहे हैं इसी प्रकार कई अन्य निराधार आरोप भी लगाये जा रहे हैं।

हम कभी कभी अपने भाषणों में पश्चिमी पाकिस्तान का उल्लेख करते हैं। अब हमें हर पश्चिमी पाकिस्तान की जनता, जिसके साथ हमारा कोई विवाद नहीं है, और सैनिक शासन, जो बंगला देश में हो रहे अत्याचारों और नृशंस हत्याकाण्डों के लिये जिम्मेदार है, और जो पश्चिम पाकिस्तान के विभिन्न प्रांतों में भी जनता के वैध राजनीति अधिकारों का दमन कर रहा है, के बीच अन्तर को स्पष्ट करना चाहिये।

जहां तक शेख मुजीब पर चलाये जा रहे मुकदमें के बारे में हमारे विचारों पर अन्य देशों की प्रतिक्रिया का सम्बन्ध है, कई देशों ने हमें लिखा है कि ने हम मामले को अपने हाथ में ले रहे हैं या पहले ही ले लिया है।

मुझे खुशी है कि इस मामले पर सभा में इतने मतैकय का प्रदर्शन न किया गया है क्योंकि इससे हमें अत्यधिक सहायता मिलेगी। इस बारे में हमारी रुचि केवल शेख मुजीव के प्रति हमारे दृष्टकोण के कारण ही नहीं है अपितु इसलिये भी है कि पाकिस्तानी तानाशाहों की इस कार्य-वाही से न केवल बंगला देश को बल्कि हमारे देश पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा अपितु, समूचा विश्व इससे प्रभावित होगा।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित की जाती है। मैं आपके सुखद तथा हर्षपूर्ण अवकाश की कामना करता हूं। अब हम नवम्बर में किसी समय पुन: मिलेंगे।

इसके पश्चात लोक-सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned sine die.

Ashoka Printing Works, Modinagar